ा माला, खंड 29, अंक 19

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002
25 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...
Date ...

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 29 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 19, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002/25 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
तुर्की गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	362 से 364, 366 और 367	2-33
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	2	34-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	365 और 368 से 381	39-63
अतारांकित प्रश्न संख्या	3953 से 4182	63-273
सभा पटल पर रखे गए पत्र		273-279
राज्य सभा से संदेश		279
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति		279-280
लोक लेखा समिति		
अड़तीसवां प्रतिवेदन		280
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
उन्नीसवां प्रतिवेदन		280-281
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
106वां से 111वां प्रतिवेदन		281-282
याचिका का प्रस्तुतीकरण		282
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		282
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधों की आपूर्ति न होना		
श्री वसुदेव आचार्य		282, 289-294
श्री शत्रुघ्न सिन्हा		283-299
श्री प्रसन्न आचार्य		294-296
श्री प्रभात सामन्तराय		296-299

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) विभिन्न परियोजनाओं के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से धनराशि जारी करने में विलम्ब के बारे में	300-303
(दो) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में .	303-308
कार्य मंत्रणा समिति	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	309
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश में सागर-रहली-पाटन जबलपुर सड़क मार्ग के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	309
(दो) मुम्बई में लघु बचत एजेंटो को प्रोत्साहन कमीशन की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	310
(तीन) राजस्थान के अजमेर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत	310
(चार) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के समीप करविगवां और आंग रेलवे स्टेशनों के बीच दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर बने पुराने रेल पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा० अशोक पटेल	311
(पांच) उड़ीसा के नौपाडा जिले के बोडन ब्लॉक में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	311
(छह) नागपुर, महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	312
(सात) उत्तर प्रदेश में कानपुर की श्रमिक कालोनी में रह रहे श्रमिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	312
(आठ) जरी उद्योग में लगे कर्मकारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री हन्नान मोल्लाह	313

विषय कॉलम

(नौ) उत्तर प्रदेश में फरेन्दा, महाराजगंज और सिसवा को जोड़ने वाली नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह 313

(दस) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेनगंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 314

(ग्यारह) बामियान में बुद्ध की खण्डित प्रतिमा को पुनः स्थापित किए जाने का मामला अफगानिस्तान की सरकार के साथ उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 314

(बारह) बिलासपुर-अम्बिकापुर-गढ़वा और बिलासपुर-अम्बिकापुर-वाराणसी राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह 315

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के०एच० मुनियप्पा 316-317

श्री महेश्वर सिंह 318-320

श्री अजय चक्रवर्ती 320-321

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 321-322

श्री कोडीकुनील सुरेश 322-323

प्रो० ए०के० प्रेमाजम 323-325

श्री अजित कुमार पांजा 325-327

श्री के०ए० सांगतम 327-328

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 328-329

श्री प्रभुनाथ सिंह 329-331

श्री पी०आर० किन्डिया 331-332

श्री ई० पोन्नुस्वामी 332-333

श्री बसुदेव आचार्य 333

विषय कॉलम

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी 333-338

खण्ड 2 से 50 और 1 338

पारित करने के लिए प्रस्ताव 339

(दो) प्रतिस्पर्धा विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह 339

श्री शिवराज वि. पाटील 341-346

श्री खारबेल स्वाइं 346-348

श्री रुपचन्द पाल 348-353

डा० बी०बी० रमैया 353-355

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 355-359

श्री बाल कृष्ण चौहान 357-359

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 359-374

खण्ड 2 से 64 और 1 379

पारित करने के लिए प्रस्ताव 402

आधे घंटे की चर्चा

पर्यटन विकास

श्री महेश्वर सिंह 402

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन 407

प्रो० रासा सिंह रावत 409

श्री रवि प्रकाश वर्मा 410

डा० ए०डी०के० जयशीलन 411

श्री श्रीनिवास पाटील 411

श्री चन्द्रकांत खैरे 412

डा० रामकृष्ण कुसमरिया 413

श्री खारबेल स्वाइं 413

श्री वीरेन्द्र कुमार 414

श्री जगमोहन 414-422

लोक सभा

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002/25 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

तुर्की गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे तुर्की ग्रांड नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम श्री बूलेंट एरिंक और तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्य जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल भारत में 15 दिसम्बर, 2002 को पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ कक्ष में विराजमान हैं। हम अपने देश में उनेक सुखद और लाभदायक प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तुर्की गणराज्य के प्रेसीडेंट, पार्लियामेंट और वहां के स्नेही लोगों का अभिवादन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग और गुजरात की जनता का हमें अभिनंदन करना चाहिए। जिन लोगों ने 22 बार लोक सभा बंद कराई थी उन लोगों का गुजरात की जनता ने मुंह बंद कर दिया। हमें गुजरात की जनता का अभिनंदन करना चाहिए। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, हम लोग गुजरात की जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, बस्ती में किसानों की जो हत्या हुई है उसमें सैंकड़ों लोग घायल हो गये हैं और दर्जनों व्यापारियों की दुकानें लूटी गयी हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, इस विषय पर गुरूवार को चर्चा तय है, उस समय आप बोल सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा इस विषय में गलत बयानी की गयी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आपके नेता ने इस विषय पर चर्चा मांगी थी, हमने चर्चा दी है। कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आपके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने यहां चर्चा उपस्थित करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि गुरूवार को इस विषय पर चर्चा होगी। जब यह तय हुआ है कि गुरूवार को चर्चा होने वाली है तो मैं आपका एडजोर्नमेंट मोशन डिस-अलॉव करता हूं। आप गुरूवार को इस विषय में अपने विचार सदन के सामने रख सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, मैं स्वयं 13 तारीख को घटनास्थल पर गया था। आज भी वहां की जमीन खून से लथपथ है। सरकार ने दावा किया था कि एक किसान की मौत हुई है, वह बात गलत है। तीन किसान घटनास्थल मुंडेरवा चीनी मिल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मारे गये हैं और सैंकड़ों किसान घायल हुए हैं। आज भी पुलिस घरों में घुसकर बहू और बेटियों के साथ जबर्दस्ती करने का काम रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए तो चर्चा रखी है। आप जीरो-आवर में बोल सकते हैं, कृपया आप बैठ जाइये।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नि:शुल्क हवाई यात्रा टिकट जारी करना

***362. श्री अमर रायप्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के द्वारा किस-किस श्रेणी के लोगों को नि:शुल्क हवाई यात्रा टिकट जारी किए गए थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा कितनी-कितनी राशि के इस प्रकार के टिकट वर्ष-वार जारी किए गए;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा घाटा उठाए जाने का एक मुख्य कारण यह भी है;

(घ) यदि हां, तो इस हेतु कितना धाटा हुआ है और इस प्रकार के टिकट जारी करने के कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इन्डिया द्वारा घाटा उठाए जाने के अन्य कारण क्या हैं ?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जैसे कि सभी एयरलाइनें करती हैं, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस भी अपने वाणिज्यिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार पाने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणियों को नि:शुल्क टिकटें जारी करती है :–

(i) कलाकार, नृत्य मंडली तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्य कार्यकर्त्ता,

(ii) सम्मेलनों में शिष्टमंडलों के बतौर भाग लेने के लिए आमंत्रित शैक्षिक विद्वान और बुद्धिजीवी,

(iii) व्यापार मेलों में भाग लेने वाले बिजनेस/उद्योग एसोसिएशनों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारी अथवा सदस्यगण,

(iv) मीडिया कार्मिक, टूर प्रोमोटर्स, यात्रा-लेखक आदि जो एयरलाइनों तथा भारत के पर्यटक स्थलों के प्रमोशन हेतु यात्रा करते हैं।

इसके अलावा कैंसर आदि रोगों से पीड़ित गरीब व जरूरतमंद रोगियों को, जिन्हें विदेश में विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में ईलाज कराने के लिए रिकमेंड किया गया हो, अनुकंपा के आधार पर नि:शुल्क टिकटें दी जाती हैं।

तथापि, अक्तूबर, 2001 से एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने सामान्य बिक्री सवंर्धन व प्रचार-प्रसार योजनाओं के अलावा ऐसी नि:शुल्क टिकटें जारी करना बंद कर दिया है।

(ख) ऐसी कंपलीमेंटरी टिकटों की वजह से होने वाला राजस्व घाटा नोशनल है। किराया देने वाले यात्रियों को एकोमोडेट करने के बाद ही ऐसे नि:शुल्क टिकट वाले यात्रियों को प्राय: सीट दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) अत: वास्तव में ऐसा कोई घाटा नहीं है। बल्कि ऐसा करने से एयरलाइनों को बदले में व्यापक प्रचार-प्रसार मिलता है जो उनके फायदे के लिए ही है। एअर इंडिया ने वर्ष 2001-02 के दौरान 15.46 करोड़ रु० का शुद्ध लाभ कमाया है। चालू वर्ष के भी पहले छह महीनों में भी एअर इंडिया ने लगभग 46 करोड़ रु० का शुद्ध लाभ कमाया है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) ए०टी०एफ० की कीमतों में वृद्धि तथा उच्च बिक्री कर की वजह से फ्यूल मद पर अधिक खर्च,

(ii) अमेरिका में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों और उसके बाद की घटनाओं की वजह से पैसेंजर ट्रैफिक में काफी कमी,

(iii) लैंडिंग तथा नेवीगेशनल चार्जों में वृद्धि,

(iv) बीमा प्रीमियम में वृद्धि,

(v) स्काई मार्शल और लैडर-प्वाइंट फ्रिस्किंग जैसी सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था से संबंधित व्यय में वृद्धि,

(vi) देश की सामाजिक-आर्थिक आवयकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्व तथा अन्य अलाभकारी मार्गों पर उड़ानों में खर्च,

(vii) वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, छात्रों आदि को विभिन्न प्रकार की छूट।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, 23 वर्ष के बाद मेरा प्रश्न सूची में पहले स्थान पर है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स में निशुल्क टिकट का घोटाला अबाध गति से चल रहा था। यह घोटाला अक्तूबर के बाद हो सकता है रूक गया हो। किन्तु उससे पूर्व इस सदन में अनेक प्रश्न उठाए गए थे और इस आशय के रहस्योद्घाटन भी हुए कि घोटाला चल रहा है।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्पष्टतया कहा है कि कलाकार नृत्य मंडली और अन्य कलाकारों को निशुल्क टिकट दिए गए हैं। मुझे मालूम नहीं कि अन्य कलाकारों से उनका क्या आशय है। इसके बाद उनका कहना है कि सामान्य बिक्री और प्रचार के लिए निशुल्क टिकट जारी किएं जाएंगे। हम जानते हैं कि एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। छह वर्ष के बाद अब एअर इंडिया को 46 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसके लिए आपका धन्यवाद। किन्तु इंडियन एअर लाइन्स अब भी घाटे में चल रही है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टतया जानना चाहता हूं कि वह सभी प्रकार की श्रेणियों को निशुल्क पास जारी करना बंद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एअर इंडिया के प्रौफिट के लिये मुझे धन्यवाद दिया है। 11 सितम्बर के बाद दुनिया के बहुत सारे

देशों की एअरलाइन्स बहुत दिक्कत में थीं क्योंकि उनकी बहुत सारी एअरलाइन्स ग्राउंड हुई थीं। इनमें स्विस एअर, यूनाइटेड एअर बैंकरप्ट हुईं। इनको कई मिलियन डालर्स का लॉसेज हुआ है। जब से मैंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला है, अक्तूबर के बाद कम्पलीमेंटरी टिकटें बंद कर दी गई हैं। यद्यपि बिजनैस प्रमोशन के लिये जब कहीं कोई किसी प्रोग्राम को स्पांसर करते हैं या किसी कलाकार को कवरेज दिया जाता है तो बिजनैस प्रमोशन के लिये कम्पलीमेंटरी टिकटें दी गई हैं। लेकिन एअर इंडिया में अक्तूबर के बाद ये टोटली बंद कर दी गई हैं। उसके बाद ज्यादा टिकटें दी जाती थीं। अगर हिसाब लगाया जाये तो उसकी सालाना स्थिति के अनुसार काफी ज्यादा हैं। इसलिये एअर इंडिया को लाभ में लाने के लिये और इंडियन एअरलाइन्स का घाटा कम करने के लिये हमने ये टिकटें बंद कर दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न का सवाल है कि एअर इंडिया प्रोफिट में आ गया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में एअर इंडिया को करीब 14 करोड़ रुपये का प्रोफिट हुआ है। इस बार करीब 6 महीने के अंदर 46 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। जहां तक देश में इंडियन एअरलाइन्स में हो रहे घाटे का सवाल है और जो इम्प्रेशन देश में जाता है, उसका कारण यह है कि ए०टी०एफ० काफी महंगा है। हमने इस पर वर्ष 2001-02 में 338 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि 2002-03 में 676 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी तरह से 11 सितम्बर के बाद हमने सिक्यूरिटी पर 12 करोड़ रुपया एक्सट्रा खर्च किया है। इसलिये इंडियन एअरलाइन्स में घाटा फ्यूल प्राइस बढ़ने से हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरे प्रश्न को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भाग (ख) में मैंने निशुल्क टिकट जारी करने में लगी कुल धनराशि के बारे में पूछा है। किन्तु मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि वर्ष-वार ब्यौरे के साथ गत तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी।

दूसरे, एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के घाटों और मुनाफों अथवा यह घाटा अथवा मुनाफा जो भी हो, के लिए सरकार ने ए०टी० कर्नी को हाल ही में परामर्शदाता नियुक्त किया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री निशुल्क टिकट जारी करने का यह मामला परामर्शदाता को भी भेजेंगे ताकि यह प्रथा कैंसर जैसे गम्भीर रोगों से पीड़ित गरीब लोगों को छोड़कर पूर्ण रूप से बंद की जा सके। इस श्रेणी के लोगों को छोड़कर शिक्षाविदों, बुद्धि जीवियों, कलाकारों, नृत्य मंडलियों आदि जैसे अन्य श्रेणियों को जारी सभी निशुल्क पास पूर्ण रूप से बंद किए जाने चाहिए। क्या वह ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो अपने जवाब में कहा है कि हम जिन लोगों को टिकट देते थे, उनमें कलाकार, मित्र मंडल, शिष्ट मंडल, व्यापार मेलों में भाग लेने वाले उद्यमी आदि होते हैं। मैंने यह भी बता दिया है कि अक्टूबर माह से हमने इन लोगों को भी देना बंद कर दिया है। लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य ने मरीजों के बारे में सवाल उठाया है कि जैसे कैंसर आदि से कोई पीड़ित व्यक्ति, आर्थिक रूप से वह बहुत दिक्कत में है, इस तरह की एकाध टिकट हम लोगों ने दी है। अभी केरल के मुख्य मंत्री ने हमें लिखा था – एक व्यक्ति बीमार था। अमरीका से वापस आने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। एयर इंडिया इस तरह के कुछ टिकट मानवीय आधार पर दे रही है, क्योंकि एयर इंडिया को एक्सपैंशन करना है। इसलिए जो कम्पलीमैन्टरी टिकट बंटते थे, अब वे टिकट बंटने बंद हो गये हैं। इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अमर राय प्रधान : तीन साल में कितना पैसा लगा है, यह बता दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : टिकटों का डाटा यदि मैं देना चाहूं तो मेरे पास पुराना डाटा है। वर्ष 1993-94 में टोटल 898, उसके बाद एयर इंडिया ने 642 फ्री टिकट दिये। *(व्यवधान)* मैं इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो फ्री टिकट दिये जाते हैं, वे खाली सीटों के आधार पर दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी तो भी आप अमाउन्ट तो बता सकते हैं। यदि अभी नहीं है तो बाद में उन्हें भिजवा दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, पूरी अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जो खाने का खर्चा है, एयर इंडिया का उस पर खर्चा होता है, बाकी टैक्सेज लेकर ही हम फ्री टिकट देते हैं। जहां तक पूरी अमाउन्ट का सवाल है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप अमाउंट बता दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में क्लियर करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : प्रश्न के बी० पार्ट में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि इसमें कितना रुपया, कितनी अमाउंट इनवोल्व है। स्वाभाविक रूप से आपको उसका उत्तर देना चाहिए। प्रश्न वही पूछा गया है। इसके बारे में पहले से नोटिस दिया जाता है। आपके पास सारी चीजों की जानकारी करने के लिए समय होता है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह सवाल पूछा है कि इन टिकटों के देने में कितना पैसा खर्च हुआ है। मैं

उन टिकटों का ब्यौरा लेकर आया हूं कि कब कितने टिकट दिये गये। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अमाउंट के बारे में पूछा है, आप अमाउंट बता दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं अमाउन्ट के बारे बताता हूं कि हमारी सरकार के जमाने में यह काफी कम हुआ है। यह अमाउंट जानना चाहते हैं, उसे बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह आप ही की सरकार के समय में दिये गये हैं और इसमें आपको ही कठिनाई आने वाली है। अगर अमाउंट बताऊंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं ? संसद संप्रभु होती है। *(व्यवधान)* माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा हमारे समय में हुआ है। सरकार एक सतत प्रक्रिया उन्हें तथ्य स्पष्ट करने दीजिए। इसमें गलत क्या है ?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं इसके बारे में बता दूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : टिकट जारी करने में लगी कुल धनराशि के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके आंकड़े देना मंत्री जी के लिए कठिन नहीं है। मंत्री जी, आप सदस्य को पत्र लिखकर उन्हें आंकणों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : प्रश्न के ख पार्ट में देखें उक्त अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा कितनी-कितनी राशि के इस प्रकार के टिकट वर्षवार जारी किये गये हैं। यह सीधा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि कितनी राशि के टिकट वर्षवार जारी किये गये हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वही मैंने कहा है कि वह मैम्बर को इनफोर्म करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में हमें चार श्रेणियां बताई हैं। *(व्यवधान)* उत्तर में चार श्रेणियां बताई हैं। मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। किन्तु सबसे बड़ा धांधली एक ही श्रेणी में है जिसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है। हम माननीय मंत्री को हुई शर्मदंगी को समझ सकते हैं। इसीलिए वह आंकड़े नहीं दे रहे हैं।

एक श्रेणी जिसने एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स का सारा धन हड़प लिया है वह एजेन्टों को निशुल्क टिकट देने का घोटाला है। इंग्लैंड में, यूरोपीय क्षेत्र में, अमेरिकी क्षेत्र में और कनाडा में एअर इंडिया द्वारा विशिष्ट धनराशि के टिकटों की बिक्री के बाद निशुल्क टिकट देने की प्रथा है और इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ चले गए हैं। इन दो मुख्य एअर लाइनों को उन एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया है जिन्हें एअर इंडिया द्वारा लगाया गया है और उनकी धनराशि माननीय मंत्री के पास लंबित हैं।

महोदय, मैं कहूंगा कि सरकार ने वह धनराशि जारी न करके कुछ कार्रवाई की है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस विशिष्ट श्रेणी में कितनी धनराशि लिप्त है जो सरकार की गलत नीति के कारण एजेन्टों पर बकाया है और मंत्री इस समस्या से कैसे निबटेगें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया और इस सवाल के माध्यम से हमारी काफी मदद की है। एयर इंडिया ने काफी कठोर कदम उठाए हैं। पहले एजेन्ट्स को जब वे ज्यादा टिकट बेचते थे तो उनकी कुछ परसेंटेज टिकट दी जाती थीं लेकिन आपके द्वारा संसद को जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो एजेन्ट्स को हम फ्री टिकट देते थे, वह भी अक्तूबर के बाद हमने बंद कर दिया है। अब उनको फ्री टिकट नहीं दे रहे हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह जवाब नहीं तो क्या है ? आप समझ नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं ? हम आपके माध्यम से समझा तो नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा-पूरा संरक्षण है। आप जवाब दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अगर ये मन बना लेंगे कि जवाब नहीं सुनना है। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : बार-बार पूछा जा रहा है कि जितनी टिकट है उसकी अमाउंट कितनी है। आप अमाउंट से क्यों बचना चाह रहे हैं ? *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं पूरी जिम्मेदारी कहना चाहता हूं कि अमाउंट से बचना नहीं चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अमाउंट की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने बता दिया है कि अमाउंट देना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये हाउस को एश्योरेन्स मिल चुका है कि बाद में वह अमाउंट हम माननीय सदस्य को भिजवा देंगे।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, माननीय मंत्री को कम से कम वह धनराशि बतानी चाहिए जो एजेन्टों के पास फंसी हुई हैं। *(व्यवधान)* बहुत सशक्त लॉबी मंत्री पर दबाव डाल रही है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब पूरा होने से पहले ही दो-तीन सवाल और आ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया ने दो-तीन बड़े कदम उठाए जैसे आदरणीय बूटा सिंह जी ने कहा है कि जो फ्री टिकट दिये जाते थे, वह हमने बंद कर दिये हैं। दूसरी ओर एक बड़ा डिसीज़न हमने लिया जिसको संसद और हाउस के हमारे साथी ऐप्रिशियेट करेंगे कि हमने जो 9 प्रतिशत कमीशन एजेन्ट्स को मिलता था, हमने डिसीज़न लेकर उसको 7 प्रतिशत कर दिया और उस एक डिसीज़न से 90 करोड़ रुपये का फायदा एयर इंडिया को हुआ है। उसके अलावा हमने जो ऑफ लैन्ड स्टेशन थे जहां एयर इंडिया नहीं जाती थी, जैसे स्विट्ज़रलैन्ड नहीं जाते हैं, सिडनी नहीं जाते हैं, बहुत सी जगह हम नहीं जाते हैं, वहां पर जो ऑफिसेज़ चल रहे थे, उनको बंद किया है। इसलिए प्रधान साहब ने जब कहा कि हमने एअर इंडिया को इन मुश्किल हालात में प्रॉफिट में लाकर खड़ा किया है तो आपका सहयोग उसमें और चाहिए। मैंने अपने समय में कोई ऐसी टिकट नहीं दी है जिसके लिए डाटा बताने में मुझे कोई कठिनाई हो।

[अनुवाद]

प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कृतिक बल के माध्यम से एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स का विनिवेश करने के लिए विनिवेश मंत्री द्वारा बिछाए गए जाल से उन्हें बचाया जा सके और क्या मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय ले लिया है कि दो मुख्य वाहकों एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स का विनिवेश नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो विनिवेश मंत्री जी देंगे। विनिवेश का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है लेकिन मैंने जो पहले बताया कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में कैसे सुधार आए उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। इंडियन एयरलाइन्स में हमने एयरक्राफ्ट का यूटिलाइज़ेशन बढ़ाया है। 320 का एयरक्राफ्ट 2581 घंटे चलता था, उसको हमने बढ़ाकर 3178 घंटे किया है। ऑन टाइम परफॉर्मेन्स में इंडियन एयरलाइन्स की इमेज बहुत खराब थी। पहले जो 58.57 परसेंट था, उस ऑन टाइम परफॉर्मेन्स को हमने बढ़ाकर 81.20 परसेंट किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आप कभी भी सदन में स्टेटमेंट कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आपको सदस्यों को सुरक्षा देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से यह बात नहीं उठती। आप नियमों को भली भांति समझते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने पूछा था कि क्या मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है। वह बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तत्पश्चात् संसद में हमारे प्रश्न के रखने में क्या औचित्य है।

अध्यक्ष महोदय : संसद में रखा गया प्रश्न यह नहीं था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरा प्रश्न था कि क्या कृतिक बल की नियुक्ति की गई थी। वह हां या नहीं कह सकते थे। मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या उन्होंने सिद्धांत रूप से एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को विनिवेश में शामिल न करने का निर्णय लिया है।

वह ''हां या नहीं'' कह सकते थे। वह इससे बच रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रूप चन्द पाल जी, आप बोलिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आप तो चीफ मिनिस्टर थे। आप जानते हैं कि यदि इस प्रकार से मैम्बर्स को गुमराह किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे। *(व्यवधान)* हम कैसे काम कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और विकलांग लोगों को रिआयती किराया दिया जाता है। एअर इंडिया और विशेषकर इंडियन एअरलाइन्स इस सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण ढ़ंग से निर्वाह कर रहे हैं। किन्तु निजी विमान कम्पनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए, जो शायद ही कोई सामाजिक दायित्व पूरा कर रही हैं, ऐसी रिपोर्टें हैं कि एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स दोनों वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को इस समय दिए गए रिआयती किराए को वापिस लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है अथवा क्या दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और बच्चों को दिया गया विशेष दर्जा जारी रखा जाएगा ? उन्हें किसी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। बजाए इसके, सरकार को निजी विमान कंपनियों पर सामाजिक दायित्व पूरा करने हेतु दबाव डालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं समझता हूं कि अब प्रश्न पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष जी, मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूं। इसीलिए एयर इंडिया में सीनियर सिटीजन को पहले जहां कोई सुविधा सस्ते टिकिट के लिए नहीं थी, वहां अब हमने यह प्रारंभ कर दी है। यह सुविधा दिसम्बर, 2002 तक थी। उसे आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व बहुत हैं। जहां हम सामाजिक दायित्वों को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं वहां प्राइवेट एयरलाइन भी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं करीब-करीब वही सुविधाएं वे भी दे रही हैं।

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लिए दो विमान सेवाएं चेन्नै-पोर्टब्लेयर और कोलकाता-पोर्टब्लेयर चल रही हैं। चेन्नै-पोर्टब्लेयर सेवा में कारगो का रेट रु० 24.20 प्रति किलोग्राम है जबकि कोलकाता-पोर्टब्लेयर सेवा में जिसका डिस्टेंस चेन्नै से फाइव मिनट्स कम है उसमें कारगो रेट 32.20 पैसे है। इस प्रकार से प्रति किलोग्राम 15 रुपए से भी अधिक दाम कारगो का कोलकाता-पोर्टब्लेयर उड़ान में हैं। इसी प्रकार से चेन्नै-पोर्टब्लेयर से कोलकाता-पोर्टब्लेयर से एयर फेयर में 1998 में केवल 75 रुपए अधिक था, जो अब बढ़कर 560 रुपए हो गया है जबकि पोर्टब्लेयर कोलकाता की दूरी चेन्नै-पोर्टब्लेयर के मुकाबले कोलकाता से डिस्टेंस कम है फिर भी कोलकाता का फेयर ज्यादा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे कारगो के फेयर में जो इतना भारी अन्तर है उसे कम करेंगे और क्या चेन्नै के मुकाबले कोलकाता का जो ज्यादा फेयर है, उसे चेन्नै के बराबर करेंगे ?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का वर्तमान प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो अच्छी बातें हमने की हैं, उन्होंने उनके बारे में नहीं बताया। मैं स्वयं पोर्टब्लेयर गया था। मैंने तथा उप प्रधान मंत्री जी ने वहां के हवाई अड्डे का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी "वीर सावरकर" के नाम पर रखा तथा जो पोर्टब्लेयर का किराया था, उसे पहले के मुकाबले 10 प्रतिशत कम किया है। माननीय सदस्य को मेरी सलाह है कि कारगो एवं फेयर को कम करने के लिए वे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा

363. डॉ० मन्दा जगन्नाथ : **क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए अभी तक क्या लाभ उठाए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान करने के वास्ते 6 स्कीमें चला रहा है। इन स्कीमों में अन्यों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के

विकास संबंधी स्कीम, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं विकास, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तथा व्यापक संवर्धन संबंधी स्कीम शामिल हैं।

अल्कोहलयुक्त पेय तथा लघु क्षेत्र के वास्ते आरक्षित मदों को छोड़कर समग्र खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है। बैंक ऋण के वास्ते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अल्कोहलयुक्त पेय और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन को छोड़कर इस क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन के तहत शतप्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। वर्ष 2001-2002 के बजट से प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

दसवीं योजना स्कीमों में मूल्यवर्धन केन्द्रों, एकीकृत कोल्ड चेन, बार कोडिंग और बाजार आसूचना के लिए सहायता तथा बाजार सर्वेक्षण आदि जैसे संघटकों को अनुमोदन के लिए शामिल किया गया है। स्कीमों के ये नवप्रवर्तक संघटक इस क्षेत्र के तीव्र विकास को गति प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 9वीं योजना के दौरान 5.8% की दर से वृद्धि हुई है जिसकी अन्य क्षेत्रों से तुलना की जा सकती है।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, प्रधानमंत्री जी के कथन के अनुसार, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता करने वाली छ: योजनाएं हैं। इनका एक घटक है – इकाइयों का आधुनिकीकरण और उनकी स्थापना। हाल ही में, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री का निविवेश किया गया और उसे बेच दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति क्या है ? देश में कुल कितनी इकाइयां हैं ? इनमें से कितनी इकाइयां रुग्ण हैं ? उनमें से कितनी इकाइयां ठीक ढंग से कार्य कर रहीं हैं ? आंध्र प्रदेश में इस समय कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं ? इन्हें ठीक ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

श्री एन०टी० चणमुगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में हमने लगभग 20 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें 7.19 करोड़ रुपये संलिप्त हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998-99 में देश में गैर सरकारी क्षेत्र के लगभग 23,831 कारखाने हैं। देश में वर्ष 1999 तक हुए कुल निवेश में इनका कुल निवेश 52,630 करोड़ रुपये हैं।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, उन्होंने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह है कि आपने कोई खास प्रश्न नहीं पूछा। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ डाले।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, यह मेरा बहुत ही विशिष्ट प्रश्न था। मैंने तो यह पूछा था कि इनमें से कितनी इकाइयां ढंग से कार्य कर रही हैं और कितनी इकाइयां रुग्ण हैं। क्या यह विशिष्ट प्रश्न नहीं है ? इन्हें उनकी संख्या बतानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसी प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, फिर तो मैं अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न से हाथ धो बैठूंगा।

दसवीं योजना में, माननीय मंत्री जी के कथन के अनुसार, इस क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बहुत से घटक प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उपरोक्त घटकों के लिए देश में विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने आंध्र प्रदेश के हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है।

श्री एन०टी० चणमुगम : महोदय, आंध्र प्रदेश के लगभग 20 प्रस्ताव हमारे मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। पूर्वोत्तर के लगभग 63 प्रस्ताव लंबित हैं। नौवीं योजना में, हमने आंध्र प्रदेश में खाद्य उद्यान को स्वीकृति दी है। चावल मिल के लिए हमने 36 लाख रुपये की सहायता दी है; बेकरी की एक परियोजना के लिए 20 लाख रुपये दिए गए है; समुद्री उत्पादों की सात परियोजनाओं के लिए 251 लाख रु० दिए गए हैं; फलों और सब्जियों की सात परियोजनाओं के लिए 121 लाख रुपये दिए गए हैं; संयंत्र आधुनिकीकरण के लिए एक संयंत्र के लिए 9 लाख रुपये दिए गए हैं। कुक्कुट पालन प्रसंस्करण के लिए यह धनराशि 32 लाख रुपये है; और शीतागार के लिए आंध्र प्रदेश को 50 लाख की सहायता प्रदान की गयी है।

श्री के०एच० मुनियप्पा : महोदय, देश में शीतागार सुविधाओं के अभाव के कारण 30 प्रतिशत से भी अधिक कृषि उत्पाद और फल उत्पाद खराब हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन खाद्य उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए क्या योजना अथवा कार्यक्रम है ? महोदय, कर्नाटक आम और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए राज्य सरकार ने शीतागार सुविधाओं के लिए आग्रह किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी परियोजनाओं को उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी है।

श्री एन०टी० चणमुगम : हमारा मंत्रालय गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए शीतागार के लिए सहायता प्रदान कर रहा है और हम खाद्य

उद्यानों का भी निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम खाद्य पार्कों में आने वाले उद्योगों के लिए शीतागार की एक आम सुविधा तैयार कर रहे हैं। हम सोशीयली कंट्रोल्ड एटमोसफेरिक शीतागारों और मोडीफाइड एटमोसफेरिक शीतागारों के लिए भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बोर्ड शीतागारों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

देश में अब लगभग 4,199 शीतागार कार्यरत हैं।

नौवीं योजना में कर्नाटक के लिए हमने पांच शीतागार दिये थे। 143.75 लाख रुपये की सहायता भी दी थी। इसीलिए, हम शीतागारों की स्थापना के लिए गैर सरकारी उद्यमियों के लिए वातावरण बना रहे हैं। शीतागार सथापित करने के लिए तत्पर उद्यमी बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मंत्रालय में, बागवानी उत्पादों और सब्जियों की बर्बादी को कम करने के लिए हम खाद्य पार्कों में शीतागार स्थापित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान भारत सरकार ने इस प्रकार की फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों की अनेक योजनाएं बनाई हैं ताकि किसान और बागवान अपनी उपज से पैसा कमा सकें। उदाहरणत: मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि जहां तक आपने फूड पार्क की बात की, यह सही है कि आप अनथक प्रयास कर रहे हैं कि इसकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रैड टेपिज़्म इस प्रकार का है कि कई बार आपके प्रयासों के बावजूद एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आपका विभाग अनर्गल आपत्तियां लगाता रहता है और लोग आपके दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं। *(व्यवधान)* आप उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात की समीक्षा करवाएंगे कि इस प्रकार के कितने प्रोजैक्ट्स हैं और वे कब से पैंडिंग हैं ? क्या इसको समयबद्ध करेंगे ताकि जितनी आपत्तियां लगानी हैं, एक बार लगा दें और भगवान के लिए उसके बाद उसे स्वीकृत कर दें, नहीं तो उन्हें क्यों चक्कर लगाने पड़ते हैं, यह बोलने से समझना अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, शीतागारों की स्थापना के लिए, हम गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। शीतागारों की स्थापना से पूर्व उन्हें कतिपय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : खाद्य पार्कों की स्थिति क्या है ? *(व्यवधान)*

श्री एन०टी० षणमुगम : खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए, हम गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को 4 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान कर रहे हैं। खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए उन्हें भी कतिपय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्हें भूमि खरीदनी होगी। पहले तो, उन्हें भूमि अपने नाम करानी होगी। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : मैं प्रक्रिया के संबंध में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि इसे मंजूर करने में बहुत विलंब हो रहा है और एक समय सीमा तो होनी ही चाहिए। नहीं तो बार-बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं।

श्री एन०टी० षणमुगम : महोदय, मेरी जानकारी में तो कोई देरी नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई विशेष मामला लेकर आयेंगे तो मैं इसकी निश्चित रूप से जांच करूंगा और इसे यथाशीघ्र निपटाऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : ऐसा एक मामला पहले से ही आपकी नजर में है। इसे मैं कई बार आपके ध्यान में ला चुका हूं। *(व्यवधान)*

श्री एन०टी० षणमुगम : मैं इसे यथाशीघ्र निपटाने के प्रबंध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर बोलेंगे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, एक प्रक्रिया है जो इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे हमारा समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि दो-दो बार हमने उनको बताया, उनके मंत्रालय तक पहुंचाया, एक-दो बार चक्कर काटे तब भी लोगों का काम नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)* आप इसे समयबद्ध कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को चैम्बर में मिलिए। वे आपकी बात का समाधान करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। सरकार ऐसे ही चल रही है। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। यह सरकार कागजों पर ही चल रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, मैं एक विशेष प्रश्न पूछने वाला हूं।

मंत्रालय द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है कि अभ्यर्थी को मिलने वाली कोई भी सहायता के लिए आवेदन राज्य एजेन्सी के माध्यम से भेजा जायेगा।

राज्य एजेन्सी को यह देखने का दायित्व सौंपा गया है कि आवेदन उचित रूप में हो। निर्देश ये हैं कि आपके विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को ही भेजा जाना चाहिए। सभी मानदंडों को पूरा करने के पश्चात् जब फार्म आपके मंत्रालय में पहुंचता है तो आपके मंत्रालय में कितना समय लगता है ? इस मामले को पूरा करने में आप कितना समय लेते हैं ? मैं इसका एक विशिष्ट उत्तर चाहूंगा। क्या इसमें कोई समय सीमा है ?

श्री एन०टी० शणमुगम : इसमें संदेह नहीं कि परियोजनाओं के लिए आवेदन नोडल एजेन्सी के माध्यम से आने चाहिए। वह इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित कर रहे हैं। राज्य नोडल एजेन्सी की भूमिका परियोजना को हमारे मंत्रालय के पास भेजना और उसकी सिफारिश करना है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात का विशिष्ट उत्तर चाहते हैं कि आपको इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में कितने दिन का समय लगता है। मंत्री महोदय, यदि कोई विशेष समय सीमा नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं।

श्री एन०टी० शणमुगम : मैं विशेष समय-सीमा नहीं दे सकता। वे प्रश्न कर सकते हैं। उस प्रश्न का जवाब देना होगा। यदि वे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तो हम परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दे देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको यही खास जवाब दिया है कि कोई विशेष समय-सीमा नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : लेकिन कोई विशिष्ट समय-सीमा होनी चाहिए। *(व्यवधान)* महोदय, मंत्रालय के पास ऐसी बड़ी धनराशि है जिसका उपयोग नहीं किया गया है।

पर्यटन विकास

***364. श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में पर्यटन का विकास करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और इस हेतु भूमि अर्जन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य ने कौन-कौन सी परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कौन-कौन से राज्यों ने अब तक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने अक्तूबर, 2000 में 20 वर्षीय संदर्शी योजनायें चालू करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया था। केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसी योजना चालू करने की शुरूआत की थी। आन्ध्र प्रदेश और गोवा सरकार ने ऐसी योजनाएं पहले ही तैयार कर रखी थीं। अत: पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने ऐसी संदर्शी योजनाएं अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चालू की।

(ङ) 20 वर्षीय संदर्शी योजनाओं का प्रारूप संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

(च) वर्ष 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता, अनुबंध में दी गई है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, 6 परिपथों के एकीकृत विकास हेतु 41.50 करोड़ रुपये और गंतव्य विकास के लिए 18 करोड़ रु० की राशि चिन्हित की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से कम से कम एक प्रमुख गन्तव्य विकसित किया जायेगा।

अनुबंध

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान मेलों एवं उत्सवों सहित पर्यटन परियोजनाओं हेतु राज्यवार स्वीकृत/ अवमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

	1999-2000		2000-01		2001-02	
	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
	1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	222.22	139.60	299.50	206.50	167.85	91.66
असम	357 35	109.10	338.35	136.90	397.50	196.70
अरूणाचल प्रदेश	233.24	120.70	49.75	17.50	321.90	202.20
बिहार	89.71	29.00	324.48	99.22	1.35	1.35
छत्तीसगढ़	—	—	120.28	37.25	35.00	19.50
गोवा	279.82	95.36	93.30	29.90	93.73	49.85
गुजरात	327.64	150.90	469.20	148.10	305.50	100.30
हरियाणा	238.33	156.00	123.31	66.94	125.44	68.14
हिमाचल प्रदेश	691.79	472.70	397.29	237.40	157.64	78.88
जम्मू व कश्मीर	311.43	226.00	474.93	294.80	65.50	55.95
झारखंड	—	—	206.49	86.56	80.00	24.00
कर्नाटक	890.78	494.20	489.30	245.40	254.76	138.00
केरल	772.28	357.10	717.60	329.50	680.08	284.20
मध्य प्रदेश	435.85	185.10	262.33	86.24	256.37	104.00
महाराष्ट्र	1033.90	379.40	282.69	97.40	1128.20	306.90
मणिपुर	229.00	70.10	782.77	234.90	—	—
मेघालय	80.72	22.51	105.59	46.10	87.87	36.95
मिजोरम	297.23	280.70	311.19	259.70	73.25	44.20
नागालैंड	281.80	279.40	156.53	95.95	41.54	22.70
उड़ीसा	305.43	136.60	156.94	47.07	38.05	27.12
पंजाब	175.00	56.43	203.50	61.33	17.50	12.34
राजस्थान	131.22	58.34	454.96	150.30	5.00	2.50

	1	2	3	4	5	6
सिक्किम	127.93	79.34	368.62	267.60	108.83	62.29
तमिलनाडु	539.95	208.60	122.83	36.85	533.67	139.60
त्रिपुरा	340.76	212.80	333.23	151.60	114.40	55.55
उत्तरांचल	—	—	70.19	29.78	65.51	40.79
उत्तर प्रदेश	749.57	287.10	423.74	171.20	55.74	44.87
पश्चिम बंगाल	194.01	76.56	432.99	295.90	229.85	98.63
अंडमान और निकोबार	32.37	16.18	1.78	0.89	—	—
चंडीगढ़	68.44	22.31	22.13	16.14	8.00	7.12
दादरा और नागर हवेली	30.00	9.00	8.00	2.40	3.70	1.85
दिल्ली	24.50	12.20	17.70	9.99	55.01	37.30
दमन और दीव	—	—	—	—	5.00	1.50
लक्षद्वीप	—	—	—	—	17.00	5.10
पांडिचेरी	163.89	73.73	26.18	9.09	78.61	55.98
कुल	9648.08	4817.06	8647.67	4006.40	5609.35	2418.02

[हिन्दी]

श्री अशोक ना० मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि केन्द्र सरकार ने अक्टूबर, 2000 में राज्य सरकारों को 20 वर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए कहा था, किन्तु सिर्फ एक राज्य ने ही एक प्लान स्वीकार किया है। आंध्र प्रदेश और गोवा ने पहले ही इसे स्वीकार किया था, जबकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उसके विकास के लिए हर राज्य सरकार जोर देती है, क्योंकि यह राज्य सरकारों की आमदनी का एक स्रोत रहता है। फिर भी राज्य सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब हम नहीं समझ सकते। मेरा सीधा सवाल यह है कि मंत्री जी यहां बताने की कोशिश करेंगे कि यह सरकार ने जो प्लान बनाया है, उसका प्रारूप क्या है और राज्य सरकारें इस प्लान को अधिक से अधिक स्वीकार करें, इसके लिए क्या अधिक प्रयत्न सरकार कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि राज्य सरकारें इस बारे में गंभीर क्यों नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर राज्य सरकारें बेहतर दे सकती है। लेकिन इस प्रश्न के संबंध में मेरा कहना यह है कि भारत सरकार राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने का सुझाव देती है जिसके लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किये जाते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल ने इस ओर पहल की है और कुछ योजनाऐं तैयार की हैं। अन्य राज्यों द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई और हमने स्वयं इस योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। योजना तैयार हो गई है और इन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

जहां तक पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकारों की गंभीरता का प्रश्न है तो माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है मैंने इसी प्रकार का विचार उस दिन भी व्यक्त किया था। उदाहरण के तौर पर एक आकड़ा बहुत ही चौकाने वाला है। केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत करने के बावजूद परियोजना अधूरी है। यह शासन की शैली के मुद्दे के अलावा है। उदाहरण के तौर पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई 345 परियोजनाओं में से 70 परियोजनाऐं अभी भी अधूरी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई 963 परियोजनाओं में से 272 परियोजनाऐं अधूरी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1563 परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है और 1038 परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन अभी किया जाना शेष है। महोदय, यह स्थिति है राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन के बारे में इसलिए नई पहल के बारे में

जिसके बारे में इस सभा को पहले ही बता चुका है मैंने एक पृथक प्रणाली तैयार नहीं की है। नई नीति के अंतर्गत हम संस्कृति, पर्यटन और स्वच्छ नागरिक जीवन के सुदृढ़ आधार हेतु योजनाऐं तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए संस्कृति, पर्यटन और नागरिक जीवन हेतु एक बड़े केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

उदाहरणार्थ तमिलनाडु में शुरू करने के पहले हमने महाबलीपुरम पर कार्य आरंभ किया है कर्नाटक में हम्पी को लिया गया। राजस्थान में चितौड़गढ़ और कुंबलगढ़ को लिया गया है। पश्चिम बंगाल में जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे थे तो हमारे पास एक विशेष परियोजना के रूप में मिशन सुंदरबन है। *(व्यधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक ना० मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मई, 2002 में मंत्री महोदय ने फिक्की के साथ हुई चर्चा में कहा था कि पर्यटन उद्योग को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु देश के सभी महत्वपूर्ण स्मारकों, किलों और मंदिरों को रिनोवेट किया जाएगा। उसके लिए ढांचागत प्लान तैयार किया जाएगा और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह प्लान तैयार हो गया है, अगर तैयार हो गया है तो महाराष्ट्र में रायगढ़ और पुणे जिलों में जो किले हैं, क्या उनको भी उसमें शामिल किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : जैसाकि आप जानते हैं कि उसी दिन मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और बताया कि महाराष्ट्र में सभी किलों के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। सिंधु दुर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए 1 करोड रुपये की धनराशि नियत और स्वीकृत की गई है ? ऐसे अन्य समुद्री किले है जिसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। हम इस पर एक साथ विचार करेंगे और उन्हें स्वीकृत करेंगे।

जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि इसे सर्वाधिक फायदा मिला है क्योंकि हमारी अजंता, एलोरा और दौलताबाद में परियोजनाऐं है। इन सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये परियोजनाऐं जोर शोर से आगे बढ़ रही है और उस क्षेत्र के माननीय सदस्य इससे अवगत है। इसके अलावा दसवीं पंचयोजना में तटीय परिस्थितिकीय पर्यटन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस पर हमने पहले ही सभा में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान की है। इसलिए आधे घंटे की चर्चा के दौरान आप और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ए० वेंकटेश नायक : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के संबंध में 967 पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है लेकिन अब तक मात्र 252 पर्यटन परियोजनाऐं पूरी हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 5,609.35 लाख रुपये में से मात्र 2,418.02 लाख रुपये ही जारी किये है। ये तथ्य दर्शाता है कि परियोजनाओं को पूरा नहीं होने का एक कारण कम धनराशि जारी करना भी है।

दूसरी बात इन परियोजनाओं के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के पहले कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

श्री जगमोहन : महोदय, इस प्रश्न के तीन भाग है।

पहला भाग यह है कि स्वीकृत की गई धनराशि की अपेक्षा जारी की गई धनराशि कम है। धनराशि किश्तों में जारी की जाती है। जब तक पहली किश्त का उपयोग नहीं कर लिया जाता है तब तक दूसरी किश्त जारी नहीं की जाती है। इसलिए जब परियोजना का पहला भाग पूरा नहीं होता तो दूसरी किश्त जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक परियोजना की अवधि का सवाल है तो यह अवधि परियोजना में हमेशा उल्लिखित की जाती है। हमारा कहना है कि वे निर्धारित अवधि के अंदर परियोजना पूरी करें। इसलिए यह सीमा है।

माननीय सदस्य ने जिस आंकड़े को पढ़ा है, वह नौवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में जैसाकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चूका हूं कि हमने नई पहल की है। और हम इस पहल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं जिसके अंतर्गत सभी राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहायता की जा रही है और सांस्कृतिक और पर्यटक केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है।

श्री पूर्णो ए० संगमा : अध्यक्ष महोदय, मैं संबंधित राज्यों को धनराशि स्वीकृत करने के मानदंडों के बारे में जानना चाहता हूं। अनुलग्नक में मैं पाता हूं बिहार के संबंध में वर्ष 2001-02 के दौरान मात्र 1,35,000 रुपये स्वीकृत किये गये और 1,35,000 रुपये धनराशि जारी की गई है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे हर लिहाज से प्रर्यटक केन्द्र होना चाहिए। इसके विशेष कारण क्या है और बिहार को मात्र 1.35 लाख रुपये ही क्यों स्वीकृत किये गए हैं ?

श्री जगमोहन : राज्य सरकार योजना के आधार पर धनराशि जारी करती है। यह पुराना आकड़ा है। जैसाकि मैंने कहा कि नई योजना में हमने खुद पहल करने का निर्णय किया है और हम ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में वैशाली में विशेष बौद्ध, जैन और महावीर पर्यटक केन्द्र के विकास के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये की धनराशि वाली परियोजनाऐं मैंने स्वीकृत की है। इसलिए हम क्षेत्र में कमी की भरपाई का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में एक नयी बात देखने में मिली है कि किसी भी बात से संबंधित सवाल हो, सरकार की तरफ से एक जवाब आता है कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए योजना इम्पलीमेंट नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व विख्यात पर्यटन स्थल खजुराहो है जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं और मैंने बार-बार सरकार को इस संबंध में पिछले दो सालों में प्रस्ताव दिए हैं। राज्य सरकार को तो आप छोड़ दीजिए लेकिन पर्यटन के विकास की योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी गंभीर है, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि खजुराहो में पर्यटन का सीजन अक्तूबर से मार्च तक ही होता है और इस बीच में प्रत्येक वर्ष वहां प्रति दिन इंडियन एयरलाइन्स और एयर लाइन्स की फ्लाइट चलाई जाती थी लेकिन इस वर्ष प्रतिदिन शुरू नहीं की गई है। पिछले वर्ष भी यहां सदन में यह मामला उठा था तब जाकर शुरू हुई थी। दूसरी बात, मैंने प्रस्ताव किया था कि दरअसल पर्यटन के साथ समस्या यह है कि पर्यटन के विकास के लिए अन्य अनेक विभागों से सहयोग की आवश्यकता होती है और इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि ताज एक्सप्रैस जो दिल्ली से चलकर ग्वालियर तक पहुंचती है। पांच घंटे तक वह ग्वालियर स्टेशन पर खड़ी रहती है जबकि वहां से डेढ़ घंटे की दूरी पर हरपालपुर रेलवे स्टेशन है जो खजुराहों के लिए सबसे निकट का स्टेशन है। मैंने सुझाव दिया था कि ताज एक्सप्रैस को पांच घंटे तक खड़े रखने की बजाए इसे हरपालपुर तक बढ़ा दिया जाए। वहां से उसी समय के अंदर वह वापस भी आ जाएगी और इससे वित्तीय बोझ भी सरकार पर नहीं पड़ेगा। क्या आप इन दोनों प्रस्तावों को उपयुक्त मानते हैं ? वहां के ट्यूरिस्ट प्रमोशन, वहां के पर्यटन के विकास के लिए इस संबंध में अपने स्तर पर जो सिविल एविएशन विभाग और रेलवे विभाग से आपने क्या प्रयास किए तो उसके क्या नतीजे निकले और क्या आप उनसे संतुष्ट हैं और आगे इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, यह मामला नागर विमानन और रेल मंत्रालयों से संबंधित है। दोनों प्रश्न उससे संबंधित है। माननीय मंत्रियों मेरे संपर्क में है। हमने माननीय रेल और नागर विमानन मंत्रियों से भी आवागमन के साधनों में सुधार करने का अनुरोध किया है। उनकी अपनी समस्याऐं है। इसलिए हमें इसको भी समझना है।

अब जहां तक खजुराहो का संबंध है पहले प्रश्न में भी मैंने जवाब दिया था कि गत कुछ महीनों के दौरान खजुराहों में मैंने बहुत कार्य किया है। हमारे पास पश्चिम क्षेत्र में मंदिर है और इसका कार्य स्वीकृत किया गया है। अनेक नये क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है और मंदिर क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। हमने जैन स्मारकों के संबंध में अनेक सुधार परियोजनाऐं शुरू की है और इस क्षेत्र में नई खोज का कार्य किया जा रहा है जिससे पर्यटकों के आवागमन में भारी वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश के इन क्षेत्र में केवल जैन स्मारकों के सुधार हेतु लगभग 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।

जहां तक संस्कृति विभाग या पर्यटक विभाग का प्रश्न है तो हम खजुराहो जैसे इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परिसंपत्ति है। हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यहां सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं। *(व्यवधान)* प्रत्येक दिन हर साल फ्लाइट जाती थी और इस साल अभी तक फ्लाइट शुरू नहीं की गई है। *(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : यह बात सही है कि इन्होंने खजुराहो में बहुत अच्छे काम किए हैं। *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान का है, मुझे भी बोलने का समय दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस विषय पर मैंने हॉफ एन ऑवर की चर्चा दी है। उसम समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, शायद सिविल एविएशन मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं ? *(व्यवधान)*

पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत विश्व भाईचारा निधि

+

***366. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व भाईचारा निधि (वर्ल्ड सोल्डिरिटी फंड) बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन, उद्देश्य, कार्यकरण का तरीका और शासी निकाय कैसे होगा;

(ग) इस निधि में भारत का अंशदान क्या है;

(घ) क्या इस निधि से विभिन्न देशों को सहायता देने और वहां सतत विकास सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत को इस निधि से सतत विकास जारी रखने और ह्रास पर रोक लगाने के लिए कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं। तथापि, सतत विकास पर पृथ्वी सम्मेलन का अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज, कार्यान्वयन योजना में निर्धनता उन्मूलन और विकासशील देशों में सामाजिक और मानव विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विश्व भाईचारा निधि की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है।

(ख) उपर्युक्त निधि के गठन, उद्देश्य, कार्यकरण का तरीका और शासी निकाय का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, अन्य देशों से दान के लिए इंतजार करना ही हमारे लिए ही अच्छा है। इस वर्ष भूमंडलीय वाष्प में भारी वृद्धि के कारण भारत में कृषि प्रभावित हुई है। जिसके कारण ध्रुवीय हिमशिखर पिघल रहे हैं और हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में अभूतपूर्व बाढ़ आई और कुछ क्षेत्रों के जल सतर में गिरावट आई है। इन विश्व शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अन्य देशों में बड़े दल के साथ जाना आसान है। लेकिन आपका मंत्रालय पर्यावरण की सतत सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाने जा रही है। उदाहरण के तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन इसके स्थान पर प्रतिबंधित कर दिये गए एस्वेष्टा का उपयोग किया जा रहा है। जो फेफड़े के लिए सिलीकोसिस और एसबैटिओसिस जैसी बीमारी का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश द्वारा बिना सोचे समझे शुरू किये गये 'नीरू मीरू' कार्यक्रम भी इसके लिए उत्तरदायी है। इस 'नीरू मीरू' कार्यक्रम हेतु 1,400 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है जिसके परिणामस्वरूप अंधाधुंध नलकूपों की खुदाई हुई और विचित्र किस्म के विषाणुओं में वृद्धि हुई जिसके कारण कृषि योग्य भूमि पर फलोरिसिस बीमारी हुई और जिसके फलस्वरूप महिलाओं, बच्चों अन्य लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए और हमारी कृषि फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। महोदय, 1,400 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। आज आंध्र प्रदेश सरकार हमें कृषि क्षेत्र के लिए जल नहीं दे सकती। *(व्यवधान)* आप कह सकते हैं कि आप क्या करना चाहतें हैं। *(व्यवधान)*

डा० एस० वेणुगोपाल : महोदय, सभा के समक्ष मुख्य प्रश्न से यह किस तरह संबंधित है ? *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय सदस्या इन मुद्दों को उठाने के लिए कोई अन्य मंच चुन सकती है। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : ये तथ्य हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, ये मुद्दे उठाने के लिए वे किसी अन्य मंच का चयन कर सकती हैं। यह तो इस सम्मानित सभा के मंच का सरासर दुरूपयोग है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, उच्च प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली इस सरकार ने जल के स्तरों का अध्ययन करने के लिए दूर-संवेदी एजेन्सी का भी प्रयोग नहीं किया। *(व्यवधान)* माननीय पर्यावरण और वन मंत्री महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपा बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं सच कह रही हूं। वे सच का सामना नहीं करना चाहते। *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, इसके लिए यह मंच नहीं हैं। *(व्यवधान)* वह इस तरह का असंगत मुद्दा इस सम्माननीय सभा में नहीं उठता सकती। *(व्यवधान)* नीरू मीरू कार्यक्रम अच्छा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणूका चौधरी आप अपना प्रश्न जारी रखिए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, वहां ऐसा हो रहा है। *(व्यवधान)* सच सुनने से पहले ही वे उठ खड़े होते हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, नीरू मीरू कार्यक्रम अच्छा परिणाम दे रहा है। जलास्तर बहुत ऊंचा हो गया है। *(व्यवधान)* इसे यहां उठाना असंगत है। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : वास्तव में यह संगत है। महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश के पर्यावरण का मुद्दा उठा रही हूं और वे इसके बारे

में बात कर रहे हैं *(व्यवधान)* महोदय, इससे उनकी अज्ञानता का पता चलता है। यह अत्यन्त बुरा है कि उन्हें ज्ञान नहीं है और वे उसका प्रचार भी करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ये जानबूझकर करते हैं। नासमझ हैं।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वह हमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र का भू-स्तर तैयार करने हेतु दूर संवेदी एजेन्सी का उपयोग करने की सुविधा देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप नीतियों को भूल सकते हैं लेकिन स्पष्ट उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सबसे पूछ रहा हूं।

श्री टी०आर० बालू : महोदय हम चाहे जिस भी पक्ष में रहें हम इस अवसर का प्रयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करेंगे। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या आपने आन्ध्र प्रदेश में जो क्रिया उससे इन्कार करते हैं ? *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : *

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं चुप नहीं रहूंगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बैठने का अनुरोध करता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यह उचित मंच नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं। वह उत्तर दे रहें हैं। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। अन्य सदस्यों का इसके क्या संबंध है ? *(व्यवधान)* यह भी सभा की एक सदस्य हैं। उन्हें मंत्री महोदय से प्रश्न पूछने का अधिकार है। *(व्यवधान)* प्रश्न उन्हीं के नाम से है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, सदस्य महोदय ने महिला सदस्य के प्रति असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, उनसे शब्द वापस लेने को कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। किसी सदस्य को अन्य सदस्य को अपमानित करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : कृपया अपने शब्द वापस लिजिए। *(व्यवधान)* अन्यथा मैं इस पर बाहर कार्रवाई करूंगी। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, माननीय रेणूका जी मेरे लिए बहन की तरह हैं, 1997 में वह मेरे साथ मंत्री थीं और उन्हें पता है कि बहुपक्षीय निकाय कैसे कार्य करते हैं, चाहे यह डब्ल्यू०एस० एस०डी० हो या सी०ओ०पी०-8 सम्मेलन। वे बहुपक्षीय विश्व में कार्य करते हैं। जैसे यदि पर्यावरण का मुद्दा उठाना है तो हमें जी-77 और चीन के साथ चलना होगा। देशों के बीच बहुपक्षीयता नहीं है। यह अच्छी तरह अवगत हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है यह प्रश्न 'वर्ल्ड सालिडरीटी फन्ड' से संबंधित है, 1999 में ट्यूमीशिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बहुपक्षीय कोष की स्थापना का सुझाव दिया था ताकि इससे मानव विकास, सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन और इसी प्रकार के अन्य गति-विधियां को चलाया जा सके। इस समय मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री ने सर्वप्रथम पर्यावरण कोष की स्थापना की बात उठाई थी।

हाल ही में जोहन्सबर्ग में सम्पन्न डब्ल्यू०एस०एस०डी० सम्मेलन में भी 'वर्ल्ड सालिडरीटी फन्ड' पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी इस विशेष पहलू पर चर्चा हो रही है। डा० कोफी अन्नान ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा में इस मामले को प्राथमिकता प्रदान की है। मेरे विचार से संभवत: इस पर आने वाले दिनों में बहस की जाएगी। जब 'वर्ल्ड सालिडरीटी फन्ड' की स्थापना की जाएगी तभी मैं अपनी बहन को कुछ और बता सकूंगा।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, जिन विकसित राष्ट्रों ने सर्वाधिक प्रदूषण बढ़ाया है और ओजोन परत को पतला किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका अनुपूरक प्रश्न यही है ?

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या आपका अनुपूरक प्रश्न यही है ?

श्रीमती रेणूका चौधरी : हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, अमरीका जैसे विकसित राष्ट्रों के कारण ओजोनपर्त पतली हुई है और उनकी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण भी वहां अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ा है। क्या मंत्री महोदय, भविष्य में अविकसित राष्ट्रों से बात करेंगे जिनके पास प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता और धन है कि वह इसे विकासशील राष्ट्रों को मुफ्त या कम दर पर दें ? वह प्रदूषण हमने नहीं बढ़ाया है लेकिन जब हम इस निधि में योगदान देंगे तो हम उनकी बराबरी पर आ जाऐंगे।

श्री टी०आर० बालू : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि रियो सम्मेलन में विकसित राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए थे कि किसी राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा लेकिन हमारे लिए यह दुखद है कि अब तक विकासशील राष्ट्रों को मात्र 0.22 प्रतिशत ही मिल रहा है। डब्ल्यू०एस०एस०डी० और नई दिल्ली में सम्पन्न सी०ओ०पी०-8 सम्मेलन में भी जी-77 और चीन के इस बात की वकालत की एवं मांग की कि विकसित देशों को 0.7 प्रतिशत व्यय करने के लिए आगे आना चाहिए जैसा कि विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहमति हुई थी।

श्रीमती रेणूका चौधरी : उन्हें उन राज्य सरकारों को दंडित करना चाहिए जो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करती है।

डा० वी० सरोजा : अध्यक्ष महोदय पूछा गया प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट एवं सुसंगत है। भाग ख, ग, घ और ङ के उत्तर से यह सभा संतुष्ट है। जब दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटाकर 20 प्रतिशत तक लानी है तो क्या मंत्रालय उस निधि के लिए शाशी उद्देश्य प्रचालन विधि और निकाय का गठन करेगा जिसे भविष्य में इस प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया जाना है ? क्या सरकार इस लाभ का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव लाएगी एवं कोई उद्देश्य निर्धारित करेगी।

श्री टी०आर० बालू : शायद मैंने जो कहा सरोजा जी ने समझा नहीं। वास्तव में अभी तक यह निधि सृजित नहीं की गयी है। 'वर्ल्ड सालिडरीटी फन्ड' एक ऐसी अवधारणा है जिसे पर डब्ल्यू०एस०एस०डी० सहित विभिन्न बहुपक्षीय निकायों में चर्चा हो रही है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी विचार किया जाना है।

डा० वी० सरोजा : मेरे विचार से निधि के आवंटन से पहले हमें प्रस्ताव तैयार करना चाहिए और इस पर सभा में विचार किया जाना चाहिए ताकि जब निधि प्राप्त हो तब हम इसका उपयोग कर सकें और इसमें होने वाले विलम्ब को रोक सकें।

श्री टी०आर० बालू : महोदय यह एक सुझाव है और हम इसकी जांच करेंगे।

डा० वी० सरोजा : धन्यवाद।

[हिन्दी]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

*367. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 43 और 44, जिनमें मोरपंखों के संबंध में कतिपय छूट प्रदान की गई है, गंभीर कमियां साबित हो रही हैं और देश के विभिन्न भागों में इस राष्ट्रीय पक्षी को मारने की घटनाओं में बढ़ोतरी करने में मददगार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भारतीय मोर के पंख रखने और उनके बेचने-खरीदने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए क्या नए कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 43 के अंतर्गत मोरपंखों और उनसे बनी वस्तुओं के स्वामी को, इनकी बिक्री अथवा हस्तांतरण की छूट दी गई है। इस अधिनियम की

धारा 44 के अंतर्गत मोरपंखों और उनसे बनी वस्तुओं के व्यापारी को इन वस्तुओं का व्यापार करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की छूट दी गई है।

उपलब्ध रिकार्डों से यह पता चलता है कि अधिकांश मोरों की मृत्यु ऐसे बीजों का उपभोग करने से हुई है जिन्हें, कीटनाशकों द्वारा उपचार करने के बाद खेतों में बोया गया था। इस अधिनियम में दी गई छूट के कारण मोरपंखों के संग्रह के लिए मोर के अवैध शिकार के मामलों में वृद्धि होने का कोई निर्णायक सबूत नहीं है। इन पक्षियों द्वारा प्राकृतिक तौर पर झाड़े गए पंखों का संग्रह किया जाता है और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए उनका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है।

राज्य सभा द्वारा 9 दिसंबर, 2002 को यथापारित वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2002 में मोरपंखों और उनसे बनी वस्तुओं के धारकों को धारा 43 के प्रयोजन से छूट दी गई है। इस अधिनियम की धारा 44 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' से मिलते-जुलते पक्षियों के पंखों की आड़ में मोर के पंखों का निर्यात खुल्लमखुल्ला किया जा रहा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर मोर के पंखों को तस्करी से ले जाने का मामला पकड़ा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार मोर की सभी प्रजातियों के मोर-पंखों पर प्रतिबंध लगाने का है या नहीं। अगर नहीं तो उसका कारण क्या है और पिछले तीन सालों में मोर के पंखों की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और अपराधियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गयी है ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को गलत सूचना दी गई है। हमनें इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुझे इस प्रकार के निर्यात की कोई सूचना नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई विशिष्ट मामला है तो वे मुझे इसकी सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार की वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस प्रकार की वस्तुओं की विदेशों में निर्यात किए जाने की और कोई संभावना नहीं है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

अल्प सूचना प्रश्न

दिल्ली में स्मारकों के निकट अवैध गतिविधियां

2. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 01 दिसम्बर, 2002 के ''संडे टाइम्स'' में ''बिल्ट हेरीटेज टर्नींग इंटु डेन्स आफ वाइस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक कराया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए०एस०आई०) द्वारा संरक्षित कई स्मारक शराबियों, नशाखोरों, जुआरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विश्व दाय स्मारक हुमांयु का मकबरा रात में बसों के लिए पार्किंग स्थल बन गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्मारकों को सुरक्षित, संरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का कोई ठोस प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने इस प्रश्न में उल्लिखित समाचार की रिपोर्ट देखी है। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कई संरक्षित स्मारक शराबियों, नशाखोरों, जुआरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए है।

(ख) प्रश्न के इस भाग में उल्लिखित स्मारकों के इर्द गिर्द अवैध कब्जा करने वाले तथा अवैध अनाधिकृत कब्जे/निर्माण हैं। वहां पर बस्तियां तथा छोटी दुकानें हैं जिन्हें शराबियों, नशाखोरों, जुआरियों तथा असमाजिक तत्वों के अड्डे नहीं कहा जा सकता।

(ग) हुमायूं का मकबरा के निकट गैर कानूनी पार्किंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में आई है तथा उन्होंने कई अवसरों पर पुलिस को उसकी सूचना दी है। यह भी, अन्यथा, यातायात नियमों का उल्लंघन है क्योंकि यह क्षेत्र पार्किंग के लिए निर्धारित नहीं है। गैर कानूनी पार्किंग को समाप्त करने संबंधी मामला नियमित रूप से पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

हुमायूं का मकबरा के प्रवेश द्वार की भूमि शहरी विकास मंत्रालय की है और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसकी देख-भाल तथा प्रबंधन के लिए सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय/महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस भूमि के पुर्नग्रहण तथा इसकी देख-भाल तथा प्रबंधन के लिए इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि इसके सुधार और भूदृश्य क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने के अतिरिक्त, इसका रखरखाव प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सके।

(घ) और (ङ) पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्मारकों के आस-पास के भाग को संस्कृति, पर्यटन तथा स्वच्छ नागरिक जीवन का केन्द्र बनाने के लिए नई पहल की है। इस पहल के अनुसरण में, दिल्ली के ऐसे क्षेत्रों जैसे लाल किला, हुमायूं का मकबरा, आदि से कई अवैध कब्जे हटाए गए हैं। दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के अन्य स्मारकों से उन गैर-कानूनी अवैध कब्जों से छुटकारा पाने के लिए, जो कुछ समय से विद्यमान हैं, कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, भारत अति सुंदरता और सौंदर्यपरक मूल्य वाले अपने ऐतिहासिक स्मारकों की बहुतायत की दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध देश है। इन प्राचीन स्मारकों और पुरावशेषों की ब्रिटिश शासन के दौरान भी अच्छी तरह से देखरेख की जाती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार की गई थी – यह अधिनियम 44 वर्षों से अब तक अस्तित्व में रहा है – इस अधिनियम के अंतर्गत देश में 3,606 स्मारकों का संरक्षण किया जाना है। इन 3,606 स्मारकों में से 170 स्मारक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं।

महोदय, मेरा प्रश्न दिनांक 01 दिसंबर, 2002 की 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के संबंध में था। लेकिन माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गए वक्तव्य में दिया गया उत्तर बड़ा विस्तृत है लेकिन यह पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने सिर्फ अपना उत्तर तैयार करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित कुछ शब्दों को ही चुना है। यह उत्तर दिया गया है कि यह कहना सही नहीं है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बहुत से स्मारक शराबियों, नशाखोरों, जुआरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। यह सत्य नहीं है।

महोदय, हाल ही में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की एक छात्रा से दिन-दहाड़े खूनी दरवाजे में बलात्कार किया गया, यह स्थान पुलिस आयुक्त के कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर है। ऐसे कई अन्य स्मारक हैं जो असुरक्षित हैं। मैंने सिर्फ खूनी दरवाजे का जिक्र किया है। यहां कुतुब मीनार, जंतर मंतर, पुराना किला आदि जैसे स्थान भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, वास्तव में इन स्थानों का नशाखोरों तथा असामाजिक तत्वों, बलात्कारियों और ऐसे सभी लोगों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनेक स्मारक इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। यह उत्तर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : उत्तर में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में अधिकांश स्मारकों की हालात के लिए पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाया जा रहा है। यह बात बिलकुल अपने दोष न देखना और दूसरों के दोष निकालने की तरह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वह प्रश्न पूछना चाहती हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या माननीय मंत्री महोदय इस लंबे और असंतोषजनक वक्तव्य से अपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों का पालन करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों की उदासीनता को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं ? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

श्री जगमोहन : जैसा कि माननीया सदस्या ने स्वयं जिक्र किया है कि देश में 3611 संरक्षित स्मारक हैं। हर स्थान पर एक सुरक्षा गार्ड को 24 घंटे तैनात करना संभव नहीं है। हमारे पास महत्वपूर्ण स्मारक हैं, और हमारे पास तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण स्मारक हैं। सभी महत्वपूर्ण स्मारकों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं।

जहां तक दिल्ली का संबंध हैं तो यहां पर 170 संरक्षित स्मारक हैं। माननीय सदस्या ने जिक्र किया है और मैं उनसे सहमत हूं कि पिछले पैंतालिस वर्षों से भी अधिक समय से जितना ध्यान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अब हमने एक पुनर्गठन योजना तैयार की है। मैं इस योजना पर कार्य कर रहा हूं। इस योजना के अंतर्गत सभी स्मारकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 और 2 के स्मारक वे हैं जिनके आस-पास फेरी वाले, ढाबों आदि ने अतिक्रमण कर रखा हैं। दूसरी श्रेणी के स्मारक वे हैं जिनके आस-पास वर्षों में झुग्गियों और अन्य बस्तियाँ बन गई हैं। पहली दो श्रेणियों के संबंध में हमने पहले ही दिल्ली के सभी स्मारकों की इन अतिक्रमणों से मुक्त कराने का निर्णय लिया है। और हमें इसमें सफलता मिली है।

मैं माननीय सदस्या और अन्य किसी को भी जो यह देखने कि हमने लाल किले और अन्य स्थानों पर कितना कार्य किया है। का सुझाव देता हूं। स्वयं तुगल्काबाद में भी काफी कार्य किया गया है। वहां काफी अतिक्रमणों को हटा दिया गया है और उसे बहुत ही सुंदर स्थान बना दिया गया है। पुराना किला और हुमायूं के मकबरे से वहां पर बसे लोगों को हटा कर उनहें दूसरी जगह बसा दिया गया है। शेष को उल्लिखित तिथि तक हटा दिया जाएगा।

केवल एक श्रेणी ऐसी है जहां पर पिछले बीस वर्षों में काफी संख्या में निर्माण कार्य किए गए हैं। इनके संबंध में, मैं पहले ही गृह राज्य मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक कर चुका हूं। केवल इस श्रेणी के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हमने एक समिति गठित की है तथा उसमें एक पुरातत्व सर्वेक्षक होगा। इन मामलों पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा इस बात के सख्त निदेश जारी किए गए हैं कि इन स्मारकों के आस-पास संरक्षित क्षेत्र और साथ ही वर्जित क्षेत्र में किसी तरह की तहबाजारी, कोई लाइसेंस तथा इस प्रकार के किसी काम की इजाजत न दी जाए। नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को इन अधिनियमों को लागू कराना सुनिश्चित करने के निदेश जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्मारकों को दिखाना चाहूंगा जो पूरी तरह से बदल चुके हैं; उनके स्वरूप को पूरी तरह से बदला जा चुका है।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए गए उपायों की सराहना करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक विशिष्ट प्रश्न पूछिए और उसका विशिष्ट उत्तर दिया जाएगा।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : जहां तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संबंध है तो हुमायूं का मकबरा संरक्षित विश्वदाय स्मारक है। हुमायूं के मकबरे के प्रवेश द्वार के सामने के स्थान का इस्तेमाल रात के समय पर्यटक बसों की पार्किंग के लिए किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हर स्मारक पर एक सिपाही या सुरक्षा गार्ड का तैनात करना संभव नहीं है। लेकिन यह एक विश्वदाय स्मारक है और इसका एक पार्किंग स्थल के रूप में दुरूपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ? यह एक पर्यटन केन्द्र भी है। यदि हम पर्यटन और स्मारकों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते रहेंगे तो मैं नहीं समझती कि इस क्षेत्र में प्रगति हो पाएगी। विश्वदाय स्मारक हुमायूं के मकबरे के प्रवेश द्वार पर इस क्षेत्र से पार्किंग स्थल को हटाने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन : मैंने माननीय सदस्या के प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में पहले ही बताया है कि स्मारकों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यह स्मारक दूसरी श्रेणी में आता है। काफी संख्या में झुग्गियों को वहां से पहले ही हटाया जा चुका है। माननीय सदस्या द्वारा उल्लिखित स्टाल के बारे में मेरा कहना है कि उस स्टाल के लिए नगर निगम ने लाइसेंस दिया है। हमने नगर निगम को उसका लाइसेंस रद्द करके संबंधित सज्जन को अन्यत्र स्थान देने को कहा है। उन्होंने इस संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया है और वे इस स्टाल को वहां से हटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

जहां तक पार्किंग का संबंध है तो इस संबंध में इस स्मारक के आस-पास अनधिकृत रूप से वाहन खड़े न करने देना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कई पत्र लिखे गए हैं। मुझे कल भी, पुलिस आयुक्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। कि इस क्षेत्र में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : अध्यक्ष महोदय यह अति महत्वपूर्ण विषय है। इस विषयपर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : दाय स्मारकों के संबंध में रिपोर्ट आई हैं कि तमिलनाडु में तिरूवन्नामलाई मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों ने इस कदम के विरूद्ध पदर्शन किया है। क्या सरकार तिरूवन्नामलाई मंदिर को दाय स्मारक के तौर पर अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ?

इसी तरह, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षिक कराना चाहूंगा कि शिवगंगा संसदीय क्षेत्र में तिरूमायम पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन स्थानों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है और क्या पर्यटकों के आने के लिए इन स्थलों को महत्वपूर्ण स्थल बनाकर फिर से कोई पर्यटन मानचित्र तैयार किया जा रहा है ?

श्री जगमोहन : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग तिरूवनामलाई के बारे में है। इस संबंध में हमने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अधिनियम के अंतर्गत इसके संरक्षण के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है। इस स्थान का संरक्षण नहीं किया गया था और इसके आस पास अनेक अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे थे जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। यह बेरोकटोक के किया जा रहा है। हमने इस बारे में राज्य सरकार को लिखा था लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की है. निगम ने भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, हमने अधिसूचना जारी की है। यह मामला पहले से ही न्यायालय में है। मुझसे एक प्रतिनिधि मंडल मिला था मैंने उनसे कहा था कि उनकी जो भी बात है वह कह सकते हैं और हम निश्चय ही उनकी बात पर विचार करेंगे। उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे।

हमें हमारी केवल यह चिंता है कि मंदिर के आस-पास अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। फिर यह क्षेत्र बहुत सुंदर बना रहेगा। दुर्भाग्यवश, पिछले 10-15 वर्षों में यह सब होता रहा है। इसी कारण, मैंने सिर्फ दिल्ली के संबंध में कार्रवाई नहीं की है; मैं समस्त भारत के संबंध में एक प्रकोष्ठ का गठन कर रहा हूं। हमने राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी परियोजना को तब तक मंजूरी नहीं देंगे जब तक कि राज्य सरकार इन स्थानों के आस-पास हो रहे अनाधिकृत निर्माण कार्यों, अवैध कब्जो तथा हर प्रकार के कदाचारों को अनुमति न देने का वचन नहीं देगी।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उपयोगिता प्रमाण पत्र

*365. **श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे संगठनों/एजेंसियों को दुबारा अनुदान/ऋण स्वीकृत करने से पूर्व किसी उद्देश्य हेतु उन्हें पहली बार दिए गए अनुदान/ऋण संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् कितनी एजेंसियों/संगठनों से उपयोगिता प्रमाणपत्र मांगे गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ संगठनों/एजेंसियों ने पिछले दस वर्षों में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, जबकि उन्हें प्रतिवर्ष नई सहायता/ऋण मिल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मामले में कोई सतर्कता जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) मंत्रालय अपनी नीति के अनुसार और अनुदान स्वीकृत करने से पहले अनुदान लेने वाले संस्थानों से उपयोगिता प्रमाणपत्र देने पर जोर देता है। इस प्रक्रिया का पालन सख्ती से किया जा रहा है और सभी अनुदान लेने वाले संस्थानों को पिछले एक वर्ष से इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्य सरकारों और अन्य स्वायत्त संगठनों, जिन्हें राशियां मंजूर की गई हैं, ने पिछले कुछ वर्षों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। यद्यपि कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और स्कीमों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बाद की अवधि में भी अनुदान दिया गया। उन्हें उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों के मामले में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना आगे और अनुदान दिया गया हो।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"गंगा बेसिन में प्रदूषण"

*368. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या गंगा बेसिन की नदियों के किनारे स्थित नगरों की नगरपालिकाएं और नगर निगम इन नदियों में नगरों का अशोधित जल छोड़ रहे हैं और ये ही मुख्यत: जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो गंगा बेसिन की प्रमुख नदियों गंगा और यमुना में पानी को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेवार नगरपालिकाओं और नगर निगमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् इन नदियों में सीवर का कितना पानी छोड़ा गया है; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) गंगा बेसिन की नदियों के किनारे स्थित शहरों के नगर पालिकाओं और नगर निगमों द्वारा अनुमानत: 6910 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन पैदा होता है। सीवेज की इस मात्रा में से प्रतिदिन लगभग 3894 मिलियन लीटर के शोधन की क्षमता तैयार की गई है।

गंगा में पिछले तीन वर्षों के दौरान 73 नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा अनुमानत: प्रतिदिन 2304 मिलियन लीटर आंशिक रूप से शोधित और आंशिक रूप से अशोधित सीवेज का निस्तारण किया जा

रहा है और यमुना में 26 नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा प्रतिदिन अनुमानत: 4178 मिलियन लीटर सीवेज का निस्तारण किया जा रहा है।

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत गंगा बेसिन सहित इसकी मुख्य नदियों की सफाई की एक स्कीम का पहले ही कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पवन हंस का कैनेडियन हेलीकाप्टर्स के साथ सहयोग

*369. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पी०एच०एच०एल०) ने हाल ही में कैनेडियन हेलीकॉप्टर्स कंपनी (सी०एच०सी०) या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संयुक्त उद्यम का गठन और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खुली निविदाएं आमंत्रित करने की सामान्य नीति और व्यवहार का पालन किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का विचार अपनी उड़ानों का विस्तार, विशेषत: ऐसे दुरूह क्षेत्रों में करने का है, जहां अभी तक विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी०एच० एच०एल०) ने दिनांक 7.6.2002 को कनाडा की मैसर्स सी०एच०सी० हेलीकॉप्टर्स इंटरनेशनल इनकार्पोरेट (सी०एच०आई०आई०) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड को उसकी रखरखाव सुविधाओं को उन्नत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से इसकी प्रचालनात्मक तथा प्रबंध प्रणाली को और बेहतर करने, विदेशों में अपने हेलीकॉप्टरों के संभावित प्रचालनों के माध्यम से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की संभावना तलाशने तथा उन्नत रखरखाव सुविधाओं के कारण राजस्व बढ़ाने के लिए सी०एच०आई०आई० की संभावित सहायता के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) समझौता ज्ञापन न तो कोई संयुक्त उद्यम है और न ही इसका कोई वित्तीय दुष्प्रभाव है। इसलिए, सामान्य नीति का अनुसरण करने और टेंडर आमंत्रित करने की प्रेक्टिस का प्रश्न नहीं उठता।

(च) मुंबई हाई में ओ०एन०जी०सी०, चेन्नई में हार्डी आयल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गृह मंत्रालय के लिए अति-विशिष्ट-व्यक्तियों को परिवहन सुविधाएं देना, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा सरकारों और लक्षद्वीप द्वीप-समूह प्रशासन के तत्वाधान में नियमित यात्री सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की प्रचालन सेवाओं में शामिल है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पंजाब सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे एनएचपीसी, आयल इंडिया, गेल आदि की हेलीकॉप्टर अपेक्षाओं की पूर्ति करती है। इसके अलावा, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड चार्टर आधार पर प्राइवेट पार्टियों को हेलीकॉप्टर मुहैया करती है।

(छ) और (ज) हेलीकॉप्टर सेवाओं में विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की नागालैंड सरकार तथा अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के लिए एक-एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की योजना है।

फलदार वृक्षों को काटा जाना

*370. **डा० चरणदास महंत :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संरक्षित और आरक्षित वनों से अतिक्रमणकर्ताओं को हटाए जाने की प्रक्रिया में हजारों फलदार वृक्षों की कटाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् इस तरह से काटे गए वृक्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त वृक्षों की कटाई से हुई क्षति की पूर्ति हेतु और फलदार वृक्ष लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले को छोड़कर, संरक्षित

और आरक्षित वनों से अतिक्रमणकारियों को बाहर करने की प्रक्रिया में फलदार वृक्षों को काटे जाने की कोई सूचना केन्द्र सरकार के पास नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों के हटाने के बाद 1050.20 हैक्टेयर वन क्षेत्र पर 3,28,809 वन प्रजातियों के पौधे लगाए हैं।

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न पौधरोपण कार्यक्रमों, के अंतर्गत क्षेत्र के स्थानीय फलदार वन प्रजातियों के पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन वृक्ष प्रजातियों का चयन मुख्यत: स्थानीय कारकों और स्थल की स्थितियों पर निर्भर करता है। तथापि, वन भूमि पर बागवानी फसलों की खेती को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वन प्रयोजन समझा जाता है।

नौकरी दिलाने वाली एजेन्सियों द्वारा धोखाधड़ी

*371. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात्, मलेशिया सहित विदेशों को कर्मचारी भेजने वाली कई मानव संसाधन एजेन्सियों द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एजेन्सीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एजेन्सियों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) अब तक कितनी ऐसी एर्जेसियों के लाइसैन्स रद्द किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) जी, हां। पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत भर्ती एजेन्टों द्वारा रोजगार तलाशने वाले व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायतें समय-समय पर सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं। यह शिकायतें मुख्यत: नियमों के अन्तर्गत निर्धारित राशि से अधिक सेवा प्रभार वसूलने इच्छुक उत्प्रवासियों से धन वसूल कर वस्तुत: उन्हें विदेशों में रोजगार के लिए न भेजे जाने, नौकरियों के न होने की स्थिति में भी कुछ श्रमिकों को विदेशों में भेजने और कुछ मामलों में श्रमिकों के विदेशों में पहुंचने पर उनकी रोजगार शर्तों में परिवर्तन करने से संबंधित होती हैं।

(ख) वर्ष 2000, 2001 और 2002 (30 नवम्बर तक) के दौरान जिन एजेंसियों के प्रमाणपत्र निलंबित और/अथवा रद्द किए गए हैं उनका राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) इसी अवधि के दौरान, गैर-पंजीकृत एजेंसियों/व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों के संबंध में पचपन अभियोजन मामलों की स्वीकृति प्रदान की गई।

(घ) इसी अवधि के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के सात पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं।

(ङ) पंजीकृत भर्ती एजेंसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने पर श्रमिकों की समस्याओं को तत्काल हल करने के लिए सरकार संबंधित देश में भारतीय मिशन के साथ मामला उठाती है। साथ ही, संबंधित भर्ती एर्जेसी को शिकायतें दूर करने का निर्देश दिया जाता है। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि भर्ती एर्जेट शिकायतों का निपटान यथाशीघ्र और हर हालत में 90 दिनों के भीतर करेंगे। यदि पंजीकृत भर्ती एर्जेसी शिकायतों के निपटान में असफल रहते हैं/ विलम्ब करते हैं, प्रमाणपत्र को निलम्बित/रद्द करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है और यदि आवश्यक होता है, तो उनके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।

जबकि गैर-पंजीकृत भर्ती एर्जेसियों के खिलाफ शिकायतों के मामले में मामला जांच के लिए और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु समुचित पुलिस अधिकारियों के साथ उठाया गया है। जांच के आधार पर, पुलिस अधिकारी ऐसी एर्जेसियों के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से भी बेईमान एर्जेसियों के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखने और समुचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

श्रम मंत्रालय ओर उत्प्रवास महासंरक्षी तथा भारत में आठ स्थानों पर स्थित उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय भी उत्प्रवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक कारगर शिकायत निपटान तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह सार्वजनिक सुनवाई करते हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पंजीकृत भर्ती एजेन्सी का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	i. मैसर्स साद ट्रेवल एजेन्सी हैदराबाद
		ii. मैसर्स अल-शोएब इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद

1	2	3
2.	दिल्ली	i. मैसर्स जेमिनी वेटेरन्स ग्लोबल प्लेसमेंट्स, नई दिल्ली
		ii. मैसर्स इन्टरनेशनल मैनपावर रिसोर्सेज, नई दिल्ली
		iii. मैसर्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कन्सलटेंट्स, नई दिल्ली
		iv. मैसर्स मिथुन ओवरसीज, नई दिल्ली
		v. मैसर्स सलासर इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
		vi. मैसर्स ग्लोबल मैनपावर रिसोर्सेज, नई दिल्ली
		vii. मैसर्स आर०एम० एक्सपोर्ट इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
3.	केरल	i. मैसर्स वीकिंग टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, त्रिवेन्द्रम
		ii. मैसर्स अल हाजरा इन्टरनेशनल मैनपावर रिक्रूटिंग एजेन्सी एण्ड एअर ट्रेवल्स, पलक्कड
		iii. मैसर्स ग्रैन्ड टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, कोचीन
		iv. मैसर्स सायनोरा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, त्रिवेन्द्रम
		v. मैसर्स एअर ट्रेवल इन्टरप्राइजेज इंडिया लिमि०, त्रिवेन्द्रम
		vi. मैसर्स टाइम ट्रेवल्स, त्रिवेन्द्रम
		vii. मैसर्स वेलमेन इंक०, त्रिवेन्द्रम
		viii. मैसर्स मोहम्मद एण्ड सन्स, कोचीन
		ix. मैसर्स पैन एशियन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, चंगनाचेरी
		x. मैसर्स प्रिंसी वर्ल्ड ट्रेवल्स, कोचीन
		xi. मैसर्स सुजीना ट्रेवल्स, त्रिवेन्द्रम
4.	महाराष्ट्र	i. मैसर्स इंडो ओवरसीज एक्सपोर्ट कंपनी, मुंबई
		ii. मैसर्स प्रिंस इंडिया, मुंबई
		iii. मैसर्स अल-इकरा इन्टरप्राइजेज, मुंबई
		iv. मैसर्स अल-हर्शा ट्रेडिंग एजेन्सी, मुंबई
		v. मैसर्स अल-हिलाल इन्टरनेशनल सर्विसेज, मुंबई
		vi. मैसर्स एस०एम० टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, मुंबई
		vii. मैसर्स त्रेहन इन्टरनेशनल कन्सलटेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा०लि०, मुंबई
		viii. मैसर्स सिटी ट्रेवल्स, मुंबई
		ix. मैसर्स बाम्बे ट्रेवल्स सर्विस, मुंबई
		x. मैसर्स अल-यमामा ट्रेवल्स, मुंबई
		xi. मैसर्स ट्रेवल लाइन्स इन्टरनेशनल, मुंबई
5.	तमिलनाडु	i. मैसर्स अम्मा ट्रेवल्स, चेन्नई
		ii. मैसर्स लोकेश्वरी ट्रेवल्स, पी०एम०टी० डिस्ट्रिक्ट, चेन्नई
		iii. मैसर्स न्यू सन इन्टरनेशनल, चेन्नई
		iv. मैसर्स कीर्ति टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, चेन्नई
		v. मैसर्स कैसियो एअर ट्रेवल्स प्रा० लिमि० चेन्नई
		vi. मैसर्स एम०एम० इन्टरनेशनल, चेन्नई
		vii. मैसर्स एअरो स्टार, चेन्नई
		viii. मैसर्स फाइवर स्टार ट्रेवल्स, चेन्नई

एअर इंडिया के पेंशन कोष में घाटा

*372. **श्री एस० अजय कुमार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया कर्मचारी स्व-अंशदायी पेंशन कोष में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल, योजना में कोई परिवर्तन किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारी एअर इंडिया प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालय में गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना में घाटे और कुप्रबंधन के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (च) *एअर इंडिया एम्पलाईज सेल्फ कंट्रीब्यूटरी सुपरअनुएशन पेंशन स्कीम*

एक ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है जिसमें एअर इंडिया के कर्मचारियों और इसके प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं। सदस्य कर्मचारी जब सेवा में होते हैं तो वे इस योजना के अनुसार अपने वेतन में से प्रति माह कुछ अंशदान करते हैं। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा काल की अवधि के मुताबिक नियमित पेंशन की व्यवस्था है। यह योजना एअर इंडिया प्रबंधन से बिना किसी वित्तीय सहायता के स्वयं अंशदान वाली योजना है।

कार्यरत कर्मचारियों ने उनके द्वारा ट्रस्ट में किए गए अंशदान की राशि को समुचित ढंग से बांटे जाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के आधार पर की गयी समीक्षा के बाद ट्रस्ट ने पाया कि जल्दी ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए अंशदान की तुलना में काफी अधिक पैसा दिए जाने की वजह से मौजूदा कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर लाभ देने के वास्ते पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं होगा। अत: ट्रस्टियों ने इस स्कीम में तबदीली करके इसे लाभ की बजाय अंशदान वाली स्कीम बनाने का फैसला किया था। उस तबदीली के बाद अब हरेक सदस्य द्वारा प्राप्त लाभ सदस्य ने अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा जैसा कि पहले होता था। बल्कि उस कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज के मुताबिक उसकी अदायगी की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हरेक सदस्य द्वारा किए गए अंशदान की राशि का लाभ दूसरे सदस्यों को नहीं मिलेगा और इस तरह हरेक सदस्य को कम से कम उनके कुल अंशदान पर मिलने वाले ब्याज की राशि के बराबर पेंशन मिलेगी। ट्रस्टियों ने ट्रस्ट की कॉरपस फंड को भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपने का भी फैसला किया जो इसके बाद इस स्कीम को चलाएगा। मौजूदा सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों को या तो अपने अंशदान के मुताबिक निचली दर पर पेंशन स्वीकार करनी होगी या फिर उसे अपने कुल अंशदान की राशि और उन्हें प्राप्त हो रहे लाभ की राशि के अंतर के बराबर की राशि को ट्रस्ट फंड में अंशदान करना होगा।

एअर इंडिया के सेवानिवृत्ति-प्राप्त कर्मचारियों ने ट्रस्ट और अन्यों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है।

चावल का उत्पादन

*373. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चावल के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान 10 मिलियन टन से 80 मिलियन टन के बीच गिरावट आने की संभावना है, जो कि पिछले सात वर्षों में देश में चावल की सबसे कम फसल होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे 2002-2003 में भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर इस कमी को दूर करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) दिनांक 12.11.2002 को जारी किए गए वर्ष 2002-03 के लिए कृषि उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ 2002-03 के दौरान चावल का उत्पादन 66.86 मिलियन मी० टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2001-02 में 79.36 मिलियन मी० टन खरीफ चावल के अनुमानित उत्पादन से 12.50 मिलियन मी० टन अथवा 15.75 प्रतिशत कम है। यह मानते हुए कि इस वर्ष के रबी चावल का उत्पादन पिछले वर्ष के रबी चावल के 12.25 मिलियन मी० टन के उत्पादन से कम नहीं होगा, वर्ष 2002-03 के दौरान चावल का कुल उत्पादन लगभग 80 मिलियन मी० टन के स्तर तक पहुंच जाएगा, जो पिछले वर्ष के 91.61 मिलियन मी० टन के उत्पादन की तुलना में लगभग 12 मिलियन मी०, टन तक कम है। वर्ष 2002-03 सहित पिछले सात वर्षों के दौरान देश में चावल का कुल उत्पादन निम्नलखित है :-

चावल का उत्पादन (मिलियन मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन
1996-97	81.73
1997-98	82.54
1998-99	86.08
1999-2000	89.68
2000-01	84.87
2001-02@	91.61
2002-03 (केवल खरीफ)#	66.86

@27.06.2002 के अनुसार चौथे अग्रिम अनुमान
#12.11.2002 के अनुसार प्रथम अग्रिम अनुमान

(ख) से (च) इस वर्ष खरीफ चावल के उत्पादन में कमी देश के कई राज्यों में सूखे के कारण हुई है। किसी भी दिए गए वर्ष में चावल का निर्यात न केवल उस वर्ष में चावल के उत्पादन पर

निर्भर करता है बल्कि बिक्री के लिए उपलब्ध अधिशेष स्टॉक पर भी निर्भर करता है। चूंकि चावल का स्टॉक बफर प्रतिमानों से कहीं अधिक रहा है, इस वर्ष के उत्पादन में संभावित कमी से चावल के निर्यात में कमी नहीं होगी। यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बार-बार होने वाली सूखे की स्थिति से गेहूं की बुआई प्रभावित हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पिछड़ रही है। असिंचित क्षेत्रों में उठाए गए नुकसान तथा सिंचित क्षेत्रों में किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खरीफ मौसम 2002-03 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल के विशेषा सूखा राहत मूल्य घोषित किए हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान यात्रा किराए में कटौती

*374. **श्री खारवेल स्वाइं :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इंडियन एयरलाइंस ने वर्षा ऋतु के दौरान विमान यात्रा किराए में कटौती की है;

(ख) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त योजना में शामिल नहीं किया गया था; और

(ग) इन मार्गों को किराया कटौती के बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने 1 अगस्त से 31 अक्तूबर 2002 तक कुछ चुने हुए घरेलू सैक्टरों में इकॉनोमी श्रेणी में यात्रा करने पर एक अग्रिम खरीद योजना – एपैक्स फेयर आरंभ की। इस योजना को 31 मार्च 2003 तक और बढ़ा दिया गया है, और इस समय यह योजना 53 सैक्टरों के लिए लागू है। 53 सैक्टरों की सूची उन पर लागू किराये के साथ विवरण-I संलग्न है।

(ख) एपैक्स फेयर योजना को लागू करते समय इंडियन एयरलाइंस अपने घरेलू नेटवर्क पर 168 सैक्टरों पर अपने हवाई प्रचालन कर रही थी। एपैक्स फेयर इस समय 53 सैक्टरों के लिए ही उपलब्ध है और 115 सैक्टर इस योजना में नहीं हैं। उन 115 सैक्टरों की सूची जो इस योजना के अधीन नहीं आते उनकी सूची विवरण-II के रूप में पर संलग्न है।

(ग) इस योजना के अधीन किराये में बदलाव का स्तर एक सैक्टर से दूसरे सैक्टर और एक सीजन से दूसरे सीजन के लिए भिन्न होता है और जो मार्केट के विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। एपैक्स फेयर लागू करने के लिए सैक्टरों का निर्णय करते समय, जो मापदंड निर्धारित किया गया उसमें मार्केट का आकार, मार्केट का पौटैन्सियल, प्रतियोगिता की सीमा, मौसम और यातायात के दूसरे साधनों से वर्तमान ट्रैफिक को डाइवर्ट करके नया ट्रैफिक जनरेट करने संबंधी पोटैन्सियल पर विचार किया गया।

विवरण-I

उन 53 सैक्टरों जिन पर एपैक्स किराए इस समय उपलब्ध हैं की सूची

क्रम सं०	सैक्टर	कुल किराया (रु० में)
1	2	3
1.	मुम्बई - कोलकाता	3770
2.	मुम्बई - अहमदाबाद	2230
3.	मुम्बई - बंगलौर	2930
4.	मुम्बई - भोपाल	2585
5.	मुम्बई - कालीकट	3275
6.	मुम्बई - चेन्नई	3085
7.	मुम्बई - कोचीन	3475
8.	मुम्बई - कोयम्बतूर	3620
9.	मुम्बई - दिल्ली	3695
10.	मुम्बई - हैदराबाद	2640
11.	मुम्बई - इंदौर	2115
12.	मुम्बई - जयपुर	3165
13.	मुम्बई - जोधपुर	2905
14.	मुम्बई - लखनऊ	6420
15.	मुम्बई - मंगलौर	2655
16.	मुम्बई - नागपुर	2765
17.	मुम्बई - पटना	6785
18.	मुम्बई - पुणे	1375
19.	मुम्बई - त्रिवेन्द्रम	3605
20.	मुम्बई - उदयपुर	2500

1	2	3
21.	दिल्ली - अहमदाबाद	2670
22.	दिल्ली - औरंगाबाद	6040
23.	दिल्ली - बंगलौर	4905
24.	दिल्ली - भोपाल	2655
25.	दिल्ली - कालीकट	7055
26.	दिल्ली - चेन्नई	4020
27.	दिल्ली - कोचीन	7135
28.	दिल्ली - कोयम्बतूर	7070
29.	दिल्ली - गुवाहाटी	4645
30.	दिल्ली - हैदराबाद	3890
31.	दिल्ली - इंदौर	2265
32.	दिल्ली - जम्मू	2640
33.	दिल्ली - कोलकाता	3265
34.	दिल्ली - लखनऊ	2640
35.	दिल्ली - पटना	4460
36.	दिल्ली - पुणे	3695
37.	दिल्ली - त्रिवेन्द्रम	7170
38.	दिल्ली - उदयपुर	3390
39.	दिल्ली - बड़ोदरा	2880
40.	दिल्ली - वाराणसी	2640
41.	दिल्ली - बागडोगरा	4625
42.	कोलकाता - बागडोगरा	2865
43.	कोलकाता - बंगलौर	3935
44.	कोलकाता - गुवाहाटी	2000
45.	कोलकाता - हैदराबाद	3130
46.	चेन्नई - कालीकट	2640
47.	चेन्नई - कोचीन	2600
48.	चेन्नई - कोयम्बतूर	2180
49.	चेन्नई - कोलकाता	3670
50.	चेन्नई - मदुरै	2265
51.	चेन्नई - त्रिवेन्द्रम	2890
52.	हैदराबाद - अहमदाबाद	3440
53.	बंगलौर - अहमदाबाद	5355

विवरण-II

उन 115 सैक्टर, जिन पर एपैक्स किराए उपलब्ध नहीं है, की सूची अनुबंध-ख

क्रम सं०	सैक्टर
1	2
1.	अगरतला - गुवाहाटी
2.	अगरतला - कौलकाता
3.	अगाती - गोवा
4.	अगाती - कोचीन
5.	आगरा - दिल्ली
6.	आगरा - खजूराहो
7.	आगरा - वाराणसी
8.	अहमदाबाद - जयपुर
9.	अहमदाबाद - कोलकाता
10.	अहमदाबाद - बड़ोदरा
11.	आइजॉल - इम्फाल
12.	आइजॉल - कोलकाता
13.	अमृतसर - दिल्ली
14.	औरंगाबाद - मुम्बई
15.	गुवाहाटी - बागडोगरा
16.	बागडोगरा - पटना
17.	बंगलौर - चेन्नई

1	2
18.	बंगलौर - कोयम्बतूर
19.	बंगलौर - गोवा
20.	बंगलौर - हैदराबाद
21.	बंगलौर - कोचीन
22.	बंगलौर - पुणे
23.	बंगलौर - त्रिवेन्द्रम
24.	भुज - मुम्बई
25.	भोपाल - इंदौर
26.	भुवनेश्वर - चेन्नई
27.	भुवनेश्वर - दिल्ली
28.	भुवनेश्वर - हैदराबाद
29.	भुवनेश्वर - कोलकाता
30.	भुवनेश्वर - मुम्बई
31.	भुवनेश्वर - विशाखापट्टनम
32.	चंडीगढ़ - दिल्ली
33.	चंडीगढ़ - गोवा
34.	चंडीगढ़ - लेह
35.	चेन्नई - गोवा
36.	चेन्नई - हैदराबाद
37.	चेन्नई - पोर्टब्लेयर
38.	चेन्नई - त्रिची
39.	चेन्नई - विशाखापट्टनम
40.	कोयम्बतूर - बंगलौर
41.	कोयम्बतूर - कोचीन
42.	कोयम्बतूर - कालीकट
43.	दिल्ली - भुवनेश्वर
44.	दिल्ली - गोवा
45.	दिल्ली - इम्फाल
46.	दिल्ली - जयपुर
47.	दिल्ली - जोधपुर
48.	खजुराहो - दिल्ली
49.	दिल्ली - लेह
50.	दिल्ली - नागपुर
51.	दिल्ली - रायपुर
52.	दिल्ली - रांची
53.	दिल्ली - श्रीनगर
54.	दिल्ली - विशाखापट्टनम
55.	डिब्रूगढ़ - कोलकाता
56.	दीमापुर - जोरहाट
57.	दीमापुर - कोलकाता
58.	गोवा - अगाती
59.	गोवा - बंगलौर
60.	गोवा - चेन्नई
61.	गोवा - दिल्ली
62.	गोवा - कोचीन
63.	गोवा - कालीकट
64.	गोवा - मुम्बई
65.	गुवाहाटी - बागडोगरा
66.	गुवाहाटी - इम्फाल
67.	गुवाहाटी - सिल्चर
68.	गुवाहाटी - लीलाबाड़ी
69.	गुवाहाटी - पटना
70.	हैदराबाद - नागपुर
71.	हैदराबाद - तिरूपति
72.	हैदराबाद - विशाखापट्टनम
73.	इम्फाल - आइजॉल

1	2
74.	इम्फाल - कोलकाता
75.	इम्फाल - सिल्चर
76.	जम्मू - श्रीनगर
77.	जामनगर - मुम्बई
78.	जोधपुर - जयपुर
79.	जोधपुर - उदयपुर
80.	जोरहाट - कोलकाता
81.	खजुराहो - वाराणसी
82.	कोचीन - कालीकट
83.	जयपुर - कोलकाता
84.	कोलकाता - लखनऊ
85.	कोलकाता - नागपुर
86.	कोलकाता - पटना
87.	कोलकाता - पोर्ट ब्लेयर
88.	कोलकाता - सिल्चर
89.	कोलकाता - तेजपुर
90.	कोलकाता - विशाखापट्टनम
91.	कोलकाता - रांची
92.	कालीकट - कोचीन
93.	कालीकट - त्रिची
94.	जम्मू - लेह
95.	लेह - श्रीनगर
96.	लखनऊ - पटना
97.	लखनऊ - रांची
98.	लखनऊ - वाराणसी
99.	मदुरै - मुम्बई
100.	भावनगर - मुम्बई
101.	मुम्बई - पुट्टापार्थी
102.	मुम्बई - रायपुर
103.	मुम्बई - राजकोट
104.	मुम्बई - रांची
105.	मुम्बई - बड़ोदरा
106.	मुम्बई - वाराणसी
107.	नागपुर - रायपुर
108.	रांची - पटना
109.	गोवा - पुणे
110.	रायपुर - भुवनेश्वर
111.	राजकोट - बड़ोदरा
112.	तेजपुर - दीमापुर
113.	त्रिची - त्रिवेन्द्रम
114.	जयपुर - उदयपुर
115.	विशाखापट्टनम - मुम्बई

इस सूची में शीतकालीन समयसारणी में जोड़ा गया मुम्बई-चंडीगढ़ सैक्टर तथा 18.12.2002 को आरंभ किया जाने वाला कोलकाता-गया सेक्टर शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

*375. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में कोई ऋण योजना भी आरंभ कर रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग जनजातीय क्षेत्रों सहित समूचे देश के किसानों को समय पर

तथा पर्याप्त ऋण समर्थन देने सहित कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्रीय प्रायोजित कई स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। बागवानी के विकास के लिए चयनित जिलों नामत: अदीलाबाद (आंध्र प्रदेश), अल्मोडा (उत्तरांचल), बस्तर (छत्तीसगढ़), दाहोद/पंचमहल (गुजरात), क्योंझर (उड़ीसा) और रांची (झारखंड) में "जनजातिय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस विषय पर सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस०सी०पी०) और जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना हेतु निधियां आबंटित करने के लिए राज्य सरकार/क्रियान्वयक अभिकरणों को सलाह दी गई है।

घरेलू विमानपत्तनों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना

*376. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमानपत्तनों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) जयपुर, लखनऊ, कालीकट, कोयम्बटूर, त्रिची, गया, वाराणसी तथा पटना अन्तर्देशीय हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले से ही चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के द्वारा हब और स्पोक की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इंडियन एयरलाइंस विभिन्न आंतरिक हवाई अड्डों तथा मुम्बई व दिल्ली अन्तर्राष्ट्रय हवाई अड्डों के बीच लगभग 20 उड़ानें प्रति सप्ताह चला रही है जो इन हवाई अड्डों को एअर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ते हैं। इन उड़ानों पर एअर इंडिया का फ्लाइट नम्बर होता है और यात्री अपने अन्तिम गन्तव्य स्थल के लिए पहले बोर्डिंग प्वाइंट पर ही चेक-इन कर सकते हैं। यात्रियों को आगे जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान के लिए बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाता है। यात्रियों का सामान भी एअर इंडिया की इन उड़ानों के लिए टैग कर दिया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था आने वाली उड़ानों के लिए भी की जाती है।

यात्रियों के दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय टर्मिनलों के बीच सुविधाजनक ट्रांसफर के लिए भी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र के अंदर से ही पूर्ण सुरक्षा सहित एक शटल कोच सेवा चलाई जा रही है। इससे अन्य अन्तर्देशीय एयरलाइनों को भी फायदा हो रहा है जो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को जोड़ती हैं।

इन व्यवस्थाओं से एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों को फायदा पहुंच रहा है। इंडियन एयरलाइंस को ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उड़ानों से अच्छी आय होती है। इसी तरह एअर इंडिया को भी देश के आंतरिक स्थलों से अधिकाधिक यात्री मिल जाते हैं। देश के ऐसे आंतरिक हिस्सों के अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी इस सुविधाजनक व्यवस्था से लाभ पहुंचा है।

यह योजना चालू है।

[अनुवाद]

फलों की ढुलाई

*377. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को विभिन्न कृषि राज्यों ने महानगरों की फलों की ढुलाई हेतु बड़ी संख्या में विशेष प्रकार के रेल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने फलों की ढुलाई हेतु विशिष्ट प्रणाली शुरू करने के लिए किसी राजसहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय बागवानी परिसंघ (सी०आई०एच०), जो प्रमुख फलों और फूलों वाली विभिन्न उत्पाद विशिष्ट एसोसिएशनों द्वारा गठित एक शीर्ष निकाय है, के सदस्यों से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन०एच०बी०) के माध्यम से विशिष्ट वैगनों के जरिए फलों की ढुलाई को सुकर बनाने के मामले को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ उठाया था। भारतीय रेलवे ने प्रशीतित (रैफ्रीजरेटेड पार्सल वैन के एक प्रोटो-टाइप का विनिर्माण किया है, जो प्रशीतित तथा शीतागारों के माल दोनों को ले जा सकती है। उस प्रोटो-टाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ऐसे वैगन, रेलवे वैगनों में फलों की ढुलाई में होने वाले नुकसान को कम करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दुर्लभ औषधीय पादपों का संरक्षण

*378. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री वी० वैत्रिसेलवन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार उपलब्ध औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विशेषत: वन क्षेत्रों में इनके संरक्षण/प्रसार हेतु कोई विशेष योजना शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना के लिए पहचान की गई औषधीय पादपों की संकटापन्न प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विशिष्ट जड़ी-बूटियों की बड़े पैमाने पर तस्करी कर इन्हें देश से बाहर भेजा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने तथा दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत् उपयोग पर योजना आयोग, भारत सरकार के टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में औषधीय पौधों की 8000 प्रजातियां हैं जिन में से भारत की सभी उच्चकोटि की पुष्पण पौध प्रजातियां लगभग 50 प्रतिशत हैं। ये पौधे देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं।

(ख) और (ग) 24.11.2000 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में भारत सरकार ने ''औषधीय पौध बोर्ड'' नामक एक राष्ट्रीय स्तर निकाय की स्थापना की है। इसके कार्यों में से एक कार्य औषधीय पौधों का संरक्षण और संचरण भी है। बोर्ड ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 22 विभिन्न राज्यों में संरक्षण, खेती और संचरण की 76 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

फाऊन्डेशन फार रिवाइटलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडीशन्स, (एफ०आर०एल०एच०टी०) बंगलौर औषधीय पौधों के वन्य आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यू०एन०डी०पी० और डी०ए०एन०आई०डी०ए० की दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये परियोजनाएं 54 स्व-स्थाने औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्रों (एम०पी०सी०ए०) की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और इनका प्रत्येक का क्षेत्र लगभग 200 हैक्टेयर है। यह औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। ये औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में भी स्थित है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक औषधीय पौधों की 29 प्रजातियों को डी०जी०एफ०टी०, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभिनिर्धारित करके अधिसूचित कर दिया गया है। इन 29 पौधों, पौध भागों और वन्य से प्राप्त उनके व्युत्पन्नों और अर्कों का निर्यात किया जा सकता है परन्तु इनसे तैयार निर्मित का निर्यात निषेध है क्योंकि इन प्रजातियों को अत्यधिक दोहन से रोका जाना आवश्यक, है। फाऊन्डेशन फार रिवाइटलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडीशन्स ने आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में औषधीय पौधों की 100 प्रजातियों की संकटापन्न स्थिति का मूल्यांकन किया है और आई०यू०सी०एन० मानकों के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे अत्यधिक संकटापन्न, संकटापन्न, असुरक्षित, संकटापन्न के निकट और कम चिन्ताजनक।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

असहाय श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

*379. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करके ठेका आधार पर श्रमिकों को काम पर लगाने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम

मजदूरी निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय/राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान जब भी न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान या भुगतान न होने के किसी मामले की सूचना मिलती है या ऐसे किसी मामले का पता चलता है तो दावा मामले, अभियोजन, इत्यादि दायर करते हुए कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है। इसके अलावा, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ठेकेदार मजदूरी के भुगतान में कोई चूक करता है या मजदूरी का कम भुगतान करता है तो प्रधान नियोक्ता ठेका श्रमिक को उक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करते हुए सीधे ठेका आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ईंधन लागत में वृद्धि

*380. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घरेलू विमान किराया विमान किराया-दरों में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ईंधन की अधिक लागत के कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल के मूल्य और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगाए जाने वाले बिक्री कर में वृद्धि के कारण अगले छह माह में ईंधन लागत में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल के मूल्यों में वृद्धि की पूर्ति विमान किराया दरों में वृद्धि के माध्यम से की जा सकती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार अंतर्देशीय विमान यात्रा कर और एविएशन टरबाइन फ्यूल संबंधी उत्पाद शुल्क को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तुलनात्मक सेक्टरों पर इंडियन एयरलाइंस के घरेलू किराए पड़ौसी देशों की एयरलाइनों द्वारा प्रभारित किरायों की तुलना में काफी कम हैं।

(ग) ए०टी०एफ० एक डि-कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है और तेल कंपनियां इस प्रोडक्ट के मूल्यों का निर्धारण बाजार माहौल के अनुसार करती है। ए०टी०एफ० पर बिक्री कर की दरें संबंधित देशों की सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा सभी देशों में अलग-अलग हैं। इस तरह, ए०टी०एफ० के मूल्यों अथवा बिक्री कर की दरों में प्रत्याशित वृद्धि के बारे में बताना संभव नहीं है।

(घ) हवाई किराया बढ़ाते समय, ए०टी०एफ० की कीमतों के अलावा, बहुत सारे अन्य तत्वों पर विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार का ए०टी०एफ० पर अंतर्देशीय विमान यात्रा कर अथवा एक्साईज डयूटी हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यावरण और वन संबंधी शेखर सिंह समिति की रिपोर्ट

*381. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेखर सिंह समिति की रिपोर्ट में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में पर्यावरण और वन संबंधी गंभीर स्थिति के उल्लेख की जानकारी है, जिसमें एक लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित होने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रिपोर्ट की अनुकूल और प्रतिकूल टिप्पणियों का अध्ययन करने और इस हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए कोई अध्ययन दल नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में संवादात्मक आवेदन संख्या 502 के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने 7.5.2002 के आदेश के द्वारा, न्यायालय के 23.11.2001 के आदेश के अनुसरण में श्री शेखर सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्वीकार किया है तथा वृक्षों की कटाई, संशोधित कार्य योजना तैयार करने, अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लि० की कार्यप्रणाली, अतिक्रमण को हटाने, इमारती लकड़ी और आवा-जाही, काष्ठ आधारित उद्योगों की कार्यप्रणाली और बालू खनन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को, अतिक्रमण हटाने की

प्रगति के संबंध में हर महीने शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। कार्यान्वयन प्रगति की नियमित समीक्षा के साथ-साथ इन आदेशों को कार्यान्वित करने के सभी प्रयास किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के इन आदेशों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रख कर इस मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम लि० की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसमें श्री एन०के० जोशी, अपन वन महानिदेशक और श्री वाई०एस० भावे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार शामिल थे।

सूखा ग्रस्त राज्य

3953. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से अक्तूबर, 2002 के अत तक माह-वार और राज्य-वार कितनी वर्षा हुई;

(ख) चालू खरीफ फसल के दौरान सूखा से प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसे राज्यों के राज्यवार कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है;

(ग) सूखा की स्थिति से निबटने के क्रम में और पेयजल प्रावधान और पर्याप्त रबी फसल उगाने सहित अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस वर्ष के गंभीर सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए उड़ीसा की सरकार से कितनी मांग की गई है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया है, राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में है।

(ख) से (ङ) संबंधित राज्यों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम के "विशेष घटक" के तहत नि:शुल्क आवंटित खाद्यान्नों, वर्ष 2002-03 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति तथा मौजूदा सूखा के लिए प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से निर्मुक्त सहायता विवरण-II में दर्शाया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की क्षति 18.72% होगी।

(च) मौजूदा सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 871.40 करोड़ रु० की सहायता के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा 16 नवम्बर, 2002 को हुई बैठक में विचार किया गया था। समिति ने राज्य के आपदा राहत कोष में उपलब्ध शेष के समायोजन की शर्त पर प्रथमत: तीन महीने की अवधि के लिए 120.18 करोड़ रु० की राशि का अनुमोदन किया। चूंकि राज्य सरकार के पास अपने आपदा राहत कोष में पर्याप्त शेष था, अत: राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई। तथापि, उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने जनवरी, 2003 के मध्य के आसपास और सहायता के लिए उड़ीसा सहित सूखा प्रभावित राज्यों के मामले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

(मि०मी० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	जून (01.06.2002 से 26.06.2002)	जुलाई (01.06.2002 से 31.07.2002)	अगस्त (01.06.2002 से 28.08.2002)	सितम्बर (01.06.2002 से 30.09.2002)	अक्तूबर (01.06.2002 से 30.10.2002)
1	2	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	109.0	186.3	365.3	456.9	143.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	323.4	1008.5	1438.3	1767.8	65.9
3.	असम	370.5	909.4	1191.9	1441.4	50.8
4.	बिहार	113.0	580.6	802.2	1011.8	34.6
5.	छत्तीसगढ़	205.0	318.2	648.8	971.5	29.3
6.	गोवा	940.7	149.3	2087.5	2299.4	53.8

1	2	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	45.4	284.1	472.1	542.4	0.4
8.	हरियाणा	25.2	53.4	154.8	320.9	2.5
9.	हिमाचल प्रदेश	52.2	226.0	532.6	709.3	13.9
10.	जम्मू और कश्मीर	70.3	147.5	299.0	408.4	14.1
11.	झारखण्ड	185.2	487.6	761.8	1106.2	84.0
12.	कर्नाटक	188.8	333.4	528.2	603.7	193.5
13.	केरल	460.6	807.3	1247.2	1281.6	464.2
14.	मध्य प्रदेश	120.2	206.4	597.9	826.1	33.8
15.	महाराष्ट्र	275.6	440.3	754.8	895.1	28.8
16.	मणिपुर	196.1	656.4	453.3	755.1	86.5
17.	मेघालय	1158.4	3286.8	2985.7	3249.3	46.1
18.	मिजोरम	151.9	445.6	888.4	1162.3	181.3
19.	नागालैण्ड	113.2	561.6	657.9	954.9	26.2
20.	उड़ीसा	185.6	343.3	624.0	917.6	63.8
21.	पंजाब	27.2	111.9	221.9	318.1	5.5
22.	राजस्थान	23.8	59.7	125.1	161.6	0.5
23.	सिक्किम	414.3	1168.3	1668.1	1947.7	96.4
24.	तमिलनाडु	45.9	70.2	111.6	182.3	178.8
25.	त्रिपुरा	284.3	870.2	1162.1	1455.2	53.2
26.	उत्तरांचल	159.3	472.3	907.7	1250.2	18.0
27.	उत्तर प्रदेश	47.1	142.6	382.5	650.3	16.0
28.	पश्चिम बंगाल	294.1	727.3	1038.2	1369.2	80.2

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

क्र० छवण	राज्य	सूखा प्रभावित जिलों की सं०	आवंटित खाद्यान्न (लाख मी० टन)	निर्मुक्त आ०रा०को० के केन्द्रीय अंश	रा०आ०आ०को० से निमुक्त सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22	3.00	163.77	—
2.	छत्तीसगढ़	16	0.50	22.72	45.85

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	13	—	—	—
4.	हरियाणा	19	0.25	67.23	—
5.	हिमाचल प्रदेश	12	0.10	35.96	9.80
6.	जम्मू और कश्मीर	#	—	14.43	—
7.	झारखण्ड	22	0.40	—	—
8.	कर्नाटक	24	2.00	61.66	171.28
9.	केरल	10	—	55.60	—
10.	मध्य प्रदेश	33	1.00	51.78	95.03
11.	महाराष्ट्र	33	—	129.99	20.00
12.	उड़ीसा	30	2.00	90.52	—
13.	पंजाब	17	—	101.47	—
14.	राजस्थान	32	7.00	171.16	11.66 *
15.	तमिलनाडु	#	0.50	84.87	109.70
16.	उत्तरांचल	13	0.50	13.38	—
17.	उत्तर प्रदेश	70	2.00	120.95	237.65
18.	पश्चिम बंगाल	3	—	41.80	—

#जम्मू व कश्मीर तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों ने औपचारिक तौर पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा नहीं की है।

*मवेशी शिविरों को चलाने हेतु

डी०एम०एस० द्वारा एन०सी०सी०एफ० और के०बी० को काली सूची में डालना

3954. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) ने एन०सी० सी०एफ० और के०बी० को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आपूर्तियों एवं एन०सी०सी०एफ० और के०बी० की दरों में डी०एम०एस० द्वारा पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या था;

(घ) क्या डी०एम०एस० के कर्मचारियों की मिलीभगत का भी पता चला था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना ने एन०सी०सी०एफ० को काली सूची में डाल दिया है क्योंकि आपूर्ति आर्डर तथा एन०सी०सी०एफ० द्वारा स्टेशनरी आर्डर की वास्तविक आपूर्ति में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों के आस-पास अतिक्रमण

3955. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न पर्यटक स्थलों में अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए ठोस उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्तमान में पर्यटक रूचि के विभिन्न स्थलों पर कई अतिक्रमण हुए हैं। लेकिन आगे और अतिक्रमण न हो, इसकी जांच करने एवं मौजूदा अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी अभिकरण स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ख) और (ग) दिनांक 5.9.2002 को आयोजित राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि हेरिटेज स्थलों के परिसर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यात्रियों के मास्तिष्क में एक प्रतिकूल छवि पैदा होती है। नई पर्यटन नीति में सभ्यता में संबंधित मुद्दों के साथ-साथ नागरिक एवं बेहतर शासन संबंधी विषयों पर जोर दिया गया है। प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं में अतिक्रमण के लिए, वैकल्पिक स्थान देने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी

3956. श्री महबूब जाहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खाद्य फसलों के लिए सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के विरूद्ध टिप्पणी की है क्योंकि इससे फसल विविधिकरण में बाधा आती है

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बात कही है कि सरकारी विनिवेश में कमी के कारण सम्पूर्ण कृषि उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रावधान को धक्का लगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रेक्षण किया है कि विशिष्ट और बहिर्जातीय रूप से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की नीति फसल विविधता को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है। आगे यह भी प्रेक्षण किया गया है कि कृषि में सार्वजनिक निवेश की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप कृषि उपज में और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार की वृद्धि में गिरावट आई है।

यह कहना सही नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र ने उच्च स्तर पर चावल और गेहूं के मूल्य को बनाये रखने में मदद की है और इससे इन दो फसलों की खेती दलहन और मोटे अनाजों की तुलना में अधिक लाभप्रद हो गई है। दलहन और मोटे अनाज का उत्पादन कम उपज आने की वजह से अलाभकारी है न कि निम्न न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से। यह भी सही नहीं है कि दलहनों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल खेती की लागत को कवर करता है और यह हमेशा मंडी मूल्य से नीचे रहता है। तिल के अलावा तिलहनों तथा चना और अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा उत्पादन की लागत से उच्च स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न तिलहनों के मंडी मूल्य अक्सर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरे हैं और इस कारण मूल्य समर्थन अभियान की आवश्यकता हुई है। तथापि यह कहना सही है कि अधिकांश दलहनों का मंडी मूल्य हमेशा ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर रहा, इसलिए, मूल्य हस्तक्षेप की बहुत कम आवश्यकता हुई। यदि उलहन का अधिक मंडी मूल्य उत्पादन को लाभप्रद नहीं बना सका तो समस्या कम उपज की है, जो स्वयं में प्रौद्योगीकिय सफलता के अभाव का परिणाम है। प्रौद्योगीकिय सफलता का न होना भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए तिलहन की कम अनुक्रिया हेतु जिम्मेवार है।

यह भी कहना सही नहीं है कि गेहूं और चावल को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया है क्योंकि चावल और गेहूं अभी भी प्रविष्टि "खाद्यान्न" के अधीन अनिवार्य वस्तु के रूप में जारी है तथापि विशिष्ट खाद्यान्न पर लाईसेंस, स्टॉक सीमा और संचालन संबंधी प्रतिबंधों की आवश्यकता को हाल ही में हटा दिया गया है ताकि मुक्त व्यापार, स्टॉक का निर्बाध संचलन और किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

एक के बाद एक अनाज उगाने में सामना की जा रही मृदा उर्वरता संबंधी जैसी समस्याओं पर विचार करते हुए सरकार फसल विबधीकरण पर जोर दे रही है। तिलहन और दलहन के आयातों को ध्यान में रखते हुए फसल विवधीकरण का समर्थन किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण में गिरावट के बावजूद समवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि के सकल पूंजी निर्माण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। यह निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण में वृद्धि प्रदर्शित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

3957. श्री सईदुज्जमा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लहसून और प्याज संबंधी अनुसंधान एवं विकास का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० शणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं और निजी उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली सहायता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए भी उपलब्ध है। मंत्रालय स्वयं इन यूनिटों की स्थापना नहीं करता।

(ख) वित्तीय सहायता सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता-अनुदान के रूप में दी जाती है।

[हिन्दी]

टमाटर की कैंसर रोधी किस्म का विकास

3958. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी कृषि विभाग ने टमाटर की एक किस्म विकसित की है जिसमें बड़ी मात्रा में कैंसर रोधी लिफोपीन तत्व होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का टमाटर की ऐसी किस्म विकसित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। परड्यू यूनीवर्सिटी (पी०यू०आर०डी०यू०ई० विश्व-विद्यालय) और अमरीका के ही कृषि विभाग ने ऐसे टमाटरों का विकास करने का दावा किया है जिनमें कैंसर रोधी अधिक एंटीऑक्सीडैन्ट लाइकोपिन अंश मौजूद है।

(ख) और (ग) भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी तथा राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, पूसा, नई दिल्ली दोनों ही उच्च लाइकोपिन अंश वाली टमाटर की किस्में विकसित कर रहे हैं। तथापि, राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, पूसा, नई दिल्ली इस अनुसंधान कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

[अनुवाद]

मुम्बई में निसर्ग विहार का प्रस्ताव

3959. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निसर्ग विहार, मुम्बई में पारिस्थितिकी-अनुकूल पर्यटन शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, निसर्ग विहार, मुंबई परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा मार्च, 1999 में 45.00 लाख रु० स्वीकृत किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि नेशनल पार्क क्षेत्र में परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी, अत: यह परियोजना छोड़ दी गई।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई

3960. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में खुदाई किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई हेतु मुगल काल के कौन से ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है;

(च) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 90,000 साल पुराने पुरातात्विक स्थलों की खोज की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नई कृषि नीति

3961. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई कृषि नीति अपनाये जाने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "भारतीय किसानों की दशा – एक सहस्राब्दि अध्ययन" नामक अध्ययन के दूसरे चरण, जो जनवरी, 2003 से शुरू हो रहा है के अंतर्गत किसानों की व्यावसायिक तथा आर्थिक स्थिति पर देश-व्यापी सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण का परिणाम वर्ष 2005 में किसी समय उपलब्ध होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में नये विमानपत्तन

3962. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में नए विमानपत्तन स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पश्चिमी बंगाल में नया हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन आरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण

3963. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन आरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं योजना के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में इसके लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में वन रिजर्वों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। विवरण दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	स्कीम का नाम	ब्यौरा
1	2	3
1.	एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम	वन दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यय की गैर आवर्ती मदों हेतु देश के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वन सुरक्षा और कार्य योजनाओं को तैयार करने/सर्वेक्षण करने और सीमांकन हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें सिक्किम भी शामिल है 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

1	2	3
2.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए मदों के लिए 100% केन्द्रीय सहायता और 50 प्रतिशत आवर्ती मदों (राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में) हेतु।
3.	बाघ परियोजना	बाघ रिजर्वों में वन्य जीव प्रबंधन और सुरक्षा के लिए निर्माण कार्यों की अनावर्ती मदों के लिए 100% और 50% आवर्ती मदों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
4.	हाथी परियोजना	अभिज्ञात हाथी रिजर्वों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 100% केन्द्रीय सहायता।
5.	जीवमंडल रिजर्व	देश के अभिज्ञात जैव मंडल रिजर्व के स्वस्थाने संरक्षण के लिए 100% केन्द्रीय सहायता।
6.	कच्छ वनस्पतियों, प्रवाल भित्तियों और नमभूमियों का संरक्षण	देश के अभिज्ञात कच्छ वनस्पतियों, प्रवाल भित्तियों और नम भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु 100% केन्द्रीय सहायता।

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास

3964. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन विकसित करने हेतु संयुक्त कार्य दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य ने अपने यहां पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन कैलेंडर और उससे संबंधित कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग ने ऐसा कोई संयुक्त कार्यदल गठित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, उत्तरी राज्यों सहित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है एवं परियोजनाओं को गुण दोषों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

एयर इंडिया के सतर्कता अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाना

3965. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी समय से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया के कार्यकारी प्रबंध निदेशक को उनके कार्य सौंपे गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके अधिकारों के दुरूपयोग के लिए वर्तमान पदधारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एयर इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी समय से पूर्व अपने मूल कैडर महाराष्ट्र सरकार में वापस चले गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मिर्च का उत्पादन

3966. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में राज्य-वार मिर्च की कितनी किस्मों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी मात्रा में मिर्च का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) महाराष्ट्र तथा देश में उत्पादित मिर्च की किस्में निम्नलिखित हैं :–

महाराष्ट्र में उत्पादित किस्में	देश में उत्पादित किस्में
इलायचल्पुर सन्नाम-एस-4 टाइप, नागपुर, नालचेट्टी सन्नाम - एस 4 टाइप	गुन्टूर सन्नाम, हिंदपुर-एस 7, मद्रास परी, एस 9 मुन्डु, टाडाप्पल्ली - बड़ी लम्बी, टमाटर मिर्च (बारंगल चप्पट्टा), बर्ड आई मिर्च (धानी) ब्याडागी (कद्दी) इलायचल्पुर सन्नाम-एस 4 टाइप, ज्वाला, खण्डारी-श्वेत, कश्मीरी मिर्च, मध्य प्रदेश जी०टी० सन्नाम, नागपुर, नालचेट्टी, रामनाद मुण्डु, सन्नाम-एस 4 टाइप, सत्तूर-एस 4, स्कॉच बोनट

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए मिर्चों के उत्पादन के नवीनतम उपलब्ध राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए देश और महाराष्ट्र में मिर्चों के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कृषि में बृहत प्रबन्ध – "कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में, देश में मिर्चों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(i) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के केन्द्रक बीजों का उत्पादन,

(ii) प्रदर्शन-सह-बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना,

(iii) पौध संरक्षण उपायों का प्रदर्शन,

(iv) मिनिकिटों का वितरण,

(v) मिर्च की किस्मों की निर्यातोन्मुखी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम।

इस स्कीम में राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार फसलों को प्राथमिकता देने के और हस्तक्षेप करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की व्यवस्था है। वर्ष 2002-2003 के दौरान, कृषि में वृहत प्रबन्ध की स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के लिए 82.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए मिर्च के उत्पादन के राज्य-वार अनुमान

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (000 मीटरी टन)		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	525.0	496.0	467.0
अरूणाचल प्रदेश	1.6	1.7	1.7
असम	9.7	8.0	9.7
बिहार	6.4	6.1	5.0
गुजरात	18.2	13.0	10.5
हरियाणा	1.5	1.5	1.7
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.2	0.3
जम्मू और कश्मीर	0.6	0.5	0.5
कर्नाटक	146.5	157.2	144.1
केरल	–	–	0.3
मध्य प्रदेश	19.3	23.9	12.5
छत्तीसगढ़	–	–	2.2
महाराष्ट्र	57.7	59.0	60.7

1	2	3	4
मणिपुर	5.3	4.2	4.4
मेघालय	1.1	1.1	1.1
मिजोरम	4.0	3.5	3.5
नागालैण्ड	4.2	14.0	14.0
उड़ीसा	76.0	87.9	87.9
पंजाब	4.5	4.4	4.7
राजस्थान	49.9	44.5	33.0
तमिलनाडु	43.9	55.9	35.3
त्रिपुरा	1.2	1.1	1.1
उत्तर प्रदेश	15.0	16.0	14.4
पश्चिम बंगाल	51.3	52.3	54.9
पांडिचेरी	—	0.4	0.2
दिल्ली	—	0.4	0.1
अखिल भारत	1043.2	1052.8	970.8

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

3967. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नारंगी उत्पादकों के लिए संगठनात्मक ढांचा प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र के बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावनों को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन०एच०बी०) ने राष्ट्रीय स्तर पर सन्तरे सहित फलों की जिंस विशिष्ट एसोसिएशनों के गठन को सरल बनाया है। भारतीय सन्तरा उत्पादक एसोसिएशन महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हीवरखेड में स्थित है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) ने महाराष्ट्र सहित देश से बागवानी उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए बहुत से उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :–

(i) ताजे उत्पाद एवं संसाधित खाद्य सामग्री के निर्यात के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भागीदारी।

(ii) संसाधित खाद्य सामग्री को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना।

(iii) प्रचार एवं सूचना का प्रसार करना।

इसके अतिरिक्त, एपेडा, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के माध्यम से कृषि निर्यात जोन (ए०ई०जेड०) की अवधारणा को लागू कर रहा है और निर्यात के संवर्धन के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

कृषि उत्पाद के रूप में नारियल जटा और रबड़

3968. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विश्व व्यापार संगठन ने समझौते के अंतर्गत कृषि वस्तु के रूप में नारियल जटा और रबड़ को शामिल किए जाने संबंधी निर्णय लेने के मामले में केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के कृषि संबंधी करार के क्षेत्र के तहत रबड़ तथा कॉयर को शामिल करने के लिए समय-समय पर केरल सरकार, विभिन्न सांसदों तथा पौध कृषक संघों से ज्ञापन तथा प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) कृषि संबंधी करार में उत्पादन कवरेज के योक्तिकीकरण में रबड़ तथा कॉयर को शामिल करने के लिए सरकार ने अपने विचार विमर्श प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन को पहले ही दे दिए हैं। विचार विमर्श 1 जनवरी, 2005 तक पूरा हो जायेगा।

[हिन्दी]

जमनालाल बजाज अनुसंधान संस्थान, वर्धा के लिए धनराशि का आबंटन

3969. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जमनालाल बजाज संस्थान, वर्धा को सुदृढ़ करने हेतु 8.35 करोड़ रुपए का आबंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा इस व्यय के पर्यवेक्षण हेतु एक परामर्शदाता की भी नियुक्ति की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परामर्शदाता की नियुक्ति पर संस्थान के लिए कार्यरत खादी ग्रामोद्योग आयोग के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना के लंबित प्रस्ताव

3970. **श्री राजो सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना (एन०सी०डी०पी०) के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सरकार को बिहार के नवादा जिले सहित देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए नए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दसवीं योजना अवधि में लिए जाने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के नए जिलों में विस्तार का अभी अनुमोदन किया जाना है।

[अनुवाद]

आम अनुसंधान केन्द्र

3971. **श्री अबुल हसनत खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में मालदा/मुर्शिदाबाद में आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आम अनुसंधान केन्द्र के पास मुख्य रूप से आम की फसल पर अनुसंधान चलाने का अधिदेश है। इसके साथ-साथ इस केन्द्र के अधिदेश में फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों जो आम के साथ अन्त:फसल के रूप में उगाये जा सकते है, पर मूलभूत नीतिगत तथा मोटे तौर पर अनुसंधान करना भी शामिल है। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जमीन पर स्थापित किया जा रहा है।

बाढ़ प्रबंधन हेतु भारत-बांग्ला संयुक्त कृतक बल

3972. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ प्रबंधन के हेतु भारत-बांग्ला संयुक्त कृतक बल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। इच्छामती बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए भारत-बंग्लादेश कार्यबल का जून, 2002 को गठन किया गया है।

(ख) इस कार्यबल ने 17 से 24 सितम्बर, 2002 तक इस स्थल का दौरा करने के साथ ही पहली बैठक की है तथा जून, 2003 तक कार्य पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयारी की है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु विदेशी सहायता

3973. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम और अन्य राज्यों में ब्रह्मपुत्र द्वारा आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु चीन और भूटान से विदेशी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है और इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्षापात, जल स्तर, निस्सरण नामक जल वैज्ञानिक सूचना एंव चीन द्वारा भारत तक बाढ़ मौसम में नुगेशा,

यांकुन तथा नक्सियां नामक 3 केन्द्रों के संबंध में चालुजांग्बू/ब्रह्मपुत्र नदी संबंधी अन्य सूचना के प्रावधान के वास्ते चीन सरकार के साथ जनवरी, 2002 में एक ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं, यह सूचना प्रत्येक वर्ष 1 जून से 15 अक्तूबर तक उपलब्ध की जाएगी तथा यह सूचना पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगी। गैर-बाढ़ मौसम के दौरान यदि जल स्तर परस्पर सहमत स्तरों से उपर उठ जाता है तो चीनी पक्ष जल वैज्ञानिक सूचना देने के वास्ते भी सहमत हो गया है। वर्तमान मानीटरिंग एवं आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के आधार पर जल स्तर/निस्सरण में असाधारण वृद्धि/गिरावट संबंधी वास्तविक समय पर आधारित आंकड़े मुहैया कराने के लिए भी सहमत हो गया है।

इस ज्ञापन के अनुसरण में एक कार्यान्वयन योजना पर भी हस्ताक्षर किया गया है। जिसके अनुसरण में चीनी पक्ष ने 1 जून, 2002 से उपरोक्त 3 केन्द्रों से संबंधित वर्षापात, जलस्तर तथा निस्सरण संबंधी आंकड़ा भारत को देना शुरू कर दिया है। चीन ने गत 10 वर्षों के लिए ऐतेहासिक आंकड़े भी दिए हैं।

भूटान के संबंध में ''भारत एवं भूटान की साझी नदियों पर जल-मौसम वैज्ञानिक तथा बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक स्कीम'' नामक एक स्कीम वर्ष 1979 से प्रचालन में है। भूटान में 35 जल-मौसम वैज्ञानिक/मौसम वैज्ञानिक केन्द्र इस नेटवर्क में शामिल हैं जिसकी देखभाल भारतीय वित्तपोषण द्वारा भूटान की शाही सरकार द्वारा की जा रही है। भारत में इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़-पूर्वानुमान तैयार करने के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भूटान से निकलने वाली नदियों से उत्पन्न बाढ़ों की समस्या से संबंधित मामले को भूटान की शाही सरकार के साथ उठाया है और बाढ़ पूर्वानुमान, रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए जल संसाधन मंत्रालय एवं संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त विशेषज्ञ दल गठित किया है। इस प्रस्ताव पर भूटानी पक्ष का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अत्याधुनिक एअर क्राफ्ट

3974. श्री जय प्रकाश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया के लिए अत्याधुनिक एअर **क्राफ्ट की पहचान करने** और उनकी खरीद के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु गठित आन्तरिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि समिति ने रिपोर्ट प्रबंधन तथा एअर इंडिया बोर्ड को सौंप दी है। रिपोर्ट में 7 अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों के प्रचालन तथा एअर इंडिया के विमान बेडे को बढ़ाने पर ध्यान आकर्षित किया है।

(ग) सरकार को अभी एअर इंडिया से अंतिम प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली

3975. श्री राधा मोहन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली की कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना हेतु प्रदत्त विश्व बैंक सहायता का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने और विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इस अनियमितता हेतु अब तक किसी अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुरक्षा पास जारी करना

3976. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा प्रचालन क्षेत्रों हेतु नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पास जारी करने हेतु क्या क्रियाविधि अपनाई गई है;

(ख) क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर प्रचालन क्षेत्रों में काम करने वाले एयर इंडिया के अनेक कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र/आपराधिक मामले दर्ज हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उनमें से अनेक कर्मचारियों को प्रचालन क्षेत्रों में काम करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पास जारी किए गए हैं;

(घ) उनमें से कितने कर्मचारियों को पास देने से इंकार कर दिया गया है; और

(ङ) इंकार के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी०सी०ए०एस०) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है। इसके पश्चात् इस आवेदन को आवेदनकर्ता की 4 फोटो समेत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से भली प्रकार से हस्ताक्षर तथा एयर इंडिया के सुरक्षा विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्षेत्रीय सुरक्षा उपायुक्त को भेजा जाता है। कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य के अनुसार उनकी अपेक्षाओं की जांच करने के पश्चात् नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा पास जारी किएए जाते हैं।

(ख) सुरक्षा, वाणिज्यिक/यातायात, इनफ्लाइट सर्विसिज/खान-पान सेवा, प्रचालन तथा भू-सेवा विभाग के 28 मामलों में से 26 मामलों में आरोप पत्र दिए गए हैं तथा 3 मामलों में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी पास को तभी वापिस लिया जाता है यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आरोप पत्र दायर किए गए कर्मचारी ने ऐसा अपराध किया जिससे एयर इंडिया के प्रचालनों की सुरक्षा को धक्का लगा हो कुछ मामलों में यदि कदाचार साबित हुआ हो और किया गया अपराध इतना गंभीर न भी हो कि कर्मचारी से पी०आई०सी० वापिस लिया जा सके। फिर भी, कर्मचारी को पी०आई०सी० जारी करने से पूर्व अन्तिम निर्णय नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो लेता है।

(घ) पीछे जो भी पी०आई०सी० जारी किए गए हैं उनमें एयर इंडिया के किसी भी कर्मचारी को मना नहीं किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अभयारण्यों का विकास

3977. श्री एम०के० सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलपाड़ा में चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है;

(ख) यदि हां, तो अभयारण्य में 1994 से लेकर की गई अलग-अलग गणना के अनुसार गोल्डन लंगूरों की संख्या कितनी है;

(ग) इस अभयारण्य में पादपों, पक्षियों उभयचरों, तितलियों और मछलियों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभयारण्य की स्थापना से लेकर इन प्रजातियों की सुरक्षा और परिरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस अभयारण्य में सरकारी अभिकरणों द्वारा जीव-जन्तुओं की कोई गणना नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 1988 में, एक गैर-सरकारी संगठन ने अलग से गोल्डन लंगूर की संख्या का अनुमान लगाया जो 60-70 थी और किसी शोधकर्ता द्वारा हाल में किए गए शोध कार्य के अनुसार इस प्रजाति की पृथक संख्या 200 होने का अनुमान है जिनकी 11 टोलियां हैं।

(ग) इस अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियों में शामिल हैं : गोल्डन लंगूर, बाघ, तेंदुआ, साम्बर, बार्किंग डीयर, हॉग डीयर, गन्धबिलाव, जंगल कैट, लैपर्ड कैट, क्लाउडेड लैपर्ड, किंग कोबरा, बैंडेड क्रेट, टर्टल, पीकॉक फीसेंट और हार्नबिल।

(घ) इस अभयारण्य को 1994 में अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय सहायता 1999-2000 में शुरू की गई। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत इस अभयारण्य में 1999-2000 से किया गया खर्च निम्नलिखित है :

योजना का नाम	व्यय
राष्ट्राय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	14.24 लाख रुपए
सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आसपास पारि-विकास	2.6 लाख रुपए

उर्वरक का उपयोग

3978. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों के अनुपूरक के रूप में जैव उर्वरकों, जैव खाद्य, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के उर्वरक संवर्धन और कृषि अनुसंधान प्रभाग के अंतर्गत आठ जैव उर्वरक इकाइयों के प्रचालन को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अंतर्गत उपर्युक्त इकाइयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) सरकार मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनाये रखने हेतु समेकित पोषक प्रबंध के रूप में जैव उर्वरक तथा कार्बनिक खादों के साथ रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित उचित उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

(ख) सरकार ने 5.9.02 को, सम्पूर्ण हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित इसके उर्वरक प्रवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग को, बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा किसी भी जैव उर्वरक एककों के अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन लि० के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के बावत् उपयुक्त संगठन, जिसे इनका हस्तांतरण किया जा सके, के निर्णय हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक समिति का गठन कर रही है।

उर्वरक का उपयोग

3979. **श्री सुनील खां :**
श्री सुबोध राय :
श्री चन्द्र प्रताप सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सहकारिता विभाग ने जून, 2002 में आयोजित विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के बौद्धिक सम्पदा और जैव संसाधनों, परम्परागत ज्ञान और लोकसाहित्य संबंधी अन्तरसरकारी समिति में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में बताया था कि हैल्थ हैरिटेज डाटाबेस की भारत में स्थापना हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो डाटाबेस तैयार करने में शामिल संगठनों सहित उक्त डाटाबेस और वेबसाइटों, आंकड़ों की मात्रा, आंकड़ों की विशेषता और स्रोत, इसकी स्थापना का वर्ष और माह और उक्त डाटाबेस तैयार करने के लिए व्यय की गई राशि का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डब्ल्यू०आई०पी०ओ० से चिकित्सीय, कृषि, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान सहित परम्परागत ज्ञान के बारे में 26 अप्रैल, 2002 से पहले प्रस्तुत किए जाने हेतु योगदान मांगा गया था और उन राष्ट्रीय पत्रिकाओं, जर्नलों और राजपत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका संबंध झूठे दावों को विफल करने हेतु पेटेन्ट परीक्षकों के तत्काल ज्ञान के लिए परम्परागत ज्ञान संबंधी मुद्दों से है;

(ङ) यदि हां, तो औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित वैल्थ आफ इंडिया और मेडीसिनल एण्ड एरोमेरिक प्लांटस एक्सटैक्स सहित प्रस्तुत किया गया ब्यौरा क्या है;

(च) क्या घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग की संरक्षा करने हेतु वैल्थ आफ इंडिया की जानकारी का उपयोग किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट के प्रारूप में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने "राष्ट्रीय टी०के० डाटाबेस का प्रदर्शन आयोजित किया।"

(ग) इस टेस्ट डाटाबेस में, जो विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की वेबसाइट (एच०टी०टी०पी०//डब्ल्यू०डब्ल्यू०डब्ल्यू० डब्ल्यू०आई०पी०ओ० आई०एन०टी०/ग्लोबलईसूज/टी०के०/टी०के० पी०ओ०आर०टी०ए०एल०/इंडेक्स०एच०टी०एम०एल०) से सम्बद्ध है, निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 औषधीय पौधों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं :–

1. रासायनिक घटक
2. औषधीय गुणधर्म
3. जीववैज्ञानिक गतिविधियां
4. वर्गीकरण विज्ञान
5. स्थानीय भाषा में नाम
6. अन्य औद्योगिक उपयोग
7. पेटन्ट्स

इस डाटा का संकलन प्रकाशित साहित्य जैसे पुस्तकों, जर्नलों, सारांश तथा पेटेन्ट कार्यालयों द्वारा जारी पेटेन्ट दस्तावेतों से किया गया है। टेस्ट हेल्थ हेरीटेज डाटाबेस की सभी जानकारी पब्लिक डोमेन से एकत्र की गई है।

हेल्थ हेरीटेज डाटाबेस, जो उपर्युक्त साइट में सम्बद्ध था, का विकास वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अक्तूबर-दिसम्बर, 1999 के दौरान कार्यालय में उपलब्ध जानकारी तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक संघटक इकाई – राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के मानव संसाधनों के उपयोग से किया गया।

(घ) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन ने मार्च/अप्रैल, 2002 के दौरान पारम्परिक ज्ञान संबंधी जर्नलों की सूची का संकलन किया।

(ङ) राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान ने अपने जर्नल ''इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज'' की जानकारी विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन को भेजी।

(च) जी, हां।

(छ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेन्ट ऑफिस में हल्दी पेटेन्ट के विरोध में ''वेल्थ ऑफ इण्डिया'' सहित 30 स्रोतों से पूर्वोपलब्ध सन्दर्भ भेजे।

प्रशिक्षु पायलट हेतु पद में आरक्षण

3980. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आदेशों के अनुसार एअर इंडिया ने प्रशिक्षु पायलटों के पद हेतु आरक्षण लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है;

(ग) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रशिक्षु पायलट हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया ने हाल ही में प्रशिक्षु पायलटों के 44 पदों के लिए परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों हेतु कितनी अभ्यार्थी चुने गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 2.7.1997 को एअर इंडिया में 16 अनुसूचित जाति, 03 अनुसूचित जनजाति तथा 08 अन्य पिछड़ी जाति के प्रशिक्षु पायलट थे।

(घ) और (ङ) जी, हां। एअर इंडिया ने 44 प्रशिक्षु पायलटों के पदों को भरने के लिए 17.11.2002 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी तथा उसके बाद साक्षात्कार लिया गया जिसमें 04 अनुसूचित जाति तथा 01 अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार सफल हुए। अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना गया क्योंकि उसने कोई छूट प्राप्त नहीं की।

महाराष्ट्र में लायन सफारी की स्थापना

3981. श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में लायन सफारी की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित होंगे;

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सांगली शहर के समीप लायन सफारी स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया था और राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि राज्य में मौजूदा चिड़ियाघरों में आवासीय और स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करें।

भूतपूर्व कर्मचारियों का पुनर्नियोजन

3982. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअर लाइन्स के भूतपूर्व कर्मचारियों विशेषकर प्रोबेशनरी विमान परिचारिकाओं को विमान कंपनियों में पुनर्नियोजन में वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार नियुक्त विमान परिचारिकाओं की अर्हता, आयु नियुक्ति के आधार क्या हैं और उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या उन्हें नियमित नियुक्ति अथवा सावधिक नियुक्ति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति की अवधि क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के विचार से, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज

3983. श्रीमती रीना चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्यन के विकास हेतु उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उक्त पैकेज के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार का उत्तर प्रदेश में गोपशु पालन, कुक्कुट पालन तथा मात्स्यिकी के लिए किसी विशेष पैकेज का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभाग की चल रही योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गौ-हत्या

3984. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1994 के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसने ऐसे कार्यों को अवैध बना दिया था, के बावजूद भी बकरीद पर गाय और इसकी संतान का वध किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार गोपशु संरक्षण का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3985. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों को आज तक, स्थान-वार प्रदान किए गए अनुदान का क्या ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किसानों के लाभ के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सहायता प्राप्त करने वाले विशेषकर अग्रवानपुर केन्द्रों के लिए आवंटित धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच करने के बाद अग्रवानपुर (सहरसा) कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यप्रणाली, जो दयनीय स्थिति में है, को सुचारू बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों (के०वी०के०) को 895.14 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) बिहार राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जाते हैं। उनसे किसानों को प्रशिक्षण, विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण, अग्रपंक्ति के प्रदर्शन तथा खेत पर प्रशिक्षण देने सहित कार्यकलापों को शुरू करने की आशा की जाती है। जैसा कि इन एजेन्सियों द्वारा रिपोर्ट की गई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 1701 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 37,000 किसानों, ग्रामीण युवाओं और सेवारत कार्मिकों ने हिस्सा लिया। विभिन्न खेत परीक्षणों के अतिरिक्त कुल 1229 अग्रपंक्ति के प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।

अगवानपुर (सहरसा) के मामले में जांच-पड़ताल शुरू की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया जाता है जो इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आवश्यक है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान का कृषि विज्ञान केन्द्र वार विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	राशि
1	2	3
1.	मुंगेर	49.06
2.	दरभंगा	51.51
3.	वैशाली	53.07

1	2	3
4.	बेगुसराय	70.82
5.	सहरसा	48.71
6.	नालंदा	66.04
7.	बांका	51.91
8.	पटना	58.77
9.	शेखपुरा	52.92
10.	मुज्जफ्फरपुर	57.61
11.	भोजपुर	93.11
12.	नवादा	77.93
13.	भाबुआ	47.39
14.	जामुई	52.8
15.	मधुबनी	63.49
	कुल	895.14

[अनुवाद]

भू-जल स्तर संबंधी सर्वेक्षण

3986. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, सांखिया की समस्याओं से प्रभावित असुरक्षित क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी०जी०डब्ल्यू०बी०) द्वारा कराये गए भूमि जल की गुणवत्ता संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार देश में विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों में कुछ भागों में भूमि जल में काफी मात्रा में फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक पाया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि कर्नाटक के कोलार जिले में लगभग 13% नमूनों में औसत से अधिक फ्लोराइड तथा 25% नमूनों में औसत से अधिक नाइट्रेट की मात्रा है।

स्वच्छ पेयजल के प्रावधान की योजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड इस दिशा में राज्य सरकारों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने जल की गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की है। अत: सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

मक्का का उत्पादन

3987. श्री दानवे रावसाहेब पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वर्ष वार कितने मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन हुआ;

(ख) इस राज्य में कुल कितने भूमि क्षेत्र पर मक्का की खेती होती है; और

(ग) इस राज्य से इस समय वर्ष-वार कितनी मात्रा में मक्का का निर्यात किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मक्का का कुल उत्पादन तथा मक्का की खेती के तहत कवर किए गए कुल क्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(क्षेत्र हैक्टे० में)
(उत्पादन मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन	क्षेत्र
1998-99	511400	278400
1999-00	433000	281000
2000-01	223000	262500

(ग) विदेश व्यापार महा-निदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, जो विदेश व्यापार के लिए संबंधित नोडल विभाग/मंत्रालय है, द्वारा मक्का के निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, अप्रैल 1999 से जून 2002 तक की अवधि के दौरान, वर्ष-वार, मूल्य के साथ भारत से मक्का बीज तथा अन्य मक्का के कुल निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क. मक्का बीज

वर्ष	मात्रा कि० ग्राम में	मूल्य रु० में
1999-00	1103580	47062905
2000-01	2848596	93716403
2001-02	15981400	338429043
अप्रैल 02 – जून 02	3198190	27172245

ख. अन्य मक्का

वर्ष	मात्रा कि० ग्राम में	मूल्य रु० में
1999-00	168000	1529137
2000-01	29615560	179154418
2001-02	97522744	572789700
अप्रैल 02 – जून 02	16497160	84007548

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर पार्किंग शुल्क

3988. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर कारगो परिसर और न्यू कस्टम हाउस में वाहन खड़े करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न सूची दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यातकों को अपने आयात-निर्यात कार्य करने के लिए एक दिन के दौरान कई बार आने के समय कारगो परिसर और न्यू कस्टम हाउस में हर बार प्रवेश करने के लिए कई गुना पार्किंग शुल्क देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो काम्पलेक्स तथा न्यू कास्टम हाउस पर वाहनों के सिंगल इन्ट्री तथा 4 घंटे तक स्कूटर/मोटर साईकिल के लिए 10/-रु०, कार/वैन/जीप के लिए 30/-रु० तथा सभी एजेंसियों के वाणिज्य वाहनों, निजी बस/टेम्पो/ट्रक/भारी वाहन के लिए 50/-रु० पार्किंग शुल्क है।

कार्गो काम्पलेक्स तथा न्यू कस्टम हाउस पर बहुउद्देशीय पार्किंग सुविधा उपलब्ध है जिसे निर्यातक कार पार्क ठेकेदार से प्रत्येक वाहन के लिए एक माह के लिए पास खरीद सकते हैं।

[हिन्दी]

खादी विक्रय केन्द्रों का खोला जाना

3989. डा० बलिराम : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख बाज़ारों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विक्रय केन्द्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन बाजारों में उक्त विक्रय केन्द्र नहीं हैं उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बाजारों में खादी के विक्रय केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के सभी राज्यों में अपने विक्रय केन्द्र नहीं हैं। राज्य, जिनके खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के विभागीय विक्रय केन्द्र नहीं हैं, वे हैं, नामश: आंध्र प्रदेश, अरूणालच प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, संस्थानों और निजी उद्यमियों को, अपने स्वयं के विपणन बाजारों/शोरूम्स के माध्यम से खादी उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करता है।

चेचर में विरासत स्थलों का संरक्षण

3990. श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पटना ने बिहार के वैशाली जिले में चेचर के विरासत स्थलों के संरक्षण और 10 अगस्त, 1999 और तत्पश्चात् 15 जनवरी, 2001 को संग्रहालय खोलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा चेचर के महत्वपूर्ण स्थानों को कब तक संरक्षित स्थल घोषित करने और वहां संग्रहालय खोलने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना मंडल ने वैशाली (बिहार) में चेचर स्थित प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। भूमि अनुसूचियों तथा स्थल मानचित्र के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। तथापि, स्थल संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रवासी पक्षियों की मृत्यु

3991. **श्री सुरेश पासी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रायगंज टाउन के निकट कुलिक पक्षी अभयारण्य में चक्रवात के कारण लगभग दस हजार प्रेमणशील पक्षी मर गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भविष्य में ऐसी संभाव्य घटना का सामना करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। इस अभयारण्य में, ओपल बिल स्टोर्कों की करीब 16,721 लाशें बरामद हुई और 24.9.02 व 25.9.02 को चक्रवात के बाद दफनाई गई। प्रजनन के समय, पक्षी व उनके चूजे, पेड़ों पर, घोंसलों में नाजुक स्थितियों में रहते हैं और तूफान के शिकार हो जाते हैं। तूफानों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने में वायु अवरोधक प्रभावकारी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल मल व्ययन परियोजना चरण-दो

3992. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल मल व्ययन परियोजना चरण-दो की संशोधित पहचान रिपोर्ट विश्व बैंक को अग्रेषित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार ने इस मामले को विश्व बैंक के साथ उठाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना

3993. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री राम मोहन गड्डे :
श्री अशोक चा० मोहोल :
श्री अम्बरीश :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 दिसम्बर, 2002 के 'दि हिन्दु' में "न्यू स्टैप्स प्लांट टू बूस्ट फार्म सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने ब्याज दरों में कमी लाने और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) सरकार द्वारा कृषि उपज चिन्हांकन समिति अधिनियम में परिवर्तन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सरल ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में किए गए उल्लेख के अनुरूप कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार बहुत सी नई पहल कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने तथा ब्याज की दरों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि वित्तीय कमी को देखते हुए इस समय ब्याज की दरें कम करना संभव नहीं है। किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

1. राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु इनका पुनर्गठन किया गया है तथा उन्हें पुन: पूंजी प्रदान की गई है।

2. किसानों को आसान तथा लचीला ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्डों की एक योजना शुरू की गई है।

3. सहकारी ढांचें का सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2002-03 के बजट में सहकारी ऋण संस्थानों को पुन: सक्रिय बनाने के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है।

4. किसानों को दिए गए 10,000/- रुपये तक के फसल ऋण/सावधिक ऋण के लिए मार्जिन धनराशि पर बल न देने हेतु बैंकों को कहा गया है।

5. बैंकों को 10,000/- रुपये तक के फसल ऋण के लिए समानान्तर जमानत/तीसरे पक्ष की गारंटी पर बल दने की आवश्यकता नहीं है। फसलों की भाराक्रान्ति को जमानत के रूप में लिया जा सकता है।

6. 10,000/- रुपये से ऊपर के ऋण के संबंध में मार्जिन जमानत से संबंधित मामले में बैंकों का अपना निर्णय होगा।

7. छोटे और सीमान्त किसानों के खाते में विकलित कुल ब्याज अल्पावधिक अग्रिमों के संबंध में मूल धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ङ) भारत सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) कृषि विपणन से संबंधित राज्य अधिनियमों में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय कृतक बल का गठन किया गया।

(ii) कृतक बल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए 27.9.02 को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है।

(iii) सुधारों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(च) जैसा कि उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में कहा गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

3994. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्यनिष्पादन उत्साहजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल के उत्साहवर्धक कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का विचार देश में अन्य इस्पात संयंत्रों के विस्तार और विकास की योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मंदी, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट, घरेलू बाजार में अधिक सप्लाई की स्थिति के कारण सेल को वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान क्रमश: 729 करोड़ रुपए और 1707 करोड़ रुपए की हानि हुई। तथापि चालू वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। इस अवधि के दौरान सेल ने अपनी कर पश्चात निवल हानि घटाकर 467 करोड़ रुपए कर ली जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 704 करोड़ रुपए की कर पश्चात निवल हानि हुई थी। मुख्य रूप से एन०एस०आर० में 12% की वृद्धि, मृदु इस्पात के उत्पादन और बिक्री में 8% की वृद्धि, पूंजी संबद्ध कम प्रभारों के कारण सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी लाभप्रदता में और सुधार करने के लिए लागत नियंत्रण अभियान पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करके जनशक्ति को युक्तिसंगत बना रही है।

(ग) और (घ) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन०एम०डी०सी०) नागरनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में 300,000 टन वार्षिक क्षमता का एक वाणिज्यिक कच्चा लौहा संयंत्र स्थापित कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वर्षा पर निर्भर कृषि

3995. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए एक व्यापक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है जो ऐसी योजनाओं का पहले ही क्रियान्वयन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 मार्च 2002 तक राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में एक राष्ट्रीय कृषि नीति का निरूपण किया गया जिसमें देश में वर्षा सिंचित खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पनधारा विकास कार्यक्रमों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित तथा समग्र विकास को वर्षा जल के संरक्षण, पनधारा आधारित वानस्पतिक उपायों तथा पनधारा समुदाय की सहभागिता से कृषि एवं कृषि वानिकी के माध्यम से बायोमास उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ख) और (ङ) जी, हां।

कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है :—

क. कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
2. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
3. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण।

ख. ग्रामीण विकास मंत्रालय

4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
5. मरूस्थल विकास कार्यक्रम
6. समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम

राज्यवार तथा स्कीम वार सहायता का ब्यौरा दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न पनधारा स्कीमों को प्रारम्भ से वर्ष 2001–02 तक प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	एनडब्ल्यूडीपी आरए	आरवीपी तथा एफपीआर	डब्ल्यूडीपी एससीए	डीपीएपी	डीडीपी	आईडब्ल्यूडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8379.617	7300.000	0.000	20807.000	4071.000	9718.470
2.	अरूणाचल प्रदेश	277.000	0.000	762.150	0.000	0.000	94.850
3.	असम	2701.387	598.150	680.000	0.000	0.000	2398.930
4.	बिहार	1870.433	4252.280	0.000	1684.000	0.000	482.000
5.	छत्तीसगढ़	1434.900	392.000	0.000	1381.000	0.000	945.770
6.	गोवा	153.563	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	12952.177	4575.500	0.000	6521.000	12303.000	4362.170
8.	हरियाणा	1041.518	1862.170	0.000	0.000	5237.000	573.660

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	2127.520	11400.150	0.000	1037.000	2836.000	3615.410
10.	जम्मू व कश्मीर	694.512	4105.640	0.000	1497.000	4985.000	969.490
11.	झारखण्ड	0.000	87.100	0.000	1569.000	0.000	424.580
12.	कर्नाटक	19390.165	11200.450	0.000	7668.000	3727.000	3163.460
13.	केरल	6372.900	2000.000	0.000	0.000	0.000	712.430
14.	मध्य प्रदेश	21560.513	20183.530	0.000	14091.000	0.000	4616.890
15.	महाराष्ट्र	26065.958	8215.400	0.000	10073.000	0.000	1781.380
16.	मणिपुर	1458.900	0.000	1880.000	0.000	0.000	1289.010
17.	मेघालय	948.550	0.000	1163.000	0.000	0.000	297.650
18.	मिजोरम	3100.670	107.030	2821.330	0.000	0.000	983.230
19.	नागालैण्ड	2891.900	0.000	3056.000	0.000	0.000	3736.300
20.	उड़ीसा	10543.822	4431.030	0.000	2736.000	0.000	3162.440
21.	पंजाब	679.660	579.610	0.000	0.000	0.000	426.480
22.	राजस्थान	32870.840	19296.130	0.000	3950.000	35445.000	4133.220
23.	सिक्किम	1294.910	1290.050	0.000	0.000	0.000	1619.070
24.	तमिलनाडु	11451.611	6825.470	0.000	5335.000	0.000	2777.630
25.	त्रिपुरा	1523.290	415.250	989.310	0.000	0.000	260.230
26.	उत्तर प्रदेश	16880.217	18234.700	0.000	8261.000	0.000	7800.320
27.	उत्तरांचल	1649.230	8100.500	0.000	835.000	0.000	705.040
28.	पश्चिम बंगाल	4053.475	3449.990	0.000	1180.000	0.000	432.000
29.	डीवीसी	0.000	9819.280	0.000	0.000	0.000	0.000
30.	दादर व नगर हवेली	16.315	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	दमन व द्वीव	2.315	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	अडमान व निकोबार द्वीपसमूह	330.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दिल्ली	0.000	86.750	0.000	0.000	0.000	250.000
34.	चण्डीगढ़	0.000	95.270	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	हैड क्वार्टर	0.000	207.370	0.000	0.000	0.000	0.000
36.	अन्य	0.000	0.000	0.000	52.000	15.000	0.000
	योग	194717.868	149110.800	11351.790	88677.000	68619.000	61732.110

*इसमें डीवीसी की इतनी ही राशि शामिल है।

एनडब्ल्यूपीआरए – वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरबीपी तथा एफपीआर – नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

डब्ल्यूडीपीएससीए – झूम खेती वाले क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजना

डीपीएपी – सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

डीडीपी – मरूस्थल विकास कार्यक्रम

आईडब्ल्यूडीपी – समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट को नामंजूर किए जाने की मांग

3996. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठनों ने द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट को नामंजूर करने की मांग की है, जैसा कि 30 नवम्बर, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित समाचार में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। आम तौर पर श्रमिक संघों ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों का विरोध किया है जिनमें से मुख्य छंटनी, जबरी छुट्टी एवं बंदी हैं। तथापि, उन्होंने इस मामले में और विचार-विमर्श करने का भी सुझाव दिया है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न सामाजिक भागीदारों के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। सिफारिशों पर भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र में और 07-08 नवम्बर, 2002 को आयोजित असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय सेमिनार में चर्चा की गई थी। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए फरवरी, 2003 माह में त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एन्टिबायोटिक दवाइयां

3997. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरे विदेशों में निर्यात की जाने वाले अपनी मछलियों को रोगमुक्त रखने के लिए एन्टिबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परिणाम यह हुआ है कि यूरोप, अमेरिका, जापान को निर्यात किए जाने वाले भारत के मत्स्य उत्पाद को नकार दिया गया है और इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ग) क्या इससे भारत के मछली निर्यातकों को आर्थिक नुकसान हुआ है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का है जिससे कि विश्व बाजार में भारत के मत्स्य उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) विभिन्न संगठनों द्वारा एंटीबायोटिक के दुरूपयोग के खिलाफ

अभियान चलाने से पहले जल कृषि फार्मों में रोग की घटनाओं से निपटने के लिए झींगा पालकों द्वारा एंटीबायोटिकों का प्रयोग किया गया था।

(ख) और (ग) एंटीबायोटिक अवशेष मसलों के कारण निर्यातकों को समस्याएं हुई हैं क्योंकि यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों को रेड अलर्ट पर रखा है अर्थात प्रतिबंधित एंटीबायोटिकों की उपस्थिति के लिए प्रत्येक खेप का 100 प्रतिशत परीक्षण जिसके कारण कुछ खेपों को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार रद्द की गई खेपों के कारण हुई राजस्व हानि का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को पूरा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप देश में प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

दमन और दीव के नागोवा में सैल बोट

3998. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागोवा में कैटार मारैन सेलबोट के अनुमोदन के लिए संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान नागोवा में केटामारन सेल बोट परियोजना के लिए, 3.20 लाख रु० की केन्द्री वित्तीय सहायता के प्रावधान को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक आधार पर देश में 6 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ सघन समन्वय और भागीदारी से अन्तिम रूप दिया जाएगा और विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, यह प्रस्ताव है कि दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र सहित प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष, समग्र विकास हेतु एक प्रमुख गंतव्य स्थल अभिनिर्धारित किया जाए। नई योजना के तहत, वर्ष 2002-2003 के लिए दमन व दीव सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

हज यात्रा संबंधी घोटाला

3999. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने उनके मंत्रालय को सौ करोड़ रुपए से भी अधिक के हजयात्रा संबंधी घोटाले के मामले में कोई नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त नोटिस की प्रतिक्रिया में न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस घोटाले की किसी समिति से जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (च) कुल हिंद तंजीम, खुद्दामूल हुजाज द्वारा भारत सरकार के विरूद्ध एक सीविल लिखित याचिका दायर की गई जिसमें वर्तमान अध्यक्ष की कार्यावधि के दौरान सैंट्रल हज समिति के कार्यकलापों के प्रबंधन की जांच, एक प्रशासक की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में हवाईयात्रा किराए निर्धारित करने के लिए बातचीत करने की मांग की गई। विदेश मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय की ओर से एक संयुक्त उत्तर को न्यायालय में पेश करा दिया गया है। मामला अभी विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अनियमित नियुक्ति

4000. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 2002 के *एशियन एज* के *टैलेन्ट डिसकवर्ड इन मिस्ट्रेस रूडी* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी प्रक्रिया/मानदंड का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। एक समाचार के शीर्षक में श्रीमती नीलम प्रताप रूडी, विमान परिचारिका, इंडियन एयरलाइंस को पक्षपात का आरोप लगाया गया है कि :–

– सहायक प्रबंधक (उड़ानगत सेवाएं) के पद को भरने की चयन प्रक्रिया।

– एलायंस एयर में उनकी प्रतिनियुक्ति।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाबूपुर इस्पात संयंत्र

4001. श्री रामानन्द सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों का विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना जिले में चल रहे बाबूपुर इस्पात संयंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाबूपुर इस्पात संयंत्र को बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संयंत्र में पचुर मात्रा में उपलब्ध उच्च ग्रेड वाले स्टोन की ढुलाई के लिए चार वर्ष पूर्व लगभग दस करोड़ रुपए की लागत वाली रेल लाइन बिछा दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र को किसी षडयंत्र के तहत बंद कर दिया गया है जिसके कारण हजारों श्रमिक रोजगार विहीन हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) बाबूपुर, सतना में कोई इस्पात संयंत्र नहीं है। वहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कच्चा माल प्रभाग की केवल एक निजी चूना पत्थर खान है। खनन प्रचालन स्थगित है, तथापि खान को बंद नहीं किया गया है। चूना-पत्थर में सिलिका अंश अधिक होने के कारण इस्पात संयंत्रों द्वारा कम माल उठाया जा रहा है। इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पश्चात इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकी बदलने के फलस्वरूप कम सिलिकायुक्त चूना-पत्थर की आवश्यकता है।

(घ) से (च) 10 करोड़ रुपए की लागत की कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई। 35 बॉक्स सी वैगनों के रैक के लदान के लिए 1967 से रेल लाइन उपलब्ध थी। रेलवे की प्रचालनात्मक समस्या, उनकी सुरक्षा अपेक्षा तथा 35 बॉक्स सी रैक सप्लाई करने के लिए उनकी मांग के कारण 58 एन बॉक्स वैगन को समायोजित करने के लिए रेलवे लाइन को बदला जाना था। लाइन बदलने की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए से कम है।

जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है, खनन प्रचालन स्थगित है। अत: षड्यंत्र का प्रश्न नहीं उठता। कामगारों/श्रमिकों की पुन: तैनाती की गई है अथवा उन्हें गोल्डन हैंड शेक (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना) का विकल्प दिया गया है।

[अनुवाद]

पुतले को जलाए जाने से स्मारकों को नुकसान

4002. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विजयदशमी उत्सव के दौरान दक्षिण दिल्ली में दरिया खान लोहानी के संरक्षित स्मारक के आस – पास पुतले जलाए गए थे;

(ख) क्या ऐसी गतिविधियों से ऐतिहासिक महत्व के इस स्मारक को नुकसान पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरणों द्वारा इस संबंध में किसी निवारात्मक उपाय को पहल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, स्मारक को कोई क्षति नहीं हुई।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मामले की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट की थी।

गोहत्या पर प्रतिबंध

4003. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री बृजलाल खाबरी :
योगी आदित्यनाथ :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोहत्या के कारण गायों की कुछ भारतीय प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या सरकार देश में गोहत्या के मसले पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या बकरीद के अवसर पर स्थिति का मौके पर मुआयना करने के लिए वर्ष 2001 में कोई इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन्क्वायरी टीम गठित की गई थी;

(ङ) क्या उक्त टीम को इस बात का साक्ष्य मिला था कि बिहार के कई स्थानों में गायों के बच्चों को बेच दिया जाता है और उन्हें पश्चिम बंगाल लाया जाता है और फिर तस्करों के माध्यम से वहां से बांग्लादेश भेज दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और मवेशियों की पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में तस्करी पर रोक लागने हेतु अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोई योजना बनाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गायों की अवैध हत्या और एक राज्य से दूसरे राज्य में, विशेषकर केरल और पश्चिम बंगाल में, गोमांस को भेजने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि-15 में दिया गया है।

(घ) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 2001 में एक कार्य बल गठित किया है जिसने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) किसानों, विनियमित गोपशु विपणन समिति, गोपशु विक्रताओं, व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, जांच चौकियों के साथ साक्षात्कारों तथा कार्यबल द्वारा अन्य पशु क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप यह पता लगता है कि इस बात का प्रमाण था कि बिहार के बहुत स्थानों से गाय की संतति को पश्चिम बंगाल में बेचा जाता है तथा वहां से उसे बंगला देश ले जाया जाता है।

(च) और (छ) गो मांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है। बंगला देश तथा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो कि गो पशुओं की तस्करी को भी रोकते हैं।

(ज) अधिक प्रभावीकारी ढंग से गोवंश की अवैध ढुलाई पर रोक लगाने, पशु क्रूरता पर रोकथाम के लिए, पशु ढुलाई संशोधन नियमावली, 2001 द्वारा पशु ढुलाई संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने गो-हत्या पर रोक लगाने के संबंध में नियम बनाए हैं। इसके अलावा, ऐसे नियम हैं जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य तक गोपशु की ढुलाई के लिए लागू किया जाता है।

गुजरात में किसानों को सिंचाई सुविधा

4004. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में भूजल का स्तर अत्यधिक नीचे हो जाने के कारण वहां के सूखे क्षेत्रों, अर्थात् कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार की नर्मदा नदी का पानी गुजरात को देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ निगरानी केन्द्रों के माध्यम से गुजरात राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर की नियमित निगरानी करता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से उत्तरी गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र सहित गुजरात के विभिन्न भागों में भूजल

के स्तर में गिरावट और उसके परिणामस्वरूप होने वाली सिंचाई समस्या का पता चला है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संसाधनों को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के सृजन की कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तदनुसार, गुजरात सरकार, राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन परियोजनाओं में से 17 निर्माणाधीन और 14 नई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं गुजरात के अन्य जिलों सहित जल की कमी/सूखा प्रवण जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। देश में काफी समय से लंबित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और पहले से किए गए निवेशों से शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते भारत सरकार ने 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत सरदार सरोवर परियोजना सहित गुजरात में नवम्बर, 2000 तक 14 वृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए 2166.85 करोड़ रुपये राशि का कराए गए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने गुजरात के कच्छ जिलें में नलकूपों के निर्माण के अलावा गुजरात में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग प्रारंभ की है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के सभी सफल अन्वेषणात्मक कुओं को राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव किया जा रहा/दिया जा रहा है। सितम्बर, 2002 तक 404 सफल कुओं में से 125 कुओं को उपयोग के लिए राज्य सरकार को सौंपा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 240 कुओं को भी गुजरात सरकार को देने का प्रस्ताव किया गया है जिन्हें अभी उनके द्वारा स्वीकार किया जाना है। नौवीं योजना के दौरान देश में "भूजल का पुनर्भरण" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का भी कार्यान्वयन किया गया था। इस स्कीम के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के लिए तीन परियोजनाओं को अनुमोदित किया था। दसवीं योजना में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए इस स्कीम को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरदार सरोवर परियोजना निर्माणाधीन है और पूरा होने पर यह गुजरात राज्य को नर्मदा नदी का जल उपलब्ध करायेगी। नर्मदा मुख्य नहर के माध्यम से लगभग 17.92 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकता है जिससे गुजरात के नौ और अन्य सूखा प्रवण जिलों में से कच्छ सहित गुजरात के 12 जिलों को लाभ पहुंचाएगा। यह नहर परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। नहर का चरण-I पूरा होने वाला है तथा नहर चरण-I (गुजरात का हिस्सा) के पूरा होने पर गुजरात में लगभग एक लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के तहत एक वर्ष के समय में नहर को पूरा करने के लिए नर्मदा मुख्य नहर चरण-I (गुजरात का हिस्सा) के लिए गुजरात को 94 करोड़ रुपये की 100% अतिरिक्त ऋण सहायता मुहैया कराई गई है।

पेप्सी कोला का आश्वासन

4005. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सी कोला ने आश्वासन दिया था कि वह कुछ राज्यों में संबद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से कृषि का व्यावसायीकरण के माध्यम से किसानों के लाभ हेतु काम करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेप्सी कोला अपने दिए गए आश्वासन से पीछे हट गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० शणमुगम) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय गायों में प्रोटीनयुक्त चारे से दुग्ध में वृद्धि

4006. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय गायों में प्रोटीन युक्त चारे से दुग्ध में वृद्धि की जानकारी है जैसाकि उन आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने घोषणा की है जिन्होंने भारत में तीन वर्षीय परियोजना पूरी की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) प्रोटीन युक्त चारे से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एक तथ्य है जिसके बारे में बहुत पहले से वैज्ञानिकों, किसानों तथा दुग्ध उत्पादन प्रणाली में जो भी शामिल हैं, उन्हें इसकी जानकारी है। इस पहलू पर आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्' में कोई भी परियोजना परिचालन में नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आरक्षण

4007. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 से 2002 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त आरक्षित पदों (प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) वैज्ञानिक : वैज्ञानिक संवर्ग में सीधी भर्ती पर आरक्षण संबंधी निर्देश केवल आरंभिक ग्रेड अर्थात 8000-13500 रु० के वेतनमान के वैज्ञानिकों पर ही लागू होता है। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्देश पर वर्ष 1994 से विभिन्न श्रेणियों में विषयवार आरंभिक स्तर पर आरंक्षण किया गया है।

इस प्रकार परिषद की विभिन्न यूनिटों में आरंभिक स्तर पर वास्तविक रिक्त पदों पर ध्यान दिए बिना विषवार पदों को घोषित किया गया है। अत: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या को सुस्पष्ट नहीं किया जा सकता।

प्रशासनिक : अन्य पिछड़े वर्गों के वर्ष 1999 से 2002 के दौरान सात पद रिक्त है।

तकनकी : वर्ष 1999 से 2002 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के 20 पद रिक्त हैं।

(ख) और (ग) जहां तक वैज्ञानिक पदों के आरंभिक स्तर पर भर्ती का संबंध है परिषद द्वारा हर वर्ष कृषि अनुसंधान सेवा (ए०आर०एस०) परीक्षा आयोजित की जाती है तथा इसमें माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्देशों के अनुसार विषयवार आरक्षण किया गया है। परिषद ने सिर्फ आरक्षित वर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए तीन विशेष भर्ती अभियान भी आयोजित किए हैं।

तकनीकी तथा प्रशासनिक श्रेणी में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों सहित सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त पदों को व्यय प्रबंध पर व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(3)/ई० (सम०)/99, दिनांक 5-8-99 में दिए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध लगाने के कारण रिक्त पदों को भरा नहीं गया है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/8/2001-पी०आई०सी०, दिनांक 16.5.2001 में दिए गए आदेशों में यह प्रावधान है कि वार्षिक भर्ती योजना की कुल रिक्तियों का 1/3 सीधी भर्ती तक सीमित रखा जाए बशर्ते कि यह संख्या विभाग की कुल स्वीकृति संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक न हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिइन्वेन्ट इ०पी०एफ० इंडिया प्रोजेक्ट

4008. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "रिइन्वेन्ट इ०पी०एफ० इंडिया प्रोजेक्ट" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने और कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने संगठन को नया रूप देने और पटरी पर लाने के मिशन के साथ "री-इन्वैंटिंग ई०पी०एफ० इंडिया" परियोजना के माध्यम से आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया है, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं :

(i) भविष्य निधि के सदस्यों को पहचान के लिए स्थायी और विशिष्ट संख्या का आबंटन। इसे सामाजिक सुरक्षा संख्या कहा जाएगा।

(ii) दावों का 2-3 दिन में आनलाइन निपटान करने के लिए सभी भविष्य निधि कार्यालयों की नेटवर्किंग।

(iii) उपभोक्ताओं को किसी भी स्थान पर किसी भी समय सुविधा प्रदान करना।

(iv) अनुपालन की आनलाइन और मासिक आधार पर मॉनीटरिंग के लिए तंत्र विकसित करना।

(ग) यह प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है किन्तु इस अवस्था में इसके पूरी तरह से कार्य करने की कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पैरा-मेडिकल सोसाइटी ऑफ देलही के डिग्रीधारक

4009. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैरामेडिकल सोसायटी ऑफ देलही के एम०एल०टी० मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिग्री धारक सरकारी रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मेडिकल सोसाइटी ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त सोसाइटी को बंद करने का है; और

(ङ) उक्त डिग्रीधारकों के नियोजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सोसाईटी को ए०आई०सी०टी०ई० के क्षेत्राधीन किसी तकनीकी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) ए०आई०सी०टी०ई० अधिनियम में उन संस्थानों को बंद करने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है, जो ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रम नहीं चला रहे हैं। तथापि, ए०आई०सी०टी०ई० राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को परामर्श देती रही है कि वे उन संस्थानों/कार्यक्रमों में प्रवेश न लें जिन्हें ए०आई०सी०टी०ई० तथा अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के सतर्कता विभाग द्वारा छापा

4010. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में एअर इंडिया के सतर्कता विभाग द्वारा बैंकाक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विमानकर्मी पाए गए जो एअर इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे हुए थे;

(ग) कर्मचारियों के कब्जे में पाई गई सामग्रियों का वित्तीय मुल्य कितना था; और

(घ) की गई कार्यवाही/की जाने वाले कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) एअर इंडिया के सुरक्षा विभाग द्वारा बैंकाक हवाई अड्डे पर ए०आई० 309/25 ए०यू०जी०ओ०ओ० उड़ान की आकस्मिक जांच की गई थी और 7 कर्मी सदस्यों के पास 3437/- रुपये की एअर इंडिया परिसंपत्ति (प्रतिबंधित वस्तुएं) बरामद हुई। एअर इंडिया द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम ग्रेड में पदावनति और सेवानिवृत्ति के पश्चात पैसेज लाभों को रोकने की कार्रवाई की गई है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

4011. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, अमेरिका और अन्य एशियाई देशों से अधिसंख्य पर्यटक भारत भ्रमण मुख्यत: अपने डेंटल केयर के लिए आते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस देश का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है और कितने होटलों की बुकिंग हुई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ; और

(ग) अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी-डिप्लोमैटिक मिशनों के माध्यम से संभावित पर्यटकों को महत्वपूर्ण मल्टी मीडिया सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) डेंटल केयर के विशिष्ट प्रयोजन हेतु भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के संबंध में, पर्यटकों की संख्या, उनकी होटल बुकिंग तथा उनके द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित सूचना का संकलन नहीं किया जाता।

(ग) देश में विदेशी पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में, पर्यटन विभाग की वेबसाइट एवं मल्टी मीडिया सीडी रौम्स, जिनका वितरण भारतीय मिशनों तथा विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा किया जाता है, के माध्यम से विज्ञापन एवं संवर्धन अभियान चलाना सम्मिलित है।

कुल्टी वर्क्स का पुनरूद्धार और प्रचालन

4012. श्री विकास चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड, कुल्टी वर्क्स, स्पैन पाइप और कास्ट कमोडिटिस के प्रमुख उत्पादक के पुनरुद्धार के चल रहे क्रम को बंद कर देने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारी उपक्रम के अधीन कुल्टी वर्क्स के पुनरूद्धार और प्रचालन के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के लिए जून, 2002 में अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ इस्को के कुल्टी वर्क्स को बंद करना शामिल है। कुल्टी वर्क्स के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) के जरिए भारत सरकार से सहायतानुदान के रूप में वित्तीय सहायता से पृथक किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल में मानदण्डों का उल्लंघन करके किए जाने वाले निर्माण कार्य

4013. **डा० रामचन्द्र डोम :**
प्रो० ए०के० प्रेमाजम :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ए०एस०आई०" ने ताजमहल के पूर्वी गेट के प्रांगण में स्वागत कक्ष बनाने हेतु कोई निर्माण कार्य शुरू किया है;

(ख) क्या इस प्रकार के परिवर्तन से ताज के मूल डिजाईन में कोई परिवर्तन होगा;

(ग) क्या यह निर्माण मानुमेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत पूर्वी दरवाजा से सटे प्रांगण के वर्तमान तोरण-पथों में एक पर्यटक सुविधा सेवा केन्द्र बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई हेतु वर्षा जल का संग्रह किया जाना

4014. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत सिंचाई और अन्य प्रयोजनार्थ वर्षा जल को संचित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए वर्षा जल के भंडारण के वास्ते कोई ऐसी नई सकीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं वाले कई बांधों के पूरा होने पर 75 बी०सी०एम० की सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित होगी। भारत सरकार, वर्षा जल को उपयोग में लाने और कुछ चुनिंदा निर्माणाधीन स्कीमों को तेजी से पूरा करके सिंचाई क्षमता के त्वरित सृजन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को मदद देने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अधीन केन्द्रीय गठन सहायता मुहैया करा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अवस्थाओं की विचाराधीन सिंचाई/बहुउद्देश्यीय स्कीमों के पूरा होने पर 132 बी०सी०एम० की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित होन की संभावना है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण तथा छत के वर्षा जल के संचयन द्वारा वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है।

दीर्घकालिक उपाय के रूप में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है इसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले वाले बेसिनों को जल का हस्तान्तरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और

हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इससे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल-विद्युत आदि लाभ होंगे।

[अनुवाद]

फिशिंग हार्बर के लिए प्रस्ताव

4015. श्री के० मुरलीधरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोमिकोडे जिले के पोमिलैण्डी में फिशिंग हार्बर के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक मंजूर किए जाने और इसके लिए कब तक वित्तीय सहायता को स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने 23 करोड़ रुपए की कुल लागत से कोझीकोड जिले के कोईलैंडी में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता मांगी थी। राज्य द्वारा यथा प्रस्तुत कोईलैंडी में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के प्रस्ताव में ब्रेकवाटर, क्वेहाल, नीलामी हाल, ड्रेजिंग, भूमि खरीद, पहुंच और आंतरिक मार्गों, पार्किंग क्षेत्र, तथा अन्य सहायक सुविधाओं के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रस्ताव की जांच के बाद राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह चल रहे नमूना अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद यदि आवश्यकता हो तो, संशोधित ढांचागत डिजाइनों, तथा (1) प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता (2) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने और (3) परियोजना की 50 प्रतिशत पूंजी लागत के हिस्से को वहन करने के लिए राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान रहने जैसी बातों की पुष्टि के साथ पुष्ट तथा सही लागत अनुमान के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। चूंकि राज्य सरकार ने अभी मांगे गए उक्त प्रसताव को नहीं भेजा है अत: परियोजना की स्वीकृति की संभावित अवधि और उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में इस स्तर पर संघ सरकार कुछ नहीं बता सकती।

पशुपालन और डेयरी संबंधी कार्य दल की सिफारिशें

4016. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के लिए योजना आयोग के पशुपालन और डेयरी संबंधी कार्य दल की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दसवीं योजना के लिए पशुपालन एवं डेयरी संबंधी कार्यदल का गठन योजना आयोग द्वारा बलित क्षेत्रों का पता लगाने तथा दसवीं योजना के लिए पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के लिए किया गया था। इस कार्य दल की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा गठित विभिन्न दलों तथा समितियों ने विचार किया है। तथापि, चूंकि दसवीं योजना अभी अनुमोदित की जानी है, अत: यह बताना संभव नहीं है कि कार्यदल की सिफारिशों को कितनी स्वीकृति मिलेगी।

रंगचित्रों का प्रलेखन

4017. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के रजा पुस्तकालय में 14वीं शताब्दी के विभिन्न कला विद्यालयों के लगभग 4000 लघु रंग चित्र और बड़े रंग चित्र मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके प्रलेखन और संरक्षण के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं और उन्हें मुद्रित रूप में उपलब्ध कराने के लिए भी क्या कोई कदम उठाए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) लघु रंगचित्रों के फोटो प्रलेखन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। साथ ही इन रंगचित्रों की प्रतिकृतियों का कमवीक्षण तथा डिजटीकरण किया गया है। 1995 से 157 क्षतिग्रस्त लघु चित्रों तथा चित्रों का वैज्ञानिक तरीके से पुनरूद्धार किया गया है। रामपुर रजा पुस्तकायल ने अभी तक 218 चुनिंदा लघु चित्र प्रकाशित किए हैं। अकबर के 'तिलिस्म' शीर्षक एलबम के 157 रंगचित्रों के एक और सूचीपत्र का कार्य पूरा किया गया है और यह प्रकाशन के लिए तैयार है। संरक्षण, परिरक्षण, प्रलेखन तथा प्रकाशन से संबंधित कार्य एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता

4018. श्री रामजीलाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नब्बे के दशक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1999-2000 के दौरान अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का राज्य-वार कितना योगदान रहा; और

(ग) कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में पशुपालन सहित कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 1990-91 में 1,45,734 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 4,21,396 करोड़ रुपये हो गया है। बहरहाल, इस अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी 28.5 से घटकर 24.0 रह गयी है। वर्ष 1990-91 से वर्ष 1999-2000 तक के लिए वर्तमान मूल्यों पर राज्यीय सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य-वार संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी समय के साथ-साथ कम हो रही है।

विवरण

1990-91 तथा 1999-2000 के वर्षों में वर्तमान मूल्यों पर राज्यीय सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन सहित कृषि क्षेत्र की राज्य-वार प्रतिशतता

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990-91	1999-2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	34.6	25.4
अरूणाचल प्रदेश	30.3	29.5
असम	33.5	34.3
बिहार	37.7*	36.0**
झारखण्ड	एन०ए०	20.9
गोवा	12.8	6.9
गुजरात	25.2	14.7
हरियाणा	43.4	32.9
हिमाचल प्रदेश	26.5	21.7
जम्मू व कश्मीर	29.4	26.4
कर्नाटक	31.2	27.2
केरल	26.6	19.3
मध्य प्रदेश	34.8*	31.8**
छत्तीसगढ़	एन०ए०	20.0
महाराष्ट्र	19.4	14.4
मणिपुर	32.9	22.5
मेघालय	23.1	23.2
मिजोरम	21.4	20.0
नागालैण्ड	23.4	24.0
उड़ीसा	29.7	31.8
पंजाब	43.6	39.8
राजस्थान	42.7	27.8
सिक्किम	41.5	24.6
तमिलनाडु	17.8	14.8
त्रिपुरा	35.3	26.3
उत्तर प्रदेश	40.1*	33.8**
उत्तरांचल	एन०ए०	एन०ए०
पश्चिम बंगाल	26.1	26.4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	31.6	21.6
चण्डीगढ़	एन०ए०	1.4

1	2	3
दिल्ली	4.1	1.6
पांडिचेरी	8.3	5.1

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

टिप्पणी : *अविभाजित राज्यों से संबंधित अनुमान

**विभाजित राज्यों से संबंधित अनुमान

एन०ए० : उपलब्ध नहीं

प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण

4019. **श्री शिवाजी माने :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश नगरों का प्रदूषण भयावह स्थिति तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे नगरों में प्रदूषण का स्तर कितना है;

(ग) उक्त नगरों की जनसंख्या में वृद्धि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बड़े-बड़े नगरों में प्रदूषण स्तर को कम करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालयों को छोटे नगरों में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् संतुलित विकास सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण हेतु छोटे नगरों में कितने सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए परिवेशी वायु गुणता मूल्यांकनों के आधार पर अधिकांश नियामक प्रदूषकों को निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया है। कुछ विशेष अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रदूषक मानकों से अधिक पाए गए हैं। सात शहरों के संबंध में ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। वाहनजनित उत्सर्जन मानदंडों को कड़ा बनाना, ईंधन गुणता में सुधार, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों, मलजल शोधन संयंत्रों सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रणनीति में नियामक और प्रोत्साहनात्मक उपाय एिक गए हैं ताकि वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लग सके जो औद्योगिक प्रदूषण वाहन जनित उत्सर्जनों और अन्य मानवीय कार्यकलापों द्वारा विभिन्न स्रोतों से होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में कोर सिटी में आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण को अभिनिर्धारित किया गया था जिसमें सरकारी कार्यालयों को उपग्रह शहरों में शिफ्ट करना भी शामिल है।

विवरण

शहर का नाम	2000			2001			2000 (जनवरी-अक्तूबर)		
	आरएसपीएम	एनओएक्स	एसओ 2	आरएसपीएम	एनओएक्स	एसओ 2	आरएसपीएम	एनओएक्स	एसओ 2
अहमदाबाद	197	25	8	198	36	10	161	36	9
बंगलैर	109	47	22	87	26	11	65	25	12
चेन्नई	63	15	8	66	11	7	38	8	6
दिल्ली	154	29	16	120	29	14	125	31	11
हैदराबाद	87	21	13	77	23	12	55	22	7
कोलकाता	121	30	14	102	66	16	104	69	10
मुम्बई	110	29	9	81	25	12	56	14	9

स्रोत : सीपीसीबी/एसपीसीबी/नीरी

[अनुवाद]

सेलम में अप्रयुक्त धावन पट्टी

4020. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तमिलनाडु में सेलम में एक अप्रयुक्त धावनपट्टी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक विमानपत्तन का निर्माण करने के उद्देश्य से इसका विकास करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सेलेम में कोई ऐसी हवाई पट्टी नहीं है जो बेकार हो।

(ख) और (ग) सेलम में एक प्रचालनात्मक एयरपोर्ट है। जिसका रख-रखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वहां पर केवल नान-शड्यूल्ड प्रचालकों तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने विमानों का प्रचालन किया जाता है, जिनमें वी०आई०पी० विमान भी शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अस्पतालों में संघात केन्द्र

4021. **श्री अम्बरीश** :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई०एस०आई०) ने उन अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें संघात केन्द्र स्थापित किए गये हैं;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में ई०एस०आई० के अस्पतालों में संघात केन्द्र की मंजूरी और स्थापना का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) अलग से संघात केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, कुछ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशिष्टता के तौर पर यह सुविधा उपलब्ध है।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, इन्दिरा नगर में 3.50 रुपये की लागत से एक संघात केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

जामनगर-दिल्ली उड़ान

4022. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और औद्योगिक संभावनाओं के मद्देनजर विभिन्न संगठनों की ओर से जामनगर और दिल्ली के बीच और दिल्ली से राजकोट, मादनगर और सौराष्ट्र तक सीधी उड़ान की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उड़ाने कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस पहले दिल्ली-उदयपुर-राजकोट तथा वापिसी मार्ग पर सप्ताह में तीन बार बी-737 सेवा प्रचालित करती थी। जिसमें राजकोट तथा दिल्ली के बीच प्रति उड़ान सवार होने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 25-30 यात्री थी इसलिए इस सेवा को बंद कर दिया गया।

देश के विभिन्न हिस्सों की विमान परिवहन सेवाओं की बेहतर व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग वितरण दिशा निर्देश (रूट डिस्पर्सल गाइड लाइंस) निर्धारित की है। निजी एयरलाइंस समेत सभी अनुसूचित एयरलाइंस सभी अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि ये प्रचालन मार्ग वितरण दिशानिर्देश (रूट डिस्पर्सल गाइड लाइंस) के अनुसार हो।

कृषि पर निर्भर जनसंख्या

4023. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और इससे संबंधित उद्योगों से देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका कमाती है;

(ख) कृषि आधारित उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रतिशत योगदान रहा;

(ग) क्या सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, कृषि कामगारों जो खेतीहर तथा कृषि मजदूर हैं, देश में कुल कामगारों का 58.4 प्रतिशत बैठते हैं।

(ख) वर्ष 2000-01 में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मात्स्यिकी तथा खाद्य उद्योग का क्षेत्र का प्रतिशत योगदान कुल सकल घरेलू उत्पाद का 27.3% था।

(ग) और (घ) बेहतर आजीविका मुहैया कराने के लिए सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से पूरे देश में पहले ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए गुंजाइश राशि (मार्जिन मनी) मुहैया कराई जाती है।

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत देश में 1,40,481 परियोजनाएं (अनंतिम) मंजूर की गई हैं तथा 14,42,128 रोजगारों (अनंतिम) का सृजन किया गया है।

अतिरिक्त रोजगार सृजन की अति आवश्यकता और अब तक कार्यक्रम के सफल अनुभव के दृष्टिगत, 10वीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् 31.3.2007 तक कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 10वीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 1250 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने का है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज बोर्ड

4024. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपलब्धता से किसान बहुत प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना के पश्चात् किस सीमा तक बीजों की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। किसानों की मांग पूरी करने के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता युक्त बीज पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

वनस्पति उद्यानों की स्थापना

4025. श्री एस० मुरूगेसन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में औषधीय पादप और वनस्पति उद्यानों की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पहचाने गये स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित स्थान पर उक्त उद्यानों की स्थापना हेतु अन्य क्या कार्रवाई की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सरकार ने औषधीय और वनस्पति उद्यानों की स्थापना के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिसूचना का गुम होना

4026. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जंतर-मंतर को संरक्षित स्मारक घोषित करने के संबंध में 1958 में जारी प्राथमिक अधिसूचना को ढूंढने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे संरक्षित स्मारक के रूप में जंतर-मंतर की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राथमिक अधिसूचना की अनुपलब्धता के कारण जंतर-मंतर के 100 मीटर के दायरे के भीतर जनपथ लेन पर ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रयासों को धक्का लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। दिनांक 3 मई 1957 की प्रारंभिक अधिसूचना का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तथापि, दिनांक 10 अक्तूबर, 1956 की प्रारंभिक अधिसूचना जिसका अधिक्रमण 3 मई, 1957 को जारी की गई

अधिसूचना द्वारा किया गया था और साथ ही दिनांक 6 जनवरी, 1958 की पुष्टि अधिसूचना, उपलब्ध हैं जो स्मारक को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार संरक्षित घोषित करती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ख), (घ) और (ङ) यह मामला अदालत में है।

महाराष्ट्र में नासिक, शिर्डी और शनी शिंगनापुर का नवीकरण

4027. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कुंभ मेला 2003 से पहले महाराष्ट्र के नासिक, शिर्डी और शनी शिंगनापुर के नवीकरण और सौन्दर्यीकरण हेतु कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 में इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक की सहायता से उक्त स्थानों पर नये होटल और पर्यटक यात्री निवास खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार में वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

4028. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने कुल उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत निर्यात कर रहा था और शेष 94 प्रतिशत उत्पादन की खपत घरेलू बाजार में ही हो रही थी;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने उत्पादों का निर्यात चीन और अन्य एशियाई देशों को करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के लाभार्थियों के लिए आवास सुविधा

4029. डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री अनन्त नायक :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण करने का निर्माय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कतिपय राज्यों से इस आशय के कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निवेदन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या दिल्ली में हडको की सहायता से 10,000 आवासों की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार मुंबई के कर्मचारी भविष्य निधि लाभार्थियों के लिए उक्त आवासों का निर्माण करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन आवासों का कब तक निर्माण कराये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय बोर्ड नामक त्रिपक्षीय निकाय ने 22.10.2002 को आयोजित अपनी 158वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए आवास योजना शुरू करने की सैद्धान्तिक

रूप में मंजूरी दी है। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, सस्ती दरों पर आवास/भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है जिसकी लागत सदस्य वहन करेंगे।

(च) से (झ) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए दिल्ली में बने बनाये मकानों/फ्लैटों के लिए हुडको और डी०डी०ए० के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है आवासों/फ्लैटों की वास्तविक संख्या कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं से प्राप्त अनुरोध पर निर्भर करेगी।

प्रस्तावित योजना के दायरे में देश भर के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाता आएंगे। इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

"रेहड़ी-पटरीवालों" के लिए चिकित्सा कल्याण योजना

4030. **श्री बृजलाल खाबरी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "रेहड़ी – पटरीवालों" के लाभ के लिए चिकित्सा/कल्याण योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) सरकार के पास फिलहाल केवल "रेहड़ी – पटरीवालों" के लाभ के लिए चिकित्सा/कल्याण योजना तैयार करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण हेतु एक व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें "रेहड़ी – पटरीवालों" को भी शामिल किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों को राहत

4031. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मछुआरों द्वारा उपयोग किए जा रहे उच्च आवृत्ति वाले रेडियो/सेटों/तट संचार स्टेशनों पर दूरसंचार मंत्रालय को देय रॉयल्टी और लाइसेंस फीस में छूट की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में मछुआरों को कितनी राहत प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) संचार मंत्रालय 50 से 60 कि०मी० भी. दूरी पर संचार के लिए प्रति संपर्क 4800/- रुपए प्रति वर्ष की रायल्टी तथा 100/- की लाइसेंस शुल्क लेता है। लेकिन मत्स्यन यानों के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में प्रति यान प्रतिवर्ष केवल 250 रुपए (कोई रायल्टी नहीं) जो बिल्कुल सामान्य है, मेरी टाइम मोबाइल स्टेशन को जारी करने के लिए लेता है।

[हिन्दी]

लंदन टर्मिनेटर सर्विस को पुन: आरंभ किया जाना

4032. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार वर्ष पहले बंद की गई लंदन टर्मिनेटर सर्विस को पुन: आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एयर इंडिया पहले ही दिनांक 13 जुलाई, 2001 से एक लंदन टर्मिनेटर सेवा प्रचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लंदन एयर इंडिया की सात दैनिक न्यूयॉर्क उड़ानों पर ट्रांजिट हॉल्ट है। इसके अलावा, शिकागो के लिए 3 उड़ानों की लंदन में हॉल्ट है। इस प्रकार लंदन के लिए कुल 11 साप्ताहिक प्रचालन हैं।

[अनुवाद]

विमान भाड़े में संशोधन

4033. **श्री बिक्रम केशरी देव :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली और अन्य स्थानों से भुवनेश्वर के लिए विमान भाड़े को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं

(ग) विमान भाड़े को कब तक कम किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। घरेलू विमानन उद्योग में किराये को रैगुलेट नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय

4034. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास धर्मपुरी, तमिलनाडु में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यालयों को कौन-कौन से क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल-मल व्ययन प्रणाली हेतु निगरानी समितियां

4035. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न नदियों विशेषकर पुरानी दिल्ली और नोएडा में यमुना नदी के लिए जल-मल व्ययन प्रणाली हेतु कोई निगरानी समितियां गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1999 तक जल-मल व्ययन प्रबंधन प्रणाली की निगरानी समिति के गठन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की प्रगति की निगरानी के लिए वर्ष 1987 से सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति कार्य कर रही है। समिति नदी कार्य योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का तकनीकी विश्लेषण और पुनरीक्षा करती है और साथ ही कार्यान्वयन में रही कमियों और अंतरालों का अभिनिर्धारण करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन में सुधार/शीघ्रता से पूरा करने के संबंध में सुझाव भी देती है।

1998 में सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में यमुना नदी में न्यूनतम बहाव न होने के कारण होने वाली प्रदूषण की समस्या का आकलन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। समिति यमुना नदी में न्यूनतम बहाव बनाए रखने के अपने प्रयासों के साथ-साथ स्थापित सीवेज प्रणालियों और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रस्तावित सीवेज प्रणालियों की पुनरीक्षा और निगरानी भी करती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित समितियां गठित की गई थीं।

पूर्वी दिल्ली की कालोनियों से सीवेज वहन और इसके शोधन के संबंध में एक जनहित-याचिका में शिकायतों पर विचार करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 6.1.1998 को श्री पी०के० कौल, पूर्व मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को 4.5.2001 को उक्त पी०के० कौल समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.9.2002 के आदेशों के अनुपालन में सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पी०के० कौल समिति रिपोर्ट की निगरानी का कार्य पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

व्यय सीमा में वृद्धि

4036. श्री दिलीप संघाणी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रति आई०पी० परिवार इकाई के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष व्यय की सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आई०आई०एम०), अहमदाबाद को व्यय की सीमा का अध्ययन करने और एक उपयुक्त अधिकतम सीमा का सुझाव देने का कार्य सौंपा है। इससे संबंधित रिपोर्ट फरवरी, 2003 तक प्राप्त होने की संभावना है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्णय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सूखा प्रभावित राज्य

4037. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित राज्यों की पहचान हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) सूखा प्रभावित राज्यों की सूची से केरल को हटाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने भू राजस्व अधिनियमों या राहत कोडों आदि में किए गए प्रावधानों के अनुसार, संबद्ध अधिनियमों/कोडों में निर्धारित सूखे संबंधी शर्तों को पूरा होने की स्थिति में सूखे की घोषणा करनी अपेक्षित होती है।

(ख) केरल सरकार ने हाल ही में राज्य के 10 जिलों के 40 तालुकों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों हेतु धनराशि

4038. श्री रामशकल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी संस्थाएं भारत में बाल श्रम और महिला श्रम परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) भारत सरकार स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठनों का बाल श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों के लाभार्थ कार्योन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषण कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विदेशी संस्थानों सहित किसी अन्य स्रोत से सहायता उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में, कुल सहायता राशि स्कीम में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। ऐसे संगठनों/संस्थानों का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

4039. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2000 में दूध के मूल्य में वृद्धि के बावजूद दिल्ली दुग्ध योजना का वार्षिक घाटा अब भी काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वित्तीय घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घाटे को कम से कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और गत छह महीनों के अनुमानित घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र की 60 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो बेकार पड़ी क्षमता के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना को विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान हुए घाटे और नुकसान का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(लाख रुपए में) (अनंतिम आधार पर)

वित्त वर्ष	घाटा	नुकसान	कुल नुकसान
2000-2001	780.25	1178.10	1958.35
2001-2002	0.34	1607.14	1607.48

नुकसान मुख्यत: बिके न दूध की अधिक वापसी तथा इसकी पुन: प्रसंस्करण लागत, चोरी, संयंत्र क्षमता का कम उपयोग, एफ०ए०टी० तथा एस०एन०एफ० नुकसान के कारण होता है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रहा है जैसे विपणन, परिवहन तथा संयंत्र संचालन और

नुकसान को कम करने के लिए समयोपरि भत्ते को कम करने, पदों को समाप्त करने, आदि जैसे मितव्ययी उपाय अपना रहा है। पहले 6 महीनों के लिए नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वार्षिक लेखें, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तैयार किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अप्रयुक्त संयंत्र क्षमता का उपयोग करने के लिए लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन के मदर डेरी दूध की कस्टम पैकेज़िंग करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने मदर डेरी के साथ एक समझौता किया है।

स्मारक सूची का संशोधन

4040. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान सूची के कई संरक्षित स्मारकों के अब अस्तित्व में न होने के तथ्य के मद्देनजर संरक्षित स्मारकों की सूची में संशोधन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पूर्णत: पुनर्गठन करने के संबंध में विचार कर रही है। इस पुनर्गठन में संरक्षित स्मारकों की पुरानी सूची की पुनरीक्षा शामिल है। जबकि सूची में कुछ स्मारक जोड़े जा रहे हैं, किन्तु कुछ स्मारक जो अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं और जो पिछले 20-30 वर्षों के दौरान निर्माण के कारण लुप्त हो गए हैं, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा।

कृषि विपणन

4041. श्री बी०एस० बसवराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पाद विपणन क्षेत्र में शुरू किये गये सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान एग्रीक्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत रोजगार पाने वाली ग्रामीण जनसंख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) इस विभाग द्वारा गठित कृषि विपणन सुधारों संबंधी एक अंतरमंत्रालयीय कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धी कृषि मंडियों को बढ़ावा देने, सीधे विपणन एवं ठेके पर कृषि कार्यक्रमों, मंडी शुल्क अवसंरचना के युक्तिकरण, गिरवी रखकर वित्तपोषण तथा गोदाम रसीद प्रणाली हेतु विधिक सुधारों से संबंधित सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों के कृषि विपणन के विषय से संबंधित मंत्रियों तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 27.09.02 को माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा की गई। कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार शुरू करने की आवश्यकता पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बीच आम सहमति थी। चूंकि कृषि विपणन का विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है, अत: उन्हें अपने राज्य के अनुकूल सुधार उपायों के कार्यान्वयन की सलाह दी गई। सुधारों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार करने तथा इस संबंध में कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति का गठन 13.11.2002 को किया गया है।

(ख) कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना की स्कीम भारत सरकार की किसी राजसहायता अथवा अनुदान सहायता के बिना विशुद्ध रूप से बैंकिंग क्षेत्र की स्कीम है, जिनके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) द्वारा 23.7.2001 को पुन: वित्तपोषण की घोषणा की गई। इस बैंकिंग स्कीम के वास्तविक क्रियान्वयन का मानीटरन बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के जरिए किया जा रहा है। तथापि, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस०एफ०ए०सी०) तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) इन कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

मैनेज, हैदराबाद के पास उपलब्ध सफलता की कहानी के संबंध में सूचना के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम अर्द्धवार्षिकी के दौरान 110 कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे।

(ग) जबकि उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, रोजगार प्राप्त ग्रामीण निम्नवर्ग की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा रहा है, तथापि, इसे माना जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 300 व्यक्तियों को इन कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करके लाभप्रद रोजगार प्राप्त हुए हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दिया जाना

4042. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले और दोषियों से कड़ाई से निपटा जाए ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारें असंगठित क्षेत्र के अधिकतर अनुसूचित नियोजनों में लगे कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, पुनरीक्षण एवं प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं।

जहां तक इस अधिनियम के प्रवर्तन का संबंध है, इसे दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में इसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से तथा राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए इन तंत्रों के निरीक्षक, प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब कभी उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता चलता है तब वे शिकायतों की जांच-पड़ताल भी करते हैं तथा नियोजकों को उनके द्वारा कम अदा की गयी मजदूरी की अदायगी करने की सलाह देते हैं। अधिनियम में चूककर्ता नियोजकों के विरूद्ध कानूनी एवं दांडिक उपबंध भी विहित हैं।

किसान समन्वय समिति

4043. श्रीमती प्रभा राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान समन्वय समिति ने खाद्यान्न खरीद में सरकार के एकाधिकार संबंधी वर्तमान नीति को समाप्त करने और कृषि में आंतरिक और बाह्य व्यापार पर सरकार के नियंत्रण समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल ने भी भंडारण में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खरीद पर राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने और खाद्यान्न भंडार के संबंध में के०सी०सी०उकी मांगों और एन०टी०एफ०ए० की सिफारिशों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) किसान समन्वय समिति का अन्य बातों के अलावा यह अभिमत है कि भारतीय किसान विश्व स्तर पर पहुंच सकते हैं यदि वे जबरदस्तीपूर्ण वसूलियों, सरकारी हस्तक्षेप एवं संस्थाओं के बंधन से मुक्त हों, सरकार की एकाधिकारवादी भूमिका और बिचौलियों की अनावश्यक श्रृंखला समाप्त कर दी जाए। इसका यह भी अभिमत है कि मण्डी सहायता व्यवस्था की पुनर्रचना करने तथा भारतीय खाद्य निगम के परिसमापन के माध्यम से सहायता तंत्र का निजीकरण करने के लिए यह सही अवसर है।

(ख) से (घ) कृषि विपणन सुधार के संबंध में एक अंतर्मंत्रालयी कार्यदल ने अन्य बातों के अलावा यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय भण्डारगृह निगम राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भण्डारगृह अभिकरण होने के कारण इसे प्रत्यायन अभिकरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यह एक आदर्श संस्था है। विनियमन के प्रयोजनार्थ भविष्य में किसी नई संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, क्योंकि पणधारी मानीटरन कार्य स्वयं नहीं कर सकते। यदि केन्द्रीय भण्डारगृह निगम को विनियमन निकाय बनाया जाए तो इसे भण्डारण क्षेत्र से हट जाना होगा। सरकार इस मुद्दे पर केन्द्रीय भंडारण निगम से परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लेगी। कार्य दल ने भण्डारगृह आवकों को व्यापार तथा व्यापार वित्तपोषण के महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि जिन्सों के लिए देश में पारक्रम्य भण्डारगृह आवक प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। गोदाम आवक को पारक्रम्यता का दर्जा देने के लिए पारक्रम्य लिखत अधिनियम में संशोधन अथवा विकल्पत: माल का बहु आदर्श परिवहन अधिनियम, 1933 के समान कोई नया केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने की सिफारिश की गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के बारे में कार्यदल ने खरीद से न्यूनतम समर्थन मूल्य का सह संबंध समाप्त करने के लिए किसी वैकल्पिक नीति पर विचार करने की सिफारिश की है, यदि कृषि जिन्सों के विपणन में निजी क्षेत्र की न्यायोचित भूमिका को बहाल किया जाना है। खरीद की वर्तमान व्यवस्था को गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ निधि लागू करने एवं किसानों में अच्छी औसत किस्म संबंधी मानदण्डों के प्रचार-प्रसार के माध्यम से सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई।

सुधारों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने एवं इस संबंध में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों को कारगर रूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों की एक स्थायी समिति का गठन दिनांक 13.11.2002 को किया गया है।

सरकार ग्रामीण गोदामों के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण की परियोजना देश में व्यक्तियों, किसानों, किसान/उत्पादक समूहों,

भागीदारी/प्रोप्राइटरी फर्मों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवा समूहों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियों, कृषि उपज मण्डी समितियों, विपणन बोर्डों तथा कृषि प्रसंस्करण निगमों द्वारा शुरू की जा सकती है। इस स्कीम के अंतर्गत, परियोजना पूर्ण हो जाने के बाद गोदाम के निर्माण की पूंजी लागत की 25% राजसहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्तियों के लिए राजसहायता 33.33% है।

(ङ) मौजूदा खरीद प्रणाली को समाप्त करने अथवा भारतीय खाद्य निगम के परिसमापन का कोई प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा खरीद नीति जारी रखी जाएगी।

विजाग इस्पात संयंत्र

4044. श्री वाई०वी० राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान विजाग इस्पात संयंत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्ष के मुकाबले आज की तिथि के अनुसार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) वर्ष के अन्त तक बिक्री में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) 2002-2003 के दौरान विजाग इस्पात संयंत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलना में नवम्बर, 2002 तक हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

मद	2002-2003 के लिए लक्ष्य	2002-03 (नवंबर, 2002 तक) में की गई प्रगति	2001-02 में उपलब्धि (नवंम्बर, 2001 तक)
तप्त धातु (हजार टन)	3400	2591	2220
तरल इस्पात (हजार टन)	3000	2212	1963
विक्रेय इस्पात (हजार टन)	2675	1953	1762
सकल मार्जिन (करोड़ रु०)	657.19	564.41	383.99
नकद लाभ (करोड़ रु०)	367.66	458.06	170.44
निवल लाभ (करोड़ रु०)	(-)101.81	147.64	(-)141.67
कुल बिक्री (करोड़ रु०)	4218	2773	2416

(ग) वर्ष के अंत तक बिक्री बढ़कर लगभग 4400 करोड़ रुपए होने की आशा है।

[हिन्दी]

स्मारकों/संग्रहालयों की स्थापना

4045. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन उद्योग के लाभ के लिये किन शहरों में संग्रहालयों/स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या राजस्थान में पुरातात्विक खोज, स्मारकों के नियमित संरक्षण और संरक्षा हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं है;

(ग) क्या राजस्थान में 18 राज्य संग्रहालयों और दो कला दीर्घाओं के नियमित संरक्षण और विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 35 स्थल संग्रहालय हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके संरक्षण में 3606 स्मारक तथा स्थल भी हैं।

(ख) स्मारकों के उत्खनन तथा संरक्षण के लिए बजटीय प्रावधान है।

(ग) और (घ) संस्कृति विभाग की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को अपने संग्रहालयों के विकास के लिए 28.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए थे। तथापि, यह समझा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इतना ही धन निर्मुक्त न किए जाने के कारण यह रकम प्रयोग में नहीं लाई जा सकी।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वीय संग्रहालयों की सूची

क्र०सं०	संग्रहालय का नाम
1	2
1.	अमरावती संग्रहालय, अमरावती (आन्ध्र प्रदेश)
2.	एहोल संग्रहालय, एहोल (कर्नाटक)
3.	बदामी संग्रहालय, बदामी (कर्नाटक)
4.	बीजापुर संग्रहालय, बीजापुर (कर्नाटक)

1	2
5.	बोधगया संग्रहालय, बोधगया (बिहार)
6.	चन्देरी संग्रहालय, चंदेरी (मध्य प्रदेश)
7.	चन्द्रगिरि संग्रहालय, चन्द्रगिरि (आंध्र प्रदेश)
8.	फोर्ट सेंट जार्ज संग्रहालय, चैन्नई (तमिलनाडु)
9.	ग्वालियर संग्रहालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
10.	हेलेविड्डू संग्रहालय, हेलेविड्डू (कर्नाटक)
11.	हजारदुआरी महल संग्रहालय, मुर्शिदाबाद, (पश्चिम बंगाल)
12.	भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला (दिल्ली)
13.	जगेश्वर संग्रहालय, जगेश्वर, (उत्तरांचल)
14.	काली बंगन संग्रहालय, कालीबंगन (राजस्थान)
15.	कमलापुर (हम्पी) संग्रहालय (कर्नाटक)
16.	कोंडापुर संग्रहालय, कोंडापुर (आन्ध्र प्रदेश)
17.	खजुराहो संग्रहालय, खजुराहो (मध्य प्रदेश)
18.	कोणार्क संग्रहालय, कोणार्क (उड़ीसा)
19.	लोथल संग्रहालय, लोथल (गुजरात)
20.	मुमताज महल संग्रहालय, लाल किला (दिल्ली)
21.	मत्तनचेरी महल संग्रहालय, कोचीन (केरल)
22.	नागार्जुन कोंडा संग्रहालय, नागार्जुन कोंडा (आंध्र प्रदेश)
23.	नालन्दा संग्रहालय, नालन्दा (बिहार)
24.	पुराना किला संग्रहालय, पुराना किला (नई दिल्ली)
25.	रत्नागिरि संग्रहालय, रत्नागिरि (उड़ीसा)
26.	रोपड़ संग्रहालय, रोपड़ (पंजाब)
27.	सांची संग्रहालय, सांची (मध्य प्रदेश)
28.	सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ (उत्तर प्रदेश)
29.	सलीमगढ़ संग्रहालय, लाल किला (दिल्ली)
30.	शेख चिल्ली का मकबरा संग्रहालय, कुरूक्षेत्र
31.	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला (दिल्ली)
32.	ताज संग्रहालय, आगरा (उ०प्र०)
33.	टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम (कर्नाटक)
34.	वेशाली संग्रहालय, वैशाली (बिहार)
35.	वेल्हा गोवा संग्रहालय, गोवा (गोवा)

[अनुवाद]

सुपारी की खरीद

4046. श्री विष्णु पद राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सुपारी की खरीद एम०आई०एस० के अंतर्गत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को भुगतान की शर्तें क्या हैं और क्या इसका कड़ाई से पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन द्वीप समूहों के उत्पादकों से अक्तूबर, 2002 के अंत तक कितनी मात्रा और मूल्य की सुपारी की खरीद की गई, उत्पादकों को कितना भुगतान किया गया और कितना भुगतान अब भी किया जाना है;

(ङ) क्या सुपारी की ताजा फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और एम०आई०एस० को जून, 2003 तक बढ़ाने के लिये किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस स्कीम का कार्यान्वयन संघ शासित क्षेत्र प्रशासन/उनके नामित अभिकरणों, अंडमान एवं निकोबार सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लि० (अनकोफेड) तथा इलोन हिनेन्गों लि० (ई०एच०एल०) द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के नियम एवं शर्तें विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण नैफेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 2002 के अंत तक 756.73 मी० टन सुपरी की खरीद की गई। खरीदे गए स्टाक का कुल मूल्य 4.16 करोड़ रुपये है। किसानों को 2.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा उन्हें शेष 1.49 करोड़ का भुगतान किया जाना है।

(ङ) और (च) सूचनानुसार नई फसल की कटाई शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक अंडमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्र से मंडी हस्तक्षेप स्कीम के विस्तार या नई मंडी हस्तक्षेप स्कीम के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

सं०एल०-15016/26/2001-एम०पी०एस०
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9 अगस्त, 2002

सेवा में

आयुक्त (कृषि),
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर – 744101 (फैक्स सं० 03192-33629)

विषय : वर्ष 2002-03 के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सुपारी की खरीद हेतु मंडी हस्तक्षेप स्कीम।

महोदय,

मुझे वर्ष 2002-03 के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुपारी की खरीद हेतु मंडी हस्तक्षेप स्कीम के लिए इस विभाग का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है जैसा कि नीचे दिया गया है :–

(i) सुपारी की खरीद 55 रुपये प्रति किलो के मंडी हस्तक्षेप मूल्य पर की जायेगी।

(ii) मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश के अभिनामित अभिकरण द्वारा 3250 मी० टन मात्रा की खरीद की जायेगी। तथापि, संघ शासित क्षेत्र अभिकरण/अभिकरणों द्वारा सुपारी की खरीद केन्द्रीय अभिकरण यथा नैफेड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जायेगी, जो संघ शासित क्षेत्र के अभिकरण/अभिकरणों के साथ खरीद से लेकर अंतिम निपटान तक कार्यों का सर्वेक्षण/समन्वयन करेगा।

(iii) कार्य की अवधि 1.6.2002 से 31.8.2002 जिसे 31.10.2002 तक बढ़ाया जायेगा, तक होगा।

(iv) उपर्युक्त कार्य हेतु अनुमत मंडी का ऊपरी खर्च 13.7 रुपये प्रति कि०ग्राम अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, होगा।

(v) खरीद अभिकरण द्वारा सुपारी की खरीद की गई मात्रा का निपटान अधिकतम वसूल की जाने वाली दर पर की जायेगी, ताकि सरकारी खाते में नुकसान को कम किया जा सके।

(vi) उपर्युक्त कार्य में होने वाले नुकसान को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समान अर्थात् 50:50 आधार पर शेयर किया जायेगा। तथापि सरकार खरीद लागत के 25% या वास्तविक नुकसान, जो भी कम हो, की सीमा तक मंडी हस्तक्षेप कार्य में हुई हानि का अपना शेयर वाहन करेगी।

(vii) स्कीम के अंतर्गत केवल अच्छी औसत गुणवत्ता की ही खरीद की जायेगी।

(viii) संघ शासित सरकार के परामर्श से खरीद अभिकरण द्वारा खरीद केन्द्रों/क्षेत्रों का निर्धारण किया जायेगा।

(ix) सहकारी समितियों, कृषक संगठनों अथवा किसानों से सीधे ही स्टाक की खरीद की जायेगी ताकि स्कीम का लाभ लेने में बिचौलियों की संभावना को समाप्त किया जा सके।

(x) खरीद किए गए स्टाक का खुले बाजार में निपटान किया जायेगा, यदि आवश्यक हुआ तो इसे संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रसंस्करण एककों को बेचा जा सकता है।

(xi) खरीद अभिकरण मंडी हस्तक्षेप स्कीम का कार्य समाप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर संघ शासित क्षेत्र की सरकार के जरिये इस विभाग को लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत होगा।

(xii) पुन: चक्रण से बेचने के लिए स्टाक को उसी संघ शासित क्षेत्र में नहीं बेचा जाना चाहिये जहां से इसकी खरीद की गई है, जब तक मंडी हस्तक्षेप स्कीम चल रही है तथापि यदि मूल्य बेहतर है तो इसे स्थानीय रूप से भी किया जा सकता है।

(xiii) खरीद अभिकरण/अभिकरणों ने यह अपेक्षित होगा कि वे खरीद, ढुलाई और निपटान पर किये गये खर्च की रिपोर्ट देने के लिए मानकीकृत प्रपत्रों पर व्यय विवरण प्रस्तुत करें।

(xiv) संघ शासित क्षेत्र की सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा अभिनामित अभिकरण स्कीम के अधीन किए गए क्रय तथा प्रचालित

मंडी मूल्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट इस विभाग को नियमित रूप से प्रस्तुत करें।

(xv) सामान्य मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत नैफेड को जल्दी खराब न होने वाले जिंसों के खरीद मूल्य पर 1.5% सेवा प्रभार का भुगतान किया जाता है। तथापि, इस कार्य में वास्तविक कार्य अंडमान निकोबार प्रशासन के अभिकरण/अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है और नैफेड स्टॉक के निपटान में पर्यवेक्षण, समन्वय और मदद करने का कार्य करता रहेगा।

ह०
(पी० सम्पत)
उप-निदेशक (सहकारिता)

पवन हंस में निवेश

4047. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पवन हंस हेलीकाप्टर के विदेश में परिचालन समेत बाकी परिचालन को सुदृढ़ करने हेतु कई बड़े निवेशों की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दक्षिण राज्यों में परिचालन हेतु कर्नाटक में पवन हंस केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिचालन कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नारियल जटा उत्पादकों के लिए बाजार विकास सहायता

4048. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा और उसके उत्पादों हेतु बाजार विकास सहायता देने के लिए केरल समेत कुछ राज्यों ने एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का इरादा नारियल जटा क्षेत्र के कम आय श्रेणी के मजदूरों की सहायता करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने अतिरिक्त धनराशि के आंबटन हेतु अनुरोध किया है और सरकार द्वारा उन्हें राज्यवार कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारें कॉयर बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई बाजार विकास सहायता योजना (एम०डी०ए०) का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) 2000-2001 से प्रारंभ की गई बाजार विकास सहायता योजना (एम०डी०ए०) शीर्ष सहकारी सोसाइटियों, केन्द्रीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों, कॉयर उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा कॉयर बोर्ड के शोरूम तथा सेल्स डिपोज को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०डी०ए० कॉयर उत्पादों, जिनमें कॉयर यार्न तथा सवसाइज्ड कॅयर वस्तुएं भी शामिल हैं, की औसत वार्षिक कुल बिक्री के 10% की दर पर प्रदान की जाती है। यह सहायता केन्द्र सरकार ओर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के मध्य 1:1 के आधार पर शेयर की जाती है।

(ग) लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

केरल	सं०
मैट्स और मैटिंग सोसाइटीज	8
कॉयर प्राथमिक सोसाइटीज	327
प्राथमिक कॉयर सहकारी सोसाइटीज	53
तमिलाडु	
कॉयर औद्योगिक सोसाइटियां	55

(घ) जी, हां।

(ङ) बाजार विकास सहायता अन्ततः कॉयर क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के कामगारों को लाभ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, महिला कॉयर योजना और ब्राउन सैक्टर का विकास योजनाओं के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के कामगारों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

(च) केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों में अतिरिक्त निधियों के आवंटन हेतु अनुरोध किया है। उनके दावों तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :–

(रु० लाख में)

राज्य	2000-2001			2001-2002		
	प्राप्त दावे	उद्दिष्ट एमडीए	जारी एमडीए	प्राप्त दावे	उद्दिष्ट एमडीए	जारी एमडीए
केरल	89.35	80.00	80.00	366.79	100.00	60.00
तमिलनाडु	38.55	30.00	30.00	37.39	25.00	25.00
कर्नाटक	36.26	25.00	–	42.32	25.00	–

पर्यावरण स्वास्थ्य प्रबंधन योजना

4049. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव देश में पर्यावरण स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के विकास का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक उठाये गये कदमों समेत ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर

4050. श्रीमती मिनाती सेन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिंदल समूह के अधिकारियों ने मिश्रधातु इस्पात संयंत्र की संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का दौरा किया था;

(ख) क्या जिंदल समूह का विचार मिश्रधातु इस्पात संयंत्र को खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या जिंदल समूह सेलम इस्पात संयंत्र का एकमात्र बोली दाता था और संयंत्र की एकीकृत प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु उन्हें मिश्रधातु इस्पात संयंत्र से प्राप्त उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जिंदल समूह ने मिश्र इस्पात संयंत्र (ए०एस०पी०), दुर्गापुर का दौरा किया था लेकिन ए०एस०पी० की संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पैलेस आन व्हील्स में ए०टी०एम० लगाया जाना

4051. श्री राम पाल सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में "पैलेस आन व्हील्स" में ए०टी०एम० लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फोटोग्राफरों को लाइसेंस

4052. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताज के भीतर फोटोग्राफी हेतु फोटोग्राफरों को लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले फोटोग्राफरों की संख्या कितनी थी और कितने फोटोग्राफरों को लाइसेंस जारी किये गये;

(घ) सफल फोटोग्राफरों द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दो वर्षों से भी अधिक समय से फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफरों की संख्या कितनी है;

(च) क्या इस संबंध में कोई अनियमितता जानकारी में आई है; और

(छ) यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) उस समय लागू पात्रता मानदण्डों के अनुसार, आवेदन को भारत का नागरिक और वयस्क होना चाहिए; और उसे फोटोग्राफी अवसंरचना से सुसज्जित प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो का मालिक होना चाहिए और वह उसे पांच वर्षों से अधिक अवधि से चला रहा हो; वह ताजमहल से 200 मी० की दूरी के अन्दर स्थित न हो किन्तु आगरा जिला में स्थित हो; तथा उस पर बिक्री कर एवं आयकर बकाया न हों, आदि।

सरकार ने अब 1 जनवरी, 2003 से उपर्युक्त पात्रता मानदण्डों में संशोधन करने; और फोटो स्टूडियों का मालिक होने की शर्त हटाने; और 5000/- रुपए के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर तीन वर्षों की अवधि के लिए संशोधित मानदण्डों को पूरा करने पर किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देने का निर्णय लिया है, किन्तु लाइसेंस के निबंधनों तथा शर्तों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(ग) लगभग 376 आवेदन प्राप्त हुए थे, और संवीक्षा के बाद, लगभग 120 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए थे। तथापि, नई व्यवस्था के तहत, जो 1 जनवरी, 2003 से लागू होगी, नए निबंधनों और शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति बेहिचक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमृतसर से महानगरों के बीच उड़ान

4053. श्री भान सिंह भौरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में अमृतसर से अन्य महानगरों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अमृतसर को अन्य महानगरों के लिए सीधी उड़ान द्वारा जोड़ने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस अमृतसर को दिल्ली से जोड़ती है। इंडियन एयरलाइंस की अनुमान के अनुसार, अमृतसर से अन्य महानगरों यथा मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि हेतु सीधी उड़ान आरंभ करने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में मत्स्योत्पादन में गिरावट

4054. श्री जी०जे० जावीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में मत्स्योत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में मत्स्योत्पादन में वृद्धि की काफी संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ में मत्स्योत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मानसून के दौरान कम बरसात के कारण 2000-2001 में मत्स्य उत्पादन 1999-2000 की तुलना में कम हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

(लाख मीट्रिक टन)

1999-2000	7.40
2000-2001	6.61
2001-2002	7.02

(ग) जी, हां। गहरे समुद्र क्षेत्र में।

(घ) मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :–

(1) बुनियादी ढांचे का विकास

- जखाऊ बंदरगाह का निर्माण
- ओखा तथा ढोलाई मात्स्यिकी के निर्माण की योजना

(2) 10 जून से 15 अगस्त, 2002 तक मत्स्यन पर प्रतिबंध को लागू करना।

(3) मत्स्यन के लिए प्रयुक्त डीजल पर बिक्री कर पर राजसहायता।

(4) जालों तथा नावों पर राजसहायता।

(5) मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

4055. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 2002 की तिथि के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच०एस०सी०एल०) की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) 1 अक्तूबर, 2002 की तिथि के अनुसार विभिन्न इकाइयों में इकाईवार कितनी अवधि से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है;

(ग) गत वर्ष के दौरान इकाईवार कितने मूल्य का कार्य किया गया और इस समय कितना कार्य बाकी है; और

(घ) इस कंपनी को अर्थक्षम बनाने और कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) 1 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच०एस०सी०एल०) की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और वह अवधि, जिससे उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, अनुलग्नक में दी गई है। विवरण में पिछले वर्ष इकाई-वार निष्पादित किए गए और इस समय चल रहे कार्य का मूल्य भी दर्शाया गया है।

(घ) इस उपक्रम को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने कंपनी की जनशक्ति में कमी करने और जनशक्ति लागत को नियंत्रित करने के प्रयास हेतु सहायता प्रदान की है। यह सहायता कंपनी में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए बैंकों से 250 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत सरकार की गारंटी के रूप में है। सरकार ने एच०एस०सी०एल०को अपने कर्मचारियों की बकाया धनराशियों का भुगतान करने के लिए मार्च, 2002 में 89.44 करोड़ रुपए की धनराशि भी निर्मुक्त की।

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

(लाख रुपए)

इकाई	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान कब से बकाया है	कारोबार 2001-02	1.12.2002 को शेष कार्य
1	2	3	4	5
कोलकाता कार्यालय	38	जून, 02 (4)	218	–
दिल्ली	24	जनवरी, 02 (9)	1032	1073
बोकारो	2565	जून, 00 (28)	2292	823
भिलाई	1592	अगस्त, 00 (26)	2754	541
दुर्गापुर	59	जुलाई, 99 (35) (अगस्त से नवंबर, 01 को छोड़कर)	96	125
राउरकेला	61	जून, 01 (16)	148	315
विजाग	375	अगस्त, 02 (2)	5949	2319

1	2	3	4	5
रांची	72	जून, 02 (4)	2548	4787
डुबुरी	55	जुलाई, 02 (3)	607	1079
कोलकाता (परियोजनाऐं)	34	जून, 02 (4)	1137	819
ऊंचाहार जोन	82	जुलाई, 02 (3)	1345	2420
हैदराबाद	29	अगस्त, 02 (2)	984	3866
कर्नाटक	27	अगस्त, 02 (2)	2349	3385
केरल	11	जनवरी, 02 (9)	163	2014
चेन्नई	15	अगस्त, 02 (2)	662	1233
बोलानी	4	अक्तूबर 99 (36)	0.90	शून्य
तल्चर	36	शून्य	1966	3179
पटना	36	अगस्त, 02 (2)	659	2974
कोरबा	17	अगस्त, 00 (26)	102	32
भोपाल	11	शून्य	590	1531
मुंबई	1	मई, 01 (17)	14	45
योग	5144		25616	32560

कोष्ठक में उन महीनों की संख्या दी गई है जिनसे भुगतान बकाया है।

तेंदुए का अवैध शिकार और निर्यात

4056. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वन विभागों ने तेंदुए के शिकार की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् कितने तेंदुए मारे गए;

(घ) क्या चीतों के निर्यात संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में जलस्तर में गिरावट

4057. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में जल स्तर में तेजी से कमी आने की समस्या से निपटने, जल संसाधन के परम्परागत स्रोतों को पुन: बहाल करने और जलसंचयन के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" या प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना की तर्ज पर कोई योजना शुरू करने और राजस्थान में अपेक्षित जल संचयन अवसंरचना हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना कब तक शुरू की जायेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राजस्थान में भूजल का स्तर ऊपर उठाने के लिए राजस्थान सरकार से वर्षा जल संचयन संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के पास इस समय ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसके तहत इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान राज्य सरकार को निधियां मुहैया कराई जा सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

होटलों में बछड़े के मांस की बिक्री

4058. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बछड़े के मांस पर प्रतिबंध के बावजूद सभी पंच सितारा होटल इसे खुले आम बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन होटलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) बछड़े के मांस के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने और इसे प्रवृत्त करने का विषय राज्य सरकारों के सीमाक्षेत्र में आता है। जहां तक देश के पांच सितारा होटलों में बछड़े के मास की बिक्री का सवाल है, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसी कोई सूचना नहीं है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

4059. श्री के० येरननायडू : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सर्वांगीण विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इसपात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, 1999 में भारत सरकार से आर०आई०एन०एल० (वी०एस०पी०) के संबंध में निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया था :–

i. संचित हानि का निपटान करना

ii. क्षमता विस्तार हेतु अनुमोदन

iii. धन जुटाने के लिए सरकारी गारंटी का प्रावधान

iv. कार्यशील पूंजी ऋण के लिए सरकारी गारंटी

उपर्युक्त सुझावों से युक्त एक विस्तृत प्रस्ताव उस समय सरकार के विचाराधीन था। तथापि, उस पर विचार करने पर उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस बीच, विनिवेश आयोग ने कंपनी की शेष साम्या की 51% से अनधिक साम्या को नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की पूरी संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की। सरकार एक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. संचित हानि को बट्टे खाते डालना

2. 500 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी के लिए भारत सरकार की गारंटी प्रदान करना और विनिवेश किए जाने तक मौजूदा ऋणदाताओं के पक्ष में भारत सरकार की गारंटी उपलब्ध करवाना/प्रदान करना।

3. अपने शेयरों के 51% शेयरों का भारत के राष्ट्रपति से नीतिपरक भागीदार/क्रेता को विनिवेश।

चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच सहमति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, अतः इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुनः नियुक्ति

4060. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलायंस एयर द्वारा अन्य विभागों, विमानन कंपनियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो एलायंस एयर में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एलाइंस एयर द्वारा कुल 49 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् कान्ट्रेक्ट पर नियुक्त किया गया है जिसमें 42 तकनीकी तथा 7 गैर-तकनीकी कर्मचारी हैं।

[अनुवाद]

नारियल जटा कॉयर का उत्पादन और निर्यात

4061. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा कॉयर संबंधी उत्पादों के निर्यात हेतु पूर्व में निर्धारित एम०ई०पी० को हटा देने के बाद से नारियल जटा कॉयर के निर्यात और उसके उत्पादन में कोई सुधार आया है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) इस सरकार का इरादा नारियल जटा कॉयर संबंधी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने हेतु इसे शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) कॉयर और कॉयर उत्पादों के उत्पादन/निर्यात का ब्यौरा, जो कॉयर एवं कॉयर उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में सुधार के संबंध में सूचित करता है, इस प्रकार है :–

वर्ष	कॉयर फाइबर का उत्पादन (मी०टन में)	कॉयर और कॉयर उत्पादों का निर्यात (मात्रा मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
2000-2001	3,64,000	67493.08	313.66
2001-2002	3,75,000	71334.81	320.58
2002-2003	3,90,000*	81000.00*	450.00*

*लक्ष्य

(ग) न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम०ई०पी०) के समापन का निर्णय, सम्मिलित विभिन्न मामलों पर विचार के पश्चात् कॉयर उद्योग के बृहत हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों और औषधीयगुण युक्त पादपों को बढ़ावा देना

4062. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जड़ी-बूटियों और औषधीय गुण युक्त पादपों को बढ़ावा देने हेतु किन-किन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है;

(ख) देश में इस संबंध में कौन-कौन से अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ग) गत वर्ष कितने प्रतिशत उत्पादन रहा है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा जड़ी-बूटियों एवं औषधीय गुणधर्म युक्त पौधों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा रहे हैं :–

1. कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – "कृषि का वृहद प्रबंध – कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें औषधीय एवं सुगंधिक पौधों के विकास सहित विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को अग्रता क्रम दे सकती हैं।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग द्वारा निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है :–

   (i) औषधीय पौधों के विकास एवं खेती से संबंधित केन्द्रीय स्कीम।

   (ii) औषधीय पौधों की खेती संबंधी कृषि तकनीकों से संबंधित केन्द्रीय स्कीम।

इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग ने औषधीय पौधों के विकास के पर्यवेक्षण हेतु एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है, जो औषधीय पाधों के विका के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

(ख) औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास में अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत अनुसंधान संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गत वर्ष जड़ी-बूटियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार वृहद प्रबंध स्कीम के अंतर्गत किसानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण दे रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 5460 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने वर्ष 2001-02 के दौरान औषधीय वनस्पति क्षेत्र में अधिकारियों/किसानों/संग्राहकों एवं अन्य पणधारियों के प्रशिक्षण के लिए 23 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

विवरण

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए कार्यरत अनुसंधान संस्थान

क. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान

1. राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान केन्द्र, आणन्द, गुजरात

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत औषधीय पौधों से संबंधित अनुसंधान निम्नलिखित अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है :–

(i) राष्ट्रीय पौध अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली

(ii) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आणन्द (गुजरात)

(iii) सी०सी०एस० हरियणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

(iv) डॉ० वाई०एस० परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

(v) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर (कर्नाटक)

(vi) कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

(vii) कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मन्दसौर (मध्य प्रदेश)

(viii) पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, आवला (महाराष्ट्र)

(ix) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

(x) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

(xi) केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लनिकारा (केरल)

ख. अन्य संस्थान

1. केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ
2. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
3. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
4. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
5. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशला, जोरहाट
6. हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर
7. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर
8. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे
9. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ
10. राष्ट्रीय पौध अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली
11. शीतोष्ण वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरूवनन्तपुरम
12. जी०बी० पन्त हिमालय, पर्यावरण संस्थान, अल्मोडा, उत्तरांचल

[अनुवाद]

नहरों के माध्यम से प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ना

4063. श्री भर्तृहरि महताब : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों से नहरों के माध्यम से प्रायद्वीपीय नादियों को जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना तैयार की है। इसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग

के वास्ते जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल हस्तांतरण करने के वास्ते प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते एक स्वायतशासी सोसाईटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) की स्थापना की है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्क राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने ज्ञात किए हैं तथा प्रायद्वीपीय घटक के तहत 6 सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

4064. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) और केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों की कौन-कौन सी परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों को वित्तपोषित किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु किसी कृतक बल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रखा जाना है।

[हिन्दी]

धान का उत्पादन

4065. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश में धान का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में धान के उत्पादन में वृद्धि हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। प्रतिकूल जलवायुवीय स्थितियों, विशेषकर खरीफ-2002 के दौरान वर्षा के कारण चावल के उत्पादन में कमी आई है।

(ग) और (घ) देश में चावल सहित अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन थीं। बहरहाल, उपर्युक्त स्कीमों को अक्तूबर, 2000 से वृहत् कृषि प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है ताकि राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके तथा राज्यों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, ''पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंध स्कीम'' की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी वर्ष 2002 से चल रही है ताकि चावल सहित फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, किसानों को खुदाई वाले कुओं, नलकूपों, लिफ्ट इरिगेसन प्वाइण्ट्स के निर्माण तथा पम्पिंग सैटों के उपयोग के लिए सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

ट्यूना का विकास

4066. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से ट्यूना के विकास हेतु किसी प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मैसर्स वर्ल्ड ट्यूना विकास इंटरनेशनल इन्क; (डब्ल्यू०टी०डी०आई०), यू०एस०ए० के साथ संयुक्त उद्यम ट्यूना परियोजना के लिए समझौता करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके तहत आन्ध्र प्रदेश के 12 ट्यूना लॉगलाइनर आयात करने हैं। इसी दौरान, सरकार द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई०ई०जैड०) में मत्स्यन क्रियाकलापों के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। उपरोक्त को तथा आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कुछ और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

बीजों का आयात

4067. श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीजों की कमी को पूरा करने हेतु उन्नत किस्म के बीज का आयात करना होगा;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने किस्म के बीजों का आयात किया गया है और इस पर अलग-अलग वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे बीजों के वितरण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बुद्ध का भिक्षा पात्र

4068. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र पर बिहार के पूर्व मुख्य सचिव द्वारा लिखे गए आलेख की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को वैशाली वापस लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के सम्बन्ध में 1994 में "बोधि चक्र" (पृष्ठ 107 से 110) में प्रकाशित, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव डा० एस०वी० सोहोनी द्वारा लिखित लेख की जानकारी है। किन्तु कोई पुष्ट पुरातत्वीय साक्ष्य नहीं मिला है कि कंधार में उपलब्ध भिक्षा पात्र वही है जिसे बुद्ध द्वारा वैशाली के लोगों को दिया गया था।

(ग) पुरातत्वीय साक्ष्य से जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि कंधार में उपलब्ध भिक्षा पात्र वही है जो भगवान बुद्ध द्वारा वैशाली के लोगों को दिया गया था, तब तक भगवान बुद्ध के उक्त भिक्षा पात्र को भारत में वापस लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दुगड़ा ड्रेनेज प्रोजेक्टस

4069. डा० नीतीश सेनगुप्ता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगड़ा बेसिन ड्रेनेज प्रोजेक्ट को लागू करना अभी शेष है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत कुडी नामक छोटी नदी को एक विभिन्न चैनेल के माध्यम से रास्ता बदलना था और ऐसा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार डुबदा (दुगड़ा) बेसिन जल निकासी परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। कार्य निष्पादन की अवधि 1971-72 से 1982-83 थी। इस स्कीम के पूरा होने की रिपोर्ट 1988-89 में भेजी गई थी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि नेगुआ खल सहित कुडी खल डुबदा बेसिन में बाढ़ के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। डुबदा बेसिन जल निकास स्कीम में, कुडी खल को कुडी डाइवर्जन चैनल द्वारा मौड़ा गया था। इसका निर्माण कुडी आवाह क्षेत्र (136 वर्ग कि०मी०), जो डुबदा बेसिन का उप-बेसिन है, के समस्त स्थानीय जल प्रवाहों को समायोजित करने के लिए किया गया था। कुडी डाइवर्जन चैनल इगरा-मोहनपुर रोड और कुडी खल की क्रासिंग पर कुडी के दक्षिण छोर से शुरू होती है। इसका नियोजित जल निस्सरण 106.55 क्यूमेक्स (3760 क्यूसेक) है।

(ग) वास्तव में कुडी नदी के डाइवर्जन चैनल की खुदाई की गई थी एवं यह पाया गया कि वर्षों से इसमें गाद जमा है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंवसंरचना विकास फंड-VIII के अंतर्गत नाबार्ड के समक्ष भेजने के लिए 237.00 लाख रुपये की लागत से एक स्कीम तैयार की गई है। नाबार्ड द्वारा इस स्कीम की स्वीकृति मिलने पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का इसे तीन सालों के अंदर पूरा करने का प्रस्ताव है।

केरल में हवा को प्रदूषित करने वाले उद्योग

4070. श्री जार्ज ईडन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के अर्नाकुलम में इलूर और अंबालामेडू की हवा में प्रदूषण का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हवा में प्रदूषण की मात्रा की नियमित जांच हेतु कोई सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्नाकूलम में करीमुगम स्थित कार्बन रसायन कारखाने द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) उक्त जिले में वायु प्रदूषण हेतु नियमित जांच सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (छ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटरी करने के लिए ऐलूर तथा एरनाकुलम में परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटरी स्टेशन स्थापित किए हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि सल्फर डाइआक्साईड और नाइट्रोजन डाइआक्साईड के स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंदर है, जबकि अन्त:श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ का स्तर अनुबन्धित मानकों से अधिक हो रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि० द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसे अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया है। बोर्ड ने उद्योग को कई निर्देश जारी किए हैं और मामला न्यायाधीन है।

शहर में यात्री निवास

4071. **श्री अकबर अली खांडोकर** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न छोटे शहरों में ''यात्री निवास'' स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितना आबंटन किया गया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास नवीं योजना में एक योजना थी, जिसमें प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से देश में अभिनिर्धारित यात्री निवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002, के दौरान विभिन्न राज्यों में 12.01 करोड़ रु० की राशि के 29 यात्री निवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 4.64 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई।

10वीं योजना में यात्री निवास परियोजना का निर्माण कार्य नयी योजनाओं में कवर किया जाना प्रस्तावित है : (i) पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास एवं (ii) उत्पाद/अवसरंचना एवं गंतव्य विकास।

निजी विमान संचालकों को उपयुक्त विमान के इस्तेमाल की अनुमति

4072. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी विमान संचालकों से विमान सेवा की आवश्यकताओं की पहचान और अधिभार क्षमता और विमान मार्गों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विमान के चयन हेतु अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) मौजूदा विमान परिवहन नीति के अनुसार, विमान के प्रकार तथा आकार का चयन विमान सेवा प्रचालकों पर छोड़ा गया है। सरकार द्वारा जारी मार्ग वितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचालक, भारत में किसी भी स्टेशन हेतु प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पशुधन संबंधी रोग

4073. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मवेशी आबादी को प्रभावित करने वाले विभिन्न रोगों से मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी है;

(ख) किन-किन राज्यों में यह समस्या महामारी का रूप ले चुकी है और वहां आपदा के समान स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने हेतु एक कृतक बल का गठन किया है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) पूरे देश में पशुधन को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्यवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत, यूरोपीय संघ से 21.86 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) पशुप्लेग इस समय देश के किसी भी राज्य में विद्यमान नहीं है। समूचा देश 1 मार्च, 1998 से पशुप्लेग से अनंतिम रूप से मुक्त है।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार के स्तर पर, योजना पर केन्द्रीय परियोजना निगरानी एकक द्वारा निगरानी रखी जाती है तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों में, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाओं का स्टाफ योजना को क्रियान्वित करता है।

(घ) 8वीं, 9वीं तथा 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के तहत आवंटित धनराशि नीचे दी गई है :—

योजना	आवंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)
8वीं योजना	59.06
9वीं योजना	39.71
10वीं योजना (प्रस्तावित)	40.00

(ङ) पशुरोगों के नियंत्रण के लिए, भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् 1) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना तथा 2) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के उद्देश्य से राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को धनराशि देती है।

अवैध नियुक्ति

4074. श्री महबूब जाहेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले मूल अभ्यर्थियों को मंत्रालय में रोजगार के अवसर से वंचित किया जा रहा है;

(ख) क्या भर्ती संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सभी मंत्रालयों/विभागों से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति प्रतिमानकों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है तथा ऐसा कोई उल्लंघन संबंधी मामला इस मंत्रालय के समक्ष नहीं आया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सी०वाल का निर्माण

4075. श्री टी० गोविन्दन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में विशेषकर केरल के कासरगोड और कन्नूर जिलों में सी० वाल के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

कासरगोड और कन्नुर जिलों सहित राज्य में समुद्री दीवार के पुनर्संरचना कार्यों एवं ग्राइन के निर्माण के लिए राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के वास्ते 267.50 करोड़ रुपए की लागत का संशोधित प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की गई तथा टिप्पणियां जून, 2002 में राज्य सरकार को भेज दी गईं। इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की लागत की एक स्कीम प्रापत हुई है। इसकी जांच की जा रही है।

फतेहपुर सीकरी का विकास

4076. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए०एस०आई०) को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर फतेहपुर सीकरी को एक विरासत नगर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोई सलाह मशविरा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने, दिनांक 13.12.2000 के अपने आदेश में, फतेहपुर सीकरी को एक दाय नगर के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहा है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए निदेश दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने भा०पु०स० के पदाधिकारियों सहित, मुख्य सचिव के साथ एक बैठक की थी तथा उसके बाद दो और बैठकें आगरा मंडल के आयुक्त, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ की गई थीं। पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री ने स्थल पर तत्काल वहीं अध्ययन करने के लिए 23-24 अगस्त, 2002 को उक्त स्थल का दौरा किया और राज्य सरकार तथा संबंधित अन्य स्थानीय अभिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। हुडको को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है जिसके आधार पर फतेहपुर सीकरी के सम्पूर्ण परिसर में सुधार लाया जाएगा और उसे पर्यटन-एवं-सांस्कृतिक केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।

आई०सी०ए०आर० के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा

4077. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी० ए०आर०) के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा हेतु छह सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो यह चैनल किस हद तक आई०सी०ए०आर० के कार्यकरण की जांच कर पाया है;

(ग) इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को किस हद तक लागू किया जा चुका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की जांच पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

चेन्नई-सेलम और बंगलौर-सेलम के बीच विमान सेवा

4078. **श्री वी० वेद्रिसेलवन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलायंस एयरलाइंस द्वारा चेन्नई-सेलम और बंगलौर-सेलम के बीच विमान सेवा शुरू करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में संभावना का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस के अनुमान के अनुसार, सेलम से पर्याप्त मात्रा में यात्री न होने के कारण इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े में उपलब्ध जेट प्रकार के विमान द्वारा प्रचालन व्यवहार्य नहीं है। इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े में टर्बो प्रॉप विमान इस समय पूरी तरह लक्षद्वीप के लिए प्रचालन में लगे है। छोटे आकार के उचित विमान उपलब्ध न होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस सेलम के लिए सेवाओं के प्रचालन की स्थिति में नहीं है।

लाइब्रेरी एसोसिएशन ट्रस्ट

4079. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल फैडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन से न्यास के गठन हेतु बचाई गई एक करोड़ बीस लाख रुपये की धनराशि से संबंधित फाइल गायब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस न्यास के गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। फाइल गायब नहीं हुई है।

(ख) उक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता और

(ग) यद्यपि संस्कृति विभाग द्वारा एक न्यास गठित किए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी इसका गठन नहीं किया गया है। सरकार, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करेगी।

भविष्य निधि से संबंधित ऋण

4080. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान कितने भविष्य निधि से संबंधित आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार/एयर इंडिया को वर्तमान वित्त निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् भी कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जून से अक्तूबर, 2002 के दौरान मंजूर किए गए पी०एफ० ऋण के आवेदनों की संख्या 833 है।

(ख) और (ग) शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा उनको दूर करने के लिए नियमित रूप से उपाय किए जाते हैं। सरकार द्वारा कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विदेशों के साथ समझौता

4081. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2020 तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 देशों के साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और इस संबंध में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा 12 देशों, यथा, जापान, फिलीपींस, अर्जेंटिना, ब्राजील, थाइलैंड, चीन फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी एवं संयुक्त अरब अमीरात, के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले पर्यटन सहयोग समझौतों की जांच पड़ताल की जा रही है।

समुद्र तटीय जल का दूषित होना

4082. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सासन गोदी, फेरी वार्फ, और भयन्दर के अपतटीय जल में झींगा मछलियों के नमूनों के दो वर्षीय अध्ययन जिससे यह पता चला कि मुम्बई की दैनिक रूप से 15000 से 20000 टन समुद्री खाद्य आपूर्ति शीशे और काडिमियम धातुओं के जहरीले भंडार के कारण मानव उपभोग के लिए खतरनाक होने की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो कारखानों के अपशिष्टों द्वारा समुद्र तटीय जल की ऐसी उच्च दूषितता को रोकने और विभिन्न किस्मों के ऐसे झींगों और अन्य दूषित समुद्री खाद्य के उपभोग के खतरनाक प्रभावों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) विज्ञान संस्थान, मुम्बई से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा एक अध्ययन उनके द्वारा किया गया है।

(ख) औद्योगिक बहिस्रावों से तटीय जल के पर्यावरणीय प्रदूषण और समुद्री खाद्य पदार्थों के अधिक संदूषण को रोकने की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने पहले ही विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है :–

(I) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) का कार्यान्वयन जिसके अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती और न ही अन्तर देशी जल निकायों और तटीय जल में अशोधित बहिस्रावों का विसर्जन किया जा सकता है।

(II) नदी और समुद्री जल में औद्योगिक बहिस्रावों के विसर्जन के ''मानक'' निर्धारित किए गए हैं।

(III) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र और परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन संयंत्र और निपटान सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

महाराष्ट्र में नये गोदामों की स्थापना

4083. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कृषि उत्पादों के भंडारण की समस्याओं से निपटने हेतु राज्य में 500 नए गोदामों की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (ए०सी०डी०सी०) के माध्यम से ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राज्य में ग्रामीण गोदाम स्कीम के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभिज्ञात शीर्ष अभिकरण महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को 10.36 मी०टन की भण्डारण क्षमता (9.26 लाख मी०टन नयी तथा 1.10 लाख नवीकरण के लिए) के सृजन हेतु 1464 प्रस्ताव (1914 नयों के लिए तथा 45 नवीकरण के लिए) प्राप्त हुए हैं। नाबार्ड को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में 500 नए गोदाम स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तावित गोदामों के लिए केन्द्रीय सहायता इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मुहैया कराई जाएगी।

[हिन्दी]

पदों का सृजन

4084. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 और 1991-92 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के छः पद बिना सरकार की अनुमति के सृजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को दिए गए वेतन और अन्य सुविधाओं पर कितनी धनराशि का दुरूपयोग हुआ है;

(ग) क्या ये पद सरकार की अनुमति के बिना अभी भी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनधिकृत पदों के सृजन और इन पर हुए अपव्यय के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में सरकार की अनुमति के बिना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पांच पद सृजित किए गए थे।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पांच पद अगस्त, 2002 में समाप्त कर दिए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक कार्यवाही उसके बाद की जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर व्यय

4085. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बिहार में कृषि संबंधी अनुसंधानों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फसलों की किस्में विकसित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के लिए विकसित तथा जारी की गई खाद्य फसलों की नई किस्मों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

फसलें	किस्में
1	2
चावल	6201 (पी०ए० 103), पंत धान–16, कृष्णा हम्सा
गेहूं	मालवीय गेहूं (एच०यू०डब्ल्यू० 468), पी०बी०डब्ल्यू० 443, एच०डी० 2733, के०आर०एल०-19, एच०डब्ल्यू० 2045, एच०यू०डब्ल्यू० 533, पी०बी०डब्ल्यू० 343
मक्का	प्रकाश, पी०ए०सी० 738, शक्तिमान-1, शक्तिमान 2, सीडटैक 2324

1	2	1	2
जौ	ऋतंभरा, हरीतिमा, आर०डी० 2552, के 603	मटर	स्वाति (के०एफ०पी०डी० 24), एच०यू० डी०पी०-15 मालवीय मटर-15), डी०डी० आर०-23 (पूसा प्रभात)
गौण मोटे अनाज	छोटे मोटे अनाज-तारिणी, सांवां – वी०एल० मदिरा – 181, कोदो मिलेट-कोलाब		
चना	पूसा 1003 (काबुली), गुजरात चना-4, एच० के० 94-134 (काबुली;), जी०सी०पी० 105	उड़द	के०यू० 92-1 (आजाद उड़द-1), आई०पी०यू० 94-1, आर०बी०यू० 38 (बरखा)

विवरण

बिहार में कृषि अनुसंधान परियोजनाएं/स्कीम पर किया गया खर्च

(रुपये लाख में)

	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	निधि आवंटित	व्यय	निधि आवंटित	व्यय	निधि आवंटित	व्यय
	1	2	3	4	5	6
1. चावल पर ए०आई०सी०आर०पी०	24.34	24.34	23.57	23.57	30.84	26.99
2. मक्का पर ए०आई०सी०आर०पी०	16.10	16.10	24.58	21.40	18.33	15.00
3. छोटे मोटे अनाज पर ए०आई०सी०आर०पी०	7.33	7.27	6.53	5.85	6.98	6.86
4. गेहूं पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.91	2.61	6.51	6.26	6.26	6.26
5. अरहर पर ए०आई०सी०आर०पी०	20.74	20.74	25.65	25.65	25.65	25.47
6. तोरिया एवं सरसों पर ए०आई०सी०आर०पी०	9.19	9.19	10.50	10.50	7.82	7.82
7. गन्ने पर ए०आई०सी०आर०पी०	6.63	6.63	9.60	9.60	12.30	12.30
8. पटसन तथा संबद्ध रेशों पर ए०आई०सी०आर०पी०	5.69	5.69	6.89	6.89	12.19	12.19
9. एन०एस०पी० (फसलें) – प्रजनक बीज उत्पादन	6.44	6.19	6.59	6.19	13.44	3.00
10. मधु मक्खी अनुसंधान पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.05	2.05	2.57	2.57	6.26	3.11
11. कृषि एक्रोलोजी पर ए०आई०सी०आर०पी०	1.69	1.69	0.85	0.85	0.00	0.00
12. सूत्रकृमि पर ए०आई०सी०आर०पी०	1.03	1.03	0.51	0.51	0.00	0.00
13. कीटनाशकों के अवशिष्टों पर ए०आई०सी०आर०पी०	3.63	3.63	3.63	3.63	3.72	3.72
14. गन्ना प्रजनन संस्थान	6.87	6.87	9.20	9.20	29.67	29.67
15. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र	44.26	44.26	48.36	48.36	50.07	50.07
16. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र	12.37	12.37	63.77	63.77	12.98	12.98

	1	2	3	4	5	6
17. एन०एस०पी० फसलें – बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान	8.83	7.71	8.83	8.83	9.22	9.22
18. जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय	210.00	209.91	140.00	139.27	100.00	99.64
19. पूर्वी क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर					14.00	14.00
20. भूजल उपयोग पर ए०आई०सी०आर०पी०	60.00	59.94	30.01	30.01	75.00	60.18
21. मृदा जांच फसल अनुक्रिया पर ए०आई०सी०आर०पी०	7.50	7.50	9.64	9.64	8.51	8.51
22. सूक्ष्म जैविक अपघटन पर ए०आई०सी०आर०पी०	6.54	6.54	6.60	6.60	6.60	6.60
23. दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग पर ए०आई०सी०आर०पी०	4.02	4.02	3.75	3.75	4.35	4.35
24. सूक्ष्म तथा गौण पोषण मृदा प्रदूषक पर ए०आई०सी०आर०पी०	11.25	11.25	10.35	10.35	12.52	12.52
25. मृदा वनावट पर ए०आई०सी०आर०पी०	10.39	10.39	14.96	14.96	10.94	10.94
26. कृषि वानिकी पर ए०आई०सी०आर०पी०	5.00	5.00	5.20	5.20	6.61	6.61
27. जल प्रबंध पर ए०आई०सी०आर०पी०	9.15	9.15	10.54	10.54	10.16	10.16
28. कृषि मौसम विज्ञान पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.87	2.87	2.56	2.56	3.57	3.57
29. खरपतवार नियंत्रण पर ए०आई०सी०आर०पी०	6.83	6.83	2.00	2.00	6.01	6.01
30. दियाराभूमि पर ए०आई०सी०आर०पी०	5.90	5.90	6.50	6.50	8.52	8.52
31. फसल पद्धति अनुसंधान पर ए०आई०सी०आर०पी०	7.19	7.19	6.25	6.25	7.73	7.73
32. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	106.75	68.48	139.49	59.03	85.41	47.15
कुल	633.49	593.34	645.99	560.29	605.66	531.15

ए०आई०सी०आर०पी० – अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

एन०एस०पी० – राष्ट्रीय बीज परियोजना

ए०आई०एन०पी० – अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशनर्स एसोसिएशन

4086. श्री किरीट सोमैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशनर्स एसोसिएशन से मुम्बई में पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को मुम्बई में चिकित्सा भत्ते के भुगतान के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशनभोगी एसोसिएशन, मुम्बई से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

पेंशनभोगी एसोसिएशन, मुम्बई ने ओ०पी०डी० इलाज के एवज में 100/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान करने

के लिए अनुरोध किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना द्वारा दायरे में न लिए गए क्षेत्रों में ओ०पी०डी० इलाज की एवज में 100/- रुपए प्रतिमाह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता के आहरण के लिए भारत सरकार की योजना को अंगीकार कर लिया है। 100/- रुपए प्रतिमाह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ते के भुगतान के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ये अनुदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उन पेंशनभोगियों पर लागू होते हैं जो उन क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना और उनका कार्यचालन मुम्बई से किया जाता है, अतः मुम्बई में रहने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों के संबंध में ओ०पी०डी० इलाज की एवज में 100/- रुपए प्रतिमाह के निर्धारित चिकित्सा भत्ते के भुगतान की योजना लागू नहीं होती। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों को इन्डोर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

भारत-भूटान नदी आयोग

4087. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रबंधन हेतु भारत-भूटान नदी आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें और निबंधन क्या हैं; और

(ग) यह आयोग सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भूटान से निकलने वाली नदियों द्वारा पैदा होने वाली बाढ़ समस्या से संबंधित मामले को भूटान की शाही सरकार के समक्ष रखा है तथा बाढ़ पूर्वानुमान, रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक संयुक्त विशेषज्ञ दल के गठन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर भूटान का उत्तर प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि अदालत

4088. **श्री जयप्रकाश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भविष्य निधि कार्यालय में भविष्य निधि अदालतें चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में विशेषकर उत्तर-प्रदेश के भविष्य निधि कार्यालयों में भविष्य निधि के भुगतान के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) भविष्य निधि के सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/उप लेखा कार्यालयों में भविष्य निधि अदालातों का आयोजन किया जाता है। भविष्य निधि अदालतें प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित की जाती हैं और यदि 10 तारीख को अवकाश हो तो इन्हें अगले कार्य दिवस को आयोजित किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या संबंधी एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ङ) भविष्य निधि अदालतों में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए त्वरित और शीघ्र कार्रवाई की जाती है। सदस्यों को सहायता प्रदान करने और दावे दायर करने के संबंध में जानकारी देने के लिए सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा शिकायतों को नियमित आधार पर मानीटर भी किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	वर्ष 2001-2002 के दौरान भविष्य निधि के अदालत के समक्ष पंजीकृत की गई शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	300
2.	बिहार	91
3.	दिल्ली	20
4.	गुजरात	282
5.	हरियाणा	144
6.	हिमाचल प्रदेश	6

1	2	3
7.	कर्नाटक	355
8.	केरल	179
9.	मध्य प्रदेश	44
10.	महाराष्ट्र	266
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12
12.	उड़ीसा	446
13.	पंजाब	198
14.	राजस्थान	130
15.	तमिलनाडु	1309
16.	उत्तर प्रदेश	411
17.	पश्चिम बंगाल	168
18.	उत्तरांचल	5
19.	गोवा	10
20.	झारखंड	8
21.	छत्तीसगढ़	10
	योग	4394

फर्जी दस्तावेजों के लिए सुरक्षा जांच

4089. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया के सुरक्षा कर्मी एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के दस्तावेजों की जांच करते हैं;

(ख) यदि हां, तो दस्तावेजों की जांच करने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या एयर इंडिया के सुरक्षा कर्मी दस्तावेजों की जांच के पश्चात् उन पर की गई जांच के संबंध में कोई मुहर लगाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्जी दस्तावेजों पर कितने यात्रियों ने यात्रा की है; और

(छ) दोषी सुरक्षा अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी पासपोर्ट तथा वीसा की प्रमाणिकता तथा वैधता को सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया तथा वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस की उड़नों में यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्रा दस्तावेजों की जांच करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एअर इंडिया के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा कोई पावती मोहर नहीं लगाई जाती है क्योंकि दस्तावेज की जांच करने की मुख्य जिम्मेवारी आप्रवास ब्यूरो की है, जो कि पासपोर्ट तथा वीसा की प्रमाणिकता की जांच करने के पश्चात् पासपोर्ट पर मोहर लगाने के लिए प्राधिकृत हैं। एअर इंडिया के सुरक्षा कर्मचारी अतिरिक्त एहतियाती कार्रवाई के रूप में दस्तावेजों की जांच करते हैं।

(च) और (छ) सूचना एकत्र की जा रही तथा उसके बाद सदन के पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

बंजर भूमि संबंधी राष्ट्रीय नीति

4090. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंजर भूमि प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाए जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) बंजर भूमि में पहाड़, मरूस्थल आदि जैसी भूमि शामिल हैं जिन्हें कृषि के तहत लाया जाना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है। इस समय, मात्र बंजर भूमि के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने 19 सूत्रीय राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा (एन०एल०यू०ओ०) तैयार की है तथा इसे सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया है।

[अनुवाद]

जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान

4091. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सधरेवार (महाराष्ट्र) अभयारण्य में पेड़ों की बड़े पैमाने पर अंधाधुंध कटाई के कारण वन्य जीवन खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इसमें रहने वाले हिरण अब अभयारण्य के बाहर किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमलेस एअर नेविगेशन

4092. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायुसीमा में सीमलेस एअर नेविगेशन के संवर्धन हेतु उपग्रह आधारित आवर्धन प्रणाली तैयार करने के लिए आई०एस०आर०ओ० के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त व्यवस्था के कब तक संचालित होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) ने उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली (एस०बी०ए०एस०) के विकास के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि विमान दिक्चालन सुविधाओं के लिए नागर विमानन की कठोर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम (जी०पी०एस०) सिगनल्स की शुद्धता, इन्टीग्रिटी उपलब्धता तथा निरंतरता को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप, से कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रणाली के स्थापित होने पर यह पश्चिम में यूरोप के ज्योस्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सिस्टम (इ०जी०एन०ओ०एस०) तथा पूर्व में जापान के मल्टी सेट बेस्ड आगमेंटेशन सिस्टम (एम०एस० ए०एस०) के बीच के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी। एस०बी० ए०एस० प्रणाली पूर्ण प्रचालनात्मक क्षमता से युक्त है तथा इसकी 2007 तक स्थापित होने की आशा है।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य

4093. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्तमान में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए उत्पादवार कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार की उक्त नीति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई असंतोष है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार अपनी उक्त नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार की कृषि उत्पादों से संबंधित मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य अधिक निवेश तथा उत्पादन की दृष्टि से किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना और जिंसों की आपूर्ति उचित दरों पर करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। मूल्य नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं की दृष्टि से एक सन्तुलित एवं समेकित मूल्य संरचना तैयार करना है। सरकार इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य अभिकरणों के अलावा सार्वजनिक तथा सरकारी अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से खरीद कार्य करती है।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने के पश्चात ही विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में निर्णय लेती है।

मूल्य नीति के बारे में सिफारिशें करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में हुए परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समता, प्रदत्त मूल्यों एवं किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों (व्यापार की शर्तें) के बीच समता आदि का ध्यान रखा जाता है। सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

सरकार बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए किसी राज्य/सरकार केन्द्र शासित प्रदेश के अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप स्कीम भी कार्यान्वित करती है, जो नुकसान की स्थिति में 50% नुकसान वहन करने के लिए सहमत हो और मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उसका प्रस्ताव पूर्णत: न्यायोचित हो। मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन बागवानी जिंसों के उत्पादकों को अपने उत्पाद की मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए उस समय किया जाता है जब फसल अत्यधिक होने पर शीर्ष मौसम के दौरान मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाते हैं।

(ग) से (छ) सरकार चालू आर्थिक स्थिति तथा ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के बाद प्रत्येक मौसम में महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र० सं०	जिन्स	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत मूल्य	(#)2001-02 की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2002-03 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	—
		ग्रेड 'ए'	470	520	540	560	560	20	—
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	—
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	—
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	—
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	—
6.	गेहूं		550	580	610	620			
7.	जौ		385	430	500	500			
8.	चना		895	1105	1100	1200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	अरहर (तुअर)		960	1105	1200	1320	1320	5	—
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	10(0.8)
11.	उड़द		960	11015	1200	1320	1330	5	10(0.8)
12.	मसूर		—	—	1200	1300			
13.	गन्ना@		52.70	56.10	59.50	62.05			
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे-34	1440	1575	1625	1675	1675	20	—
		एच-4	1650	1775	1825	1875	1875	20	—
15.	छिलके सहित मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	15(1.1)
16.	पटसन		650	750	785	810	850		40(4.9)
17.	रेपसीड/सरसों		1000	1100	1200	1300			
18.	सूरजमुखी बीज		1060	1155	1170	1185	1195	15	10(0.8)
19.	सोयाबीन	काली	705	755	775	795	795	10	—
		पीली	795	845	865	885	885	10	—
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300			
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265			
22.	तम्बाकू (वी०एफ०सी०	काली मृदा (एफ 2 ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00			
	(रुपये/कि०ग्रा०)	हल्की मृदा (एफ 2 ग्रेड)	22.50	27.00	28.00	29.00			
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300		—
	कैलेण्डर वर्ष	बॉल	3125	3325	3500	3550	3550		
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	50(3.6)
25.	रामतिल		850	915	1025	1100	1120		20(1.8)

@इस स्तर से ऊपर वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम सहित 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़ा हुआ सांविधिक न्यूनतम मूल्य।

मसूर (लेटिंल हेतु) न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

दमन और दीव में मत्स्यन परियोजनाएं

4094. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव से घोघिया में मछली घर, मछली उतारने के केन्द्रों के विकास और वनकबारा में मत्स्यन हार्बर केन्द्रों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा, मौजूदा स्थिति तथा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

(1) **मत्स्य एक्वेरियम का विकास :** मत्स्य एक्वेरियम की स्थापना सहित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली मात्स्यिकी योजना स्कीमों पर दमन एवं दीव के प्रस्ताव की जांच की गई है तथा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(2) **घोघिया में मछली उतारने वाले केन्द्र का विकास :** 52.12 लाख रुपए की लागत से घोघिया में मछली उतारने वाले केन्द्र के निर्माण के लिए दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति जनवरी, 1998 में दे दी गई थी तथा निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए दमन एवं दीव प्रशासन को केन्द्रीय हिस्से की 50.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के आधार पर, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ घोघिया में मछली उतारने वाले केन्द्र के उन्नयन के लिए केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर ने अपेक्षित जांच-पड़ताल की तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी०इ०एफ०आर०) प्रस्तुत की। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच के बाद, संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने नीलामी हाल के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करने तथा नये पदों के सृजन के लिए कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया है। संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वह नीलामी हाल के प्रबंधन के लिए स्थायी स्टॉफ की आवश्यकता के लिए गंभीरता से मूल्यांकन करे क्योंकि इसके लिए पर्याप्त व्यय की जरूरत है और नये पदों का सृजन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

(3) **वनाकबारा में मत्स्यन बंदरगाह का विकास :—** 43.80 लाख रुपए की लागत से वनाकबारा में मछली उतारने के केन्द्र के निर्माण के लिए दमन और दीव संघ शासित प्रदेश का आरंभिक प्रस्ताव जनवरी, 1998 में अनुमोदित किया गया था तथा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दमन और दीव प्रशासन को 40.00 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय के निदेशों पर केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सी०आई०सी० इ०एफ०), बंगलौर ने आवश्यक अनुसंधान किए तथा मछली उतारने के केन्द्र को मत्स्यन बंदरगाह में उन्नयन करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टों की जांच के बाद संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने कृषि मंत्रालय से क्रीक में ड्रेजिंग, बेसिन जेटी तथा 60 से 70 मी० टन की स्थायी क्रेन जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करने का अनुरोध किया था। संघ शासित प्रदेश प्रशासन से विस्तृत हाइड्रोलिक नमूना अध्ययन करने और उसके निष्कर्षों को भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मियों द्वारा तस्करी

4095. श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइन्स के कर्मियों और विमानपत्तनों में तैनात अन्य कर्मियों की सांठगांठ से निर्बाध रूप से तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और इन मामलों में कितने कर्मचारी संलिप्त पाये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पिछले दो वर्ष अर्थात 2000-2002 से अब तक तस्करी में लिप्त इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारियों की संख्या छः है। इंडियन एयरलाइन्स के 10 कर्मचारी तथा कर्मचारियों के 4 पारिश्रमिक सदस्य इस मामले में लिप्त पाए गए।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का सतर्कता विभाग, सीमा शुल्क, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, निदेशालय राजस्व सतर्कता तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए आवधिक बैठकें करता रहता है ताकि इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को तस्करी में लिप्त होने से रोका जा सके।

विदेशों में स्थित स्टेशन प्रबंधक तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है ताकि इंडियन एयरलाइन्स विमान तथा कर्मचारियों को तस्करी में लिप्त होने को रोकने के उपाय को सुदृढ़ किया जा सके।

इंडियन एयरलाइन्स जालसाजी निरोधक एकक ने 11 फरवरी, 2001 को इंडियन एयरलाइन्स नेटवर्क के सभी स्टेशनों को अलर्ट नोटिस जारी करते हुए उन्हें सलाह दी थी कि वे विमानों के आगमन पर तलाशी, विमान पर अधिकृत कार्यरत कर्मचारी का रिकार्ड रखना, स्टाफ की गतिविधि तथा उनकी ड्यूटी के निर्धारण की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांच करें ताकि तस्करी गतिविधियों को रोका जा सके।

(घ) सभी मामलों पर इंडियन एयरलाइन्स सेवा विनियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

[अनुवाद]

कोणार्क का विकास

4096. श्री त्रिलोचन काननगो : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोणार्क को अन्तर्राष्ट्रीय विरासत केन्द्र के रूप में जाना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या कोणार्क में आ रहे पर्यटकों और भविष्य में आन्तरिक और विदेशी दोनों ही पर्यटकों की संभावना में वृद्धि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) क्या सरकार को कटक, भुवनेश्वर और पूरी की टूटी-फूटी सड़कों तथा कोणार्क के लिए कोई रेल लिंक न होने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाए किए जा रहे हैं;

(च) क्या कोणार्क के आस-पास विकास हेतु किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उनके मंत्रालय द्वारा फुलनाखेरा (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5)-निलामी-माधव-छारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-203) राज्य राजमार्ग संख्या 60 को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

घरेलू सेवा प्रदाताओं हेतु सूचना केन्द्र

4097. श्री पवन कुमार बंसल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में 'कुशल' और अकुशल श्रमिकों वाले सेवा क्षेत्रों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या घरेलू सेवा प्रदाताओं के लिए अन्य देशों में बाजार पैठ संबंधी अवसरों के संबंध में सूचना/ज्ञान को हासिल करने के लिए सूचना केन्द्र खोलने के संबंध में कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) वर्ष 1999-2000 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का भाग (वर्तमान मूल्यों पर) लगभग 47.8% था।

(ख) से (घ) वर्तमान में, श्रम मंत्रालय में घरेलू सेवा प्रदाताओं के लिए अन्य देशों में बाजार पैठ से संबंधित अवसरों संबंधी सूचना/ज्ञान हासिल करने के लिए सूचना केन्द्र खोलने हेतु, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में सहकारी समितियों का विकास

4098. श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से उत्तरी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में स्थित उन सहकारी समितियों को विकसित करने

का अनुरोध किया है जिन्हें 1970 के दौरान हीनतर स्थिति में ढकेल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) उत्तरी गुजरात में सौराष्ट्र एवं कच्छ में स्थित सहकारी समितियों के विकास हेतु गुजरात सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, उत्तरी गुजरात में सौराष्ट्र एवं कच्छ को गुजरात डेयरी विकास निगम लिमिटेड (राज्य सरकार का उद्यम) के जरिए बाढ़-II परियोजना के तहत कवर किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1978-85 के दौरान ऑपरेशन बाढ़-II परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से सौराष्ट्र एवं कच्छ के सात जिलों को 17.42 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की थी।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का बीमा

4099. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई०जी० राव :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में लगे सभी कामगारों को बीमा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र में कामगारों के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कामगारों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 397 मिलियन के कुल कार्यबल में से 369 मिलियन असंगठित क्षेत्र में हैं। सरकार ने तीन वर्ष के प्रथम चरण के दौरान 10 लाख कृषि कामगारों को शामिल करने के लिए 50 चुने हुए जिलों में "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" आरंभ की है। इस योजना में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धनवापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे और कुछ ऊपर आने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 से जनश्री बीमा योजना भी चल रही है। बीड़ी कामगार कल्याण निधि और सिने कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत आने वाले बीड़ी और सिने कामगारों के लिए समूह बीमा योजना भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

दूषित भूमि जल

4100. **श्री कैलाश जोशवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि जल "ई-वेस्ट" द्वारा दूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके आधार पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विमला वर्मा) : (क) इस संबंध में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग का विकास

4101. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या कृषि एवं ग्रामीण खादी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में निश्चित राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग के आधुनिकीकरण, युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि की सहायता से नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) 10वीं योजना हेतु स्थापित लक्ष्य, 1250 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश सहित 2.0 मिलियन व्यक्तियों हेतु अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एन०आई०डी०), अहमदाबाद के सहयोग से एक डिज़ाइन सेंटर खोला है। एन०आई०डी० डिज़ाइन परियोजना के कार्य में उनकी क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान करने के लिए के०वी०आई०सी० का राष्ट्रीय परामर्शदाता है। के०वी०आई०सी०, आई०आई०टी०, दिल्ली के साथ भी ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के सुदृढ़ीकरण हेतु जमनालाल बजाज सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट वर्धा के पुनर्निमाण हेतु, सहयोग कर रहा है।

कृषि बीमा निगम

4102. श्री नरेश पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि बीमा निगम के अंतर्गत किन वस्तुओं को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ख) उक्त निगम द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) प्रस्तावित कृषि बीमा कम्पनी प्रारम्भ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) कार्यान्वित करेगी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्तमान में पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त पर खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न तथा दलहन), तिलहन और वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों को कवर करती है।

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम (जी०आई०सी०) ने सूचित किया है कि नई कम्पनी वर्ष 2003 के शुरू में कार्य करना शुरू कर देगी।

विरासत स्थलों का पुनरूद्धार

4103. श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज (आई०एन०टी०ए०सी०एच०) द्वारा मध्य प्रदेश में खजुराहो के विरासत स्थल के पुनरूद्धार हेतु एक परियोजना चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं और अब तक क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या क्षेत्र में कोई नई पुरातत्व महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में पुनरूद्धार हेतु आई०एन०टी०ए०सी०एच० द्वारा अपने हाथ में लिए गए विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

केन्द्र सरकार की भी अपनी परियोजनाएं हैं जिनका निष्पादन खजुराहो में किया जा रहा है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कला तथा सांस्कृतिक दाय न्यास (इन्टैक) ने खजूर और शिवसागर के पूर्वी घाट के संरक्षण के साथ-साथ क्रमश: (1) प्रेम सागर (2) खजूर सागर और शिवसागर से गाद निकालने का कार्य शुरू किया है।

(ग) और (घ) धार्मिक और पंथनिरपेक्ष चित्रण वाली 19 मूर्तियाँ रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुई हैं।

(ङ) महाराष्ट्र में इन्टैक द्वारा किसी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक का पुनरूद्धार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

4104. श्री नवल किशोर राय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न का उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों के व्यापार में विश्व में भारत का हिस्सा सबसे कम है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत का हिस्सा कितना है; और

(ङ) भारत के इतना कम हिस्सा होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तक, 2000 के अनुसार वर्ष 2000 के दौरान विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। वर्ष 2000 के दौरान चीन, भारत तथा विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन क्रमशः 412,253 तथा 2104 मिलियन टन था।

(ग) से (ङ) खाद्य एवं कृषि संगठन व्यापार वर्ष पुस्तक, 1999 के अनुसार वर्ष 1999 के दौरान अनाज एवं दलहन के संबंध में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी का प्रतिशतता निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :–

मद	अनाज		दलहन	
	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
विश्व में हिस्सेदारी प्रतिशत	नगण्य	0.1%	8.8%	1.6%

हालांकि भारत अनाज का वास्तविक (नेट) निर्यातक है किन्तु यह दलहनों का वास्तविक (नेट) आयातकर्ता है। विश्व व्यापार में किसी देश की हिस्सेदारी घरेलू मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मूल्य, अन्तरराष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम-खाड़ी उड़ान

4105. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव खाड़ी क्षेत्र विशेषकर दुबई के लिए स्थायी आधार पर जम्बो जेट उड़ान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव हज तीर्थयात्रा के कारण भारी यातायात के मद्देनजर त्रिवेन्द्रम-जेद्दाह मार्ग पर उड़ान चलाने का भी है।

(ग) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम-न्यूयार्क क्षेत्र पर उड़ान चलाने हेतु भी कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त उड़ानें कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एअर इंडिया पहले ही 747 विमान द्वारा गल्फ के लिए 15 उड़ानें प्रचालित कर रही है जिसमें से 3 उड़ानें आबूधाबी/दुबई सैक्टर के लिए हैं।

(ख) हज यात्रा के दौरान, हजयात्रियों को लेजाने के लिए कोजिकोड से जेद्दा के लिए 20 उड़ानें प्रचालित की जाएंगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों की मांग को पूरा करने के लिए कोच्चि से जेद्दाह के लिए 11 उड़ानें भी प्रचालित की जाएंगी।

(ग) और (घ) एअर इंडिया भारत से यू०एस०ए० के लिए एक सप्ताह में 13 उड़ाने प्रचालित करती है। ये उड़ानें मुंबई से शुरू की होती है। मुम्बई तथा दिल्ली से यू०एस०ए० जाने वाली और आने वाली उड़ानों को जोड़ने के लिए अहमदाबाद, कोच्चि, तिरूवनन्तपुरम तथा बेंगलौर जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों से फीडर उड़ान प्रचालित की जाती है।

एअर इंडिया के अधिकारी के विरूद्ध मामला

4106. **श्री एस० अजय कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 2002 के *दि एशियन एज में ए०आई० चीफ इन रु० 1-लाख पर्क अप* शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया के स्थानापन्न/प्रबंध निदेशक की गैर-कानूनी गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि एअर इंडिया के स्थानापन्न प्रबंध निदेशक श्री गोगई, इंजीनियरी काडर के लिए लागू उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं जबकि वह निदेशक इंजीनियरी से उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत हो गए हैं। एअर इंडिया ने बताया कि चूंकि श्री गोगई संयुक्त विमान प्राधिकरण तथा नागर विमानन प्राधिकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया की इंजीनियरी सेवाओं की देखरेख हेतु *जिम्मेदार प्रबंधक* के रूप में कार्य करते रहे हैं। अतः वह कंपनी के निमयानुसार पी०एल०आई० प्राप्त करने के अधिकारी है। श्री गोगई के विरूद्ध और कोई शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

झारखंड में बागवानी का विकास

4107. **प्रो० दुखा भगत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2002-2003 के दौरान झारखंड में बागवानी के विकास हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) रांची में बागवानी संबंधी संस्थान को पूर्ण संस्थान का दर्जा देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों, जहां बागवानी उत्पादों से अधिकतम लाभ उठाने हेतु उनकी खेती की जा सकती है की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2002-03 के दौरान कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अधीन झारखंड को 12.00 करोड़ रु० की राशि का आबंटन किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य बागवानी के विकास संबंधी कार्यकलापों सहित अपनी अनुभूत जरूरतों के अनुसार अपने कार्यकलापों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं।

(ख) वर्तमान में रांची स्थित बागवानी से संबंधित संस्थान को एक पूर्ण सम्पन्न संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उन क्षेत्रों, जहां बागवानी उत्पाद उगाये जा सकते हैं, की पहचान हेतु कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि बागवानी के विकास हेतु कार्यक्रम क्षेत्र की क्षमता के मूल्यांकन के बाद शुरू किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र की आर्थिक दशा

4108. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैश्वीकरण के पश्चात् देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक दशा का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान इन कृषि श्रमिकों के वार्षिक औसत कार्य-दिवस कितने थे और 2000-2001 के दौरान यह श्रमिक कुल कितने कार्य दिवसों के दौरान रोजगार में रहे; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान औसत वार्षिक आय कितनी थी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल के आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पंचवार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा 1993-94 और 1999-2000के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, कृषि में लगे कामगारों की संख्या क्रमशः लगभग 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत थी। वर्ष 1999-2000 में देश में कुल 397 मिलियन कामगारों में से एक वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य करने वाले कामगारों की संख्या लगभग 31 मिलियन थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्यरत प्रति कामगार वार्षिक औसत मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में 7704 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 11748 रुपये थी।

सरकार ने रोजगार के अत्यधिक कमी होने पर, जैसे कृषि में मंदी वाले मौसम या सूखे के दौरान, मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी विभिन्न रोजगार परक योजनाएं आरम्भ की हैं। कुछ अन्य योजनाओं में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

4109. **श्री पी०एस० गड्डमी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) कई राज्यों में लघु किसानों तथा भूमिहीन ग्रामीण कामगारों को उनके घरों के पिछवाड़े मुर्गीपालन हेतु अपने अवसंरचनात्मक तंत्र के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव की जांच करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में लंबित आवेदन

4110. **श्री रामदास आठवले :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने आवेदन अभी लंबित पड़े हैं; और

(ख) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिकी लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया। इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने संबंधी एक आवेदन लंबित है। इस आवेदन के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आलू तथा प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना

4111. **श्री अम्बरीश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक सरकार ने खरीफ अवधि 1997 के दौरान आलू और प्याज हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना (एम०आई०एस०) चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बाजार हस्तक्षेप योजना चलाने में प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य-वार कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हुए घाटे के एक हिस्से को वहन करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध अभी तक केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय हिस्सा जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) खरीफ 1997 मौसम के दौरान आलू और प्याज के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना केवल कर्नाटक में कार्यान्वित की गई थी।

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्य में खरीफ 1997 मौसम के दौरान मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत आलू और प्याज की खरीद में कुल 338 लाख रुपये की हानि हुई जिसको केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाना था।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के शेयर की प्रतिपूर्ति की निर्मुक्ति, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लेखों के अनुमोदन के बाद की जाएगी जिन्हें, इस मामले की जानकारी है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्र

4112. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार कितने पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) 2000 से किन-किन स्थानों पर नए केंद्र स्थापित किए गए हैं और आज तक प्रत्येक केंद्र पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) 2003 और 2004 के दौरान किन-किन स्थानों पर नए केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) देश में बड़ी संख्या में पर्यटक केंद्र/स्थान हैं, जिनकी यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं घरेलू पर्यटकों, दोनों द्वारा की जाती है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, उनके परामर्श से, प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित पर्यटक रूचि के स्थलों वाली, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले दो वर्षों, अर्थात 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अभिनिर्धारित, पर्यटक रूचि के स्थलों के लिए 142.57 करोड़ रु० की राशि की 572 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

(ग) 10वीं योजना के दौरान, देश में प्रत्येक वर्ष छः पर्यटन परिपथों एवं प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

कम्प्यूटर घोटाला

4113. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में हुए कम्प्यूटर घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एन०ए०टी०पी० और एन०ए०आर०पी० के अधीन कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की खरीद में दो मामलों में बरती गई अनियमितताओं की जांच की है। अन्वेषण की रिपोर्टें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में क्रमशः 8.5.2002 एवं 4.12.2002 को पहुंच गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नागर विमानन में निवेश

4114. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में किए गए निवेश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु कितने धन की आवश्यकता है और अभी तक कितने संसाधन जुटाए गए हैं;

(घ) इस क्षेत्र में अपेक्षित गैर-सरकारी/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु निर्धारित किए गए विचाराधीन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित/पूरी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदर्शनियों के लिए सहायता

4115. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य सरकारों से विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में छूट की उच्च दरें देने हेतु वित्तीय सहायता बहाल करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रस्ताव अपने उत्पादों के विक्रय मूल्य में कमी लाने हेतु लागत में कमी करने के उपाय अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) खादी उत्पादों की लागत, ''लागत चार्ट तंत्र'' द्वारा विनियमित की जाती है जिसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और तदनुसार कार्यवाही की जाती है। सिल्वर लागत 10% तक कम की गई है।

तमिलनाडु में पर्यटन के विकास हेतु सहायता

4116. श्री एस० मुरूगेसन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तमिलनाडु में कोर्टालन में अवसंरचना के विकास हेतु केवल 45 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता को दो करोड़ रुपए तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटक स्थलों/केन्द्रों के विकास एवं सवंर्धन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए धन मुहैया

कराता है। कोर्टालम में पर्यटक गृह के निर्माण हेतु परियोजना के लिए 39.30 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में वार्षिक आधार पर छः यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित किया जाएगा एवं उनका विकास किया जाएगा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों एवं भारत सरकार के संबंधित विभागों के सघन समन्वय एवं सहयोग से अंतिम रूप दिया जाएगा एवं विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष समग्र विकास हेतु, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक प्रमुख गन्तव्य अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव है। तद्नुसार, तमिलनाडु में मामल्लापुरम को, गन्तव्य विकास योजना के अंतर्गत, विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

स्मारकों का नवीकरण

4117. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री अनंत नायक :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में "फरयाबाग", मल्लिकार्जुन मंदिर (घोटन) और बहादुरगढ़ (श्रीगोंड़ा) के विरासत स्थलों और धार में माडुं और बाग गुफाओं के नवीकरण हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) गत तीन वर्ष में इन स्मारकों के लिए स्मारक-वार और वर्ष-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार को अहमदनगर में "भुई-कोट-किला" और केंझरगढ़ में बल्दुजीव मंदिर तथा केउंझर और मयूरभंज में खिंचिग में किचिकेश्वरी मंदिर के खराब रखरखाव की जानकारी है जिनके तत्काल नवीकरण की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका नवीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) मांडु तथ बाघ स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को 10वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान, व्यापक संरक्षण एवं विकास के लिए शामिल किया गया है।

(1) फराबाग महल, अहमदनगर तथा (2) मल्लिकार्जुन मंदिर, घोटन, महाराष्ट्र के संरक्षण कार्य को भी वर्ष 2002-2003 के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में बहादुरगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ग) बाघ, मांडु, फराबाग स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्ष-वार व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

रुपए लाखों में

क्र० सं०	स्मारक का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	बाघ गुफाएं	5.98	2.35	9.44
2.	मांडु स्थित स्मारक	3.85	13.87	15.21
3.	फराबाग महल	0.10	0.64	2.67

घोटन स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर भली भांति परिरक्षित है और पिछले तीन वर्षों में इसकी मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

तथापि, इस मंदिर के अनुरक्षण के लिए चालू वर्ष में 25,000/- रुपए का आवंटन किया गया है।

(घ) से (च) अहमदनगर में "भुई-कोट-किला", क्योंझार स्थित बलदेवज्यू मंदिर तथा मयूरभंज जिला, उड़ीसा के किचिंग स्थित किचिकेश्वरी मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं हैं और वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में नहीं आते।

बेड़े का विस्तार रोकना

4118. **श्री टी०एम० सैल्वागनपति :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश के संबंध में स्पष्ट नीति न होने के कारण एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े के विस्तार के कार्यक्रम को चलाने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसा नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस के बेड़े के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। एअर इंडिया अपने विमान बेड़े को बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस प्रस्ताव

को अन्तिम रूप देते ही सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

बाजार हस्तक्षेप योजना

4119. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की मंजूरी के पश्चात् बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत उन राज्यों जिन्होंने इस संबंध में अनुरोध किया था का राज्यवार, प्राप्त होने वाला केन्द्रीय हिस्सा कितना है;

(ख) आज तक केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों को केन्द्रीय हिस्सा शीघ्रता से जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मंडी हस्तक्षेप स्कीम से हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित राज्यों ने अनुरोध किया है :–

राज्य	जिला	वर्ष
कर्नाटक	प्याज/आलू	1996-97
कर्नाटक	प्याज/आलू	1997-98
कर्नाटक	आयल पाम	2001-02
आंध्र प्रदेश	मिर्च	1996-97

(ख) और (ग) प्रतिपूर्ति लंबित रहने का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त प्रपत्र में लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत नहीं करना है। केन्द्रीय सरकार का अंश संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त खातों के उचित सत्यापन के बाद निर्गत किया जायेगा।

कृषि निर्यात के संबंध में विश्व व्यापार संधि

4120. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि निर्यात संबंधी वर्तमान विश्व व्यापार संधि का स्थान लेने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार की धारा 20 में उचित तथा बाजारोन्मुखी कृषि व्यापार व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से कृषि संबंधी करारों के प्रवर्तन के लिए 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ विचार-विमर्श सुधार प्रक्रिया जारी रखने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2000 से शुरू करने का प्रावधान है। दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में नवम्बर, 2001 में मंत्रियों द्वारा सहमत विचार-विमर्श संबंधी अधिदेश में घरेलू सहायता कम करने तथा निर्यात राजसहायता को क्रमशः समाप्त करने के उद्देश्य से इसमें कमी लाने तथा बाजार तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करने का प्रावधान है। विकासशील देशों से विशेष तथा प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार करना विचार-विमर्श के सभी तत्वों का अभिन्न अंग है। विचार-विमर्श 1 जनवरी, 2005 तक पूरा हो जाएगा।

इस विचार-विमर्श ने भारत की स्थिति एवं दृष्टिकोण के बारे में राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों, राजनैतिक दलों, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों, अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि क्षेत्र के अन्य पणधारियों के साथ समय-समय पर किए जाने वाले परामर्श के बाद निर्णय लिया जाता है।

मेटलर्जिकल कोक का आयात

4121. **श्री विक्रम केशरी देव** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चीन के संबंधित मंत्रालय के साथ मेटलर्जिकल कोक के आयात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन के अनुसार चीन से कितनी मात्रा में मेटलर्जिकल कोक का आयात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन करार के अंतर्गत चीन से अधिप्राप्ति के लिए धातुकर्मीय कोक की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) करार की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :–

– दोनों पक्षों को बोध है कि चीन सरकार के नियमों के अनुसार केवल 7 कंपनियां चीन मूल के कोक का भारत को निर्यात करने के लिए प्राधिकृत हैं।

– मंत्रालय यह भी समझता है कि भारतीय कंपनियां केवल प्राधिकृत 7 कंपनियों से ही कोक का आयात कर सकती है।

– सी०सी०सी०एम०सी० (चाइना चैंबर ऑफ कामर्स ऑफ मैटल्स, मिनरल्स एंड कैमिकल्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स) यह जिम्मेदारी भी लेता है कि सी०सी०सी०एम०सी० की 7 सदस्य कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्यों पर आपूर्ति/खरीद हेतु भारतीय क्रेताओं के साथ दीर्घकालीन करार करने पर सहमत होंगी।

– दोनों पक्ष समझते हैं कि बाजार जोखिम से बचने और आपूर्ति में अनिश्चितता समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था की जाएगी।

– अनुबंध/करार पूरा करने की जिम्मेदारी उन चीनी और भारतीय कंपनियों की है जिनके साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाता है।

– मंत्रालय और सी०सी०सी०एम०सी० चीनी आपूर्तिकर्त्ताओं और भारतीय क्रेताओं के बीच हस्ताक्षरित करार/अनुबंध के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे और दोनों पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने हेतु सभी को स्वीकार्य संतोषजनक हल ढूंढने में सहायता करेंगे।

– भावी सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार करने के लिए मंत्रालय और सी०सी०सी०एम०सी० भविष्य में समय-समय पर बैठकें करेंगे।

दक्षिणेश्वर मंदिर को खतरा

4122. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर को गंगा से अपरदन का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिणेश्वर न्यास ने इस संबंध में सरकार से हस्तक्षेप की कोई अपील की है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा तैयार किया गया, और पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अग्रेषित एक प्रस्ताव पर्यटन विभाग, भारत सरकार के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की जांच की जा रही है जिसमें परियोजना लागत का 30% अंश राज्य सरकार द्वारा तथा 70% अंश भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

रोजगार सृजन

4123. **श्री एन०एन० कृष्णदास :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने ढांचागत सुधारों का रोजगार की वृद्धि पर प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में वर्तमान रोजगार सृजन से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार अवसरों के सृजन पर ढांचागत सुधारों के प्रभाव का अनुभवजन्य आकलन करने संबंधी किसी अध्ययन की न तो योजना आयोग और न ही श्रम मंत्रालय को कोई जानकारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समय-समय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार वर्ष 1994-2000 के दौरान 1.03% प्रतिवर्ष श्रम बल वृद्धि की तुलना में रोजगार वृद्धि दर लगभग 0.98% प्रतिवर्ष रही।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों के सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

चन्नकेशव स्वामी मन्दिर में "हैंडी ऑडियो रिमोट किट"

4124. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के हासन जिले में चन्नकेशव स्वामी मन्दिर, बेलूर में पर्यटकों के लिए "हैंडी ऑडियो रिमोट किट" उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बेलूर में एक यात्री निवास का निर्माण करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) प्रस्ताव के गुण-दोषों के आधार पर एवं धन की उपलब्धता की शर्त पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन

4125. **श्री रामशकल :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कितने व्यवसाय संघ कार्यरत है;

(ख) क्या व्यवसाय संघों की संख्या को कम करने और उन्हें प्रभावी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यवसाय संघ अधिनियम में कोई संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) राष्ट्रीय स्तर पर 12 केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में हाल ही में संशोधन किया गया था तथा संशोधित उपबंध 09.01.2002 से प्रवर्तित हो गए हैं। संशोधनों में व्यवसाय संघों की संख्या को कम करने, आन्तरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने, व्यवसाय संघों के निचले स्तर पर नेतृत्व तथा उनके क्रमबद्ध विकास और विनियमन को सुविधाजनक बनाने पर बल दिया गया है।

ताज के आसपास ईंट भट्टों पर प्रतिबंध

4126. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट भट्टे विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ताज को बचाने के लिए आगरा में भट्टों पर प्रतिबंध लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए एक आयोग का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग ने प्रतिबन्धित क्षेत्रों में ईंट भट्टों को खोलने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो क्यार इससे ताज को नुकसान नहीं पहुंचेगा; और

(च) इस प्रकार की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, ईंट भट्टों जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों के प्रचुरोद्भव को विनियमित करने के लिए ताज समलम्ब क्षेत्र (ता०स०क्षे०) परियोजना तैयार की गई है। उच्चतम न्यायालय ने आगरा में महत्वपूर्ण स्मारकों से 20 कि०मी० की परिधि के भीतर ईंट भट्टों पर निषेध लगा दिया है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, यह पता करने के लिए कि क्या ईंट भट्टों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाया जा रहा है और महत्वपूर्ण स्मारकों से ईंट भट्टों की दूरी सत्यापित करने के लिए, एक संयुक्त निरीक्षण समिति गठित की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन और सहायता

4127. **श्री जी०एस० बसवराज :**
डा० बलिराम :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक पुनर्गठित किए जाने की संभावना है;

(घ) गत वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितने रोजगार का सृजन किया गया है और कितने गांव इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं;

(ङ) क्या सिडबी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) गठित किया गया है, और उसका विवरण निम्नोक्त है :

1. उत्तरी क्षेत्र	सदस्य	डा० महेश शर्मा, नई दिल्ली	पूर्णकालिक
2. दक्षिण क्षेत्र	सदस्य	श्री एस० राजगोपाल, मदुरै, तमिलनाडु	अंशकालिक
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	सदस्य	श्री खिरेन रिज्जु अरूणाचल प्रदेश	अंशकालिक
4. पूर्वी क्षेत्र	सदस्य	श्री देवदास आप्टे, रांची (झारखंड)	अंशकालिक
5. केन्द्रीय क्षेत्र	सदस्य	श्री प्रदीप भार्गव, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	अंशकालिक
6. पश्चिमी क्षेत्र	सदस्य	श्री हरीश सी शाह, मुम्बई, महाराष्ट्र	अंशकालिक
7. विशेषज्ञ सदस्य		श्री बनवारी लाल गौड़ जयपुर (राजस्थान)	अंशकालिक
8. विशेषज्ञ सदस्य		श्री मार्तण्ड सिंह, महरौली, नई दिल्ली	अंशकालिक
9. पदेन सदस्य		वित्तीय सलाहकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	
10. पदेन सदस्य		मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	

डा० महेश शर्मा को 2 अक्तूबर 2001 को अध्यक्ष, के०वी०आई० सी० नियुक्त किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 2001-2002 के दौरान देश में, के०वी०आई०सी० के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के अंतर्गत 3.43 लाख रोजगार अवसर सृजित किए गए थे। ग्राम-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से तैयार ही किया जाता है, तथापि देश के सभी ग्राम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलाब का उत्पादन

4128. श्री वाई०वी० राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में वाई०एस० परमार विश्वविद्यालय ने गुलाब उगाने की सस्ती और बेहतर तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुलाब उगाने वालों को यह तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए इस किस्म पर कोई परीक्षण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में परियोजनाओं की जांच

4129. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित बैठक हाल ही में संपन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू और कश्मीर में कुछ परियोजनाओं के निरीक्षण की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) स्थाई सिंधु आयोग ने अपनी पिछली बैठक (87वीं) 28 मई से 1 जून, 2002 तक नई दिल्ली में आयोजित की।

(ख) और (ग) पाकिस्तानी आयुक्त ने बैठक के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर सलाल, बगलीहर और दुलहस्ती संयंत्रों के निरीक्षण के लिए विशेष दौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। यह दौरा अभी तक नहीं किया गया है।

यातायात के विकास के लिए रणनीति

4130. **श्री विष्णु पद राय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह के संघ राज्य प्रशासन ने वर्ष 2025 तक यातायात की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य प्रशासन द्वारा तैयार किए गए वर्ष 2025 तक के लिए यातायात की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक विकास रणनीति संबंधी योजना योजना आयोग के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक स्वीकृत हो जाएगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में टेक्नॉलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना

4131. **श्री पी०सी० थॉमस** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा टेक्नॉलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स अपनाने को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से एक ऐसी ही परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने टेक्नॉलाजी बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना के वास्ते एक अवधारणा-रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उनसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समेत विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खाद्य तेल का उत्पादन

4132. **डा० एन० वेंकटस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खजूर तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) कृषकों को खजूर तेल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या विभिन्न प्रोत्साहन उपाय और अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) दसवीं योजना के लिए खजूर तेल की खेती के लिए कितनी एकड़ भूमि का उपयोग किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) खजूर तेल की खेती के लिए किन राज्यों की पहचान की गयी है; और

(ङ) दसवीं योजना के अंतर्गत खजूर तेल की खेती के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पनाम आयल के उत्पादन के

कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ०पी०डी०पी०) के तहत क्षेत्र कवरेज के लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) ओ०पी०डी०पी० के तहत रोपण सामग्री, कृषि आदानों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना, डीजल पम्पसेटों, प्रशिक्षण, बंजर भूमि के विकास, विस्तार एवं प्रचार, स्थापना एवं स्टाफ, अग्रणी प्रदर्शनों, पत्ता पोषक तत्व विश्लेषण प्रयोगशालाओं, भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीनोटाइपों के परीक्षण की लागत के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) दसवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान ओ०पी०डी०पी० के तहत कवर किए जाने के लिए 50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) इस समय आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और केरल राज्यों को ओ०पी०डी०पी० के तहत कवर किया जाता है।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ०पी०डी०पी० के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स के लिए अवकाश पैकेज

4133. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स नेपाल पर्यटन के साथ मिलकर अवकाश पैकेज दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस तिथि से यह पैकेज प्रभावी होगा ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के साथ मिलकर निम्नलिखित 11 भारतीय शहरों से काठमांडू के लिए होलिडे पैकेज आरंभ किए हैं :–

दिल्ली जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, अमृतसर, कोचीन, हैदराबाद, बंगलौर तथा कायेम्बतूर।

इस पैकेज में भाग लेने वाले होटल (3 से 5 स्टार तक) इस प्रकार हैं :–

एवरेस्ट होटल, होटल याक एंड येती, हयात रीजेंसी काठमांडू, होटल सोलती, क्राऊन प्लाजा, ग्रांड होटल और शांगरीला होटल।

पैकेज अवधि :

3 रात/4 दिन

2 रात/3 दिन (कोलकाता से)

इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं :

– आने और जाने के लिए इकोनोमी क्लास में (20 प्रतिशत की छूट सहित) विमान का टिकट।

– चुने हुए होटल में ठहरना (इसके लिए विशेष रेट तय किए गए हैं)।

– हवाई अड्डे से शहर और शहर से हवाई अड्डा आना-जाना।

– नाश्ता।

– देखने योग्य स्थानों का दौरा।

(ग) यह पैकेज 15 नवम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक लागू रहेगा।

[हिन्दी]

सूखाग्रस्त राज्यों को क्षतिपूर्ति

4134. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिनन मदों के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थिति से निपटने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विशेषत: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सूखे की स्थिति से भविष्य में निपटने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं के समय तत्काल राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश निर्गत करने के अलावा वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से निर्गत सहायता राशि तथा सूखे के लिए राहत रोजगार हेतु आवंटित खाद्यान्न का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आवश्यक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

विवरण

सूखा प्रभावित राज्यों को प्रतिपूर्ति

क्र० सं०	राज्य	एन०एफ०सी०आर०/एन०सी०सी०एफ० से निर्गत सहायता (करोड़ रुपये में)			निर्गत खाद्यान्न (लाख मीटरी टन	
		1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01 और 2001-02
1.	आन्ध्र प्रदेश	75.36	–	–	–	16.50
2.	छत्तीसगढ़	– @	40.00	18.94 *	–	5.28
3.	गुजरात	54.58	85.00	27.00 *	–	1.48
4.	हिमाचल प्रदेश	–	–	18.98 *	–	0.12
5.	जम्मू और कश्मीर	73.42	–	23.20 *	–	–
6.	कर्नाटक	17.09 #	–	–	–	1.00
7.	मध्य प्रदेश	38.86 #	35.00	22.72 *	–	2.52
8.	मणिपुर	4.93	–	–	–	–
9.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	1.50
10.	मिजोरम	6.00	–	–	–	–
11.	उड़ीसा	–	35.00	14.62	–	2.50 #
12.	राजस्थान	102.93	85.00	78.97 *	–	7.40
13.	त्रिपुरा	5.34	–	–	–	–

एन०एफ०सी०एफ० – राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

एन०सी०सी०एफ० – राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष

* – वर्ष 2000-01 के सूखे के लिए

@ – वर्ष 1999-2000 के दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था।

\# – सूखे तथा बाढ़ के लिए

[अनुवाद]

कृषकों को कृषि भूमि देना

4135. श्री भानसिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कुल कितने किसानों की श्रेणी-वार कृषि संबंधी ऋण दिया गया है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के किसानों से अब तक ऋण की कितनी राशि वसूली की गई है; और

(ग) बड़े किसानों से ऋण वसूली के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चुन्नीलाल नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में जिन किसानों को कृषि ऋण दिया गया था उनकी कुल संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) श्रेणी-वार वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों ने मिलकर पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों से 11223.27 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है।

(ग) ऋणी व्यक्तियों से देय राशि वसूल करने के लिए पंजाब सरकार के पास दो वसूली अधिनियम अर्थात पंजाब लोक धन (देयताओं की वसूली) अधिनियम, 1983 और पंजाब कृषि ऋण कार्य एवं विविध प्रावधान (बैंक) अधिनियम, 1978 हैं। इन अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, किसानों से ऋणों की तेजी से वसूली के लिए बैंकों द्वारा एक बारगी निपटान योजना चलाई जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में उन किसानों की श्रेणी-वार कुल संख्या, जिन्हें कृषि ऋण प्रदान किया गया था, दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	2.5 एकड़ तक	2.5 एकड़ से ऊपर 5 एकड़ तक	5 एकड़ से ऊपर	कुल
1999-2000	82260	62312	94275	238847
2000-2001	356147	64904	103549	524600
2001-2002	541218	86655	119912	747785

स्रोत : नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन

4136. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम को किस प्रकार की सेवाएं देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने पारस्परिक सहमति शर्तों पर आरक्षण और विपणन, नए पैकेजों का विकास, पर्यटक साहित्य का प्रचार और मुद्रण, पर्यटन कार्यक्रम प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, साहसिक पर्यटन, परियोजना कार्यान्वयन, हरिटेज परिसम्पत्तियों और स्मारकों का विकास और तकनीकी और आर्थिक परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार के लिए सहयोग और सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि

4137. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त धनराशि इस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण तथा वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेशण, तैयारी, कार्यान्वयन ओर वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से अपनी प्राथमिकाताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए राज्यवार कुल संभावित व्यय 48,259.08 करोड़ रुपए है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने भी 500.00 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाली वृहद सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, जोकि राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं, को शीघ्र पूरा करने तथा निर्माण की अंतिम अवस्था वाली अन्य परियोजाओं को भी पूरा करने में राज्यों की सहायता के वास्ते वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	रुपये करोड़ में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4207.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.73
3.	असम	288.77
4.	बिहार	1909.62
5.	छत्तीसगढ़	240.97
6.	गोवा	245.45
7.	गुजरात	5454.48
8.	हरियाणा	1109.93
9.	हिमाचल प्रदेश	65.09
10.	जम्मू व कश्मीर	167.56
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	8700.51
13.	केरल	685.47
14.	मध्य प्रदेश	2224.63
15.	महाराष्ट्र	13087.27
16.	मणिपुर	177.43
17.	मेघालय	10.48
18.	मिजोरम	0.14
19.	नागालैंड	0.86
20.	उड़ीसा	2410.23
21.	पंजाब	516.11
22.	राजस्थान	1735.13
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	1292.17
25.	त्रिपुरा	33.63
26.	उत्तर प्रदेश	3028.51
27.	उत्तरांचल	41.19
28.	पश्चिम बंगाल	680.48
	कुल	48254.90
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा व नगर हवेली	3.38
32.	दमन व दीव	0.8
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	48259.08

विवरण-II

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता					जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	74.000	79.670	65.015	95.020	281.660	595.365
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.000	0.000	7.500	7.500	15.000	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	12.400	13.950	14.540	24.077	14.521	79.488
4.	बिहार	5.150	36.185	129.695	148.440	3.420	322.890
5.	छत्तीसगढ़	4.500	9.500	10.520	13.930	48.200	86.650
6.	गोवा	5.250	0.000	3.500	61.650	58.000	128.400
7.	गुजरात	196.900	423.820	272.700	421.850	581.690	1896.960
8.	हरियाणा	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000
9.	हिमाचल प्रदेश	6.500	5.000	11.047	18.015	3.244	43.806
10.	जम्मू व कश्मीर	0.000	0.000	4.680	10.460	11.070	26.210
11.	झारखंड	8.890	11.640	14.345	9.050	10.820	54.745
12.	कर्नाटक	90.500	94.500	157.140	171.000	492.500	1005.640
13.	केरल	15.000	0.000	0.000	22.400	11.275	48.675
14.	मध्य प्रदेश	110.000	81.250	95.325	151.328	215.410	653.313
15.	महाराष्ट्र	55.000	50.860	49.875	97.020	39.100	291.855
16.	मणिपुर	26.000	10.780	21.810	1.500	9.360	69.450
17.	मेघालय	0.000	0.000	2.694	5.512	4.470	12.676
18.	मिजोरम	0.000	0.000	1.433	1.433	2.000	4.866
19.	नागालैंड	0.000	0.000	2.730	5.000	5.000	12.730
20.	उड़ीसा	85.000	71.500	90.250	100.320	168.475	515.545
21.	पंजाब	100.000	0.000	42.000	55.620	113.690	311.310
22.	राजस्थान	42.000	140.050	106.665	78.467	96.315	463.497
23.	त्रिपुरा	5.100	3.975	34.653	13.883	21.063	78.674
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.	उत्तर प्रदेश	78.000	76.500	286.000	315.900	354.690	1111.090
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	पश्चिम बंगाल	20.000	10.000	25.000	26.825	38.608	120.433
28.	सिक्किम	0.000	0.000	1.360	0.000	2.400	3.760
	कुल	952.19	1119.18	1450.48	1856.20	2601.98	7980.03

संरक्षित क्षेत्रों को अलग करना

4138. श्री विनय कुमार सोराके : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्स सीनिंग फॉर्चून, स्क्वाइड जिगिंग, पेलैजिक ट्रालिंग और मछली पकड़ने में लगी नौकाओं को समुद्र/महासागर में एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश वर्जित करने का कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र भी प्रस्तावित विनियम के अंतर्गत लाए जाएंगे; और

(ग) प्रस्तावित पुनरीक्षित मानदंडों के उद्देश्यों क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4139. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लागू होने के समय से संयत्रवार कितने कर्मचारियों/कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की; और

(ग) क्या इस बारे में कोई समीक्षा की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। सेल में विभिन्न स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :–

संयंत्र	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1998-99	1999-00	2001-02	2002-03 (अगस्त, 02 तक)
बीएसपी	1148	2983	832	743	1110	1005	1134	1170	3397	1354	1296
डीएसपी	163	386	295	337	510	340	511	1254	3184	413	466
आरएसपी	188	535	480	603	711	562	605	1201	2619	1251	428
बीएसएल	18	105	77	69	216	93	129	908	1233	1611	650
एएसपी	6	33	49	83	87	68	90	650	1529	410	407
एसएसपी	0	1	1	1	2	3	5	38	61	69	90
वीआईएसपी	0	0	0	596	683	334	494	113	187	1000	209
अन्य	12	71	54	20	148	121	185	641	1407	402	312
योग	1535	4114	1788	2452	3467	2526	3153	5975	13617	6510	3858

*वी०आई०एस०पी० सेल की सहायक कंपनी थी और 1998 में इसका विलय सेल में हो गया।

**2000-2001 के दौरान कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं थी।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने विशाखापत्तनम स्थित अपने संयंत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू नहीं की है।

(ग) इस्पात मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार सेल की जनशक्ति को 2004-025 तक 1,00,000 तक किया जाएगा। 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति लगभग 1,41,000 है अत: सेल द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है।

नदियों को जोड़ना

4140. श्री जे०एस० बराड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नदियों को जोड़ने हेतु कौन सी योजनाएं तैयार की गयी है;

(ख) क्या ये योजनाएं राज्यों में कृषि कार्य हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण कौन है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय पहले सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के

अधिकतम उपयोग के लिए जल को जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानांतरित करने के वास्ते प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्षय योजना में 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन एवं अन्य अध्ययनों तथा संभाव्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की सथापना एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने संभाव्यता रिपोर्टों को तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्कों (लिंक्स) को अभिज्ञात किया है और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों (लिंक्स) की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। केन्द्र सरकार ने जल के बंटवारे तथा जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल के हस्तांतरण के वास्ते राज्यों के बीच आम सहमति बनाने तथा तत्काल कार्यान्वित करने के लिए वरीयता वाले संपर्कों का पता लगाने के साथ-साथ उनकी स्वीकृति, वित्त पोषण आदि के तौर-तरीके सुझाने के वास्ते उचित तंत्र बनाने के लिए एक कार्य बल गठित किया है।

गौशालाओं को सूखा राहत

4141. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान और गुजरात की गोशालाओं को सूखा राहत के लिए सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और गुजरात की कुछ गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार ने उन्हें भारतीय वन्यजीव बोर्ड के माध्यम से भी सहायता प्रदान की है। 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि के दौरान भारतीय वन्यजीव बोर्ड और राजस्थान तथा गुजरात की कुछ गौशालाओं को सूखा राहत के रूप में कुल मिलाकर 1.92 करोड़ रु० की सहायता प्रदान की गई।

चालू वर्ष के दौरान सूखा सहायता के रूप में कुल 41.50 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है। राज्य की पात्र गौशालाओं को सहायता के उद्देश्य से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर को पहली किश्त के रूप में 5.00 लाख रु० की धनराशि जारी की जा चुकी है। गुजरात सरकार से सहायता के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

परिचालन लागत में वृद्धि

4142. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू उड़ानों अपरिचालन करने वाली देश की 3 प्रमुख विमान कंपनियों ने विमान परिचालन पर आने वाली लागत में वृद्धि को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करने हेतु हाल ही में संयुक्त रूप से सरकार के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विमान परिचालन में आने वाली लागत को कम करने के मामले में इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस और सहारा एयरलाइंस की ऐसी कितनी मांगें हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं।

(घ) विमानों को उतारने और इनकी पार्किंग पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 3 प्रमुख अंतर्देशीय एयरलाइनों द्वारा दिए गए अभ्योवदन के संदर्भ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगाये गए हवाईअड्डा प्रयोगकर्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है।

हैदराबाद से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें

4143. श्री के० येरननायडू :
श्री रामनायडू दग्गुबाटि :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से हांगकांग और खाड़ी क्षेत्र को अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) गल्फ के विभिन्न स्थानों जैसे कि दुबई, रियाद, दम्माम, मस्कट, बहरीन, कुवैत आदि के लिए हैदराबाद से विमानों के प्रचालन के शुरूआत/पुन: प्रचालन किए जाने का अनुरोध समय-समय पर आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि यू०एस०ए० के पश्चिमी तटीय प्रदेशों के साफ्टवेयर प्रोफेसनलों की यातायात सुविधा के लिए हैदराबाद तथा हांगकांग के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की जाए। मौजूदा समय में, गल्फ के विभिन्न स्टेशनों जैसे कि दुबई, कुवैत, शारजाह तथा मस्कट के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ान की जा रही है। इसके अलावा अमीरात तथा कतर एयरवेज द्वारा क्रमश: दुबई तथा दोहा से हैदाराबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा की जा रही है। यू०एस०ए० के पश्चिमी भाग की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले साफ्टवेयर व्यवसायी अब कुआलालम्पुर तथा सिंगापुर होते हुए जा सकते हैं। इन दोनों स्थानों के लिए हैदाराबाद से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के विरूद्ध सतर्कता संबंधी मामले

4144. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और एयन इंडिया/इंडियन एयरलाइंस/पवन हंस/डीजीसीए/बीसीएएस जैसे अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के विरूद्ध सतर्कता संबंधी मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय, महानिदेशक, नागर विमानन (ना०वि०नि०) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), एयर इंडिया लि०(एआईएल), इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड (आईएएल) तथा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि० के दोषी कर्मचारियों के लंबित सतर्कता मामले का विवरण निम्नानुसार हैं जिनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं:-

संगठन का नाम	लंबित मामलों की संख्या
नागर विमानन मंत्रालय/डीजीसीए	03
बी.सी.ए.एस.	01
एयर इंडिया लिमिटेड	34
इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड	23
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स	05

दोषी कर्मचारियों पर लगाये गए आरोप की प्रक्रिया को पूरा होने तथ साबित होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की भूमि का हस्तान्तरण

4145. श्री रामनायडू दग्गुबाटि :

श्री के. येरननायडू :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बात का अनुरोध किया है कि गंगावरम में विश्व स्तरीय पत्तन का विकास करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की 200 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) गंगावरम में एक लघु पत्तन विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 1997 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी एस पी) की 2000 एकड़ भूमि के लिए अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ यथोचित विचार-विमर्श करने के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी एस पी) को कुछ शर्तों जिनमें 700 एकड़ भूमि का भूमि के बदले लागत आधार पर अन्तरण शामिल है, पर कुल 1400 एकड़ भूमि का अन्तरण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ करार करने के लिए अक्तूबर, 2002 में अनुमति दी।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा ट्रेवेल एजेन्टों को कमीशन

4146. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने इंडियन एअरलाइन्स एजेन्ट कार्यरत हैं और दिल्ली में उनकी संख्या क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अब तक दिए गए कमीशन का एजेन्ट-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) दिनांक 30.11.2002 को इंडियन एयरलाइंस द्वारा अनुमोदित देश में कार्यरत पैसेन्जर सेल्स एजेन्टों की कुल संख्या 1724 हैं दिनांक 30.11.2002 को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अनुमोदित दिल्ली में पैसेन्जर सेल्स एजेन्टों की कुल संख्या 267 है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एलायंस एयर द्वारा विगत दो वर्षों में दिये गये कुल ऐजेन्सी कमीशन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	करोड़ रुपयों में
2000-01	310
2000-02	290

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र को आबंटन

4147. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वर्षों से योजना आयोग द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि आधे से भी कम आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) योजना आयोग ने बजटीय बाधाओं के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि विकास के लिए प्रस्तावित धनराशि से कम आबंटन किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने क्षेत्रीय रूप से भिन्न नीति के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे खेतों पर जल प्रबंध, कृषि का बृहत् प्रबंध, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन तथा नारियल प्रौद्योगिकी मिशन। देश में इन कार्यक्रमों के अलावा कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे जल के इष्टतम उपयोग के लिए छोटी सिंचाई की तकनीकों को बढ़ावा देना, कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार, तिलहन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र में सुधार तथा पनधारा विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्गत धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1999-2000	2000-20001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6175.51	3914.84	4235.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	475.05	761.31	1216.81
3.	असम	386.91	1099.27	1798.80
4.	बिहार	240.70	419.59	1844.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	963.00	1610.05
6.	गोवा	202.06	49.12	222.15
7.	गुजरात	4789.31	4713.47	3108.33
8.	हरियाणा	1648.80	1833.74	1988.36
9.	हिमाचल प्रदेश	1116.09	1338.17	1896.97
10.	जम्मू और कश्मीर	1060.35	917.87	916.43
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	1175.49
12.	कर्नाटक	8159.30	7180.52	7039.95
13.	केरल	2571.59	3724.72	2698.61
14.	मध्य प्रदेश	7696.70	5506.69	6813.06
15.	महाराष्ट्र	8324.33	10633.31	10598.78
16.	मणिपुर	984.03	935.68	938.27
17.	मेघालय	598.02	724.74	969.27
18.	मिजोरम	894.94	1088.99	1766.82

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	1223.08	1489.72	1717.66
20.	उड़ीसा	4594.78	1680.81	2073.05
21.	पंजाब	1206.84	849.49	1063.00
22.	राजस्थान	8470.36	8133.23	6763.15
23.	सिक्किम	541.89	825.29	1292.44
24.	तमिलनाडु	5513.83	5665.59	5416.38
25.	त्रिपुरा	951.07	817.25	1609.10
26.	उत्तर प्रदेश	7603.00	7068.83	7938.75
27.	उत्तरांचल	0.00	882.00	1515.35
28.	प. बंगाल	1534.60	1537.09	2913.80
	कुल	76963.131	74754.33	83140.28

भोपाल से हैदराबाद और चेन्नई के लिए उड़ानें

4148. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय भोपाल से हैदराबाद और चेन्नई के लिए सीधी विमान सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भोपाल को दक्षिण भारत के राज्यों की राजधानियों से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल से हैदराबाद और चेन्नई वाले सैक्टर पर यात्रियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि इस सेक्टर पर सीधी उड़ान का प्रचालन किया जा सके।

(ग) और (घ) कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर किसी भी सेक्टर पर प्रचालन करने को स्वतंत्र है, बशर्ते कि उसके द्वारा मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जा रहा हो।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की पर्यटन परियोजनाएं

4149. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन सी पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तुत की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रगति की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) नौवीं योजना में, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से अभिनिर्धारित, बजट आवास, मार्गस्थ सुविधाएं, स्मारकों का सौंदर्यीकरण, पर्यटक गृह, पर्यटक बंगले, ध्वनि एवं प्रकाश शो, सूचना प्रोद्योगिकी आदि से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की हैं पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान देश में, महाराष्ट्र राज्य सहित 239.00 करोड़ रु० राशि की 967 परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। इन परियोजनाओं के लिए 112.41 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई।

(ग) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत की गई 967 परियोजनाओं में से 252 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

पर्यटन परियोजनाएं

4150. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में विशेषकर झारखण्ड और बिहार में कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई और क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) कितनी प्राइवेट एजेंन्सियां पर्यटकों को सूचना और अन्य सुविधाएं दे रही है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए प्राइवेट एजेन्सियों/आपरेटरों को लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, बिहार और झारखण्ड राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान 239.00 करोड़ रु० राशि की 967 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु, स्वीकृति दी हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 19 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 4.15 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है और झारखण्ड में इसकी स्थापना से पिछले दो वर्षों के दौरान, आठ परियोजनाओं के लिए 2.86 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग के पास ऐसे ट्रेवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों को मान्यता प्रदान करने की योजना है, जो स्वैच्छिक रूप से मान्यता के लिए आवेदन करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा, दस्तावेजों की संवीक्षा एवं पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पर्यटन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अभिकरण का निरीक्षण करने के उपरांत, मान्यता प्रदान की जाती हैं। बिहार में चार ट्रेवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों को मान्यता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

4151. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लाभ कमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 2001-02 से कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने ''सेमीफिनीशड तथा फिनीशड'' उत्पादों के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को वर्ष 2001-2002 में 262 करोड़ रुपए और 2002-2003 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 131 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंजर और अवक्रमित भूमि का पुनर्दावा

4152. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 60 मिलियन हेक्टेयर बंजर और अवक्रमित भूमि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे खेती या वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा रक्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार, कितनी धनराशि निर्धारित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के उपयोग के माध्यम से भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित ''भारत का बंजर भूमि एटलस 2000'' के अनुसार देश में बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि कुल 63.85 मिलियन हेक्टेयर हैं इसका राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि संसाधन विभाग की तीन प्रमुख पनधारा विकास स्कीमों अर्थात समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के कार्यान्वयन हेतु 44.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इन स्कीमों के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि का राज्यवार आबंटन किया जा रहा है। इनके अलावा दो पनधारा विकास कार्यक्रमों - वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम तथा नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण का कार्यान्वयन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए धनराशि का आबंटन राज्य सरकारों को वृहद प्रबंध पद्धति के अन्तर्गत आबंटित कुल धनराशि में से किया जाता है।

विवरण

देश में राज्य-वार बंजर भूमि

(क्षेत्र, 000 हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बंजर भूमि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5175.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1833.00
3.	असम	2002.00
4.	बिहार	2100.00
5.	छत्तीसगढ़	*
6.	गोवा	61.00
7.	गुजरात	4302.00
8.	हरियाणा	373.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3166.00
10.	झारखण्ड	**
11.	जम्मू और कश्मीर	6544.00
12.	कर्नाटक	2084.00
13.	केरल	145.00
14.	मध्य प्रदेश	6971.00
15.	महाराष्ट्र	5349.00
16.	मणिपुर	1295.00
17.	मेघालय	990.00
18.	मिजोरम	407.00
19.	नागालैंड	840.00
20.	उड़ीसा	2134.00
21.	पंजाब	223.00
22.	राजस्थान	10564.00
23.	सिक्किम	357.00
24.	तमिलनाडु	128.00
25.	त्रिपुरा	2301.00
26.	उत्तर प्रदेश	3877.00
27.	उत्तरांचल	***
28.	प. बंगाल	572.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28.00
30.	चण्डीगढ़	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	7.00
32.	दमन और दीव	4.00
33.	दिल्ली	14.00
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पांडिचेरी	4.00
	कुल	63850.00

* यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है।

** यह क्षेत्र बिहार में शामिल है।

*** यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल है।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

4153. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दौरान योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में शुरू की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के परिव्ययं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान आंध्रप्रदेश में शुरू की गई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उनके परिव्यय सहित ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :

(रुपए करोड़ में)

क्र० स०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	नौवीं योजना परिव्यय
वृहद परियोजना			
1	चागलनाडु लिफ्ट सिंचाई परियोजना	70.77	44.23 (मार्च, 2002 तक व्यय)
मध्यम परियोजनाएं			
1.	कोव्वादा कालवा	52.11	52.11
2.	सुब्बारेड्डी सागर	10.10	10.10
3.	सुरमपालेम	44.38	44.38
4.	सुद्दावागु	48.36	48.36
5.	येर्रावागु (पी पी राव)	35.77	35.77
6.	पेड्डेरू (विजाग)	38.67	0.00
7.	पोड्डागाड्डा	40.00	0.00
8.	थोटापल्ली बैराज	460.00	0.00
9.	थाराकारमा तीर्थ सागरम	274.45	0.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) नौवीं योजना के दौरान सभी 10 परियोजनाओं को शुरू किया जाना था परन्तु जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति और योजना आयोग द्वारा उन्हें अनुमोदित/स्वीकृत नहीं किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ऋण सहायता से शुरू की गई चागलनाडु लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 31.12.2002 तक पूरा किया जाना है इसकी वितरिका प्रणाली को लाभग्राही किसानों के अंशदान के साथ शुरू किए जाने की योजना थी लेकिन सूखे की स्थिति के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। इसके नाबार्ड की ऋण सहायता से जून, 2003 तक पूरा होने की आशा है 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं (क्रम संख्या 1 से 6 तक) पूरी होने वाली हैं। शेष 3 मध्यम परियोजनाओं का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण तथा मौजूदा नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, कार्यान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

खादी उत्पादों की विपणन प्रणाली

4154. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा "खादी" ब्रांड नाम से अनेक खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री के लिए एजेन्ट नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई इस विपणन प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कांडिया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अक्तूबर, 2002 से एक "फ्रैनचाइज एजेन्सी स्कीम" आरम्भ की है, जिसके अनुसार निजी शोरूमों के मालिकों को खादी एवं ग्रामोद्योग

उत्पादों के चुनिंदा ब्रांड के भंडारण और विक्रय का अधिकार दिया गया है।

नारियल में लगने वाला कीड़ा

4155. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय एशोसिएशन के कृषि स्नातक विशेषज्ञों ने किसानों से कहा है कि वे नारियल में लगने वाले कीड़ों की रोकथाम करने के लिए कोई रासायनिक उपाय करने से तुरंत बाज आये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषज्ञों द्वारा क्या ऐहतियाती उपाय सुझाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक के नारियल उत्पादकों को सहायता देने हेतु सहमत हो गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) एसोसिएशन ने नारियल की कुटकी की रोकथाम करने के लिए केवल वानस्पतिक नाशीजीवनाशियों के प्रयोग का सुझाव दिया है।

(ग) विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नारियल की कुटकी के विरूद्ध विशेषकर नीम आधारित फार्मूलेशन वाले वानस्पतिक नाशीजीवनाशकों को प्रभावकारी पाया।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 से 2001-02 के दौरान नारियल की कुटकी की रोकथाम के लिए कर्नाटक को 1350.40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय वन कालेज

4156. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय वन कालेज खोले जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस राज्य में उक्त कालेज की स्थापना की संभावना का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया की भविष्य निधि की धनराशि का निवेश

4157. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जहां एयर इंडिया के भविष्य निधि न्यास की धनराशि का निवेश किया जा रहा है और प्रत्येक फर्म में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है उससे कितना लाभ मिला;

(ख) क्या इसमें कोई चूक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

केरल को "विशेष पर्यटन क्षेत्र" में सम्मिलित करना

4158. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल को "विशेष पर्यटन क्षेत्र" में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता दी गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की तत्कालीन योजना के अनुसार केरल राज्य में, बेकल को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में, अभिनिर्धारित किया गया था। केरल राज्य ने इस प्रयोजन के लिए बेकल विकास प्राधिकरण की स्थापना की है बेकल के एकीकृत विकास हेतु एक परियोजना के लिए, 1991-92 के दौरान 190 लाख रु० की राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि को बढ़ावा देना

4159. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की अवधि में बिहार में, वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस राज्य में, वर्ष-वार, कितना कृषि उत्पादन बढने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) बिहार राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण स्कीमें निम्नवत हैं :-

1. कृषि का वृहत् प्रबंध
2. खेतों पर जल प्रबंध
3. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
5. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
6. कृषि क्लीनिकों की स्थापना
7. ग्रामीण गोदामों का निर्माण

वृहत प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र/अचल/फसल संबंधी हस्तक्षेप के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त सुविधा दी गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार को 67 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। धनराशि के राज्यवार आबंटन एवं उत्पादन लक्ष्यों को भी अंतिम रूप योजना अवधि के दौरान वर्ष प्रति वर्ष आधार पर दिया जाता है।

[अनुवाद]

आवासों को स्मारकों में बदलना

4160. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** 5 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के राष्ट्रीय नेताओं के पैतृक आवासों को राष्ट्रीय स्मारकों/संग्रहालयों में बदलने की नीति बनाने संबंधी सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई थी जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कान्हा अभयारण्य का विकास

4161. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कान्हा अभयारण्य द्वारा पूरे विश्व के पर्यटकों को आकृष्ट किये जाने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कितने घरेलू और विदेशी पर्यटक कान्हा आए और उक्त अवधि के दौरान इससे भारतीय और विदेशी दोनों मुद्राओं में कुल कितनी आय हुई; और

(ग) पर्यटन और इस वन अभयारण्य की पारिस्थितिकी की बीच संतुलन बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार गंतव्य-वार पर्यटक आगमनों एवं उससे हुई विदेशी मुद्रा आय के आकंड़े नहीं रखता है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, पिछले दो वर्षों के दौरान कान्हा आए घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:-

पर्यटक आगमनों की संख्या		
वर्ष	घरेलू	विदेशी
1997-1998	41,026	2,244
1998-1999	40,383	2,454
1999-2000	41,816	2,483
2000-2001	43,960	2,688
2001-2002	51,655	1,761

(ग) भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग एवं गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ परामर्श करके वर्ष 1998 में भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन पर नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। इस नीति का उद्देश्य, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, उन्हें बनाए रखना एवं समृद्ध बनाना और इसके पर्यावरणीय संरक्षण एवं सामुदायिक विकास के सकारात्मक प्रभावों के साथ, पारिस्थितिकी पर्यटन की विनियमित वृद्धि सुनिश्चित करना है।

एयर इंडिया की एजीएम सेक्यूरिटी को बहाल करना

4162. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया की एजीएम सुरक्षा दो अफगानी नागरिकों द्वारा फ्लाइट एयर इंडिया 111 से लंदन की गैर-कानूनी यात्रा करने संबंधी मामले में सुरक्षा की तथाकथित खामियों के कारण सरकार द्वारा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे पुन: बहाल कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसे उसी स्थिति में पुन: बहाल करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। दिनांक 28 अक्तूबर, 2001 की दो यात्रियों (छद्म यात्री के रूप में अफगानी नागरिक) द्वारा बिना उपयुक्त यात्रा कागजातों के उड़ान एआई-111 पर लंदन की यात्रा करने के संबंध में एयर इंडिया के तीन अन्य अधिकारियों के साथ श्री जी०एस० बंकोटी, सहायक महाप्रबंधक, सुरक्षा को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा कार्यों में हुई लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। एयर इंडिया के सुरक्षा, वाणिज्यिक तथा मानव संसाधन विकास विभागों के अधिकारियों की एक उच्च समिति ने मामले की जांच की। समिति ने कागजातों को देखते हुए तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निलंबित अधिकारी ही इस चूक के लिए उत्तरदायी हैं। अत: एयर इंडिया ने इस चूक के लिए श्री जी०एस० बंकोटी, सहायक महाप्रबंधक-सुरक्षा के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश मे सिंचाई/पन धारा परियोजनाएं

4163. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में खेड़ी (लखीमपुर) जिले में आज तक चलाई जा रही/ प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं, पनधारा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) उत्तर के खीरी (लखीमपुर) जिला में 1 निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना एवं 2 वाटरशेड परियोजनाएं हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सं० क्र०	परियोजना का नाम	स्थिति	नवीनतम लागत (करोड़ रु० में)	प्रस्ताव
1	2	3	4	5
क.	**सिंचाई परियोजनाएं**			
1.	सारदा नहर प्रणाली के जल प्रबन्धन में सुधार	निर्माणाधीन (अनुमोदित)	136.00	परियोजना प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ 74 वर्ष पुरानी विद्यमान प्रणाली में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पुनर्स्थापन

1	2	3	4	5
				करना है ताकि उन्हें चालू किया जा सके एवं विद्यमान कार्यों/ संरचनाओं में संभावित क्षति के कारण होने वाली क्षति से बचा जा सके। इस वितरण प्रणाली को इसकी डिजाइन क्षमता के अनुसार पुन: तैयार करने का प्रस्ताव है।

ख. वाटरशेड परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल लागत (रुपये लाख में)	2002-2003 तक जारी कुल निधियां (रुपये लाख में)
1.	लखीमपुर खीरी-I	98-99 से 2002-03	12240	489.60	391.20
	लखीमपुर खीरी-II	99-2000 से 2003-04	12104	484.16	314.22

महाराष्ट्र में डेक्कन-ओडिसी रेलगाड़ी

4164. श्री किरीट सोमैया : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेक्कन-ओडिसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र में 26 जनवरी, 2003 से चलनी शुरू हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पर्यटन मंत्रालय, एमटीडीसी और भारतीय रेल का संयुक्त उद्यम है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी की आवृत्ति और यात्रा मार्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। रेलगाड़ी मई, 2003 में चलने की संभावना है।

(ख) और (ग) डेक्कन-ओडिसी पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम एवं भारतीय रेल का एक संयुक्त उद्यम है। इस गाड़ी की मुंबई-रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग-गोवा-पुणे-औरंगाबाद-(अजंता-एलौरा-दौलताबाद)-मुंबई रूट पर सात दिन के राउंड ट्रिप पर चलाने का प्रस्ताव है।

मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता

4165. श्री वल्लभभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले मछुआरों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता देने और समुद्री जल सीमा क्षेत्र के पार करने वाले मछुआरों के लिए राहत देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित तथा प्रादेशिक समुद्र जल सीमा क्षेत्र को पार करने वाले मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता/राहत देने के संबंध में दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने का काम मुख्यत: राज्य सरकारों का है तथा केन्द्र सरकार उसके लिए उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। तथापि, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के तहत, मछुआरों के कल्याण के लिए 2001-2002 के दौरान दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में 43.25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

4166. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम-न्यायालय ने 2001 में अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त प्राधिकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उपयुक्त सरकारी आदेश जारी करने में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6009-6010/2001-स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रन्ट वर्कर्स एवं अन्य के मामले में दिनांक 30.8.2001 के अपने निर्णय में मानदंडों का उल्लेख किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत केन्द्र सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (क) में शामिल केन्द्रीय सरकार कंपनी/उपक्रम या कोई अन्य उपक्रम, केन्द्र सरकार के प्राधिकरण (ऐसा प्राधिकरण या तो किसी संविधि या प्रधान और एजेन्अ के बीच संबंध के कारण या शक्ति के प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त हो सकता है) द्वारा या उसके अंतर्गत चलाए जा रहे किसी उद्योग या रेलवे कंपनी या विशेष रूप से नियंत्रित उद्योग के लिए समुचित सरकार हैं इसके अलावा किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। उक्त निर्णय के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत समुचित सरकार को स्पष्ट करते हुए श्रम मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दिनांक 19.4.2002 को पत्र जारी किए थे।

(घ) और (ङ) उपयुक्त (क) से (ग) उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

4167. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना में संशोधन करने और इस की परिधि में और अधिक लोगों को लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का प्रशासन करता है। तथापि, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, का प्रशासन वर्ष 2001-2002 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता रहा। योजना आयोग ने समीक्षा करने के बाद स्कीम को वर्ष 2002-2003 से राज्य योजना को स्थानांतरित कर दिया। अब निधि की निकासी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य योजना को जारी की जाती है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत आबंटित कुल निधि 2374.66 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित लाभग्राहियों की संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

आदिनांक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित लाभग्राहियों की कुल संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सूचित लाभग्राहियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	466000
2.	बिहार	639086

1	2	3
3.	छत्तीसगढ़	140576
4.	गोवा	3270
5.	गुजरात	62755
6.	हरियाणा	50372
7.	हिमाचल प्रदेश	23291
8.	जम्मू एवं कश्मीर	16413
9.	झारखंड	151990
10.	कर्नाटक	183265
11.	केरल	141165
12.	मध्य प्रदेश	442484
13.	महाराष्ट्र	388597
14.	उड़ीसा	492366
15.	पंजाब	45265
16.	राजसीान	101460
17.	तमिलनाडु	314362
18.	उत्तर प्रदेश	944758
19.	उत्तरांचल	45002
20.	प. बंगाल	331224
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—
22.	चंडीगढ़	2714
23.	दादर और नागर हवेली	—
24.	दमन व दीव	241
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—
26.	लक्षद्वीप	41
27.	पांडिचेरी	4180
28.	उत्तर पूर्वी राज्य	439052
	योग	5429929

सतत् विकास विषय पर पृथ्वी सम्मेलन

4168. श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोहान्सबर्ग में सतत् विकास संबंधी विषय पर हाल ही में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की चालू दर में अपेक्षाकृत कमी और जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पनन लाभों की समान हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जैव विविधता की दर में कमी के लिए एक सुव्यवस्थित योजना और रणनीति तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अनुसरण में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में जैव विविधता में गिरावट की दर में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. एक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना (एन बीर एस ए पी) तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने पर विचार किया गया है:- (i) राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता से संबंधित 14 विषय (ii) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए (iii) 10 अंर्तराज्य पारि-क्षेत्रों और (iv) 17 उप राज्य स्थानीय स्थलों के लिए।

2. निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संसद द्वारा एक जैव विविधता विधेयक 2002 पारित किया गया है:-

(i) जैव विविधता का सतत उपयोग और संरक्षण।

(ii) देश के आनुवांशिक संसाधनों तक पहुचं को नियमित करना।

(iii) स्थानीय समुदायों के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को महत्व देना और उसे बनाए रखना।

(iv) जैव संसाधनों के संरक्षक के रूप में स्थानीय लोगों और जैव संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान और जानकारी रखने वालों के मध्य लाभ की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।

(v) जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करके उनका संरक्षण और विकास करना।

(vii) संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना।

(vii) इस विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित व्यापक स्कीमों में स्व:शासी संस्थानों की प्रभावी सहभागिता लेना।

(viii) देश में जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण और सतत् प्रबंधन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों का गठन करना।

3. भारत, जैव विविधता संबंधी कन्वैंशन (सी बी डी) का पक्षकार है और इसने कन्वैंशन में दी गई वचनबद्धताओं और सुपर्द किए गए विभिन्न अवसरों पर खरा उतरने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं सी बी डी संबंध मुख्य क्रियान्वयन उपाय राष्ट्रीय कार्यनीति के प्रतिपादन तथा विकसित किए जाने वाले विधान और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से किए जाने हैं।

4. दसवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए उपायों मे चालू संरक्षण स्कीमों में महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को कवर किया जाना, प्रगाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से देश में चुनिंदा प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की पहचान करना और औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के संरक्षण और सतत् उपयोग पर विशेष जोर दिया जाना शामिल है।

नदियों पर बांध का निर्माण

4169. श्री रामजी मांझी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया जिले से होकर बहने वाली ''फल्गु'' और ''कोरबर'' नदी पर बांध बनने के कारण सिंचाई सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सूखे से निपटने के लिए इन नदियों पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) फल्गू एवं कोरबर नदियों पर बांध निर्माण के लिए बिहार राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं को तैयार करना, उनकी योजना एवं वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि वृद्धि दर

4170. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भूमिजल के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के बावजूद वहां अन्य राज्यों की तुलना में कृषि उत्पादन दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वृद्धि दर की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खाद्यान्न, तिलहन तथा गन्ने की राज्य-वार सामान्य उत्पादन दरें (वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के आंकड़ों पर आधारित औसत पैदावार) अनुबंध में दर्शायी गई है। इस अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि हालांकि असम, झारखण्ड, मेघालय, उड़ीसा एवं सिक्किम में उत्पादन दरें राष्ट्रीय औसत से कम है तथापि, अन्य पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में ये दरें कुछ फसलों के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक है लेकिन अन्य के मामले में कम हैं।

उत्पादन दर क्षेत्र दर क्षेत्र अत्यधिक भिन्न है क्योंकि यह मृदा की स्थिति, सिंचाई की सुविधाए, फसल की अवधि (बुआई और कटाई के बीच फसल पकने की अवधि), खेत का आकार, बीजों की गुणवत्ता, गुणवत्ता वाले आदानों का समय पर उपयोग, किसानों की प्रबंधकीय कुशलता एवं ऋण की उपलब्धता आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करती है।

(ग) देश के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन से, कृषि जलवायवीय परिस्थितियों में भिन्नता के कारण अनियमितताओं के होते हुए भी, दीर्घावधिक उर्ध्वगामी रूख प्रदर्शित होता है।

(घ) सरकार ने वर्ष 2001-02 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए "पूर्वी भारत में फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु फार्म पर जल प्रबंध" संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की हैं यह स्कीम असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित कृषि जिसों के उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न अन्य पहलें की हैं जैसे नई प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन पर बल देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय, मण्डी आसूचना तन्त्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार मूल्य नीति के जरिये उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन भी देती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन, सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा खरीद, आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीमपरक दृष्टिकोण को छोड़कर वृहत्-प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की है ताकि राज्यों को, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर उनके समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके।

विवरण

खाद्यान्न, तिलहन तथा गन्ने की राज्य-वार सामान्य उत्पादन दर*

(कि०ग्रा/हेक्टैयर)

क्र० सं०	राज्य	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1979	780	79645
2.	अरूणाचल प्रदेश	1090	984	–
3.	असम	1382	482	38962
4.	बिहार	1676	804	44279
5.	छत्तीसगढ़	972	354	–
6.	गोवा	2613	1733	50282
7.	गुजरात	1270	868	70098
8.	हरियाणा	2941	1320	56010
9.	हिमाचल प्रदेश	1754	532	27264
10.	जम्मू और कश्मीर	1487	711	21400
11.	झारखण्ड	1108	664	39799
12.	कर्नाटक	1347	640	102035
13.	केरल	2029	614	84500
14.	मध्य प्रदेश	1116	899	41707
15.	महाराष्ट्र	887	923	87775
16.	मणिपुर	2312	465	–
17.	मेघालय	1492	668	–
18.	मिजोरम	1800	926	–

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	1206	977	–
20.	उड़ीसा	1019	440	58856
21.	पंजाब	3935	1059	66250
22.	राजस्थान	941	874	43807
23.	सिक्किम	1289	673	–
24.	तमिलनाडु	2385	1544	108619
25.	त्रिपुरा	2014	711	–
26.	उत्तर प्रदेश	2090	785	56797
27.	उत्तरांचल	1725	621	62230
28.	पश्चिम बंगाल	2197	852	73254
	अखिल भारत	1656	866	70578

* 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 की औसत

– यह फसल राज्य में प्रमुख फसल नहीं है।

बी०टी० कॉटन का परीक्षण

4171. **श्री रामजीलाल सुमन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी०टी० कॉटन का उत्पादन आनंद वन कृषि महाविद्यालय, महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परीक्षण का परिणाम संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस परीक्षण के परिणामों को संतोषजनक पाया गया था।

(ग) अभी तक एक एकड़ खेत से 255 कि०ग्रा० बिनौला निकाला गया है तथा अमेरिकन बॉलवर्म के संक्रमण का स्तर आर्थिक अवसीमा से नीचे था।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नागपुर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान से एक दल ने उस स्थल का भ्रमण किया है और तथ्यों की जांच की है। इस दल न पाया कि अमेरिकन बॉलवर्म से कोई खास हानि नहीं हुई।

[अनुवाद]

किसानों का पलायन

4172. **श्री पी०एस० गढ़वी :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कृषि उत्पादों के लिये अलाभकारी मूल्य नीति के कारण विभिन्न राज्यों के किसान रोजगार की तलाश में गावों से शहरों की ओर पलायन कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर गुजरात के सूखा प्रवण जिलों में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। किसानों के गांवों से शहरों में प्रव्रसन के लिए मुख्यत: बेहतर रोजगार की तलाश, बेहतर वेतन तथा जीवन-स्तर की प्रत्याशा, सेवा/संविदा का अन्तरण, आवास संबंधी समस्याओं, सामाजिक/राजनैतिक समस्याओं आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

कृषि उत्पाद के लिए सरकार की मूल्य नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है- उत्पादकों की उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना ताकि अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तथा राज्य सरकारों द्वारा नामित अभिकरणों के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) धान, गेहूं एवं मोटे अनाज; भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०)-पटसन; भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०)-कपास; राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड)-दालों एवं तिलहन; और

तम्बाकू बोर्ड, के माध्यम से खरीद कार्यों का आयोजन करती है। प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वर्षों में बढ़ाए गए हैं। हाल ही के वर्षों में कृषि जिंसों की रिकार्ड अधिप्राप्ति की गयी है। सरकार ने 2002-03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अतिरिक्त, 5 रुपये से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक विशेष सूखा राहत मूल्यों के भुगतान की घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा विशेष सूखा राहत मूल्य गुजरात सहित देशभर में देय हैं।

पादप संगरोध प्राधिकरण

4173. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने पादप संगरोध प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्राधिकरण की स्थापना में आने वाली अड़चन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है। पौध संगरोध से संबंधित कार्य को पौध संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय द्वारा कीट और कृमि नाशक अधिनियम, 1914 के प्रावधानों तथा पौध, फल तथा बीज (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 1989 के अनुसार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि अधिनियम/आदेश के संशोधन के जरिए विद्यमान अधिनियम/आदेश की सीमा बद्धताओं पर काबू पाया जाए। इसके अलावा, व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की कि मंत्रिमण्डल के बिना अनुमोदन के किसी नई स्वायत्त संस्था का सृजन न किया जाए।

(ग) चूंकि व्यय विभाग ने दो बार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है इसलिए यह विभाग अब तक पौध संगरोध प्राधिकरण स्थापित करने में असमर्थ रहा है बहरहाल, इस मामले को प्रस्तावित प्राधिकरण की स्थापना पर उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए फिर से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

भूमि कटाव

4174. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि कटाव के कारण भारतीय भूक्षेत्र पाकिस्तान की ओर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामत: कुल कितने क्षेत्र की हानि हुई है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने रावी और सतलुज नदियों की धारा को मोड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्र की ढलान भारत की ओर होने जैसे तथ्यों के अतिरिक्त पाकिस्तान द्वारा किए गए कुछ कार्यों तथा इस नदी के मार्ग बदलने की प्रकृति से रावी नदी का जल प्रवाह भारत की ओर मुड़ा है।

(घ) पंजाब सरकार अपने संसाधनों से जरूरत के अनुसार प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है। इन कार्यों के लिए केन्द्र सरकार, विशेष ऋण एवं अनुदान के रूप में पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी मुहैया कराती है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान कॅयर लिमिटेड का पुनरूद्धार

4175. श्री तूफानी सरोज : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कॅयर लिमिटेड के पुनरूद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी पुनरूद्धार योजना में हिन्दुस्तान कॅयर लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों हेतु सेवानिवृत्ति योजना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को सेवपानिवृत्ति दी जाएगी?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के

आधार पर सरकार कॅयर बोर्ड की इकाई हिन्दुस्तान कॅयर को अलग करके प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यकलाप से अलग होने पर गंभीर चिंतन कर रही है।

(ग) और (घ) कॅयर बोर्ड ने, हिन्दुस्तान कॅयर सहित बोर्ड में अधिशेष कार्मिकों हेतु एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और योजना का निरूपण किया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन

4176. श्री रतन लाल कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक वर्षवार कितना कृषि उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या कृषि उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और साथ ही खरीफ 2002-03 के लिए खाद्यान्न, तिलहन, कपास, पटसन एवं मेस्ता तथा गन्ना का अखिल भारतीय उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(मिलियन मीटरी टन में)

	1999-2000	2000-01	2001-02*	2002-03** (खरीफ)
1	2	3	4	5
खाद्यान्न	209.80	195.92	211.32	90.64
तिलहन @	20.71	18.40	20.73	9.89
कपास #	11.53	9.65	11.69	9.08
पटसन एवं मेस्ता ##	10.55	10.48	10.79	10.73
गन्ना	299.32	299.21	292.21	276.39

*27.6.2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2001-02 हेतु चौथे अग्रिम अनुमान

**12.11.2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2002-03 हेतु पहला अग्रिम अनुमान

@ इसमें मूंगफली, अरण्डी के बीज, तेल, रामतिल, सरसों एवं तोरिया, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन शामिल है।

#170 कि.ग्रा. की मिलयन गाँठें।

##130 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें।

(ख) और (ग) देश में मुख्य कृषि फसलों का उत्पादन दीर्घकालिक ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शाता है हालांकि कृषि जलवायु स्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं।

(घ) सरकार ने देश में कृषि जिंसों के उत्पादन व उत्पादकता में सुधार की दृष्टि से, विभिन्न पहलें, जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों का संवर्धन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास व संवर्धन पर जोर, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना, मण्डी आसूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि शुरू की हैं। इसके अलावा, सरकार मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा खरीद आदि शामिल हैं। इनके अलावा, सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीम परक दृष्टिकोण को छोड़कर वृहत् प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है ताकि राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के कारण सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर सकें।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का हस्तांतरण

4177. श्री पदमसेन चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भूमि राज्य का विषय है। अत: कृषि योग्य भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तन को रोकना राज्य सरकार के दाये में आता हैं कुछ राज्यों ने अपने राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के माध्यम से अपनी सरकारों के संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि महत्वपूर्ण कृषि भूमि का परिवर्तन गैर कृषि प्रयोजनार्थ न किया जाए और यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो परिवर्तित भूमि के एवज में समतुल्य भूमि प्रदान करने के प्रयास किए जाएं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव विविधता

4178. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैव विविधता का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इसका दोहन करने और इसका उचित मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कार्यसूची की उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनपर शिलांग में अकादमी ऑफ सांइसेज एंड सिम्पोजियम ऑन बायोडायवरसिटी के 72वें वार्षिक सत्र में चर्चा की गई थी;

(घ) जैव-विविधता कारोबार में भारत का हिस्सा कितना है; और

(ङ) इसमें बढ़ोतरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि जैव विविधता में मूल्यवर्धन समृद्धि नहीं हो रही है। इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना (एन बी एस ए पी) परियोजना शुरू की है जिसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तर पूर्वी पारि-क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं शामिल हैं। इन कार्य योजनाओं में जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग हेतु कार्यनीतियों का उल्लेख है। उत्तर पूर्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो अन्य उपाय उठाए गए हैं उनमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, जैव मंडलों के एक सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना, वनस्पति उद्यानों और चिड़ियाघरों की स्थापना और नम भूमियों के गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए उनका अभिनिर्धारण करना शामिल है।

(ग) शिलांग में 25-27 अक्तूबर 2002 को जैव विविधता पर आयोजित नेशनल अकादमी साईंस इंडिया और नेशनल सिम्पोजियम के 72वें सत्र में अन्य विषयों के साथ साथ जिन मामलों पर चर्चा की गई थी उनमें शामिल हैं : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनाज उगाने की प्रणालियों की सततता; मेघालय की औषधीय पौध सम्पदा और इसका संरक्षण, सतत उपयोग और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आई पी आर) संबंधित मामले; प्राणिजात संसाधन और सतत विकास; सुक्ष्म जैविक विविधता और इसका सतत विकास; पौध आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच-बदलता हुआ परिदृश्य; उत्तर पूर्वी भारत के लिए जैव विविधता सूचना प्रणाली; जैव विविधता के सतत उपयोग में उद्योगों की भूमिका; उत्तर-पूर्वी भारत का जैव संसाधन विकास।

(घ) और (ङ) जैव विविधता के बहु-क्षेत्रीय स्वरूप को देखते हुए जैव विविधता में भारत के हिस्से को बताना बहुत कठिन है। हाल ही में इम्फाल में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के उद्देश्यों में जैव संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लक्ष्य के साथ क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक उन्नति हेतु जैव प्रौद्योगिकी मध्यस्थताओं के माध्यम से जैव संसाधन विकास और उनका सतत उपयोग शामिल है।

नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

4179. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन हेतु केरल राज्य के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि तर्कसंगत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का है; और

(ग) नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की संभावना विस्तार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा नारियल प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को वर्ष 2001-2002 के दौरान 400.00 लाख रुपये के परिव्यय से नौंवी योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत निधियां नारियल विकास बोर्ड को निमुक्त की जाती हैं राज्य-वार नहीं। नारियल विकास बोर्ड इस स्कीम को परियेजनाओं के रूप में कार्यान्वित करता है जिसमें विशेष ध्यान प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शनों एवं कीट /कृमि व रोग प्रबंध के क्षेत्र में प्रदर्शन तथा अंगीकरण, प्रसंस्करण व उत्पाद विविधिकरण, और मण्डी अनुसंधान व संवर्धन पर केन्द्रित होता है। प्रौद्योगिकी मिशन के दायरे में आने वाली परियोजनाओं पर गुण-दोष के आधार पर नारियल विकास बोर्ड में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। अब तक केरल में 7 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। इस स्कीम को वर्ष 2002-2003 के दौरान 2000.00 लाख रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

रोजगार सृजन

4180. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2001 के अपने 11वें प्रतिवेदन में अतिरिक्त रोजगार विशेषकर शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार सृजन में गत्यावरोध पर ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या एक योजनावधि से दूसरी योजनावधि के दौरान बेरोजगारी की मात्रा बढ़ी है;

(ग) क्या सरकार 2002 तक बेरोजगारी को नगण्य अनुपात तक कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर पायेगी;

(घ) क्या रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु कौशल संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार देश में खुले रूप से बेरोजगारों की अनुमानित संख्या, जो 1993-94 में 7.5 मिलियन थी, 1999-2000 में बढ़ कर 9.0 मिलियन हो गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कार्य बल के कौशल प्रशिक्षण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। श्रम बाजार में कौशल हेतु परिवर्तनशील पैटर्न पर मांग के अनुरूप बने रहने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई टी आईज) समय समय पर नए व्यवसाय आरंभ व अप्रचलित व्यवसाय बंद करते रहते हैं। मान्यता प्राप्त स्कूलों, पॉलिटेक्निकों इत्यादि में द्वितीय पाली में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग कर श्रम मंत्रालय ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया है।

सी०सी०एल० द्वारा श्रम संबंधी स्थायी समिति को गुमराह करना

4181. श्री रामजी मांझी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लिमिटेड (सी०सी०एल०) के प्रबन्धन ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के विभिन्न मुद्दों पर गुमराह करने वाली सूचना दी है जिसने अक्टूबर, 2002 के महीने में सी०सी०एल०, रांची का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लिमिटेड (सी०सी०एल०) ने श्रम संबंधी स्थायी समिति को गुमराह करने वाली कोई सूचना नहीं दी है जिसने अक्टूबर, 2002 के महीने में सी०सी०एल०, रांची का दौरा किया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षु अधिनियम का उल्लंघन

4182. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षु अधिनियम के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किए गए कोटे के अनुरूप शिक्षुओं को काम पर नहीं लगाते। अखिल भारतीय स्तर पर, व्यवसाय शिक्षुओं हेतु निर्धारित कोटे के साथ-साथ सीटों के उपयोग का प्रतिशत पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 71% से 73% के बीच रहा है:-

वर्ष	निर्धारित कोटा	उपयोग की गई सीटें	उपयोगिता का %
2000	227501	165474	73%
2001	216944	155534	72%
2002	216504	153303	71%

(ख) शिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य/संघ शासित सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध संबंधित राज्य / संघ शासित सरकारों द्वारा की जाती हैं पिछले 6 महीनों के दौरान केन्द्र एवं राज्यों द्वारा शिक्षु अधिनियम की धारा 30 एवं 31 के तहत 6047 चूककर्ता प्रतिष्ठानों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सलीम अली सेन्टर फार ओरनिथेलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फार ओरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6581/2002]

(2) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2002 जो 14 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6582/2002]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1). (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव, संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखिापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव, संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6583/2002]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6584/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एंड टयूबैल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एंड टयूबैस कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6585/2002]

(4) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6586/2002]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6587/2002]

(ख) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6588/2002]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6589/2002]

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6590/2002]

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, मै कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटर पर रखता हूं:–

(1) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/2/98-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/2/99-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रथांलय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6591/2002]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राजस्थान स्टेट डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान स्टेट डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6592/2002]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6593/2002]

(3) (एक) नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेद की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6594/2002]

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6595/2002]

(5) (क) (एक) सिक्किम लाइवस्टाक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सिक्किम के वर्ष 1994-95 से 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम लाइवस्टाक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सिक्किम के वर्ष 1996-97 से 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रथांलय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6596/2002]

(ख) सिक्किम लाइवस्टाक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सिक्किम के वर्ष 1994-95 से 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6597/2002]

(7) (एक) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेसी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6598/2002]

अपराह्न 12.11½ बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित-संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 दिसम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 12 दिसम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक सदस्य के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए:

(एक) कुमारी ममता बनर्जी	26.07.2002 से	12.08.2002
(दो) बेगम नूर बानो	18.11.2002 से	05.12.2002
(तीन) श्री वैको	15.07.2002 से	12.08.2002
	और	
	18.11.2002 से	17.12.2002

क्या सभा की यह राय है कि समिति द्वारा यथासंस्तुत अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : मैं "जन कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद् (कापार्ट)) के बारे में लोक लेखा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.13½ बजे

[हिन्दी]

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंकारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के संबंध में सोलहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

106वां से 111वां प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।:–

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 102वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 106 वां प्रतिवेदन।

(दो) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 101वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर महासागर विकास विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 107वां प्रतिवेदन।

(तीन) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 108वां प्रतिवेदन।

(चार) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 99वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 109वां प्रतिवेदन।

(पाँच) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 103वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 110वां प्रतिवेदन।

(छह) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 104वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 111वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.15½ बजे

[हिन्दी]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

डॉ० रमेशचन्द तोमर (हापुड़) : महोदय, मैं श्री सी०एस० चतर्वेदी, महासचिव, वसुन्धरा आवास कल्याण समिति (पंजीकृत) द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसमें वसुन्धरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक डिस्पेन्सरी स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

अपराह्न 12.16 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधालयों में औषधों की आपूर्ति न होना

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। तीन सदस्यों सर्व श्री बसुदेव आचार्य, प्रसन्न आचार्य और प्रभात सामान्तराय ने मुझे सूचना दी हैं। माननीय सदस्यों से स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछने का अनुरोध किया जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किसी तरह के भाषण दिए जाने की अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

[श्री बसुदेव आचार्य]

"केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधों की आपूर्ति न किए जाने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : महोदय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा सी०जी०एच०एस०, जिस नाम से इसे सामान्यत: जाना जाता है, केन्द्रीय सरकार की एक कल्याण योजना है जो उन शहरों में, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों की चिकित्सीय जरूरतें पूरी करती है।

देश भर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को औषधों की आपूर्तियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन, जो स्वास्थ्य सेव महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, को वार्षिक इंडेंट भेजने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। यह प्रक्रिया वर्ष 1981 से चल रही हैं चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन दवाओं और औषधों के आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माताओं से निविदा में विनिर्दिष्ट औषधों के संबंध में जरूरत के अनुसार और अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदाएं प्राप्त होने पर चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन द्वारा उनकी जांच किए जाने के बाद संबंधित विनिर्माताओं और आपूर्तिकार्ताओं, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया हो, को औषधों की आपूर्ति करने हेतु निविदाएं दी जाती हैं इसके बाद विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता देश में सात सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं अर्थात् जी०एम०एस०डी० को दवाइयों और औषधियों की आपूर्ति करते हैं। उसके बाद, सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं की दवाओं और औषधों की आपूर्ति करते हैं जहां से वे आगे विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को वितरित की जाती है।

जिन औषधों की चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आपूर्ति नहीं की जाता अथवा जो औषधालयों में उपलब्ध नहों होती, वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से इंडेंट की जाती है ताकि वे इन औषधों की औषधालयों को आपूर्ति करें।

संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा औषधों की एक सूची संस्तुत की जाती है जिसे चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन द्वारा खरीद हेतु औषध फार्मूलरी के रूप में दो वर्षों की अवधि के लिए अपनाया जाता है।

(क) वर्तमान फामूलरी मार्च 1996 में, 31.3.1998 तक इसकी वैधता के साथ, अधिसूचित की गई थी। इस फार्मूलरी की समयावधि को समय-समय पर लघु अवधियों के लिए बढ़ाया गया है। चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन द्वारा इंडेंट प्राप्त होने के बाद औषधों की आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई पूरी करने मं लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है।

(ख) इस फार्मूलरी में औषधों की संख्या 317 है (जेनेरिक तथा स्वामित्व वाली दोनों)।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के लिए एक व्यापक सम्मिश्रित फार्मूलरी सरकार द्वारा फरवरी, 2002 में अनुमोदित की गई थी। इसे आन्तरिक वित्त प्रभाग की सिफारिशों और उनके द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में कुछ शिकायतों के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस फार्मूलरी में औषधों की निम्नलिखित संख्या थी :-

1.	जेनेरिक	507 औषधों
2.	स्वामित्व वाली	655 औषधें

हाल ही में वर्ष 1998 के बाद से औषधों की फामूलरी को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अपेक्षित मात्रा में इंडेंट की गई औषधों का प्रापण करने और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सप्लाई करने के संबंध में कार्रवाई करने में समर्थ नहीं रहा है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को लाभार्थियों की पर्चियों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को औषधों की आपूर्ति करने हेतु प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों पर निर्भर करना पड़ा।

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाओं और औषधों की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :-

(क) एलोपैथिक दवाओं के लिए वार्षिक इंडेट चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, को दिनांक 17.6.202 को भेजा गया था। तथापि, 1998 से चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन फार्मूलरी को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण औषधों के प्रापण के संबंध मे कार्रवाई नहीं कर पाया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन स्थानीय कैमिस्टों द्वारा पहले अप्रैल, 2002 में की गई एक हड़ताल के दौरान सफदरजंग अस्पताल से उनकी दर संविदा के अनुसार एक महीने की अवधि के लिए 92 जेनेरिक औषधें प्राप्त करने का निर्णय किया गया था। सप्लाई की गई औषधों का मूल्य 13.45 लाख रुपए था। प्राप्त की गई औषधें दिल्ली में विभिन्न औषधालयों को वितरित की गई थी।

(ग) आपातकालीन स्थिति के लिए अपेक्षित 34 औषधें सीमित मात्रा में केन्द्रीय भण्डार से भी प्राप्त की गई थी और उन औषधालयों को वितरित की गई थी जो बहिरंग रोगी विभाग के कार्य धण्टों (बहु पारी औषधालय) के बाद आपाती सेवा प्रदान करते हैं।

(घ) दिल्ली में स्थानीय कैमिस्ट पहली नवम्बर, 2002 से हड़ताल पर चले गए थे और उन्होंने औषधों की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया था। एक कामचलाऊ उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली और दिल्ली के बाहर अन्य शहरों को आपूर्ति करने हेतु हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (भारत) लिमिटेड को पांच महीने की अवधि के लिए 203 औषधों (138 जेनेरिक और 65 स्वामित्व वाली) का प्रापण करने हेतु एक इंडेंट भेजा गया हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की औषध फार्मूलरी के अनुसार 138 जेनेरिक औषधें।

(ii) 65 स्वामित्व वाली औषधें, जो सामान्यतया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन स्थानीय कैमिस्टों से खरीदी गई इंडेंट वाली औषधों पर आधारित हैं।

अब तक अर्थात् 13 दिसम्बर, 2002 तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली ने 71 औषधें प्राप्त की हैं, जिनमें 48 स्वामित्व वाली और 23 जेनेरिक औषधें शामिल हैं। समग्र आपूर्ति के अगले चार सप्ताह में पूरा होने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट पद्धति।

(क) 1991 से पूर्व केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई और औषधालयों में अनुपलब्ध गैर-फार्मूलरी औषधों की प्राप्ति सुपर बाजार के जरिए कर रही थी। यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया थी और इंडेंट की गई औषधों की आपूर्ति चौथे अथवा पांचवें दिन की जाती थी और यह प्रक्रिया एक पेचीदी प्रक्रिया थी क्योंकि कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में केवल एक ही दुकान थी जो पूरी दिल्ली में 80 से अधिक औषधालयों की जरूरतों को पूरी करती थी। इसलिए, पूरी दिल्ली में लाभार्थियों की सुविधा के लिए औषधालय से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर अनुकूल जगहों पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों को नियुक्त करके एक स्थानीय खरीद प्रणाली शुरू करने का निर्णय किया गया। प्रक्रिया यह है कि कैमिस्ट का चयन खुली निविदा के जरिए किया जाता है। सरकार द्वारा नियत की गई कोडल औपचारिकताओं और निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए कैमिस्टों को नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट के चयन के लिए एक मुख्य मानदण्ड आवेदक कैमिस्टों द्वारा औषध के अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी गई अधिकतम छूट पर आधारित है।

(ख) बिक्री कर का मुद्दा :-

सितम्बर, 2001 में मंत्रिमण्डल सचिवालय के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सूचीबद्ध कैमिस्टों द्वारा अपर निदेशक (मुख्यालय), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और लेखा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की मिलिभगत से बिक्री कर का परिहार करने का आरोप लगाया गया था। यह बताया गया था कि कैमिस्ट अपने बिलों के साथ केवल इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे थे कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आपूर्ति की गई सभी औषधों के लिए बिक्री कर का भुगतान कर दिया है, लेकिन अधिकारियों की मिलिभगत से एक पद्धति विकसित की गई है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिक्री कर का भुगतान करती है जबकि कैमिस्ट निम्नतर मूल्य पर औषधों का प्रापण करते हैं।

इस मामले की जांच की गई थी और इसे तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के समक्ष रखा गया था जिन्होंने यह आदेश दिया था कि अधिक मूलय वसूल करने और

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

बिक्री कर की वसूली करने के मामले की जांच करने हेतु इसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजा जाना चाहिए। इसे 24.12.2001 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजा गया था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने 3.12.2002 को एक अंतरिम रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह टिप्पणी की है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन स्थानीय कैमिस्टों की यादृच्छिक जांच करने से अधिक मूल्य वसूल करने का पता चला है और यह कि विभाग को आन्तरिक लेखा परीखा के जरिए बिलों की जांच करवानी चाहिए। तदनुसार मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक से 13.12.2002 को अनुरोध किया गया है कि वे पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष की लेखा परीक्षा शुरू करें।

बिक्री कर के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सूचित किया है कि एक अलग रिपोर्ट दी जाएगी। इसी बीच भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अंतिम स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक स्थानीय कैमिस्टों के बिलों से 10 प्रतिशत कटौती कर ली गई है।

(ग) प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों द्वारा हड़ताल की सूचना: प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट निम्नलिखित के संबंध में 1.11.2002 से आज तक हड़ताल पर हैं :-

(i) 'उनके पिछले एक वर्ष के बिलों से 10 प्रतिशत की दर से काट कर रोकी गई रकम का तत्काल भुगतान।

(ii) पिछले तीन महीनों के उनके नियमित बिलों का भुगतान।'

बिलों का भुगतान 55.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान आबंटन से अगस्त, 2002 के मध्य तक के लिए कर दिया गया था जिनमें से लंबित देनदारी 11.60 करोड़ रुपए थी। 8.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम नवम्बर, 2002 में आबंटित की गई थी और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(मुख्यालय) में प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से सितम्बर, 2002 तक प्राप्त हुए बिलों का भुगतान कर दिया गया है। मार्च, 2003 तक भुगतान करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त व्यय 56.00 करोड़ रुपए है।

लाभार्थियों को औषधों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को औषधों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

I. लाभार्थियों को खुले बाजार से औषधें खरीदने और किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न रूप से प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए एक आकस्मिक योजना कार्यान्वित की गई है :-

- सेवारत लाभार्थियों के लिए उनके संबंधित विभागों से।

- पेंशनर लाभार्थियों के लिए उनके संबंधित औषधालयों के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालय से। लाभार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए औषधालयों में भुगतान किया जा रहा है।

(i) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन, जो भारत सरकार एक उपक्रम है, को 203 औषधों की आपूर्ति करने हेतु इंडेंट भेजा गया है। स्वामित्व वाली मदों की आपूर्तियों का पहला बैच 29.11.2002 को प्राप्त हुआ है और 13.12.2002 तक 71 मदें प्राप्त हुई हैं जिनमें से जेनेरिक 23 और स्वामित्व वाली 48 मदें हैं।

(ii) 13.12.2002 की स्थिति के अनुसार, हासॅस्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन के जरिए प्राप्त की गई औषधों की संख्या इस प्रकार है :-

जेनेरिक	23
स्वामित्व वाली	48

इसलिए यह देखा जा सकता है कि लाभार्थियों को बल्क खरीद के जरिए और लाभार्थियों को बाजार से सीधे खरीद करने के लिए प्राधिकृत करके औषधें उपलब्ध करने के प्रयास किए गए हैं। औषधों की उपलब्धता में और आगे सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि नियम कहता है कि वक्तव्य संक्षिप्त होना चहिए। मैं शायद इसे परिभाषित नहीं कर पाया।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : महोदय, मैं इस काम के लिए नया हूं। अगली बार, मैं ज्यादा सतर्क रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब कम-से-कम माननीय सदस्य संक्षिप्त बयान दें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्री शत्रुघन सिन्हा जी या तो हाउस में आयेंगे ही नहीं और आयेंगे तो वे जवाब इतना लम्बा चौड़ा देंगे जिससे सदन का समय बर्बाद होता हैं वे इसे सदन के पटल पर रख सकते है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होनें जवाब तो दे दिया है। आपको इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना है तो वे आप पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में सदन में बार-बार यह कहा जाता है कि मैं सदन में नहीं आता हूं। मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं कि मैं सदन की बहुत इज्जत करता हूं। मैं जब कभी भी सदन से बहार रहता हूं तो आफिशियल काम से रहता हूं, आपकी आज्ञा से रहता हूं, आपको इन्फार्म करके रहता हूं, प्रधान मंत्री जी की आज्ञा से रहता हूं। मैं कोई खेलने कूदने नहीं जाता हूं, काम के सिलसिले में बाहर जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया।

(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : माननीय सदस्य कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप पूरा लम्बा उत्तर दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इतने संवेदनशील नहीं बनो।

श्री बसुदेव आचार्य : यद्यपि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लंबा वक्तव्य दिया है और मुझे इसमे ऐसी कोई बातें नहीं दीखती है कि समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया गया है। अधिकृत औषध विक्रेता 1 नवंबर से हड़ताल पर हैं। वे चालू वर्ष के अप्रैल महीने में भी कभी हड़ताल पर चले गए और उन्होंने सी जी एच एस के औषधालयों में कुछ दिनों के लिए औषधियों की आपूर्ति करना बंद कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली क्योंकि सरकार की ओर से कुछ आश्वासन मिले थे कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कुछ महीनों तक इंतजार किया। लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है।

उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ आपातकालीन योजना तैयार की है। यह आपातकालीन योजना क्या है? हॉस्पीटल सर्विस कंसल्टेन्सी कॉर्पोरेशन को कुछ औषधियों की खरीद करने को कहा गया है। उन्होंने अब तक क्या खरीद की है और कितनी आपूर्ति की है? उन्होंने मात्र 23 महत्वपूर्ण औषधियों और 48 स्वास्थ्य औषधियों की आपूर्ति की है।

हजारों औषधियां जिसे दिल्ली में सी जी एच एस के औषधालयों को आपूर्ति की जानी है मात्र 23 महत्वपूर्ण और 48 स्वास्थ्य औषधियां इन औषधालयों को आपूर्ति की गई है। हमें इसके बारे में प्रतिदिन विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से हजारों टेलीफोन आ रहे हैं लगभग 5000 पेंशनभोगी है जो इन औषधालयों पर निर्भर हैं। यदि यह पांच हजार है। उतने आप इस संख्या से दूसरा चार या पांच हजार जोड़ दें। तब आप देखे यह संख्या कितनी है? उनमें से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक है। एक श्री जे०एस० चड्ढा है जो केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी है और उन्हें पेंशन के रूप में मात्र 4000 रुपये मिल रहा हैं वे हृदय के रोगी है और उनके दवाई का बिल 1000 रुपया मासिक होता है। हाल तक उनके लिए मात्र औषधि प्राप्त करना ही मात्र समस्या नहीं थी। वे सी जी एच एस के एक लाभार्थी हैं पेंशन की मात्र 4000 रुपये की राशि से वे औषधि भी कैसे खरीद सकते है? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि :

> "सी जी एच एस औषधालयों में पंजीकृत पेंशन लाभार्थी जिन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के मुख्यालय से भुगतान किया जाता था उन्हे अब औषधालयों में ही भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है ताकि उन्हें होने वाली तकलीफों को दूर किया जा सके।

अब रोगियों को औषधियां खरीदनी पड़ेगी। हृदय, गुर्दा और कैंसर के रोगियों को 10,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह तक दवा खरीदने की आवश्यकता होती है...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : मैं एक सुझाव देना चाहती है। हमारे पास प्रधान मंत्री राहत कोष है हम उससे कुछ राहत प्राप्त करते है। प्रक्रिया पूरी करने के समय को घटाया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : गुर्दे के प्रत्यारोपण के बाद एक रोगी को 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की दवाई की खरीदने की आवश्यकता होती हैं सी जी एच एस कार्ड धारकों मनचाहे कीमत की औषधि

[श्री बसुदेव आचार्य]

खरीदते थे। लेकिन 1 नवम्बर से ऐसी स्थिति नहीं है। मैं विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बात कर रहा हूं न कि कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बारे में। मेरी चिंता वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धजनों और पेंशनभोगियों के बारे में है जिन्हें पेंशन के रूप में बहुत कम धनराशि मिलती हैं वे तुच्छ धनराशि से दवा कैसे खरीद सकते है और तत्पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु बिलों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसे कितना समय लगता है। हम अनुभवी हैं कभी-कभी हमें प्रतिपर्ति हेतु बिल प्रस्तुत करना होता है। लेकिन इसमें दो से तीन महीने लगते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : उनके पास बिलों के भुगतान की एक समान नीति नहीं हैं जब आप सी जी एच एस पेंशनभोगी को लेते हैं तो आपको देश में कहीं भी सी जी एच एस लाभार्थियों की की सेवा करनी होती हैं आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान है जो सी जी एच एस की छत्रछाया में आते है क्योंकि आप इन सभी पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)* अब आप कह रहे हैं कि आप बिलों का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि आपको एम्स की दरों को देखना होता हैं 'एम्स' को नि:शुल्क आयात शुल्क पर औषधि प्राप्त होती हैं लेकिन आप यह सुविधा अन्य संस्थानों को नहीं' देते हैं। इसलिए यह एक समान नीति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि :

> ''इसलिए यह देखा जा सकता है कि लाभार्थियों को बल्क खरीद के जरिए और लाभार्थियों को बाजार से सीधे खरीद करने के लिए प्राधिकृत करके औषधें उपलब्ध करने के प्रयास किए गए हैं।''

मंत्री महोदय, यह समाधान नहीं है।

मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भी इस मामले को इस सभा में उठाया गया तो मंत्री महोदय आपने सभा को आश्वस्त किया कि इस समस्या को एक सप्ताह में सुलझा लिया जाएगा। यह आश्वासन इस सभा पटल पर 27 नवम्बर को दिया गया। आज 16 दिसम्बर है।...*(व्यवधान)* यह आश्वासन 27 नवम्बर को दिया गया और कहा गया कि इस समस्या को एक सप्ताह में सुलझा लिया जाएगा। मंत्री महोदय, आप समस्या सुलझा नहीं सके। आप अधिकृत औषध-विक्रेता को ऐसा करने के लिए कह रहे है...*(व्यवधान)* दस प्रतिशत बिल से घटाया जा रहा है क्योंकि वे ज्यादा वसूल रहे है। इसे एक वर्ष पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजा गया था। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने दिसम्बर 2002 के अंतिम सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट सौपी थी। 13 दिसम्बर को मंत्रालय ने अपने आंतरिक लेखा परीक्षक और लेखा विभाग से विस्तार से जांच करने के लिए कहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या अब आप कृपया अपनी बात पूरी करेंगे? इनके बाद मैं श्री प्रसन्न आचार्य को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मंत्रालय के पास समस्या पर चर्चा करने और मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी प्राधिकृत केमिस्ट को बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था. *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री प्रसन्न आचार्य अपनी बात कहेगें।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री महोदय समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आज हजारों हजार पेंशनधारियों को परेशानी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्न आचार्य, आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया पूछिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उनमें से अधिकांश लोगों को जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही हैं। माननीय मंत्री महोदय ने क्या प्रभावी कदम उठाया है या सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाया है जबकि आश्वासन पहले ही दिया गया था। ऐसा केवल अंग्रेजी दवाओं के बारे में ही नहीं है...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। आपको नियमों के बारे में अच्छी तरह से पता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय में जा सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे जाना चाहिए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि मैं किसी भी औषधालय में जा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय में जा सकते हैं या उन औषधालयों में जा सकते हैं जहां भारतीय पद्धति की दवाएं दी जाती हों। माननीय मंत्री भारतीय पद्धति की दवाओं को महत्व देने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री यदि आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय में जाएं, आपको कोई भी आयुर्वेदिक दवा नहीं मिलेगी। यूनानी औषधालयों में आपको कोई यूनानी दवा नहीं मिलेगी ...*(व्यवधान)* आप किसी भी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों में जा सकते हैं। पिछले आठ महीनों में आयुर्वेदिक औषधालयों में एक भी आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है जहां केमिस्टों ने दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्न आचार्य, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपना भाषण शुरू नहीं करेंगे तो आपका नाम वापस ले लिया जाएगा। कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पिछले आठ महीनों में, आयुर्वेदिक औषधालयों में आयुर्वेदिक दवाएं क्यों उपलब्ध नहीं हैं? मैं इस बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री बसुदेव आचार्य अब अपनी बात समाप्त नहीं करते हैं तो वह जो भी कह रहे हैं उसे वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं मांग करता हूं कि संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिए और दोनों आयुर्वेदिक और अंग्रेजी औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति न किए जाने की समस्याओं का पता लगाने के लिए उन्हें सभी औषधालयों का दौरा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझावों को नोट कर लिया गया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मांग करता हूं कि सरकार को न केवल हजारों दवाओं में से 125 दवाओं की आपूर्ति करने बल्कि वे सभी दवाएं जो नवम्बर, 2002 के पहले सप्ताह के पूर्व उपलब्ध थे, की आपूर्ति करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको अन्य लोगों की समस्याओं को भी समझना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यहां तक कि आम दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार सभी दवाओं की आपूर्ति कब तक करेगी? इस मुद्दे का समाधान और स्थिति को कब तक सामान्य कर लिया जाएगा? मैं इन सब चीजों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने बड़ा आकर्षक वक्तव्य दिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि संभव हो तो स्पष्टीकरण पूछे जा सकते हैं, कोई अन्य भाषण की अनुमति नहीं है। वे माननीय सदस्यगण जिन्होंने सूचना दी है, उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रसन्न आचार्य : जैसा कि मैं कह रहा था, उन्होंने वक्तव्य दिया था। वक्तव्य उतना ही आकर्षक था जितने आकर्षक वे स्वयं हैं। लेकिन मुझे खेद है कि मंत्रालय ने अपनी अकर्मण्यता के कारण सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों का आकर्षण छीन लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो महीनों में, सी०जी०एच०एस० के औषधालयों में एक भी औषधि उपलब्ध नहीं है।

महोदय, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य के से सहमत होते हुए मैं यह भी कहूँगा कि पिछले आठ-दस महीनों में सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों में कोई दवा उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि एनवास और इसी तरह की अन्य जैसी आम दवाएं भी सी०जी०एच०एस० औषधालयों में उपलब्ध नहीं हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद और सेवाकाल में भी, आजकल अधिकांश लोग मधुमेह से प्रभावित हैं और यहां तक कि सी०जी०एच०एस० के औषधालयों में इन्सुलिन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आप उन रोगियों की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं किसी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं इस सभा के एक वर्तमान माननीय सदस्य को सामना की हो रही परेशानी का उल्लेख

[श्री प्रसन्न आचार्य]

करना चाहूँगा वे हैं श्री जगन्नाथ मलिक। वे यहां थे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण सभा छोड़कर चले गए। वे मधुमेह के रोगी हैं ओर पिछले कई वर्षों से "मिम्सटड ह्यूमन इन्सुलीन कार्टरीज" का सेवन कर रहे हैं। वह संसदीय सौध गए लेकिन वहां इन्सुलीन की आपूर्ति नहीं की गई थी। इसलिए खूले बाजार से डाक्टर द्वारा नियत कोई अन्य दवा खरीदनी पड़ी और उस दवा का सेवन करने के बाद ही उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें तुरंत रामनोहर लोहिया हॉस्पीटल जाना पड़ा और डाक्टर ने कहा कि यदि वह एक घंटा देर से आए होते तो उनकी जान चली गई होती। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय की अकर्मण्यता के कारण यह स्थिति इस सभा के एक माननीय सदस्य की होती है तो आप कल्पना कीजिए कि उन अन्य सरकारी कर्मचारियों के भाग्य का क्या होगा जिन्हें कम वेतन मिल रहा है और भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभात सामन्तराय

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, कृपया मुझे दो मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आज मैं "शून्य काल" शुरू करने में समर्थ नहीं होऊंगा। यदि सदस्यगण इसी तरह से बोलते रहे तो "शून्य काल" नहीं होगा।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, सी०जी०एच०एस० के औषधालयों में सुविधा का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन से एक विशेष राशि की कटौती की जाती है और यह भारत सरकार और कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच अनुबंध है। इसलिए, मैं समझता हूं, भारत सरकार की तरफ से यह अनुबंध भंग करना हुआ क्योंकि कर्मचारी इसके लिए भुगतान कर रहे हैं और भूतपूर्व सदस्य भी इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम, इस सभा के सदस्यगण और भूतपूर्व सदस्य भी इसके लिए एक विशेष राशि का भुगतान कर रहे हैं। यह भुगतान करने वाले और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अनुबंध है और मैं समझता हूं, यह अनुबंध भंग करना हुआ क्योंकि पिछले कई महीनों से सी०जी० एच०एस० के औषधालयों में सामान्य दवाओं की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रभात सामन्तराय, अब आप कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, मैं आपसे एक मिनट का और समय देने का अनुरोध करूंगा।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बोल रहे थे, पैसे वापसी की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह पैसे वापसी की प्रक्रिया को और आसान बनाएंगे और क्या कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को खूले बाजार से दवा खरीदने की अनुमति देंगे? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री - 15 दिन या एक महीने - की विशेष अवधि निर्धारित करेंगे - जिसके द्वारा मंत्रालय उन रोगियों की धनराशि की वापसी करेगी जिन्होंने खुले बाजार से दवा खरीदी है। तो सरकार केमिस्टों की तथाकथित हड़ताल को शीघ्र समाप्त करवाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुई है और बाहर यह अफवाह फैली है कि हड़ताल कोई बिक्री कर समस्या के कारण नहीं है, बल्कि कुछ गुप्त कारणों के कारण हड़ताल पर चलें गए हैं? जैसा कि हमें कुछ समाचार-पत्रों से जानकारी मिली है, दवाओं की खरीद में कदाचार बरता जा रहा है और इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सामंत रे जी आप शुरू करें, नहीं तो आपका नाम नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है और संभवंत: माननीय मंत्री ने ध्यानाकर्षण का गलत पाठ किया है क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में सी०जी०एच०एस० औषधालयों में आपूर्ति न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने वही बात कही जो कदम वे उठाने जा रहे हैं, मेरा प्रश्न है : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को किसलिए शुरू किया गया है? उद्देश्य में कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल की व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी;"

"(ख) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की बोझिल प्रणाली से बचने के लिए।"

यही उद्देश्य है, तो प्रतिपूर्ति का प्रश्न कहां से आया? यह प्रतिपूर्ति का प्रश्न नहीं हैं यह रोगियों या लाभार्थियों या कार्ड-धारियों को दवाएं प्रदान करने का प्रश्न है। आप जानते हैं कि सी०जी०एच०एस० के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 42,37,088 है जबकि कार्ड धारियों की संख्या 5,77,805 है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यह समस्या वर्ष 1998 से विद्यमान हैं। मुझे इसमें कोई प्रश्न नहीं नजर आता कि प्रणाली ध्वस्त हो गई है या अभी भी जीवित है। यदि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रणाली वर्ष 1998 से ही विवादित है और उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, मैं समझता हूं, किसी को इस बात का दावा नहीं करना चाहिए और कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए कि वह मंत्रालय चला रहा है। यह वर्तमान माननीय मंत्री का ही प्रश्न नहीं है।

सन् 1990 से एक निर्णय लिया गया है। अभी भी यह प्रणाली मौजूद क्यों है? अभी भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक क्यों पदासीन हैं? वह इसका समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? वे किसलिए हैं? यदि सरकार कल इसका निर्णय करने जा रही है, तो वे आज ही ऐसा क्यों नहीं करते? इससे लाभार्थियों की जानों का नुकसान है। संविदाभंग का दबाव लाभार्थियों पर डाला गया है। इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। उन्हें इसमें से मुनाफा लेना है। यह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

श्री प्रभात सामन्तराय : उन्हें समय के अनुसार कार्यवाई करनी होगी। मेरा साधारण प्रश्न यह है। माननीय मंत्री को आज हमें बताना चाहिए कि जो भी प्रणाली उनके अधिकार में है उसके माध्यम से वह लाभार्थियों को औषधियां, न कि प्रतिपूर्ति कब तक उपलब्ध कराएंगे उन्हें आज ही इस सदन को विश्वास दिलाना चाहिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। अपनी बात कहने से पहले मैं विनम्रतापूर्वक आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या यह नियम केवल मुझ पर लागू होता है जबकि मैं वक्तव्य दे रहा हूं? मैं समझता हूं कि यह नियम माननीय सदस्य पर भी लागू glak gS...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम सदेव उन पर लागू होता है जो उनका पालन करते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं आज्ञाकारी हूं।

महोदय, सर्वप्रथम, पूरी बात को संक्षिप्त करने के लिए मुझे यह कहना है मैंने उनकी बात सुन ली है। मैंने कुछ मामले सुनें हैं जिनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, अर्थात श्री चड्डा और सदन के एक माननीय वरिष्ठ सदस्य के बारे में, कि वह कैसे बीमार पड़े, उन्हें कैसे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं वास्तव में इसके बारे में बहुत चिन्तित हूं। मुझे इसका बहुत दु:ख है।

किन्तु इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अथवा इससे पहले कि मैं कुछ बातों पर आऊँ मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कोई संविदा भंग नही हुआ है। मै। यहां संविदा भंग करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां संविदा को सशक्त करने के लिए हूं। महोदय, कृपा करके कम से कम भगवान के लिए मेरे मन्तव्य पर प्रश्न न करें। मैं इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हल तलाश कर रहा हूं।

पहले जो हमारी दवाइयां आ रही थीं, ये कैमिस्ट की बात कर रहे थे, इसका दूसरा पहलू भी है। कैमिस्ट का यह पहलू कि सीएजी ने हमें कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किये जिनको हमने रोका हुआ है। हमारा वह इरादा नहीं है। अगर आपको बता दिया जाए कि दिल्ली फॉरम्युलरी को फोलो करते हुए अभी हम जो दवाइयां ले रहे हैं जिसकी डब्ल्यू. एच.ओ. ने सराहना की है, दिल्ली फॉरम्युलरी से ले रहे हैं, हम बल्क परचेज कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि हमारे आने के बाद दवाइयां बल्क परचेज में हम ले रहे हैं और सदन को जानकर बड़ी खुशी होगी कि न सिर्फ टेस्टेड और मोस्ट एफैक्टिव और क्वॉलिटी मेडिसिन्स हमें मिल रही हैं बल्कि करीब-करीब बीस से लेकर पचास प्रतिशत तक सस्ती दवाइयां भी मिल रही हैं और सेल्स टैक्स भी बच रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : मंत्री जी, दवाइयां समय से नहीं मिल रही हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : सर, मैं औबिडिएंट हूं, इसलिए मैं चुप रहूंगा, मैं इनकी भावना की कद्र करता हूं। मैं समझ रहा हूं कि दवाइयां नहीं मिली है और बीच में दवाइयों की दिक्कत हुई है।

उन दवाओं के मिलने में कोई दिक्कत न हो और आगे बिलकुल भी दिक्कत न हो, उसी से संबंधित यह लड़ाई थी और संघर्ष था कि सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिन लोगों को तकलीफें हुई हैं, उनके प्रति मैं हृदय से दुख प्रकट करता

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि कहा जा रहा है कि हमने पिछली बार कहा था कि यह एक सप्ताह के भीतर हल कर लिया जाएगा। थोड़ा समय और लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने इतना जरूर कहना चाहता हूं कि फ्यू-वीक्स यानि एक महीने के अन्दर इस काम को करेंगे। जब आप मुझसे अगली बार मिलेंगे, तो यह सवाल नहीं करेंगे। कहीं पर भी दवाई की दिक्कत नहीं होगी। यही मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपना ब्यान दिया है और एक अच्छा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में यह सवाल नहीं करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं हो सकता है कि यह बात इस सवाल से संबंधित न हो। गरीब किसान और मजदूर जब खेतों में काम करते हैं, तो उनको सर्प काट जाता है। सर्प काटने की दवा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो हमने आदेश दिया था कि हर अस्पताल में सर्प काटने के इलाज के लिए इन्जैक्शन की व्यवस्था बाकायदा रहनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* कुत्ते के काटने की दवा/इंजेक्शन की भी व्यवस्था की थी। कुत्ते के काटने का तो फिर भी इलाज हो जाता है, लेकिन सर्प के काटने से व्यक्ति पांच मिनट में ही मर जाता है। सर्प बहुत जहरीले होते हैं। इसलिए निवेदन है कि प्रत्येक अस्पताल में आप अपने स्तर पर या राज्य सरकारों के स्तर पर सर्प काटने के इलाज की दवा रखने का इन्तजाम करें और इस बारे में प्रचार भी करा दें कि दवा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी क्रियाविधि यह है कि वे सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्होंने मुझे नोटिस दिया है किन्तु चूंकि श्री मुलायम सिंह यादव सदन में अपनी पार्टी के नेता है इसलिए यदि आप चाहें तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। किन्तु इसे पूर्व उदाहरण के रूप में लिए जाने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, उसकी हम बहुत कदर करते हैं और इस बात को हम अवश्य ध्यान में रखेंगे और पाजिटिव तथा सार्थक कार्रवाई करेंगे।

अपराह्न 12.53 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

विभिन्न परियोजनाओं के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से धनराशि जारी करने में विलम्ब के बारे में

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। तेरहवीं लोकसभा का तीन वर्ष से भी ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। इटावा जिले के लिए सांसद निधि में छः करोड़ दिए गए हैं और जिले के विकास के लिए 156 प्रस्ताव दिए गए हैं। जिले के सभी प्रस्ताव अधूरे पड़े हुए हैं, एक भी काम पूरा नहीं किया गया है। जिला अधिकारी और जिला प्रशासन मनमाने रवैये के कारण सभी प्रस्तावों को रोक कर रखे हुए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। नियमों में है कि सांसद जो भी प्रस्ताव देंगे, उनको 45 दिनों के अन्दर पूरे किए जायेंगे, लेकिन तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो नए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, उन प्रस्तावों को भी लागू नहीं किया जा रहा है, स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से सदन में उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिलकुल सही है। हर काम अधूरा पड़ा हुआ है। वे पैसा बैंक में जमा करते हैं और उनके सूद से नई-नई गाड़ियां खरीद कर घूमने का काम करते हैं। संसदीय क्षेत्र के विकास पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। मेरा निवेदन है कि कोई ठोस आदेश दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, यह मामला मेरे गृह जनपद इटावा से संबंधित है, जहां से हम आठ बार लगातार विधायक रहे हैं। यह वही क्षेत्र है, जहां से श्री रघुराज शाक्य एम.पी. हैं। हमने स्वयं जिला अधिकारी से तीन बार अनुरोध किया। आस-पास के सारे जिलों का एमएलए और एमएलसी का जो पैसा है, वह सब रिलीज हो गया। इटावा को छोड़ कर आस-पास के जनपदों में सब को रिलीज कर दिया गया है। इटावा के डी०एम० ने हमारे कई साथियों से कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सांसद एवं विधायक निधि रिलीज नहीं करेंगे, मुलायम सिंह ने भी शिकायत की हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि

इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और आप तत्काल आज ही शाम तक इसकी जांच करा लीजिए। इतने दिनों से पैसा रिलीज़ क्यों नहीं किया गया, ये पैसे कहां रखे हुए हैं? इसके पीछे असली कारण यह है कि अगर डी०एम० और सीडीओ को 15 फीसदी से 25 फीसदी तक कमीशन मिल जाए तो ये शाम तक पैसा रिलीज़ कर देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, इसे विजय गोयल जी देखते हैं। इस संबंध में मेरी जानकारी में ऐसा है कि जो भी शिकायतें आती हैं, उन्हें देखा जाता है और उनका निस्तारण भी किया जाता है। मैं विजय गोयल जी से इस बारे में कहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, यह आपसे संबंधित मामला है, आपकी कृपा से सब कुछ होगा। आप इसमें हस्तक्षेप करें, यह तो औपचारिकता होती है। ...*(व्यवधान)* यह जितना कह सकते थे, उतना इन्होंने कह दिया और इन्होंने ठीक कहा है, हम उस पर एतराज नहीं करते। ...*(व्यवधान)* महोदय, इसमें आपको विशेष तौर पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपने जो बात कही है, उसे मैंने सुना है और मैं खुद भी इस विषय में मंत्री जी से बात करूंगा।

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उन किसानों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में केले की खेती कर रहे हैं।

इंडो-अमेरिकन हाइब्रिज सीडस बेंगलूर के नाम से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी बेंगलूर में है जो किसानों को उतक खेती वाले केले के बीजों की आपूर्ति करती है। और विस्तृत प्रचार और कंपनी द्वारा किए गए वायदों के कारण किसानों को विश्वास दिलाया गया कि यह मिश्र किस्म का बीज है जिसे वे खेती में शामिल कर सकते हैं। महोदय, उनकी निराशा देखिए कि इस बात को ठीक जानकर हजारों किसानों ने ऊतक खेती वाले बीज इस कंपनी से लिए थे। दो वर्ष बीत चुके हैं। इनमें पत्तियाँ भी नहीं फूट रही हैं। अंततः किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। यह एक गंभीर स्थिति है।

श्री पी०एच० पांडियन द्वारा 2001 में इस स्थिति को उठाया गया था और कृषि मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया था कि इन क्षेत्रों में किसानों की यह दुर्दशा है। दि इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीडस् बेंगलूर ने इन क्षेत्रों के किसानों को पूर्ण रूप से धोखा दिया है जो केले की खेती कर रहे हैं।

महोदय, मंत्रालय इस मुद्दे की जांच करने हेतु एक दल भेजने में बहुत उदार रहा। इस दल ने राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र त्रिचि के निदेशक की अध्यक्षता में इस स्थल का दौरा किया और-उन्होंने किसानों को हुए नुकसान के कारणों का पता लगाया। उन्होंने महसूस किया कि 80 प्रतिशत नुकसान घटिया किस्म की वृक्षारोपण सामग्री के कारण हुआ। उन्होंने अपने निष्कर्ष में स्पष्टतया बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीडस्, बेंगलूर द्वारा आपूरित घटिया किस्म के बीज और ऊतक खेती के कारण किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ।

मैं श्री वी०आर०एन० मूर्ति के मामले को उद्धृत करता हूं जो एक बड़े किसान हैं और इस कंपनी से 95 लाख रुपए के बीज खरीदे हैं। यह रिपोर्ट मंत्रालय के पास उपलब्ध है। इसके बाद भी मंत्रालय उस रिपोर्ट के प्रति असंवेदनशील और उदासीन है। मैं जानना चाहता हूं कि वे किसका बचाव कर रहे हैं क्या मंत्रालय इस मार्ग पर है कि जो किसान ऋण में पैदा हुए हैं, उसी ऋण के भार से मरेंगे? क्या यही स्थिति है? क्या अपराधी से स्पष्टीकरण मांगना और किसानों को राहत देना सरकार का कर्तव्य नहीं है? किसान राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के पास गए हैं। दो वर्ष बीत चुके हैं। कंपनी ने प्रति उत्तर दाखिल नहीं कराया। मंत्रालय इसके प्रति लापरवाह है। कृषि मंत्रालय को मालूम है कि ऐसी रिपोर्ट है और घटिया किस्मों के बीजों के कारण किसान मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय तत्काल कार्रवाई शुरू करे। बैंकों से कहा गया है कि वे किसानों से ऋण वसूल करें। दो वर्ष बीत चुके हैं। यह रिपोर्ट उनके पास है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.एच. पांडियन अपने को उनके विचारों से साथ सम्बद्ध करेंगे।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जांच दल ने कोई कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की हैं वे किसका पक्ष ले रहे हैं? क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनी का बचाव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब डा० रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, क्या आप अपनी बात बोलना नहीं चाहते हैं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं इन्हें सपोर्ट करने के बाद अपनी बात बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, नुनिया, मल्लाह, तत्मा, तुरहा, तांती और कुम्हार – ये सभी बिहार में अति-पिछड़ी जातियों में हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल तो आ रहा है, उस समय आप अपनी बात बोल दीजिएगा।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं और अनुसूचित जातियों के बराबर हैं लेकिन सरकारी की गलत नीतियों के कारण ये जातियां बिहार में तो अति-पिछड़ी जाति में हैं जबकि अन्य राज्यों में ये जातियां अनुसूचित जाति में हैं। इन सभी जातियों ने एक महासंघ बनाया है और बैठकें करके आंदोलनरत हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि एक कंप्रीहैंसिव विधेयक इस संबंध में लाया जाए और देश में जो इस तरह की अति-पिछड़ी जातियां हैं उन्हें अनुसूचित जाति में लाया जाए, जिससे उन्हें रिजर्वेशन आदि मिल सके और आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन में भाग लेने का मौका मिल सके।

अपराह्न 1.01 बजे

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) : महोदय, धन्यवाद मैं सरकार विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे देश के हमारे फुटकर व्यापार की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

26 नवम्बर को "दि इकॉनामिक्स टाइम्स" ने एक बहुत ही सनसनीखेज खबर प्रकाशित किया है जिसमें यह बताया गया है कि योजना आयोग मंत्रिमंडल के निर्णय से कैसे भिन्न मत दे रहा है अथवा योजना आयोग का एक वर्ग दसवीं योजना के अन्तिम दस्तावेज से कैसे भिन्न मत रखता है। दसवीं योजना के प्रारूप संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि फुटकर व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला जाना सरकार की तात्कालिक आवश्यकता है। जबकि योजना आयोग के सदस्य श्री एन०के० सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है :

> "भारत में फुटकर क्षेत्र बिखरा हुआ विशाल, श्रम-प्रधान और असंगठित हैं इसे देखते हुए फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटाना इस समय वांछनीय नहीं समझा गया है।"

दसवीं योजना के दस्तावेज में अंतत: कहा गया है कि इसकी जरूरत हैं यही नहीं बल्कि मंत्रीमंडलीय उप समिति की भी कुछ बैठकें हुई। उसमें उन्होंने राय दी कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चहिए।

महाराष्ट्र और कोलकाता और अनेक अन्य भागों के कुछ वाणिज्य मंडलों, कुछ फुटकर व्यापार समूहों ने हमारी पार्टी और इस सदन के अपने संसद सदस्यों से भेंट की। हमें यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि दसवीं योजना का दस्तावेज प्रधान मंत्री द्वारा प्रष्ठांकित हैं हो सकता है कि प्रधान मंत्री को पर्याप्त रूप से यह न बताया गया हो कि अन्दर क्या हो रहा है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसाकि आरोप है कि नौकरशाहों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय फुटकर विक्रेता फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देकर राष्ट्र विरोधी निर्णय लेने के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं सम्भवत: इससे देश में फुटकर व्यापार की संभावना पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी।

आज हम प्रतिष्पर्द्धा विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व यदि यह कार्य पहले ही कर लिया गया है। और सरकार द्वारा अंतत: योजना आयोग के दस्तावेज का पृष्ठांकन कर दिया गया है तो मैं नहीं जानता कि उनकी रक्षा कैसे की जाएगी।

महोदय, जहां तक मैं जानता हूं कि जुलाई माह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा के बारे में निर्णय करने वाले मंत्री-समूह ने फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। डा०एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में जून के महीने में रोजगार संबंधी योजना आयोग के कृतिक बल ने रोजगार पर इसके

प्रतिकूल प्रभावों के कारण फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देने का स्पष्ट सुझाव दिया था। इसलिए मैं पूर्ण रूप से यह महसूस करता हूं कि यदि इस चरण में सरकार स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है, कम से कम भारत के इन फुटकर व्यापार समूहों को आश्वस्त किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा उनके व्यापार और कार्यकलापों में ओर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा चूंकि इससे न केवल रोजगार समाप्त होगा बल्कि इससे इन समूहों की संपूर्ण संभावना नष्ट हो जाएगी और इस पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इससे सम्बद्ध होने की अनुमति है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, उन्होंने जो कहा है मैं भी उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

महोदय, लाखों खुदरा दुकाने बंद हो जाएगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश की सभी दुकानों पर आधिपत्य जमा लेगी...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वाणिज्य मंत्री यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करें। उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दे और इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में जाने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वाणिज्य मंत्री की ऐसी इच्छा है तो वे उत्तर दे सकते है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, वर्ष 1997 से यह मौजूदा नीति है और जैसाकि आप और माननीय सदस्य जानते हैं कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं है।

जैसाकि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि एन०के० सिंह समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची प्रतीत होती है। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में इस पर एक मंत्री समूह है और मुझे इसके पहले ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। यदि यह सामने आता है तो इसे पर मंत्री समूह द्वारा विचार किया जाएगा और सामान्य तौर पर प्रकाशित कर दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैने कहा है कि योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दसवीं योजना के दस्तावेज में इसे स्वीकृति दी गई है जबकि मंत्री समूह ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

श्री अरूण शौरी : किसी मामले में दसवीं योजना दस्तावेज भी राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जा रहा है। कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों सहित सभी मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावों पर टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा। इसमें निर्यात अथवा संयुक्त उद्यमों के लिए व्यापार संबंधी गतिविधियों है जिन्हें समग्र क्रियाकलापों और ऐसी किसी चीज के लिए अनुमति प्राप्त है लेकिन वे विशेष बाते हैं। यदि आप मुझे उसे पढ़ने की इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ सकता हूं लेकिन जहां तक सामान्य खुदरा व्यापार का सवाल है तो वे बिल्कुल सही है क्योंकि वर्ष 1997 से यह सरकार की नीति रही है। मैं समझता हूं यहां दो कंपनियां थी जिन्हें इस संबंध में 1997 के पहले अनुमति दी गई थी लेकिन उस समय से किसी को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर भी इसकी जांच की है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में मुण्डेरवा चीनी मिल पर शान्तिपूर्वक तरीके से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान तथा गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिये जब किसान धरना दे रहे थे, वहां पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के पश्चात् तीन किसानों की मौत हो गई। इसी संदर्भ में 12.12.02 को हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपको सूचना दी थी। जब 12.00 बजे के बाद आदरणीय प्रधान मंत्री जी सदन में आये तो उन्होंने शाम को वक्तव्य देने का आश्वासन दिया। उसी क्रम में जब खाद्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया तो उन्होंने उसमें मात्र एक किसान के मारे जाने की बात बताई। इस वक्तव्य से हम लोग सहमत नहीं थे। हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने हमें निर्देशित किया कि हम तत्काल घटनास्थल पर जायें और सत्यता का पता लगाकर वास्तविकता से उन्हें अवगत करायें। उनके निर्देशानुसार जब हम 13.12.02 को बस्ती गये तो पूरा बस्ती जनपद पुलिस छावनी के रूप में तबदील था। जब हमने वहां जाकर किसान परिवारों के करुण-क्रन्दन को सुना, निश्चित तौर पर हमें इस बात का अहसास हुआ कि हमारे जैसे लोग संसद में चुनकर क्यों आ रहे हैं। सरकार ने जो गलतबयानी की, उसका जीता-जागता मुंडेरवा कांड उदाहरण है। मुण्डेरवा चीनी मिल गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो दूसरा रेलवे ढाला था, उसके करीब रेलवे लाइन के पास जो इनसानी खून से सनी मिट्टी है, वह इस बात की गवाही दे रही है कि आजादी के बाद भी पुलिस ने किस निर्ममतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक और

[कुंवर अखिलेश सिंह]

जघन्यतापूर्वक किसानों की हत्या की हैं चीनी मिल गेट पर दो किसान मारे गये जबकि दूसरे ढाले के पश्चिम तरफ एक किसान मारा गया। एक किसान- बदरी चौधरी - जहां धरना दे रहे थे, वहां से मात्र 50 मीटर पर मारे गए। मुझे आपसे इस संदर्भ में यह भी कहना है कि न केवल पुलिस ने लोगों को मारा-पीटा बल्कि व्यापारियों की दुकानों को लूट लिया गया। संजय कुमार मोदनवाल और अनिल कुमार मोदनवाल की चाय की दुकान को लूट लिया गया। जयराम चौधरी की चाय की दुकान को भी लूट लिया गया। जोखन अग्रहरि, अमीन चौधरी, बाल्मीकि वर्मा के पैरों-हाथों को मारकर तोड़ गया। सैंकड़ों लोग घायल हैं। जब उन लोगों को पता चला कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मैं वहां आया हुआ हूं तो हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और उन लोगों ने आपबीती सुनाई। उससे मुझे लगा कि देश की आजादी के दौर में अंग्रेजों ने जिस बर्बरता का परिचय दिया था, देश की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान की पुलिस ने एक बार फिर से किसानों के साथ बर्बरता का परिचय मुण्डेरवा चीनी मिल गेट पर दिया। इससे निश्चित तौर पर मानवता दहल उठी है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा होनी है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने निर्दोष किसान को जेलों में बंद रखा है। आज किसानों को उनके खेतों और अन्य गतिविधियों में आने-आने से रोका जा रहा है, इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाये। सरकार ने जो गलतबयानी की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे साबित हो गया है कि किसानों की मौत गोली लगने से हुई है। इसलिये आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जिन किसानों को जेलों में बंद किया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाये। जो मृतक किसान हैं, उनके परिवार वालों को 20-20 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिये जाये और जो लोग घायल हैं, उन्हें पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे में दिये जायें।

जिन लोगों ने किसानों की हत्याएं करने का काम किया है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा में आप पूरी बात बोलिये।

कुंवर अखिलेश सिंह : उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत रिपोर्ट सदन में दी है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की जिस गलतबयानी को सदन में व्यक्त किया है, उसके कारण भारत सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री शरद यादव को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसान आज अपनी फसल को जलाने के लिए मजबूर हैं, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बालांघाट धान उत्पादक जिला है और मैं मध्य प्रदेश के धान उत्पादन किसानों की बात सदन में रखना चाहता हूं। आज पूरे जबलपुर संभाग में किसान अपनी धान की फसल को जला रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि एफ०सी०आई० ने जिस प्रकार से ग्रेडेशन तैयार किया है और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मार्केटिंग फैडरेशन को धान खरीदने का जिम्मा दे दिया। पिछले वर्षों में सोसायटीज के माध्यम से धान की खरीददारी शुरू होती थी। लेकिन राज्य सरकारों ने उनकी संख्या एक-तिहाई कर दी और एफ०ए०क्यू० के मापदंड कड़े कर दिये और दो महीने के बाद धान की खरीद शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने जाकर अपना माल व्यापारियों के सामने बेच दिया। मध्य प्रदेश के सामने जो पिछला स्कैंडल है कि किसानों का धान व्यापारियों ने खरीदा और बाद में उसी को लेवी के रूप में दिया। इससे साफ मालूम हुआ कि ऐसे लोग जिन्होंने मिलिंग की, उन्होंने उसी सस्ते धान का मिलिंग करके फिर से सरकार को दे दिया। जिन चावल मिलों की एक यूनिट बिजली भी नहीं जली, उन्होंने हजारों क्विंटल धान मिलिंग करना बताया। ऐसे प्रमाण होने के बावजूद भी उन व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और आज भी धान के खरीद केन्द्र बंद हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मामले में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और स्कैंडल की जांच करे। हर बार लगातार यही धंधा चलता हैं केन्द्र सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसकी तारीख 31 दिसम्बर है, यह तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा सारे किसान लुटेंगे। आज किसान अपना धान जला रहे हैं, कल वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बर्बरता का सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी विद्युत मंडल में प्रदर्शन हुआ, उसमें ऐसा भयानक लाठी चार्ज हुआ कि सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए हैं। यह सब तरफ किसानों पर होने वाला अन्याय है और मध्य प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुन; समवेत् हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.06 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में सागर-रहली पाटन जबलपुर सड़क मार्ग के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश से सागर जबलपुर मार्ग रहली एवं झलोन होकर जबलपुर जाता है। इस मार्ग से सागर से जबलपुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाती है तथा सागर, देवरी मार्ग पर बम्हेरी तिगड्डा पर जो कि फोर लाइन एक्सप्रैस हाइवे मार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, इस तिराहे से जबलपुर, कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग इन दोनों के बीच के मार्ग को केन्द्रीय सड़क निधि से निर्माण कराया जाकर दो प्रमुख मार्गों को जोड़ा जा सकता है जिससे दोनों संभागों के चार लोक सभा क्षेत्रों के यात्रियों को यात्रा में लगने वाला समय भी कम लगेगा तथा पैसे की भी बचत होगी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सागर से रहली, झलोन, पाटन जबलपुर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि से बनवाने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

(दो) मुम्बई में लघु बचत एजेंटों को प्रोत्साहन कमीशन की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : महोदय, वित्त मंत्रालय के एन एस ओ द्वारा लघु बचत एजेंटों को प्रमाण-पत्र जारी करने में विलंब से गंभीर समस्या पैदा हो गई है। राज्य-सरकार पिछले वर्ष में उनके द्वारा किये गए कराबार हेतु लघु बचत एजेंटों को प्रोत्साहन, अतिरिक्त कमीशन की अदायगी कर रही है। लोक भविष्य निधि, डाक बचतों इत्यादि हेतु इन एजेंटों द्वारा एकत्र की गई धनराशि के लिए एन एस ओ द्वारा वर्षवार प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। मुंबई में एजेंटों को भारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा हैं। वर्ष 1999-2000 से मुंबई क्षेत्र द्वारा अभी तक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं। वित्त मंत्रालय, बचत प्रभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और मुंबई डिविजन के एन एस ओ को महाराष्ट्र सरकार के साथ मतभेदों को सुलझाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कहे और लघु बचत एजेंटों को प्रोत्साहन कमीशन का भुगतान करवाऐं।

[हिन्दी]

(तीन) राजस्थान के अजमेर जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ-साथ अजमेर जिले में भी लगातार चौथे वर्ष भंयकर अंकाल, घोर सूखे एवं दुर्भिक्ष की स्थिति उप्पन्न हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के समस्त स्त्रोत सूख गए हैं। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरने के कारण पुराने जलाशयों एवं बावड़ियों का पानी भी सूखने की स्थिति में है। हैंडपम्प एवं कुए आदि सभी सूख गए हैं। जलस्तर अत्यधिक नीचे चला गया है। जहां पेयजल थोड़ बहुत उपलब्ध है, वह भी फ्लोराइड से युक्त है, जिसे पीकर लोग कुबड़ेपन तथा अन्य कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पानी के अभाव में पशुओं का पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गांव वासियों को बहुत दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट निवारण हेतु अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड के माध्यम से गहरे टयूबवैल खुदवाने की योजना स्वीकृत करें तथा पूर्व में राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित फ्लोराइड युक्त गांवों को बीसलपुर पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना हेतु विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उसे शीघ्र क्रियान्वित कराया जाए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रो० रासा सिंह रावत, राजस्थानी पगड़ी में बड़े शोभायमान लग रहे हैं। एक कहावत भी है-

"राग, रसोई, पागड़ी कभी-कभी बन जाय"

प्रो० रासा सिंह रावत : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए।

(चार) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के समीप करविगवां और आँग रेलवे स्टेशनों के बीच दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर बने पुराने रेल पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डॉ० अशोक पटेल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर (उ०प्र०) के निकट ब्रिटिश शासन के समय 1863 में दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर करविगवां व आँग स्टेशनों के बीच पांडू नदी पर बनाया गया 40 मीटर लम्बा पुल, लम्बे समय से खतरनाक स्थिति में है। यह पुल दिल्ली-हावड़ा के बीच चलने वाली अनेक तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए कभी भी गम्भीर खतरा बन सकता है। 11 वर्ष पूर्व रेलवे की निर्माण शाखा ने पुल का नवनिर्माण कराने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन अभी तक यह स्वीकृत नहीं हो पाई है। इससे रफीगंज दुर्घटना के बाद से स्थानीय रेलवे अधिकारी बहुत चिन्तित हैं। अत: सरकार से अनुरोध है कि पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए इस पुल का नवनिर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि किसी गम्भीर दुर्घटना से बचा जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के नौपाडा जिले के बोडन ब्लॉक में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, उड़ीसा के नौपाडा जिला के बेदेन प्रखण्ड में रासायनिक जहरीले प्रदूषण (फ्लोरोसिस) के कारण पेयजल की भीषण समस्या हैं मैं केन्द्र सरकार से तुरंत धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उड़ीसा सरकार इस संबंध में पहले ही एक प्रस्ताव भेज चुकी है। मैं सरकार से प्रखण्ड की सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) नागपुर, महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : पिछले कुछ समय से दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने की मांग की जाती रही है ताकि लोग धन और समय बर्बाद किये बिना उच्चतम न्यायालय में अपने मामलों की पैरवी करने में समर्थ हो सके जिसके लिए उन्हे राजधानी आना पड़ता है।

नागपुर जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और देश की भौगोलिक राजधानी है तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी केन्द्रीय स्थिति के कारण व्यापार और वितरण हेतु यहां भारी संभावना है। देश के अंदर यह सड़क रेल और विमान सेवा से सैकड़ों शहरों से भी अधिक शहरों से पूरी तरह जुड़ा हुआ हैं देश में अन्य कोई भी ऐसा शहर नही है जो नागपुर की तरह केन्द्रीय स्थिति में हो।

इन सभी सुविधाओं से युक्त होने के कारण मैं सरकर से नागपुर में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे सभी राज्यों के लागों को अपने मामलो की आगे बढ़ाने पैरवी करने हेतु उच्चतम न्यायालय में आसानी से पहुंच सके।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश में कानपुर की श्रमिक कालोनी में रह रहे श्रमिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख शहरों में लेबर कालोनियों में रहने वाले लोगों की स्थिति खराब हो गई हैं श्रम विभाग की ये कालोनियां अत्यन्त पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं श्रम विभाग की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन कालोनियों में नागरिक सुविधाओं को बहाल करने के लिए पैसा खर्च करें तथा नगर निगम भी इनमें नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए कोई रूचि नहीं लेता है। परिणामस्वरूप वहां पर रहने वाले लोगों के लिए जिन्दगी अत्यन्त कष्टप्रद हैं इस समस्या के समुचित समाधान के लिए सबसे बच्छा रास्ता यह होगा कि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों के नाम, इन समस्त मकानों को लागत मूल्य या न्यूनतम मूल्य पर, समस्त मकानों की उचित मूल्य पर रजिस्ट्री कर दी जाए या आबंटन कर दिया जाये जिससे लोगों को मकानों का मालिकाना हक प्राप्त हो सके। इसके पश्चात् नगर निगम वहां पर

शहर की अन्य कालोनियों की तरह निर्धारित कर लगाकर आवश्यक नागरिक सुविधाओं का विकास कर सकें तथा इनमें रहने वाले लोग उपयुक्त नागरीय जीवन यापन कर सकें।

[अनुवाद]

(आठ) जरी उद्योग में लगे कर्मकारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मौल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, "जरी" एम्ब्रोइडरी हमारे देश में एक पुराना हस्तशिल्प है और लाखों कामगार इस कुटीर उद्योग में लगे हैं मुंबई, सूरत, दिल्ली, कश्मीर, जयपुर और अन्य अनेक शहरों में महत्वपूर्ण जरी कशीदाकारी केन्द्र है। पश्चिम बंगाल के हजारों जरी कामगार उन केन्द्रों में काम करते है। एम्ब्रोइडरी संबंधी कार्यों का अन्य पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है। लेकिन गुजरात दंगे के बाद यह प्रभावित हुआ है और कांडला पत्तन से इसके निर्यात में कमी आई है।

अमरिका, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि जैसे पश्चिमी देश शुल्क लगा रहे है और बाल श्रम के जैसे बिना किसी आधार पर निर्यात को रोक रहे हैं। केन्द्र सरकार इस जरी एम्ब्रोइडरी साड़ी और परिधानों पर भी भारी उत्पाद शुल्क लगाती है।

मैं सरकार से जरी एम्ब्रोइडरी संबंधी कार्यों में सुधार लाने हेतु एक विशेष योजना तैयार करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को साड़ी और परिधान संबंधी सामग्रियों के आयात को अनुमति देनी चाहिए जिस पर जरी एम्ब्रोइडरी की जाती है और तत्पश्चात उन एम्ब्रोइडरीज के निर्यात में मदद करें।

सरकार को जरी उद्योग को बैंक ऋण प्रदान कर जरी कामगारों और डिजायनरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर और जरी उत्पादकों, निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष पैकेज भी तैयार करना चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश में फरेन्दा, महराजगंज और सिसवा को जोड़ने वाली नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराजगंज जनपद को अस्तित्व में आए 14 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और यह जनपद कृषि प्रधान एवं भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीमावर्ती जनपद है परन्तु अभी तक महाराजगंज जनपद रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। आनन्द नगर से महाराजगंज एवं महाराजगंज से सिसवा को रेल लाइन से जोड़ दिया जाए तो गोरखपुर गोण्डा लूप लाइन का आमान परिवर्तन के पश्चात् बिहार होकर आसाम तक जाने वाली ट्रेनों को लगभग 60 से 70 कि०मी० दूरी कम तय करनी पड़ेगी।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि व्यापक जनहित में फरेन्दा से महाराजगंज, महाराजगंज से सिसवा को नई रेल लाइन से जोड़ने हेतु यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

(दस) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेनगंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली में सहस्त्र कुंड ताल्लुका किनवट में पेनगंगा नदी है जिसमें 8 से 9 महीनों तक बहुत पानी रहता है और यहां पर हाईडल पावर परियोजना को स्थापित करने हेतु एक सर्वे भी हुआ था परन्तु सर्वे का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है जबकि यहां पर पानी पर आधारित पावर परियोजना बनाया जा सकता हैं। महाराष्ट्र को आने वाले समय में बिजली की भीषण समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। इस पावर परियोजना को इस क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना अति आवश्यक हैं इससे आने वाले समय में किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ-साथ इस क्षेत्र के विकास में काफी सुविधा मिलेगी। इस समय महाराष्ट्र में बिजली की आपूर्ति मांग के हिसाब से कम हो रही हैं इस परियोजना के माध्यम से महाराष्ट्र को आवश्यकता के हिसाब से बिजली भी मिल सकेगी।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में हाईडल पावर प्रोजैक्ट की स्थापना के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(ग्यारह) बामियान में बुद्ध की खण्डित प्रतिमा को पुन: स्थापित किए जाने का मामला अफगानिस्तान की सरकार के साथ उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, फरवरी 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तोड़ी गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा विश्व

[श्री रामदास आठवले]

में अपने तरह की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तालिबान लड़ाकुओं ने राकेटों और तोपों से बुद्ध की प्रतिमा पर हमला कर दिया जिसने संपूर्ण बौद्ध समुदाय सहित पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया।

बामियन में बुद्ध की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा अनूठी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट और दूसरी और पाँचवी शताब्दी पूर्व की थी। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को मानव समुदाय के लाभ हेतु बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ उठाने का अनुरोध करता हूं। इससे विश्व की संस्कृति, धार्मिक और एतिहासिक विरासत के संरक्षण में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

(बारह) बिलासपुर-अम्बिकापुर-गढ़वा और बिलासपुर-अम्बिकापुर-वाराणसी राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला हैं आवागमन का साधन अच्छा नहीं होने के कारण पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए दो नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव भेजा है।

1. बिलासपपुर-कटघोरा-अम्बिकापुर-रामानुजगंज, गढ़वा का प्रस्ताव दिनांक 3.3.01 को सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है।

2. बिलासपुर-कटघोरा-अम्बिकापुर-वोड्रफनगर-वाराणसी का प्रस्ताव दिनांक 8.6.02 को सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जनहित में उक्त दोनों प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए।

अपराह्न 2.20 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक—पारित

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधायी कार्य-राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक पर आगे चर्चा करेगी।

डा० वी० सरोजा बोल रही थीं। अब वे यहां नही हैं। श्री मुनियप्पा अब बोल सकते हैं।

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और न्यायाधिकरण को सशक्त बनाने हेतु इस विधेयक को पारित किये जाने की जरूरत का स्वागत करता हूँ ताकि विधेयक के वर्तमान प्रावधानों से उत्पन्न समस्यायों का समाधान किया जा सके।

जब तक हम इस कार्य को समुचित तरीके से शुरू नहीं करते तब तक हम इसे पूरा नहीं कर सकते और इसे पूरा करने में दशक ली लग सकते है। इसीलिये माननीय मंत्री, मेजर जनरल खंडूरी जी में दोनों स्वर्ण चतुर्भुज - उत्तर-दक्षिण और पूरब-पश्चिम पर तेजी से सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्यों से परियोजनायें प्राप्त की जा रही हैं। ताकि सात वर्षों में सभी गांवों को आपस में जोड़ा जा सके। सरकार का यह निर्णय वाकई स्वागत योग्य हैं साथ ही प्रगति भी काफी अच्छी है।

मैं केवल दो-तीन बातों का सुझाव देना चाहूंगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी जनसंख्या 25-30 हजार से अधिक है, तो वहाँ के लिये 50 वर्ष या इससे अधिक की दीर्घावधि योजना की आवश्यकता होती हैं वहाँ हमें राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके कम से कम तहसील तक बाई पास सड़कों की बजाए रिंग रोड का निर्माण करना चाहिये और वहां से तहसील के अन्दर आने वाले यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है।

दूसरी बात, बंगलोर कुडप्पा रोड को तिरूपति होकर राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के बारे में है। चेन्नई से शुरू होकर यह अन्तरराष्ट्रीय

समुद्रतट के किनारे-किनारे सड़क तीन राज्यों आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरती है और पश्चिम बंगाल तक जाती है। यदि आप बंगलौर-कुडप्पा-तिरूपति को चेन्नई-उड़ीसा-पश्चिम बंगाल मार्ग से जोड़ते हैं, तो यह काफी अच्छा रहेगा।

आपने कर्नाटक में कुछ सड़कों का विस्तार और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का काम पहले ही शुरू किया है। यहाँ भी मै आपसे एक परियोजना शुरू करने का अनुरोध करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 206, 207, 209, 212 और 218 को करीब 1204 किलोमीटर तक बढ़ाने संबंधी परियोजना आपके पास हैं इसके अलावा कृपया आप मेरे प्रस्ताव पर भी विचार कीजिए।

तीसरी बात, कर्नाटक में सड़कों के रखरखाव के बारे में है आपने 3797 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं लेकिन वर्ष 2002-2003 के दौरान 774 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। सड़कों के रखरखाव के लिये यह धनराशि बहुत कम हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक में सड़कों के विकास के लिये 2003-04 के बजट में 5000 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की जाए यह मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं मंत्री महोदय से ये कार्य शुरू करने का अनुरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र निपटाया जाए।

चौथी बात, कर्नाटक से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में है। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के बारे में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए। कोलार होकर गुजरने वाले बंगलौर-चेन्नई राजमार्ग पर भारी यातायात होता है; और हर दिन एक दुर्घटना होती है या वर्ष में 300-400 से अधिक दुर्घटनायें होती हैं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को उच्चप्राथमिकता के आधार पर चार लेन वाली सड़क में परिवर्तित करने वाले प्रस्ताव पर विचार करें।

दूसरी बात, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर वाहनों के लिये चार लेन वाली सड़क के निर्माण के बारे में है। इसकी अनुमानित लागत 680 करोड़ रुपये हैं यह परियोजना जिले 21.10.2002 को प्रस्तुत किया गया था, मंत्रालय के पास लंबित है।

बंगलौर से चेन्नई तक वाया कोलार 100 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क के बारे में करीब 326 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री द्वारा पहले ही सौंपी जा चुका है। यह सरकार के पास लंबित हैं इसकी उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जानी चाहिये। मंत्री महोदय जब अंतिम बार राज्य के दौरे पर गये थे तो उन्होंने इनमें से कुछ सड़कों की आधार शिला रखी थी। इन सड़कों पर कार्य में प्रगति होनी चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे सुझावों पर विचार करें। हम आपके द्वारा शुरू किये गये कार्यों की सराहना करते हैं और इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि एवम् यातायात नियंत्रण विधेयक, 2002 को 13 दिसम्बर को माननीय भूतल एवम् परिवहन मंत्री जी ने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है, जिस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए इसके उद्देश्य से सदन को अवगत कराया था कि जहां राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण दिन-प्रतिदिन एक समस्या बनती जा रही है। इसलिए इस प्रकार के ट्रिब्यूनल की आवश्यकता थी, जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस प्रकार के विधेयक आवश्यक हैं। परंतु विधेयक के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी प्रांतों में रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट हैं अगर वहां के अधिकारी इसकी सही तरह से अनुपालना करते तो शायद यह समस्या इतनी विकट नहीं होती, जितनी आज हैं जिन अधिकारियों के तहत नेशनल हाइवे होते हैं, वे समय रहते कार्रवाई न करें, तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई करने का, दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए।

आज जहां राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में मंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है, वहां धनाभाव के कारण ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या भी पैदा हुई हैं। कई राज्यों में इस प्रकार की समस्याएं हैं। सड़कों के किनारे मोटर मैकेनिकों की दुकानें और ढाबे बना दिए जाते हैं, जिनके पास एक इंच भी जमीन अपनी नहीं होती। वे सरकारी जमीन कवर कर लेते हैं और इस तरह से नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के ट्रैफिक बाधित होते हैं। मंत्री जी उत्तरांचल से आते हैं। इन्होंने कहा था कि आप ऐसी जगह का नाम बताए। मुझे उस जगह का नाम मालूम नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से बद्रीनाथ-केदारनाथ सड़क काफी अच्छी बनी है। लेकिन इस रूट पर ज्ञानी का ढाबा आता है। वहां यात्री खाना खाने के लिए रुकते हैं और इस कारण वहां रोज ट्रैफिक अवरूद्ध हो जाता है। इस बारे में आपको विचार करना होगा कि इस तरह से ट्रैफिक अवरूद्ध होने पर क्या किया जाए। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 21 है। यह चंडीगढ़ स्वारघाट से लेकर मनाली तक है। इस राजमार्ग पर दो बड़े सीमेंट कारखाने बरमाना और दाड़ला घाट में हैं। इस नेशनल हाइवे का सबसे ज्यादा उपयोग ये बड़ी-बड़ी कम्पनीज करती हैं और

[श्री महेश्वर सिंह]

ट्रैफिक में बाधा भी इन कम्पनीज के बड़े-बड़े ट्रक करते हैं, क्योंकि इस रोड के किनारों पर बने ढाबों पर खाना खाकर वहीं ट्रक रोककर इनके ड्राइवर सुख की नींद सोते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास सीमित साधान हैं। आप स्वयं एक्स सर्विसमैन हैं। मेरा सुझाव है कि क्यों न इस काम के लिए एक्स सर्विसमैन का उपयोग किया जाए। उनकी एक टास्क फोर्स बनाकर उनको ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाए और जहां ज्यादा उद्योग हैं, जिनके बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं, उनको भी चार्ज किया जाए और इस प्रकार जहां बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं, वहां ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इन एक्स सर्विसमैन की सेवा ली जाए, ताकि ट्रैफिक अवरूद्ध न हो। यह बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे

दूसरे लोक निर्माण विभाग में आखिरकार नेशनल हाइवे को भी देखने वाले स्टेट के अधिकारी हैं। रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट की जो बात मैंने कही है, वहां के अधिकारी अधिकांश प्रांतों में हैं। उनको अधिकार है कि कोई भी आदमी नेशनल हाइवे के सेंटर ऑफ रोड से 17 मीटर, अर्थात् लगभग दस मीटर की अगर सड़क होती है तो जो सात मीटर उसके अतिरिक्त जगह में कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, यह रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट कहता है। जो स्टेट हाइवे है, उसमें भी मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो तीन-चार मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकता। अधिकारियों की मिलीभगत से ही अवैध निर्माण होते हैं वर्ना क्यों नहीं उसी समय पुलिस को लाकर इन अवैध निर्माण को उखाड़ फेंका जाता? वे पहले अवैध कब्जा होने देते हैं, उसके बाद नोटिस देते हैं ताकि वे कोर्ट में जाएं, एडवर्स पजैशन का दावा करें और मजे से स्टे ऑर्डर लेकर बैठें और यही सब होना है तो माननीय सदन कितने भी विधेयक पारित कर ले, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर कहीं भी शौचालय इत्यादि का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो यात्री, टयूरिस्ट जाते हैं, वे जहां-तहां गाड़ी खड़ी करके शौचालय की तलाश करते हैं। फलस्वरूप वहां दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका उल्लेख आपने भी किया है कि 70,000 के करीब लोगों की हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती हैं इसका मूल कारण यह है कि कहीं पार्किंग प्लेस नहीं बना है। जहां तक ढाबों की बात मैंने कही है, इस प्रकार के शौचालयों का निर्माण भी राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारे उचित स्थान पर होना चाहिए। वहां जो भी अवैध निर्माण हैं, उसे हटाने के लिए कोई स्पेशल ड्राइव चलाई जाए। मैं जानता हूं कि कई गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए कहीं कार-पंक्चर की दुकान खोल लेते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और कोई न कोई उपयुक्त स्थान चयनित करके उनको री-हैबिलिटेट किया जाए लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग खुला रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा लाये गये विधेयक का हम समर्थन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं सरकार की नीयत अच्छी है। हम सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के निर्णय का स्वागत करते हैं। हालांकि सरकार की नीयत अच्छी है, इसे सभी सड़कों पर क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। मैं सुझाव दूंगा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन से पहले केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना चाहिये। इसे लागू करते समय स्थानीय स्वशासी निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों आदि को भी शामिल किया जाये। ऐसा इसलिये क्योंकि इसे लागू करते समय गंभीर समस्यायें उत्पन्न होगी क्योंकि हजारों लोग सड़क किनारे आवासीय इकाइयों का निर्माण कर और पंपसेट लगाकर रह रहे हैं। यही नहीं, वहाँ काफी समय से कई वैध व्यापारिक परिसर और प्रतिष्ठान भी हैं। वे वहां इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले से ही रह रहे हैं। उन्होंने सड़कों के किनारे की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को हटाने से पहले उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये। अन्यथा लोग अदालतों में जायेंगे और अदालतें इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। अदालतें अंतरिम आदेश देंगी और कार्य रुक जायेगा जिससे जनहित बाधित होगा। अत: कानूनी रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास बनाकर रह रहे लोगों को हटाने से पहले, पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये।

कुछ लोगों ने जमीन पर अनधिकृत कब्जे भी किए हुए है। वे अतिक्रमणकर्त्ता हैं। उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं हैं वे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। वे जमीन हथिया लेते हैं। उन्हें तुरन्त वहां से हटाया जाना चाहिये।

अन्य समस्या सड़क के दोनों और पानी निकासी प्रणाली के प्रावधान की है। अन्यथा जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो जायेगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से उड़ीसा में बालासोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर निर्माण कार्य चल रहा हैं। स्वर्णचतुर्भुज योजना के अन्तर्गत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इसे जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हुई हैं। नालियां भी

बनाई जानी चाहिये अन्यथा जलभराव के कारण सड़कें जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जायेंगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं इन सड़क निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर और ऐसी अन्य सुविधायें दी जानी चाहिए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कामगारों के रूप में भाग लेना उनके लिये सौभाग्य की बात होगी।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और सरकार की नीयत का स्वागत करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, जहां 4725 किलोमीटर राजमार्ग हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि चालीस साल में 2500 किलोमीटर और चार साल में 2500 किलोमीटर राजमार्ग बन गए हैं। आपने खण्ड-3 में राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की बात कही है, लेकिन मूल बात कार्यान्वयन की है। राज्य सरकारों की गलतियां होती हैं, ऐसी बातें आपके ध्यान में भी आई होंगी। आपके बार-बार निर्देश के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइन-बोर्ड नहीं लगे हैं। मेरा पहला सवाल है कि जब रोड का निर्माण होता है, तो तीन साल की गारन्टी होती है लेकिन अगर उसमें कोई गड्ढा हो जाए, तो सुपरवीजन का काम राज्य सरकार या नेशनल हाई-वे अथारिटी का हैं। लेकिन ऐसा अनुभव में आया है कि वह काम पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किस पर कार्रवाई होगी या किस की शिकायत होगी, कहीं कोई कार्रवाई देखने को नही मिलती है।

जहां तक गुणवत्ता बढ़ाने की बात है, मैं उदाहरण के लिए एनएच-69 का जिक्र करना चाहता हूं। क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए आपको कोई रास्ता निकालना होगा। मैं राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूं कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करते हैं, उन मार्गों के मेंटिर्नेस का प्रबन्ध राज्य सरकार बंद कर देती हैं और इस कारण मार्ग की जो दुर्दशा होती है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपने राज्य को जो धनराशि उपलब्ध कराई है, पहले 40 करोड़ की राशि थी और अब 130 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन इस राशि की उपयोगिता के बारे में आप विचार करें, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबन्धन का कहीं कोई प्रबन्ध नहीं हैं। आपने इस संबंध में कानून नहीं बनाया है, जिसके माध्यम से कार्रवाई के निर्देश हों।

अंत में, जहां तक ट्रैफिक को स्थाई रूप से या अस्थाई रूप से रोकने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहीं कोई पुलिया टूट जाती है, तो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाता है। इस डाइवर्जन में राज्य सरकार की गलती है, क्योंकि जब डाइवर्जन होता है, तो वे मार्ग चलने के लायक नहीं होते हैं। मैं पुन: आपको बधाई दूंगा कि आपने धनराशि की व्यवस्था की है और जो काम 40 सालों में नहीं हुआ था, वह आपने चार सालों में कर दिखाया है। अगर आपने राज्य सरकारों द्वारा निगरानी के बारे में विचार नहीं किया, तो आपके प्रयास काल्पनिक रह जायेंगे, कागजों पर ही जायेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग नियत्रंण (भूमि और यातायात) विधेयक 2002 का स्वागत करता हूं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जहां तक केरल का सवाल है, अन्य राज्यों की तुलना में केरल को आबंटित की गई धनराशि बहुत कम है। केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बहुत कम है, जबकि अनेक सड़के ऐसी हैं। जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है। हालांकि, केरल सरकार ने अनेक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के प्रस्ताव भेजे हैं किन्तु से प्रस्ताव मंत्रालय में अभी तक लम्बित हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिये आबंटित धनराशि बहुत कम है। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों के निर्माण के संबंध में केरल की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में केरल की उपेक्षा की गई है। इस योजना के लिये आबंटित धनराशी बहुत कम हैं केरल सरकार ने राज्य राजमार्गों में सुधार के लिये भी सहायता मांगी हैं लेकिन मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 की स्थिति पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। शेनकोट्टई और पुनालुर के बीच मोड़ और घुमावों को दूर करने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए।

आर्यानकबू और थेनमलाई के बीच सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिये। कोट्टाराक्करा-पुनालुर कस्बे में बाईपास का निर्माण जरूरी है। इस क्षेत्र से जब कभी दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को हटाया जाये तो उन्हें उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिये। कुंदारा से क्विलोन के बीच सड़क को चार लेन वाला बनाया जाना

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

चाहिये। एजुकोन जंक्शन पर सड़क की उंचाई अधिक है, दोनों तरफ संपर्क सड़क बहुत संकरी हो गई है। एजुकोन में सड़क की ऊंचाई को कम करने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिये। आर्यानकबू नेदमबइकुलम और वल्लाकोडे-पुनालुर पर स्थित रेल उपरिपुलों पर चौड़ा किया जाना चाहिये क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 पर बार-बार दुर्घटनायें होती है।

इसे चौड़ा किए जाने और इसके पुर्ननिर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता है. सरकार को तमिलनाडु से सड़क मार्ग द्वारा वहां के लिए पशुओं को लाने पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे यातायात के लिए खतरा पेदा हो रहा है।...*(व्यवधान)* पशुओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 20 में लगातार समस्याऐं पेदा हो रही हैं।

यद्यपि, थेनी-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की गई है लेकिन इसके संरेखण को न तो अन्तिम रूप दिया गया है और ना ही इसका निर्माण आरम्भ किया गया है। अदूर, पड़ालम, चेगनूर, तिरूवल्ला, छगना चेरी और कोट्टयम शहरों में बाई पास मार्ग होना चाहिए। मलोम पर रेल उपरि पुल को चौड़ा किया जाना चाहिए। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग में कोट्टारकाकरा से कोट्टायम तक के हिस्से को चार लेनों वाला बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस रूट पर यातायात जाम और दुर्घटनाएं होनी आम बात है।

पुनलूर-भुवाट्टुपुजा सड़क को यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए। पथनपुरम, कोन्नी, पथनमथिट्टा, रानी, कंजिरापल्ली और पल्लाई के वरास्ते पुनलूर से मुवाट्टुपुजा तक की दूरी केवल 120 किलोमीटर हैं। दक्षिणी त्रावणकोर के पर्वतीय कृषि क्षेत्र को एक नव जीवन मिल जाएगा यदि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है। इससे सबरीमाला तीर्थ को भी महत्वपूर्ण रूप से सहायता प्राप्त होगी। यह सड़क कई पर्यटक स्थलों को जोड़ती है और यह कोच्ची-मदुरै तथा थिरूमंगलम-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग का भी प्रमुख सम्पर्क होगी।

तिरूवन्तपुरम-शेंकोट्टाई सड़क को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क हैं कट्काडा, आर्यान्डु नेडुभनगड़, पलोद, कुलथूपुजा, थेंमलाई और आयांन्कवु के वरास्ते तिरूवन्तपुरम से शेकोट्टाई की दूरी मात्र 150 किलोमीटर होगी। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की मांग काफी समय से चली आ रही है।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरा पहला अनुरोध यह है कि इस प्रकार के व्यापक और महत्वपूर्ण विधेयक हेतु कार्य मंत्रणा समिति को और समय दिया जाना चाहिए था। फिर भी, मैं बहुत संक्षेप में बोलूगीं। मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक लाने हेतु बधाई देती हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं लेकिन मुझे इस विधेयक के कतिपय खंडों के बारे में आपत्ति और आशंका है। उनमें से एक राष्ट्रीय राजमार्गों में पहुंच से संबंधित हैं केरल और कई अन्य राज्यों में ग्रामीण सड़कें और राज्य राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों से मिल जाते हैं। केरल में ऐसी सड़कें बड़ी संख्या में हैं। जब प्राधिकारियों द्वारा इस खंड को कार्यान्वित किया जाता है या जब ऐसा मामला न्यायाधिकरण के समक्ष आता है तो ग्राम या ग्राम पंचायत प्राधिकारियों और राज्य प्राधिकरणों से विचार विर्मश किया जाना चाहिए। इसके विविध खंड 42 में उल्लेख है कि जब कभी राष्ट्रीय राजमार्ग में किसी दुर्घटना अथवा कुछ विकृति या त्रुटि का पता किसी ग्राम प्रमुख, ग्राम लेखाकार, ग्राम रक्षक या अन्य ग्राम अधिकारियों के ध्यान में आती है तो ऐसे व्यक्ति का यह अनिवार्य कर्तव्य बनता है कि वह राजमार्ग प्राधिकारियों को इस संबंध में सूचित करे।

लेकिन जहां तक इन व्यक्तियों का संबंध है तो वे ग्राम पंचायत या नगर पालिका या स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन होते हैं। इसलिए, वे इसे अनिवार्य कर्तव्य के रूप में नही लेगें। इन प्राधिकरणों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों के मध्य समन्व होना चाहिए ताकि इस विधान का उद्देश्य पूरा हो सके।

दूसरा पहलू भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उसमें असाधारण विलम्ब होता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी समय लगता हैं इसलिए, इसमें कुछ ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे कि लगने वाले समय को कम किया जा सके।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से आने वाले ऋणों के संबंध में प्राक्कलनों को तैयार करने और पर्यवेक्षण के कार्य को स्वाभाविक रूप से परामर्शदाताओं द्वारा किया जाएगा। मुझे यही बात समझ में आई है।

यही बात मुझे समझायी गई हैं। यदि मैं गलत हूं तो मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसमें सुधार कर देंगें। इसलिए यदि मामला ऐसा है तो जो पाया गया है वह है कि ऐसे सभी प्राक्कलन वास्तव में बढ़ा-चढ़ा कर तैयार किए गए अनुमान हैं। परामर्शदाताओं को प्राक्कलनों के आधार पर कमीशन भी दिया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे बढ़ा-चढ़ा कर तैयार करते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूगीं की इस विधेयक का उत्तर देते समय इस मुद्दे का ध्यान रखा जाए...*(व्यवधान)*

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, वहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर साठ साल पुराना धर्माजम पुल है इसकी स्थिति बहुत खराब है मैने इस मामले को पहले भी कई बार उठाया है। तेलीचेरी-माहे बाई-पास को साकार किए जाने की प्रतीक्षा के बजाय, इस पुल का कार्य किया जाना चाहिए।

दूसरा लम्बित कार्य पलोलिपालम पुर्ननिर्माण कार्य के बारे में है यह भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर एक बाई-पास है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चेंगोटुकवु और नंदी के बीच 11 किलोमीटर पर है। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी को ब्यौरा बाद में दे दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : हां। आप ब्यौरा बाद में दे सकती हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : मैं अभी विस्तार में नहीं जा रही हूं। मैं उसी एक मुद्दे के बाद अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

जब इन महत्वपूर्ण सड़को को खोदा जाता है तो जल, विद्युत और दूर संचार जैसे प्राधिकरणों के बीच कोई समन्वय नहीं है इस संबंध में समन्वय प्राधिकरण या एजेन्सी होनी चाहिए जो यह देखेगी कि एक बार सड़क का निर्माण होने पर इसे दुबारा न खोदा जाए या इस पर तोड़ फोड़ न की जाए।

दूसरा यह कि जो ठेकेदार या परामर्शदाता इस कार्य को कराते है वे वास्तव में इस कार्य को उस बेहतरीन तरीके से नहीं करते जिसकी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। कार्य का स्तर ठीक नहीं है। निर्माण पूरा होने के कुछ ही महीनों में इस पर गड्ढे और दरारें दिखाई देने लगती है। इस मुद्दे को निगरानी करने वाली एजेन्सियों के साथ उठाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए०के० पांजा बोलेंगे। आप समय की कमी से अवगत हैं। आपने अभी-अभी देखा हैं आपके पास बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय है। आपको इसके अन्तर्गत ही बोलना होगा।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : मै इसका ध्यान रखूंगा, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। महोदय, सड़कें या रेलवे हमारे देश की धमनियां हैं, यह सुविदित हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि यहां 58112 किलोमीटर के राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा 32.5 लाख किलोमीटर की राज्य और ग्रामीण सड़कें हैं। मेरी माननीय मंत्रीजी से पहला अनुरोध यह है कि विद्यमान सड़कों को ठीक-ठाक किया जाए।

अधिकतर सड़कों में अप्राधिकृत लोग सड़कों पर अतिक्रमण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वहां दुकानें भी बनाई गई हैं और जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाता है। इसलिए, क्या माननीय मंत्री जी जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों को इस कार्य में शामिल करेंगे-मेरा अनुरोध है कि उसे उन्हे करना चाहिए- ताकि अनधिकृत निर्माण न बनाया जा सके।

पश्चिमी बंगाल में अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर कोलकाता को उत्तर बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 की हालात बहुत खराब हैं, पिछले सप्ताहांत में, मैं पुरुलिया में रहा। यह सुविदित है कि पुरूलिया एक अल्प विकसित क्षेत्र है और इसे स्वतन्त्रता से ही ऐसा घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में सड़कें ऐसी बुरी हालात में है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच-32) राज्य राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों से यात्रा करना बहुत कठिन है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देगें और वह इस बात का उत्तर देगें कि इसके विकास हेतु क्या किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर के संबंध में, सड़क ही वहां के लोगों का बाहर आने का एक मात्र रास्ता है। वहां लगभग पूरे क्षेत्र में कोई भी रेलवे सम्पर्क नहीं है। सड़क ही एक मात्र रास्ता हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन करके सिक्किम उसमें शामिल किया गया हैं। वहां चार लेनों की सड़क होनी चाहिए, इससे यातायात प्रणाली में सुधार होगा। इससे लोगों वहानों और माल भाड़े की आवाजाही तथा पर्यटन भी बढ़ेगा। असम, त्रिपुरा में भी यही स्थिति है, वहां भी रेलवे लाइनें बहुत कम हैं। सड़को की हालात अत्यधिक खराब है चाहे वे दक्षिण से उत्तर तक की हो या अन्य जगहों की।

मुझे बंगलादेश के साथ कार्य करने का मौका मिला था। यदि कोलकाता से बंगलादेश में ढाका तक और ढाका को भी अगरतला (त्रिपुरा) भारत से जोड़ा जाता है तो त्रिपुरा से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। यह मेरा अनुरोध है। इस टेढ़े-मेढे रास्ते से आना अत्यधिक कठिन हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा।

मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि अवैध पार्किंग पर भी ध्यान दिया जाए। मै आपसे अनुरोध करता हूं कि यात्रा पर आएं और कोलकाता में जी०टी० रोड से प्रवेश करें। वहां उन गाड़ियों की अवैध पार्किंग की तीन लाइनें होती हैं जो कि कोलकाता में प्रवेश करना चाहती हैं। उनसे वहां समस्या पैदा हो रही हैं इसका कारण यह है कि रात 8 बजे शाम से या 10 बजे रात से पहले शहर में प्रवेश करने में प्रतिबंध है। इसलिए, कृपया, इसका अध्ययन करें और

[श्री अजित कुमार पांजा]

यदि यह आवश्यक हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग से पार्किंग जोन को हटाकर विशेष प्रावधान किया जाए।

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण हेतु दिए जा रहे ठेकों में माननीय मंत्री जी को निम्न बातों के प्रावधान शामिल करने चाहिए। सड़क का निर्माण होते ही तत्काल पौधोरोपण आरम्भ किया जाना चाहिए। किलोमीटर, मोड़ों और अन्य खतरनाक स्थानों को ठीक ढंग से चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि ट्रक चालकों और अन्य लोग उन्हे समझ सकें। सड़क के किनारे एस०डी०डी० बूथों, खान-पान के स्थलों, चिकित्सा केन्द्रों और पेट्रोल पम्पों के बारे में उचित चिन्ह दिए जाने चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण श्री बंशी लाल द्वारा दिल्ली-चढीगढ़ सड़क पर किया गया कार्य है और मैं समझता हूं कि इससे कुछ विचार इस संबंध में मिल जाएगें कि इन चीजों को कैसे करना है।

श्री के०ए० सांगतम (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने पहले भी उनसे बात की है और उनको लिखा भी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि नागालैण्ड सरकार ऐसी सिफारिश करे तो अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा सकता है।

महोदय, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 को जेसामी पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को शिवसागर पर जोड़ता है। इस राजमार्ग, की कुल लम्बाई लगभग 490 कि०मी० है, पर प्रतिवर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर इसके लिए 343 करोड़ रुपये का निवेश की आवश्यकता होगी। यह प्रस्तावित राजमार्ग मोन और तुएनसंग जिलों, जो राज्य के दो अति पिछड़े जिले हैं, के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ओपियोलाइट क्षेत्र के साथ लगे खैफरे, वजप्रो, पोखपुर और नीमी क्षेत्र के साथ-साथ उच्चकोटि के चूना, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कापर, जिंक, मैग्नेसाइट, संगममरमर जैसे खनिज के गुप्त भंडार के साथ हाल ही में प्लेटेनियम की खोज की गई है और इनका इस्तेमाल इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इस सड़क के खुल जाने से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में न केवल राज्य अपितु राष्ट्र के लिए अपने पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, चीन, थाइलैण्ड और सिंगापुर के साथ व्यापार हेतु व्यापक अवसर मिल जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर अविलम्ब विचार किया जाना जाए।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इस विधेयक में कुछ विशेषताओं को सम्मिलित नहीं किया गया हैं। गांवों, कस्बों और शहरों से होकर गुजरने वाली सड़कों को उपरि सड़क बनाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन राजमार्गों पर तीव्र गति का यातायात होता हैं। जैसाकि हमारे एक सहयोगी ने सही ही कहा कि इन राजमार्गों के किनारे अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही इन पर सचल पुलिस बल और प्रशिक्षित कार्यबल नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि यातायात सुगम हो और हर कोई यात्रा का आनन्द उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

मंत्री महोदय, क्या मैं प्रत्येक सदस्य जो बोलना चाहते हैं को एक मिनट का अवसर दे सकता हूं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) (भुवन चन्द्र खंडूडी) : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु मैंने आपको एक मिनट दिया कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रक (भूमि और यातायात) विधेयक 2002 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक भूमि के त्वरित एवं शीघ्र अधिग्रहण तथा न्यायाधिकरणों, जो समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को सुलझायेंगे, के गठन को वास्तव में सुगम बनाता है।

मैं आन्ध्र प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तन के लिए कम से कम 17 प्रस्ताव भेजे हैं और वे भारत सरकार के पास लम्बित हैं। इन प्रस्तावों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का प्रस्ताव शामिल जो महत्वपूर्ण पहलू है। प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 जो पमारू से ओंगोल तक, जो चल्लापल्ली, पुल्लीगड्डा, पेनुमुडी, रिपेले, बपाटला और चिराला से गुजरता है और यह पुन: राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को जोड़ता है के विस्तार से संबंधित है। इस संबंध में 1991 से लगातार आने वाले मंत्रियों को अनेकों अभ्यावदेन दिए गए। इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश

के सदस्यों के साथ-साथ प्रधान मंत्री को भी अभ्यावेदन दिया गया। हमारे मुख्य मंत्री ने भी पत्र लिखे हैं और इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार के सड़क और भवन मंत्री ने भी भूतल परिवहन मंत्री से बात की है।

महोदय, इस संबंध में मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान भूतल परिवहन मंत्री से अपने कक्ष में बात की और भूतल और परिवहन मंत्री ने इस विषय में मुझे लिखा है कि इस पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा। चूंकि दसवीं योजना क्रियान्वित की जा रही है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 को पमारू से आनगोल तक विस्तार किया जाए जिसमें पुल्लीगुड्डा और पेनुमुडी के बीच कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण भी शामिल है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, चूंकि आपने समय निर्धारित कर दिया है इसलिए मैं सिर्फ दो-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग जो खासकर देहाती इलाकों से गुजरते हैं, वहां सड़क के किनारे दोनों तरफ बहुत सी दुकानें लगी रहती हैं और जहां-तहां यदि किसी व्यक्ति का घर है तो वह चाहता है कि सामने वाली जमीन को हम अपने कब्जे में कर लें। इसके लिए वह वहां एक हनुमान जी की मूर्ति खड़ी कर लेता है यानी लगता है कि हनुमान जी एनक्रोचमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। मूर्ति खड़ी करके उस जमीन को वह दखल कर लेता हैं। उस जगह पर चाय और पान की दुकान होने से सड़क बिल्कुल जाम हो जाती हैं। जाम होने के बाद वहां घटनाएं या दुर्घटनाएं बराबर घटती रहती हैं। वैसी स्थिति में माननीय मंत्री जी को राज्य सरकार से इस संबंध में वार्ता करके जिस समय वहां पर मूर्ति रखने की शुरूआत की जाती है, जमीन घेरने का काम किया जाता है, उस समय सरकार को निर्देश देना चाहिए और उस स्थिति से निपटने के लिए पहले से सतर्क रहना चाहए। सड़क के किनारे जो चाय पान या अन्य तरह की दुकानों को रखकर जो सड़क को कनजैस्टेड किया जाता है, उससे जब तक बचाव नहीं होगा, इन सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

दूसरा हम बताना चाहते हैं कि जब से ये मंत्री बने हैं, कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह तो नहीं लिया है और लेने की स्थिति में भी नहीं हैं। लेकिन इसके पहले भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, उनकी दुर्दशा हो रही हैं बिहार में जो सड़कें हैं वे मत्स्य पालन के लायक हैं मगर अब तो राष्ट्रीय राजमार्गों की भी वही दशा हो रही हैं हमने मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अनुरोध किया था, हालांकि इन्होंने आश्वासन दिया है।

उपाध्यक्ष जी, हम दो-तीन सड़कों की चर्चा करना चाहते हैं। जिस समय नीतिश कुमार जी इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने छपरा से गोपालगंज वाया सीवान लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप मं स्वीकृत किया था जो उत्तर बिहार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क हैं उस सड़क को मंत्री जी देखेंगे तो सब लोगों के तो माथे से पसीना आता है, आपके पैर से भी पसीना आने लगेगा।...*(व्यवधान)*

हम तो बोल नहीं रहे हैं, खाली बात बता रहे हैं। अगर भाषण देते तब आप घंटी बजाते! हम बात कहकर अपनी बात बंद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वेंकटेश्वरलू जी को देखा, एक मिनट में बात खत्म कर दी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस तरह की स्थिति बड़ी खराब है। दूसरी सड़क है हाजीपुर से गाजीपुर के बीच जो दो प्रदेशों को जोड़ती है। आपका प्रदेश कटकर भले ही उत्तरांचल हो गया है मगर कल आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वह सड़क उत्तर प्रदेश से लेकर मुख्य बिहार के मार्ग को जोड़ती हैं उसकी स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 के विषय में हम मंत्री जी से मिलकर भी कह चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 101 में कुछ पैसा आपने दिया है वह तो ठीक है। दूसरा आपने कहा था कि हफ्ते दस दिन में 31 से लेकर 45 प्रतिशत तक पैसा मुक्त करने वाले हैं और तीसरी किस्त आपने कहा था कि फरवरी में मुक्त करने के लिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 101 वाला इलाका बाढ़ का इलाका है और बाढ़ में सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण बिहार सरकार उसमें मरम्मत का पैसा भी नहीं देती हैं। देगी भी नहीं, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और आपके यहां से पैसा नहीं जा रहा है। बाढ़ के समय उन सड़कों की स्थिति क्या होगी? मंत्री जी से हम व्यक्तिगत अनुरोध कर चुके हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 101 के लिए शीर्ष पैसा मुक्त करें ताकि उसका निर्माण हो सके।...*(व्यवधान)*

एक बात और कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं,*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह। बहुत हो गया। आपको इतना अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : वहां धरना चल रहा है, बिहार में लोग धरने पर बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां धरना कर रहे हैं, हमारे सामने।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम धरना नहीं कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 77 पर धरना चल रहा है। वहां की समस्या को समझकर मंत्री जी जल्दी से उस काम को करवाएं ताकि वह धरना समाप्त हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पी०आर० किन्डिया (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोद, मंत्री महोदय को उन विभिन्न मुद्दों की जानकारी है जिन्हें हम परिवहन नेटवर्क के संबंध उनके समक्ष लाये है। वास्तव में पूर्वोत्तर से आने वाले सभी सदस्यों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किये है जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम कारीडोर परियोजना से संबंधित है।

मैं उनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जो कि एक तरह का भेदभाव बन गया हैं। हमने अपनी याचिका में इस बात का उल्लेख किया है कि ठीक जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उत्तर दक्षिण कारीडार में तमिलनाडु में सलेम से केरल के कोच्ची तक 360 लाइन का स्पस्लाइन है, उसी तरह बरास्ते शिलांग, गुवाहाटी के पास जोरहाट से सिल्चर तक 300 कि.मी. तक का एयर लाइन जोड़ा जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40, 44 और 53 के साथ होना चाहिए और मेघालय से होकर गुजरना चाहिए। हम इसमें निष्पक्ष बरताव चाहते हैं।

दूसरे सिल्चर की स्पर लाइन से बराक वैली, मिजोरम और त्रिपुरा तक का रास्ता खुल जायेगा। यह सम्पूर्ण उत्तर पूर्व को दक्षिण से जोड़ेगा।

यहां मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने सुझाव दिया है कि नागोंम से लीडो तक के लिए उस पुरानी सड़क का प्रयोग किया जाएगा जिसे युद्ध के समय बनाया गया था। यह उत्तरी चीन से कुमिंग, यून्नान जिलों में जुड़ेगा।

तीसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जिससे मंत्री महोदय अवगत हैं। कि भारत ने नवम्बर 2002 में दक्षिण पूर्व के पांच एशियाई देशों, यथा थाइलैंड, वियतनाम, लाओस कम्बोडिया और म्यांमार के साथ परिवहन नेटवर्क कार्यक्रम संधि पर हस्ताक्षर किये है। उन्होंने मैकांग गंगा सम्पर्क मार्ग आरम्भ किया है जिसके तहत सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम आर्थिक कॉरीडोर परियोजना और ट्रांस एशियाई राजमार्ग में परिवहन नेटवर्कों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे उत्तर-पूर्व के लोगों का म्यांमार, एशिया के उत्तर पूर्व के देशों और दक्षिण चीन के लोगों से जोड़ेगा। मेरे विचार से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। धन की कोई कमी नहीं है। यह इस सड़क के नेटवर्क को इस प्रकार जोड़ सकते हैं जैसाकि बंग्लादेश के साथ भी किया गया था। यह त्रिपुरा आकर पूर्वोत्तर को जोड़ भी सकता है।

श्री ई० पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : मैं माननीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक 2002 लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। चेन्नई से कन्याकुमारी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर उस खण्ड जहां मैं चेन्नई से चिदम्बरम, उलनडूरपेठ से त्रिची की यात्रा करता हूं, पर कार्य किया जा सकता हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि चेंगलपेट से डिंडीवनम तक की चार लेन वाली सड़क को शीघ्रातीशीघ्र पूरा किया जाए? कार्य चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूगां कि इसे व्यक्तिगत रूप से देखें।

दूसरा गत तीन वर्षों से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा सड़क मार्ग से कर रहा हूं। लेकिन अब मैंने रेलगाड़ी से यात्रा करने का निश्चय किया है क्योंकि मैं सड़क से यात्रा नहीं कर पा रहा हूं मैं मंत्री से चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कभी मेरे साथ चेन्नई से मेरे संसदीय क्षेत्र तक सड़क से यात्रा करें। प्रत्येक सदस्य को ऐसा अनुरोध करने का अधिकार है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मंत्री जी उस शारीरिक पीड़ा से अवगत हो जो मुझे इस 200 कि.मी. की सड़क पर यात्रा करने में झेलनी पड़ती हैं वह समस्या से अवगत हैं लेकिन मैं फिर भी उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उन सड़कों विशेषक जिनका मैंने उल्लेख किया है पर गौर करें।

हाल की वर्षा के बाद विशेषत: कुछ सड़कें तो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जिन पर मोटर यान चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि चेंगलपट्टु से त्रिची तक कम से कम टिन्डी बनाम तक की चार लेन वाली सड़क

और विक्रावन्डी से नयवेली तक बरास्ता पनरुत्ती और कोलोएनपुर रोड पर ध्यान दिया जाए। वह बहुत खस्ता हाल है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मुझे केवल एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभापति तालिका के सदस्य हैं। वह यहां आएं और मुझे कार्यमुक्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बोकारो को टाटानगर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले से होकर गुजरता है। मैं समझता हूं कि यह सबसे खराब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही पुरूलिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-32 को चौड़ा करने का प्रस्ताव भेज चुकी है। मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एन एच-32 को चौड़ा करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अनुमोदित और स्वीकृत करें और उसके लिए धन उपलब्ध करायें ताकि न केवल इस विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्य तुरंत कराया जा सके अपितु इसके चौड़ा करने का कार्य भी तुरन्त कराया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये। माननीय मंत्री भी संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि हमें अन्य विधेयकों पर भी विचार करना है।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल पर बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचार 13 तारीख को और आज रखे हैं। मैं उन सबका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और इसे उपयुक्त बिल बताया। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बिल को इम्प्लीमैंट करने के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया। काफी वक्ताओं ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल आयेंगी, उसमें भी मैं सबका सहयोग चाहूंगा।

[अनुवाद]

इस बिल का जो उद्देश्य है उसको मैं दोहरा रहा हूं। इस विधेयक का उद्देश्य अतिक्रमण को रोकना तथा वर्तमान अतिक्रमण को हटाना है ताकि जो सड़कें इतने प्रयास तथा पैसे से बनाई जाती है वे उसी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जायें जिस प्रयोजनार्थ उन्हें बनाया गया है।

[हिन्दी]

मैंने अपने शुरू की भाषण में कहा था कि हम सड़कें बहुत बना रहे हैं। आप सबने भी उसका जिक्र किया है लेकिन उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अनाधिकृत अतिक्रमण को भविष्य में न आने दें और जो है, उसको इस प्रकार से हटायें ताकि सड़कें उपयुक्त हों।

उपाध्या जी, बहुत सारे वक्ताओं ने इस विषय में जो बातें कहीं, वे इस बिल से सीधे-सीधे संबंधित नहीं थीं। आपने समय का भी प्रतिबंध लगाया है, इसलिए मैं उन सब बातों का जबाव नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक नया नैशनल हाईवे बनाने के बारे में आई। उसके बारे में अभी जो नीति है, मैंने आप लोगों को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि टैन्थ प्लान बनने के बाद यह निर्णय होगा। अब स्थिति यह है कि टैन्थ प्लान में जो डाक्युमेंट है, उसमें कहा गया है कि इतने ज्यादा नये नैशनल हाईवे बना दिये हैं इसलिए अभी इसकी गुंजाइश नहीं है तथा उनकी मैनटेनैंस के लिए भी पैसा नहीं है इसलिए उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अबी इसके लिए एक नीति बनायेंगे कि किस प्रकार से सही सड़कें बनायी जायें। नये नैशनल हाईवे बनाने के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था रखी जाये। अब 21 तारीख को एन०डी०ए० की मीटिंग है। उसके बाद यह तय हो जायेगा। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक नीति बनायी जायेगी।

अभी बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि इतने-इतने प्रपोजल गये हुए हैं। किसी ने कहा कि 17 प्रपोजल गये हैं तो किसी ने इतने प्रपोजल के बारे में कहा। हमने जून में सारे प्रपोजल स्टेट गवर्नमैंट को वापिस भेज दिये हैं। उसके अंदर कुछ मानक बनाये गये हैं।

[अनुवाद]

उनके पास कतिपय मानदंड भेजे गए हैं। जैसे ही प्रतिबंध हटेगा, उन मानदंडों के आधार पर हम निर्णय ले पायेंगे। इस समय प्रतिबंध नहीं हटेगा।

[हिन्दी]

मैंने आपको समय-समय पर बताया है कि पिछले तीन साल के अंदर नेशनल हाईवे बने हैं, उनमें एक चीज बार-बार आती है, अभी माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने भी कहा कि जो नये नेशनल हाइवै डिक्लेयर हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब हैं। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब हमने नेशनल हाइवे हाथ में लिये तब उनमें से कुछ सड़कों की हालत रूरल रोड जैसी थी।

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

एक रोड को ठीक करने के लिए एक करोड़ रुपये से सवा करोड़ रुपए आज लगते हैं। मेनटेनैंस के लिए 40 प्रतिशत पैसा, जो अधिकृत है, वही हमें मिलता है, सौ रुपये में से सिर्फ 40 रुपये मिलते हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए - यह हमारी समस्या है कृपया आप इसे समझेंगे।...*(व्यवधान)*

कुछ विशेष बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं शिन्दे जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने शुरू में इस बिल के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में और इसकी जरूरत के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कुछ बातें कहीं, और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि प्रदेश सरकार से बातचीत होनी चाहिए। हमारी बराबर कोशिश है।

लैंड ऐक्वीजिशन के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि लैंड ऐक्वीजिशन के लिए हमको स्टेट गवर्नमैंट से सलाह करनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि लैंड ऐक्वीजिशन का प्रावधान है, हमको स्टेट गवर्नमैंट के थ्रू ही जाना है, हम अपने आप लैंड ऐक्वीजिशन नहीं करते, हम स्टेट गवर्नमैंट को कहते हैं, सब नोटीफिकेशन स्टेट गवर्नमैंट निकालती है और उनके माध्यम से मुआवजा तय होता है। वे बताते हैं कि हमको कितना पैसा देना है, उस मुआवजे को हम स्टेट गवर्नमैंट को देते हैं और फिर वे उनको देते हैं जिनकी जमीन है। इसलिए हम बिना स्टेट गवर्नमैंट के नहीं जाते। अगर इसमें कोई भ्रम है तो कृपया उसे दूर करें।

रघुवंश बाबू ने भी बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन उन्होंने एक बात यह कही थी कि हम प्रदेश की सड़कों पर अपना अधिकारी जमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। यह बिल सिर्फ उन सड़कों के बारे में है जिनको केन्द्र ने ले लिया है, उनका मुआवजा दे दिया है या जब स्टेट गवर्नमैंट से हमको सड़क ट्रांसफर होती है तो वे उसका स्वामित्व हमको दे देते हैं। हम सिर्फ उन सड़कों के बारे में कह रहे हैं जिनका स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास हैं स्टेट गवर्नमैंट की सड़कों पर किसी प्रकार अपना स्वामित्व जमाना नहीं हैं स्टेट गवर्नमैंट के अपने कायदे-कानून हैं। हमें आशा है कि वे भी अपनी सड़कों के लिए, स्टेट हाईवेज के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए ऐसा ही कानून बनाएंगे।

एक अच्छा सुझाव शिंदे जी ने दिया था कि एक राष्ट्रीय लॉ बनना चाहिए ताकि पूरे देश में वह एक साथ लागू हो सके। अभी जो जगह बनती है कि सड़क के आसपास कितनी जगह छूटनी चाहिए, वह हर प्रदेश का अधिकार है, वे उसे लगाते हैं। किसी ने तीन मीटर छोड़ी है, किसी ने पचास मीटर छोड़ी हैं इसलिए राष्ट्रीय लॉ का सुझाव बहुत अच्छा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर सर्वसम्मति से बात हो।

टोल टैक्स के बारे में बात कही गई हैं। वह इससे संबंधित नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना व्यवहारिक हो, उसे बनाया जाए।

एक सवाल श्री मेहताब ने हाईवेज और एक्सप्रैस वे के बारे में उठाया था। आपने जो डिक्शनरी की डैफीनेशन दी थी, वह अपनी जगह सही है लेकिन इंडियन रोड कांग्रेस ने एक परिभाष बनाई है जो हम पर लागू है और हम उसके मुताबिक चलते हैं। ब्रॉडली यह है कि एक्सप्रैस वे वह है जिसके अंदर विभिन्न स्थलों पर प्रवेश और निकास द्वारों की पहचान हो जाती है आप कहीं पर भी एक्सप्रैस वे में नहीं जा सकते और कहीं से उससे बाहर नहीं निकल सकते। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी यह व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी निकल सकते हैं। इसमें यह मुख्य फर्क है।

रघुवंश बाबू ने कुछ सड़कों के बारे में कहा था। आपने दो पुलों के बारे में हा था। मैं आपको, प्रभुनाथ सिंह जी और बिहार के अन्य माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि, हमने कुछ स्टेट हाईवेज कुछ साल पहले लिए थे जिनके ऊपर सात पुल अधूरे बने हुए थे और उनमें झगड़ा चल रहा था कि उसे बनाने के लिए कौन पैसा देगा। मैंने 8.10 दिन पहले 51 करोड़ रुपये की स्वीकृति सात पुलों को बनाने के लिए दी है जिनमें आपका पुल भी शामिल है, आपका भी शामिल है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : वे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि आप अपील कर दीजिए।...*(व्यवधान)* हम लोग कल भी गए थे। लोग जान गंवाने पर तैयार हैं। पुल की मरम्मत के लिए न आपके कोई अधिकारी जाते हैं, न पदाधिकारी जाते हैं। उनसे जारक, बात करके कहें कि सरकार ने यह कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : हमने बिहार सरकार को सूचना दे दी है। जैसे आप बता रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री रघुनाथ झा : अपने चीफ इंजीनियर को कहें, उनसे जाकर कहें कि हम इसकी कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जब आपका नाम बुलाया था, तब आप हाउस में नहीं थे और अब आप मंत्री जी के रिप्लाई के बीच में खड़े हो जाते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महेश्वर सिंह जी ने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने एक बात ऐकाउंटेबिलिटी की की है।...*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उन लोगों ने अनशन किया हुआ हैं। अनशन तो खत्म करवाइए।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोग अनशन कर रहे हैं, वह अनशन तो खत्म करा दें।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं लोक सभा में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आफिसर तो आपके हैं, आप कहिये न।

श्री रघुनाथ झा : माननीय मंत्री जी, यहां से रिक्वैस्ट कर दें, वहां इनके पदाधिकारी जाकर, उनसे मिलकर वहां अनशन समाप्त करा दें।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं लोक सभा में घोषणा कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं।

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह : हम बोल रहे हैं, इसीलिए वे इसका समाधान करा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय महोदय, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। कृपया माननीय सदस्य को सम्बोधित न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अतिक्रमण रोकने की या हटाने की बात उठाई थी। हम भी बिल में जो व्यवस्था कर रहे हैं, वह भी प्रदेश के या किसी दूसरे अधिकारी से होगी, उनकी जिम्मेदारी अभी नहीं हैं पहले वे अतिक्रमण करवाते हैं और बाद में हटाने की क्रिया करते हैं, इस बिल के तहत यह स्पष्ट किया जायेगा और एकाउण्टेबिलिटी फिक्स की जायेगी, हर एक अधिकारी को एक सीमा दी जायेगी, उस सीमा के अन्दर अगर कोई अतिक्रमण होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होगी और एकाउण्टेबिलिटी उनके पर फिक्स की जायेगी, इसलिए उनके सुझाव को मैंने नोट कर लिया है। जब रूल्स बनेंगे तो उसमें इसे शामिल किया जायेगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, यदि समय की कमी है तो आप माननीय मंत्री से हमारे प्रश्नों का लिखित में उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का लिखित उत्तर दे सकते हैं। आप माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का लिखित में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 50 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधीनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.17 बजे

[अनुवाद]

(दो) प्रतिस्पर्धा विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 19-प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 पर विचार करेगी।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे। यह विधेयक 6 अगस्त, 2001 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् इसे जांच और रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया।

अपराह्न 3.18 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए]

समिति ने कई संशोधनों का सुझाव देते हुए 21 नवम्बर, 2002 को संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तीन को छोड़कर उनमें से लगभग सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है और उनके लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा।

यह विधेयक आवश्यक है क्योंकि वर्तमान कानून प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देते और बनाए नहीं रख सकते। जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तो यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, का स्थान लेगा, क्योंकि वह अधिनियम अब प्रभावी कानून नहीं रह गया है।

विधेयक अब विचारार्थ और पारित किए जाने हेतु सभा के समक्ष है और मैं इसके लिए सभा की सहमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, चर्चा शुरू करने से पहले मुझे सभा से एक विशेष अनुरोध करना है।

गत चार सप्ताह से सभा ने लाए गए सभी विधानों को पारित करने में बहुत उदारता दिखाई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यहां तक कि स्थायी समिति ने भी इसकी जांच की है और सरकार ने लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं परन्तु तकनीकी रूप से इसे अधीनियम बनाने के लिए इसे दोनों सभाओं द्वारा पारित कराया जाना है चूंकि स्थायी समितियों की सिफारिशों पर आधरित लगभग 89 संशोधन हैं इसलिए जब तक हम आज इसे यहां पारित नहीं करते तब तक दूसरी सभा में इसका पुनर्मुद्रण और इसे पारित कराना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा सभा से अनुरोध है कि बाकी कार्यों को भूल जाएं और प्रतिस्पर्धा विधेयक को आज पारित करें। यदि आवश्यकता हुई तो हम थोड़ी देर बाद आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

परन्तु मेरा अनुरोध है कि चर्चा के बाद आज इस विधेयक को पारित किया जाए...*(व्यवधान)*

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : हम इससे सहमत हैं।

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह विधेयक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का स्थान लेगा। विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया था और स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने स्थायी समिति द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

अब, हमारे पास करने के लिए जो बचा है वह यह है कि हम इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दें और फिर यह सुनिश्चित करें कि लाए गए संशोधन स्वीकृत हों तथा विधेयक का अंग बनें। मैं समझता हूं कि इन बातों को करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यह विधेयक इस सभा के सामने लाया गया है? मुझे एम आर टी पी अधिनियम और इस विधेयक के सिद्धांतों में अधिक अंतर नहीं लगता। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो सिद्धांत एम आर टी पी अधिनियम के अंश हैं उन्हें इस विधेयक में भी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन हुए हैं और आशा है कि इनसे परिवर्तन उत्पादक व्यापारी और उपभोक्ता को लाभ होगा।

जहां तक उत्पादक का संबंध है, उसे उसकी पंसद के क्षेत्र में प्रेश करने की अपनी आजादी, अपनी स्वतत्रंता का उपयोग करने तथा उत्पादक गतिविधिां इस प्रकार करने कि उपभोक्ताओं को लाभ मिले और उत्पादकों को भी लाभ मिले, की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे थोड़ी आशंका है कि भले ही यह विधेयक उद्योग की मदद करे या न करे, उपभोक्ताओं की मदद करे या न करे परन्तु यह विधेयक कुछ हद तक व्यापारी की मदद जरूर कर सकता हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं। मंशा यह सुनिश्चित करने की है कि शक्तिशाली उद्यमी का प्रभुत्व न हो और वे उत्पादन में अन्य उद्योगों द्वारा किए गए प्रयासों में बाधा उत्पन्न न करें। परन्तु सामान्यत: यह होता है और हम जानते है। ऐसा उद्योगों के बीच लिखित समझौते के मामले में ही नहीं होता है बल्कि मौखिक समझोतों के मामलों में भी होता है।

सम्पूर्ण आटोमोबाइल उद्योग निजी क्षेत्र में हैं। फिर क्या हुआ? क्या निर्मित कारों और वाहनों की कीमतें गिरी हैं? उत्तर है - नहीं। क्या निर्मित वाहनों की गुणवत्ता बेहतर हैं उत्तर है - 'हां' परन्तु कीमतें नहीं गिरी हैं। इसलिए उद्योगपतियां के बीच यह समझौता हो गया है कि वे बेहतर गुणवत्ता वाले वाहन बनाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वे कीमतों में कमी नहीं करेंगे।

इससे उपभोक्ता को जिस प्रकार से सहायता हो सकती है। उपभोक्ता को बेहतर उत्पाद मिलता है लेकिन उसे अपने लिए बेहतर कीमत नहीं मिलेगी। उत्पादकों के बीच एक अलिखित समझौता है कि कीमतों में कमी नहीं की जाएगी। और हर वर्ष बीतने के साथ वाहनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अत: हमने उद्योग की सहायता की है जो कि हमें करनी भी चाहिए और हमें उद्योग को इस प्रकार की स्वतंत्रता से द्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन, क्या कीमतों में कमी आने की बात कहने से उपभोक्ता को सहायता मिलेगी? उनका अनुभव है कि कीमतों में कमी नहीं आई हैं।

अब यह बात एक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। आटोमोबाइल उद्योग एक क्षेत्र हैं वस्त्र उद्योग का उदाहरण लीजिए। यह अलग क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग में आपके पास हथकरघे होते हैं, आपके पास बिजलीकरघे होते हैं इस प्रकार आपके पास वस्त्र उद्योग होता है। वस्त्र उद्योग के स्थान पर आप बिजलीकरघों और हथकरघों की सहायता किस प्रकार करते हैं? यह कहा जाता है कि कानून संविदा से स्थिति की ओर जा रहा है। एक समय था जब संविदा महत्वपूर्ण होती थी और स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती थी। उससे पूर्व स्थिति को मान्यता दी गई लेकिन संविदा को मान्यता नहीं दी गई। अब समय आ गया है जब हमें स्थिति को भी मान्यता देनी हैं बिजलीकरघा उद्योग के स्थान पर हथकरघा उद्योग को मान्यता दी जानी है और हथकरघा उद्योग तथा बिजलीकरघा उद्योग को भी वस्त्र उद्योग के स्थान पर मान्यता दी जानी हैं हम ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं?

यदि इस उद्योग के विभिन्न भागों की स्थिति की मान्यता के लिए वस्त्र उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते है तो लोगों के साथ न्याय आर्थिक न्याय नहीं किया जाएगा। यही समस्या हैं। मुझे आशंका है कि यह कानून इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत कम काम आएगा। निश्चय ही सरकार नीतियां बनाकर निदेश दे सकती है और यदि सरकार नीतियां बनाकर उचित निदेश देती है तो इससे सहायता मिल सकती है।

मेरा जो दूसरी आशंका है वह विलंब से संबंधित है। मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी इस विषय पर बोलने जा रहे हैं और मेरा विचार है कि वह मुझसे अधिक विस्तार से बोलने वाले हैं। वह इस विषय पर चर्चा कर सकेंगे। मैं इस संबंध में होने वाले विलंब के बारे में बोलना चाहूंगा। कानून में संशोधित सीमा तक इसका प्रावधान है, सीसीआई द्वारा मामलों के निर्णय लेने में सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मामलों को निपटाने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा।

इन उपबंधों के संबंध में मेरे सामने मात्र जो प्रश्न आता है वह यह है कि यदि आप सिविल प्रक्रिया संहिता को व्यवहार में लाते हुए

[श्री शिवराज वि० पाटील]

कोई मामला न्यायालय में ले जाते हैं तो इसमें काफी समय लगता है। यदि आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं, तो यह भी सिद्धांत रूप में वैसा ही है और यह बहुत अलग नहीं होगा क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध नही हैं यदि आप सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिद्धांतों को निकाल दें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्वीकार कर लें तो भी आप मामलों को अपेक्षित अवधि में नही निपटा पाएंगे। यदि इस संबंध में कोई मेल और एक अधिकार बनाया जाता है और मामले की अपील के लिए आयोग में ले जाया जाता है तथा आयोग से उच्चन्यायालयों में, तो मामले को निपटाने में दस वर्ष का समय लग सकता है और वह उद्देश्य जिसके इरादे से मेल किया गया था, जिसके इरादे से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न की गई थी, जिस इरादे से बाजार में प्रतियोगिता न होने की स्थिति देखने के लिए कदम उठाए गए थे वे उद्देश्य विफल हो जाएगा।

लेकिन इन कठिनाइयों से पार पाना वास्तव में एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हल किया जाना जरूरी है, यह संभव है कि नीति निर्धारण द्वारा शुरू में स्वयं मामले अपेक्षित समय में निपटाए जाएं, यह इन मामलों की बिना समय गंवाए और अधिकर-देरी के निपटाने में सक्षम आयोग में कार्यरत व्यक्तियों को लेकर संभव है।

यह कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। यदि यह कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस कानून के होने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। एक या दो अन्य मुद्दे हैं जिनका मैं हवाला दूंगा, उसके बाद में अपनी सीट पर बैठ जाउंगा।

खंड संख्या 9 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे नामित किया जायेगा। यह नामांकन किसके सुझाव, किसकी सलाह पर किए जाएंगे? मेरा विचार और संभवतय: स्थायी समिति ने सिफारिश की है, सरकार अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने के बारे में नियम बना रही, इसका निर्णय सरकार करेगी तथा इन नियमों में इसका प्रावधान होगा। संभवतय: यही सरकार का इरादा है। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।

एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसपर ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि यह आयोग, सी सी आई एक संगठन है जो कि अपने आप में पूरे देश से संबंधित है। यदि यह अन्य देशों के साथ कार्य व्यवहार करता है तो इसका अन्य देशों से भी संबंध होता है यह नामांकन और अपने कार्यकरण में अल्पंतत्रीय चरित्र का नहीं होना चाहिए। यह अधिक लोकतांत्रिक होना चाहिए। खंड 9 में यह प्रावधान है कि चयन समिति में मुख्यन्यायाधीश, दो मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, तथा कैबिनेट सचिव होंगे। निसंदेह, दो मंत्री विधायिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं, लंकिन हमें इस प्रकार का असंतुलित प्रबंध क्यों करना चाहिए? हम क्यों न विधायिका का प्रतिनिधित्व करने वाले और व्यक्तियों को ले लें? अर्ध-न्यायिक स्वरूप वाले सभी निकायों में कार्यरत व्यक्ति को जज के रूप में कार्य करना जरूरी है। उस व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए। सरकारें आ सकती है और जा सकती हैं, लेकिन निकाय को निष्पक्ष रहना चाहिए और उसे कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हमारा इरादा यही है तो हम सत्ता पक्ष और साथ ही विपक्ष वाले विधायिका से संबंधित व्यक्ति को क्यों नहीं ले लेते तथा न्यायपालिका में न्यायपालिका के प्रमुख अन्य व्यक्ति निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने या नामित करने के सुझाव देने का अधिकार दिया गया है। मैं यह विचार आपके लिए छोड़ रहा हूं। नियमों को बनाते समय आप वह नियम बना सकते हैं या आप सरकार द्वारा बाद की स्थिति में सरकार द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाने से पूर्व इस मामले पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए यदि आप उचित समझें तो अन्य लोगों के साथ भी विचार-विमर्श कर सकते हैं।

खंड सं. 12 भी अति महत्वपूर्ण है। मुझे खंड 12 पर कड़ी आपत्ति है। खंड 12 क्या है? यह इस प्रकार है:

> "अध्यक्ष या अन्य सदस्य पद से हटने की तिथि से छह महीने की अवधि तक इस अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष अभियोजन में पक्ष रह चुके किसी उपक्रम में अथवा प्रबन्धन या प्रशासन से संबंधित किसी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा।"

मुझे इस खंड पर कड़ी आपत्ति है। मेरी आपत्ति दो प्रकार से है। पहली आपत्ति यह है कि कुछ महीने की अवधि बहुत कम है। सरकारी नौकरी में यदि एक सेना अधिकारी सेवा निवृत होता है तो यदि मुझे ठीक से ध्यान आता है तो उस सेना अधिकारी को कम से कम एक या दो वर्षो तक नई नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब, यहां पर हम सिर्फ छह महीने का उल्लेख कर रहे हैं। 'छह महिने' का उल्लेख करना क्यों जरूरी है? हम इस अल्प अवधि का उल्लेख क्यों करें? सेवा निवृत्ति के बाद अध्यक्ष को अथवा संदस्यों को बाहर नौकरी करने का अवसर देने में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। अध्यक्ष 70 वर्ष तथा सदस्य 65 वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत्त होता है तथा वह उसके बाद नौकरी पाने की जल्दी में होता और वह उसी कंपनी में नौकरी पा लेता है जिसके बारे में उसने निर्णय दिया हो।

महोदय, मुझे इस छह महीने की अवधि पर कड़ी आपत्ति हैं। संभवत: स्थायी समिति ने इस छह महीने की अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष करने की सिफारिश की है और सरकार का इस सुझाव को स्वीकार करने की ओर झुकाव है। मेरा कहना है कि एक वर्ष की यह अवधि भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन निश्चय ही, एक वर्ष की अवधि छह महीने की अवधि से अधिक है।

महोदय, मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य द्वारा अपने कार्यकाल में जांच का निर्णय दी गई कंपनी में उन्ही की उस कंपनी में नौकरी करने की अनुमति क्यों दी जाए? एक वर्ष अथवा छह महीने की अवधि का यह प्रतिबंध आयोग के अध्यक्ष या सदस्य विवाद वाले मामले की जांच का निर्णय दी गई कंपनी में नौकरी नहीं करने का प्रतिबंध नहीं लगाता है। मेरा विचार है कि इस खंड के इस हिस्से को निकाल देना चाहिए। यदि हम इस खंड को नहीं निकालते हैं तो मैं समझता हूं कि हम न्याय नहीं कर रहे हैं। कम से कम यह दिखा सकें कि हम न्याय कर रहे हैं। यदि छह महीने की अवधि के भीतर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्य काल में जांच का निर्णय देने वाली कंपनी में नौकरी करते हैं, चाहे निर्णय कंपनी के पक्ष में रहा हो या विरूद्ध रहा हो तो लोगों को लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए, मेरी कड़ी आपत्ति यह है कि आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष को किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसकी जांच करके निर्णय इस आयोग द्वारा सुनाया गया हो। अन्यथा, ऐसा न करने से अन्याय होगा।

महोदय मेरा अंतिम मुद्दा खंड 64 (दो) के संबंध में है। यह विधेयक का अंतिम खंड है और यह एकाधिकार आयोग, आयोग के अधिकारियों और एकाधिकार आयोग के कर्मचारियों से भी संबंध रखता है। मेरा पक्का विश्वास है कि यह विधेयक, कथित प्रतिस्पर्धा विधेयक सारत: व सिद्धांत रूप में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हैं जिन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का प्राप्त करने का इरादा था। संभव है कि उसमें कुछ कठिनाइयां रही हों और संभव है कि हमें अलग प्रकार की आवश्यकता हो लेकिन अन्वेषण, अधिनिर्णय तथा प्रशासन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से बहुत अलग नहीं होंगे।

आपके पास ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कई वर्षों तक इस संगठन में काम कर चुके थे। अब उन्हें इस क्षेत्र मे प्रशिक्षण प्राप्त करने का फायदा हुआ है। उन्हें कानून की जटिलताएं समझ लेने का फायदा भी हुआ है। अब उन्हें पेंशन लेने और घर जाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है? उन लोगों की सभा में यह आश्वासन क्यों नहीं दिया जाता कि यह विधेयक अपने आप में सीमित नहीं होगा और इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होगा और उनका काम का क्षेत्र एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की अपेक्षा अधिक विस्तृत होगा? इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि - यह अंतत: माननीय मंत्री को निर्णय करना है कि इन सभी वर्षों में एकाधिकार आयोग के माध्यम से देश की सेवा कर चुके अधिकारी, संभव है कि उन्होनें कुछ गलतियां की हों लेकिन उनकी सेवा के महत्वपूर्ण समय का हिस्सा देश के लिए उपयोगी रहा है, क्या उन्हें अब जाने के लिए तथा अपना प्रबंध करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए? और हम स्थिति के अनुसार बदलते हैं, हम संगठनों को बदलते हैं, वे लोग जो एक संगठन में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं क्या उन्हें जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। वस्तुत: सरकार को उस संगठन में कार्य कर चुके लोगों की सद्भावना और अनुभव से सीखने को मिलेगा। सरकार को कुछ अधिकारियों को नौकरी पर बनाए रखने से हानि से अधिक लाभ ही होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि आयोग के सदस्यों का क्या होगा? आयोग के सदस्यों के मामले में स्थिति पूर्णत: विपरित है। मैं नहीं समझता कि उनका साथ निभाते रहना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन सरकार उनका साथ निभाते रहना चाहती है तो वे ऐसा कर सकते है। लेकिन सी. सी. आई. में भी उनकी सेवाओं को जारी रखा जाएगा सभा में इस तरह का आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

लेकिन निश्चित रूप से एम. आर. टी. पी. आयोग में कार्य कर चुके सैकड़ों सदस्यों को आश्वासन देने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कि सभा को यह आश्वासन दें कि एम.आर.टी.पी. आयोग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार नागरिकों के लाभ के लिए छोटी मोटी हानि उठाने पर नहीं बड़बड़ाएगी। इनकी सदेच्छा और कार्य करने की इच्छा किसी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण है।

मैं यही बातें कहना चाहता था।

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं इस प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि विधेयक आज ही पारित कर दिया जाए।

जैसा कि हम कहते हैं, गैर सरकारी एकाधिकार सरकारी एकाधिकार से बहुत अधिक बुरा होता है। विश्व में प्रत्येक देश में एम. आर. टी.पी.सी. जैसा संगठन होता है। यह हमारे पास तो यह पहले से ही

[श्री खारबेल स्वाइं]

था। मुझे एकाधिकार के एक ऐसे मामले की याद आ रही है जो अमरीका में दो-तीन वर्ष पहले घटा और जिसमें विश्व माइक्रोसोफ्ट की श्रेष्ठ कंप्यूटर कंपनी ने अमरीका की दूसरे स्थान की कंप्यूटर कंपनी पर अपना नियन्त्रण कर लिया था। फिर भी अमरीकी सरकार के अनफेयर ट्रैड प्रैक्टिस आयोग ने उस कंपनी को ऐसा करने से रोका। इस आयोग ने माइक्रोसाफ्ट कंपनी पर किसी अन्य कंपनी को न हथियाने का दबाव डाला। आयोग ने इस माइक्रोसाफ्ट कंपनी के दो कंपनियों में विभाजन का आदेश दिया और कंपनी पर एक बड़ा अर्थ दंड लगा दिया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि हमारे देश में कभी ऐसा कोई उपबंध किया गया हो।

विलय और अभिग्रहण के वर्तमान समय में कुछ कंपनिया ऐसी हैं जो अपनी मनमानी से अन्य कंपनियों को अपने नियन्त्रण में ले रही हैं। मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। इन सब को रोकने वाला कोई नहीं है। अधिकतर 'सेबी' से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाता है। अब सरकार यह विधेयक लेकर आयी है जो एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं इस विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं जैसा कि श्री शिवराज पाटील ने कहा है, इस से उपयोक्ता को सहायता हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन एक उपबंध लाकर प्रयास करने में क्या नुकसान है? इसमें बिलकुल भी नुकसान नहीं है।

जैसा कि कहा गया है इसका छोटी कंपनियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देश की अर्थव्यस्था को छोटी कंपनियां प्रभावित नहीं करती। यह तो तब होता है जब बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ विलय हो जाती हैं और तब वे वास्तव में इस देश की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं। जैसा कि माननीय श्री शिवराज जी ने कहा है, देश में इस समय कई ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। उनके आने के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग में सुधार हुआ है। फिर भी, वे एक प्रकार का करार कर चुकी हैं, ऐसा प्रतीत होता है जिसके कारण मूल्य कम नहीं हो रहें हैं। देश में भविष्य में ऐसा ही होते रहने की संभावना है। इसीलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम इस प्रकार का कानून बनाएं।

इस विधेयक में एक उपबंध यह है कि 1000 करोड़ रुपये मूल्य के अभिग्रहण और 3000 करोड़ रुपये की राशि का व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों का मूल्यांकन इस आयोग द्वारा किया जायेगा। आयोग अपने स्वनिर्णय द्वारा इसे अस्वीकृत अथवा स्वीकृत कर सकता है कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। अर्थदंड किसी कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गये व्यवसाय की औसत राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भाग होगा, भले ही अपराध कुछ भी हो और वह कितना भी गंभीर क्यों न हो।

मैं सोचता हूं कि भविष्य में ऐसा करना बहुत उचित होगा। मैं केवल दो मिनट और लूंगा और अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं आपको वर्ष 1969 में बनाये गये पूर्व एम.आर.टी.पी. अधिनियम और आज पारित होने वाले नये विधेयक के बीच कुछ अन्तर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1969 के एम.आर.टी.पो अधिनियम विशाल संगठन को महत्व देता था जबकि वर्तमान अधिनियम संगठनात्मक ढांचे पर जोर देता है। पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास बहुत कम प्रशासनिक और वित्तीय प्राधिकार थे। लेकिन वर्तमान विधेयक में, सी. सी. आई. को तुलनात्मक रूप से अधिक स्वायत्तता दी गयी हैं। पिछला विधेयक प्रतिक्रियात्मक और कठोर था लेकिन यह विधेयक क्रियात्मक और लचीला है। पहले अपराधों के लिए कोई अर्थदंड नहीं होता था लेकिन इसमें गत तीन वर्षों में अर्जित लाभ के कम से कम 10 प्रतिशत भाग का अर्थदंड लगता है। इसीलिए, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं इस सभा में प्रत्येक सदस्य से यह अपील भी करता हूं कि इसे सर्व सम्मति से पारित कर दिया जाये।' चूंकि गृह मामलों संबंधी समिति जो लघु संसद है, ने पहले ही इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं पूरी तरह से इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं एकाधिकार के समर्थन में हूं; लेकिन इसलिए कि यह हमारे जैसे देश के लिए उचित समय नहीं है कि इस प्रकार का नया कानून बनाया जाए। क्योंकि हमारा विकास कम है और देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है।

मैं सरकार की विवशता जानता हूं। प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, यूरोपीय आयोग का दबाव होता है; और सरकार पर डब्लू.टी.ओ. की लॉबी का दबाव पड़ता है और अति महत्वपूर्ण स्थानों से दबाव पड़ता है जो डब्लू. टी. ओ. के लिए कार्य करते हैं। वे इस देश की तुलना में यूरोपीय आयोग पर अधिक बल देते हैं। मेरे अतिरिक्त इस देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक का भी यही कहना है कि भारतीय बाजार को देश के भीतर और बाहर दोनों ही प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अनुकूल बनाया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? प्रतिस्पर्धा की संकल्पना क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं हो सकती हैं - मैत्री पूर्ण प्रतिस्पर्धा, विद्वेष पूर्ण प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा और सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा।

मुझे बताया गया है कि जापानी भाषा में 'प्रतिस्पर्धा' का अर्थ हत्या है। इसीलिए, प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि आपको अपने विरोधी को मार देना चाहिए। भारत जैसे देश में, हमने अपने संविधान में कतिपय लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनके लिए सहयोगात्मक प्रतिस्वर्धा की आवश्यकता है, अर्थात् छोटे क्षेत्र को मध्यम क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही, 'सहायतावाद' के रूप में किसी-न-किसी प्रकार का 'सहायतावाद' अवश्य होना चाहिए, जैसा कि चीन और अन्य कई देशों में हो रहा है जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिनों से ही हमारे देश में दर्शन के रूप मे ऐसा कहा जा रहा था।

मैं यह नहीं कहता कि जो भी उस समय कहा गया था अथवा उस समय जो भी आरंभ किया गया वह सदैव ठीक ही रहेगा। मैं यह नहीं कहता। परिवर्तन हुए हैं और हमें स्वयं को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाना होगा। प्रतिस्पर्धा बराबर के लोगों अथवा कंपनियों में होनी चाहिए। हमारे पास सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, भारतीय तेल निगम, और ग्लोबल ऑयल मेजर का मानक क्या है? यह भारतीय तेल निगम से 10 गुना ज्यादा है। विश्व की दो ऑटोमोबाइल निगमें ने एक बिलियन जनसंख्या वाले इस विशात देश के सक्त घरेलू उत्पाद की राशि से भी अधिक है।

एक बहुराष्ट्रीय भेषण कंपनी अकेले प्रचार-प्रसार अभियान पर इस देश के सबसे बड़े राज्य की सारे बजट से अधिक धनराशि खर्च करती है। गैर बराबरी की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। क्या यह कहना आवश्यक है कि देश में मौजूद प्रावधान पहले से ही अपर्याप्त है? यह कहा जा रहा था कि एम. आर. टी. पी. में बहुत सी कमियां मौजूद हैं। मुझे प्रस्तावित कानून में अधिकांश कमियां मौजूद हैं।

एक प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। क्या उद्देश्य और कारणों के कथन में जैसा कहा गया है, यह न्यापिक है अथवा अर्ध न्यायिक है? क्या यह निगमित निकाय है? यह क्या है। क्या इसे चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड अथवा मसाला बोर्ड की बराबरी में लाना है? क्या यह ऐसी कंपनी है जो किसी अन्य पुनर्निमणि कंपनी की तरह अभिग्रहीत करेगी, बेचेगी, लाभ अर्जित करेगी और सारी आय को भारतीय संचित निधि में भेजा जाएगा ताकि सरकार वर्तमान वित्तीय संकट से उबर सके और वित्तिय तथा बजटीय घाटे को पूरा किया जा सके? वे 'सेबी' से यह पूछ रहे हैं कि भारत की संचित निधि में कितनी धनराशि डाली गयी है? वे आई. आर. डी. ए. से भी यही बात पूछ रहे हैं। यहां पर भी उन्होंने गत तीन वर्षों की कुल व्यवसाय की औसत राशि का अर्थदंड लगाया है। यह अकल्पनीय है। इन सब बातों का निर्णय कौन करेगा? मानदंड क्या होंगे? यहां ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहा जा रहा है कि यह इसका आकार निर्धारित करेगा, लेकिन किस चीज का आकार? क्या यह 1000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति के आधार पर होगा अथवा 3000 करोड़ रुपये की राशि के व्यवसाय के आधार पर? मुझे इस बारे में ठीक-ठीक नहीं मालूम। संभवतः, 150 से 200 कंपनियों को इसके दायरे में लाया जायेगा।

यदि आप भारतीय घरेलू उद्योग की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के साथ करें तो आप पायेंगे कि उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे देश को उद्योग के विकास के लिए कुछ और समय चाहिए। मैं यह नहीं कहता इसे एकाधिकार के रूप में विकसित होने दें अथवा हमारे लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र गैस, तेल अथवा दूरसंचार इस बात का ख्याल किये बिना कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की अपनी बचन बद्धताओं को पूरा करेंगे अथवा नहीं, किन्हीं गैर सरकारी एकाधिकार वाले घरानों को सौंपे जाएं। हमें यह सब भूल जाना होगा।

वे हमारे मित्र हैं। यही सरकार में शामिल लोग कहते हैं। वह उच्च अधिकारी और अति विशिष्ट व्यक्ति है। यह मेरा निजी विचार है। उन्हें परिसंपत्तियां बेचने का अधिकार किसने दिया। एम.आर.टी. पी. में उपयुक्त नियम से यह प्रयोजन पूरा हो सकता था। इस तरह भारतीय बाजार और विदेशी बाजार में भारतीय घरेलू उद्योग एक प्रतिभागी के रूप मे कैसे ठीक प्रकार से प्रगति कर सकता है? इसलिए अधिक समय की आवश्यकता है। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इतनी जल्दी क्यों की गई।

मैंने प्रस्तावित भूमि में खामियों का उल्लेख किया है, मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि सरकार के इतने अधिक विवेकाधिकार क्यों हैं? वे निदेश देंगे। वे अधिक्रमण करेंगे। ऐसा प्रतीत है कि वह अपने आदमी को अध्यक्ष के रूप में रखना चाहते हैं। अलग-अलग कहानियां सुनने में आ रही हैं कि कोई विशिष्ट नौकरशाह, जो सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था, ऐसा कर रहें है कि कोई न्यायिक नियंत्रण नहीं होगा। उच्चतम न्यायलय के विनिर्णय के अनुसार ऐसे आयोग का रूप न्यायिक होगा। जहां तक मुझे याद है कि कंपनी कार्य विभाग ने स्थायी समिति को किए गए अपने निवेदन में कहा है कि यह निकाय न्यायिक होना चाहिए, न कि अर्द्ध-न्यायिक निकाय।

वर्ष, 1969 में एकाधिकार की प्रवृति पर नियंत्रण पाने हेतु एम आर टी पी सी अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्ष 1986 में अनुचित व्यापार कार्यों और उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और उनके कल्याण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के मुख्य

[श्री रूपचन्द पाल]

उद्देश्य का ऐसा ही दावा किया गया है। क्या इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं? उपभोक्ता मंच के पास 10.000 लंबित मामले है। उनके पास कोई अवसंरचना नहीं है। इसीलिए वह कह रहे हैं उन्हें और अधिक मामले कैसे अंतरित किए जा सकते हैं। वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। यही उनका अनुरोध है। एम आर टी पी के पास 5000 मामले लंबित हैं। वह उपभोक्ताओं के हित की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अब अनुचित व्यापार को समाप्त किया जा रहा है। वर्ष 1991 में विलय और समामेलन को हटा दिया गया था। अब वे विलय और समामेलन को वापिस ला रहे हैं। यही आज की व्यवस्था है। सेबी इस पर ध्यान देने के लिए है। एक अधिग्रहण न्यायालय भी है। महत्वपूर्ण लोगों की अध्यक्षता में कुछ समितियां भी हैं। उन्होंने अपनी सिफारिसे कर दी हैं। इस विनियामक की क्या स्थिति है? इसका मुख्य कार्य क्या है? क्या इसका कार्य निर्णय देना है? यदि ऐसा है तो इसे न्यायिक निकाय होना चाहिए। क्या यह सुपर विनियामक के रूप में काम करेगा? डी. सी. ए. सेवी और भारतीय रिर्जव बैंक जैसे विभाग विभिन्न प्रकार के विलयों, अधिग्रहण और ऐसे ही मामलों की जांच करने के लिए हैं क्योंकि वित्तीय सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इनकी स्थिति क्या है? इसका उल्लेख किया गया है इस नए कानून का प्रयोजन क्या है? इसे इस समय लाने का क्या कारण हैं?

सेवा क्षेत्र इससे अछूता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का उपाहरण सेवा क्षेत्र में दिया जा रहा है जो विश्व स्तर पर बढ़ रहा है और अधिकाधिक ताकतवर होता जा रहा है। किन्तु भारतीय स्थिति में कौन अधिक प्रभावित होगा? वह है विनिर्माण क्षेत्र जो संकट में है। इससे किसको संरक्षण मिलेगा? क्या यह लघु उद्योग है? क्या यह कुटीर उद्योग है? लघु उद्योग में सर्वाधिक रोजगार है। हमारे निर्यात में इसका हिस्सा 40 प्रतिशत है क्या इस गैर प्रतिस्पर्द्धात्मक काटन से उनको संरक्षण मिलेगा? क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी; मेरा विश्वास है कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के कारन से हमारा निजी घरेलू उद्योग प्रभावित होगा। इससे हमारे लघु उद्योग को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा जिसको तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे लघु उद्योग को उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खतरा है जो अधिकाधिक निसूचीबद्ध होकर भी विभिन्न तरीको से बाजार को नियंत्रित कर रही है। वह लाभ की स्थिति में है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इससे उपयोक्ताओं के हित का संरक्षण नहीं होगा। उनका कहना है कि आकार ही मानदंड है न कि बाजार शेयर। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आकार को ही लेगे तो यह कुछ नहीं है। बाजार में प्रधानता का निर्वारण कौन करेगा? वे इसका निर्माण विषय निष्ठ रूप से करेंगे। मुझे अत्याधीक सन्देह है कि इस विवेकाधिकार से भ्रष्टाचार होगा। राजनैतिक प्रबंधन से भ्रष्टाचार फैलता है। हमने यह विनिवेश प्रक्रिया में देखा है। हमने यह भ्रष्टाचार सेंटौर होटल के मामले में देखा है। इससे किसे लाभ मिलेगा? क्या तथा कथित एकाधिकार घरानों से धन ऐंठने के लिए यह सत्ता गठबंधन अथवा सत्ता पार्टी की गुप्त कार्यसूची है जिससे कि वह उनके कार्यो को प्रतिस्पर्दात्मक बता कर धन ऐंठ सकें।

अपराह्न 4.00 बजे

ऐसा सन्देह है क्योंकि सरकार के कार्यों में कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है। सरकार प्रत्येक चीज का निर्णय करेगी? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वर्तमान स्थिति में हमारे उद्योग को इस बात की जरूरत है कि सरकार उसकी पूर्ण समर्थन दे न कि चयनात्मक कि मैं उसका समर्थन करूगा भले ही उसकी पहुंच गैर सरकारी सूचना तक हो, भले ही वह भीतरी जानकारी देने में लगा हो और भले ही उसकी पहुंच शासकीय गुप्त बात तक हो। सरकारी क्षेत्र के ऊपर उनका पक्ष लिया जा रहा है। एक अन्य मामले में उन्होंने कहा कि तेल और प्राक्रतिक गैस निगम को एच पी सी एल / बी पी सी एल के विनिवेश में बोलीदाता होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या यह अमानत है? क्या यह उचित है? क्या यह समान व्यवहार है? यदि यही सरकार की नीति है तो इससे देश में गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों नष्ट हो जाएंगे।

जो बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि कर्मचारियो का क्या होगा? हमारे पास अपने विशेषज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ लोक सेवा आयोग से प्रतिनियुक्ति पर चयनित होकर आए है और उनसे कहा जा रहा है कि एम आर टी पी अधिनियम के निरसन के बाद इसके विघटन के बाद प्रत्येक को जाना पड़ेगा। इस मामले में कोई व्यक्ति सेवा में नहीं रहेगा। केवल आपके जी हुजूर आदमी अध्यक्ष बनाए जाएंगें और वे लोग वही करेंगे जो उनसे किसी विशेष पार्टी अथवा किसी विशेष समूह अथवा किसी विशेष उद्योग के हित में करने के लिए कहा जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं समझता हूं कि प्रतिस्पर्द्धा विधेयक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें अप्रेल 2005 तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर विचार विमर्श होगा। निवेश और व्यापार के बारे में यह प्रतिस्पर्द्धा कारन और अन्य उपाय तब तक ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे और कोई निर्णय लिया जा सकेगा। उस समय हमें नई सोच वाला होना पड़ेगा और सृजक बने वैश्वीकरण का अर्थ है यह नहीं है कि हमें जो कुछ छोडने को कहा जाए उसे हम तुरन्त छोड दें। आज

तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कोई व्यापक प्रतिस्पर्द्धा कानून नहीं है। 18वीं और 19वीं शताब्दी से वहां कुछ अधिनियम हैं। यू के और यूरोपीय देशों में भी कमीशन को एक विशेष निकाय माना जाता है जिसका अकसर उल्लेख किया जाता है हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहें। अभी हमें ऐसा करना है। हम विश्व की शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धारा 53 और 54 में केन्द्र सरकार को असीमित शक्तियां दी गई हैं।

तत्पश्चात् वे सुरक्षा कारक और लोक हित को हित साधक बना लेते हैं। मैं लोकहित की एक कहानी जानता हूं। मैंने लगभग 15 अथवा 20 वर्ष पूर्व एक प्रश्न पूछा था जब कांग्रेस सत्ता में थी कि किसी विशेष दैनिक को कितने विज्ञापन दिए गए थे जो हमेशा सरकार के पक्ष और समर्थन में काम करता रहा था। इसके उत्तर में मुझे बताया गया था कि उस विशेष समाचार पत्र समूह को जारी विज्ञापन की मात्रा लोक हित में प्रकट नहीं की जा सकती। क्या यह लोक हित है? इन दिनों में सरकार के पास इतने विवेकाधिकार और आत्मनिष्ठ शक्तियां है और सरकार का आशय जो भी रहा हो, मेरा विश्वास है कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बल्कि इससे हमारे विद्यमान रूग्ण उद्योग का अनर्थ हो जाएगा।

इसे प्रथम चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण जैसे चरणों में बेचा जा रहा है। इसे धीरे-धीरे चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। किक्की ने 15 से 20 वर्ष की अवधि का सुझाव दिया है। मेरा विश्वास है कि चयन बोर्ड में मंत्रियों के बैठने का कोई अर्थ नहीं है। इसका क्या अर्थ है? वे चयन बोर्ड में कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को चयन बोर्ड में कदापि नहीं बैठना चाहिए। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि अध्यक्ष अथवा सदस्यों को किसी उद्योग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनका दूर का अथवा निकट के किसी भी संबंधी को उद्योग से संबंध नहीं होना चाहिए। अथवा, जो पहले हुआ है उसकी पुनरावृत्ति होगी?

मैं राष्ट्रीय हित और अपने घरेलू उद्योग के हित में इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। हमें 2005 तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

हम एम.आर.टी.पी.सी. के ग्रुपों के बारे में पूर्ण विचार विमर्श कर सकते हैं। फिलहाल, हम एम.आर.टी.पी.सी. की कमियों को दूर करें। हम इसमें कुछ संशोधन कर इसे सुदृढ़ करना चाहिए। यह स्थायी समिति का भी एक सुझाव है। मेरा विश्वास है कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। मैं विधेयक का विरोध करता हूं और मैं माननीय मंत्री से तब तक विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं जब तक ऐसा कानून हमारे उद्योग अथवा हमारे देश के हित मे न हों।

डा. वी.बी. रमैया (एलूरू) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देता हूं। यह एक ऐसा विषय है, जिसकी तैयारी और इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कम-से-कम तीन वर्ष लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति में न केवल न्यायापालिका बल्कि अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञों को इन विषयों में काफी अनुभव और ज्ञान प्राप्त है। हमें हमारे देश के विकास के इस वर्तमान स्थिति में और हमारे सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पर इस तरह के प्रतिस्पर्धा विधेयक की आवश्यकता है।

प्रतिस्पर्धा विधेयक मुख्य रूप से उपभोक्ता के लिए उपयोगी है। उपभोक्ता ही किसी कंपनी के लिए मुख्यतः महत्वपूर्ण होता है चाहे वह विनिर्माण का क्षेत्र हो अथवा अन्य कोई क्षेत्र निःसन्देह, एम.आर.टी.पी.सी. भी इस ओर कार्य कर रहा है। कंपनियों द्वारा कर्टिल बनाने अथवा कंपनियों का समूह बना कर या अन्य तरीकों द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने के विरूद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों में से एक सदस्य पहले ही कई बातों पर सुझाव दे चुके हैं जिन पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा गौर किया जाना चाहिए। आज दूर संचार के मामले में जो कुछ हुआ है उसे देखें। प्रतिस्पर्धा से इस क्षेत्र में सहायता मिल रही है। दिन प्रतिदिन मूल्य घट रहे हैं। सेवाओं में कई तरह से वृद्धि हो रही है। उपयोक्ता के और जनहित के दृष्टिकोण से हमें आज इसकी आवश्यकता है यह लाभ समाज के हर तबके तक अधिकाधिक पहुंचाया जाना चाहिए। यदि मूल्य बहुत ज्यादा होंगे तो इससे केवल कुछ समुदायों का भला होगा। प्रतिस्पर्धा विधेयक ऐसे में उद्देश्य पूरा करेगा। इसकी बढ़ती उपयोगिता और आम आदमी की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग, और उनके द्वारा बनाए रखे गए मूल्यों के विभिन्न स्तरों के कारण और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। एक ओर हमारे पास एम.आर.टी.पी.सी. है और दूसरी ओर सेबी है। 3000 करोड़ रुपये अथवा 4000 करोड़ रुपये की राशि के व्यवसाय वाली कंपनियों की सीमा सहित इसमें केवल बड़ी कंपनियों को शामिल किया जायेगा जहां पर प्रतिस्पर्धा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बजट आवश्यकताओं को देखें। बजट आवश्यकताएं बहुत कम हैं। प्रथम वर्ष में इसे आवर्ती और अनावर्ती सहित केवल 140 लाख रुपये की आवश्यकता है। दूसरे वर्ष में, यह 474 लाख रुपये तक बढ़ जाता है और जब तक तीसरा वर्ष आता है यह केवल 586 लाख है। अर्थदंड अधिक होना चाहिए ताकि इससे राजकोष में वृद्धि हो सके। यह एक ऐसा विषय है जिस पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है उन्होंने सभापति और विनियामनों के संबध में जो शर्त रखी गई है, हमें प्रारंभ में ही इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। स्थायी समिति ने भी इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया हैं।

[डा. बी.बी. रमैया]

उन्होंने पर्याप्त सहायता की मांग की है। नि:सन्देह यह अन्तिम नहीं है। यह संसद देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और अन्य बातों पर विचार विचार करते हुए प्रत्येक वर्ष कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन अथवा अधिनियम पारित कर सकती है। हमारे मित्र ने यूनाइटेड स्टेट्स और माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र किया है और वे इस बात को सुनिश्चित कर पायें हैं कि एकाधिकार सीमित हो और यह घटे। संभवत: हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पायें। केवल कुछ मामलों में, हम उस स्तर तक पहुंच सके हैं।

लेकिन इसके बावजूद सेवा और प्रतिस्पर्धा बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इसका संचालन करने के लिए विभिन्न लोगों और विभिन्न पहलुओं में काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। मुझे खुशी हैं कि वे न केवल न्यायपालिका वरन अर्थशास्त्र, लेखा और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को ले रहे हैं।वे ऐसे दस अनुभवी और ज्ञानी लोगों को सी.सी.आई. के सदस्यों के रूप में ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उचित समय पर प्रतिस्पर्धा विधेयक के संबंध में किये जाने वाले अन्य सुझावों पर विचार करेंगे।

इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का प्रबल समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस उपाय से हम सही दिशा में कदम बढ़ा पायेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

महोदय, मैं पुन: आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी कम्पटीशन विधेयक, प्रतिस्पर्धा वाला कानून ला रहे हैं।

इसमें यह दावा किया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस परिस्थिति में कंज्यूमर प्रौटैक्शन के लिए इस कानून का लाना आवश्यक हो गया था। पुराना एम.आर.टी.पी. वाला कानून हटाना और नया कानून लाने का दावा हुआ है। पहले तो मुक्त बाजार हुआ, अब मुक्त बाजार में कम्पटीशन होगा, यह दावा किया गया है। कम्पीटीशन होने से कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, यह मूल भावना है। एम.आर.टी.पी. एक्ट, 1969 का था और उपभोक्ता कानून, 1984 का था, जिसमें उपभोक्ताओं को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां थीं, उन सभी कम्पनियों ने बाजार में सप्लाई कम कर दिया तो भाव बढ़ गया और कंज्यूमर लुट गया। कंज्यूमर को आवश्यकता होती है, कई कम्पनियों में कम्पीटीशन कम होगा, कई कम्पनियां मेल करके लोगों की आवश्यकता के मुताबिक बाजार में सामान नहीं देंगी या सामान ज्यादा देंगी तो घटिया कर देंगी, ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं।

इनका दावा है कि देश में और विदेश में सभी जगह कम्पीटीशन कानून बना देंगे तो सब जगह कंज्यूमर का प्रौटैक्शन हो जायेगा। बाजार में कम्पटीशन की गतिविधि को रोकने वाली प्रक्रिया रुक जायेगी और उसमें जो मोनोपलीज एण्ड रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन था, उसकी जगह अब ये सी.सी.आई. बनाएंगे, कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इण्डिया बनाएंगे। उसका जो चेयरपरसन होगा, इसमें कहा गया है कि उसकी जज होने लायक योग्यता होनी चाहिए, जज होने लायक, जज नहीं। संशोधन में कमेटी ने जाहिर किया कि यह अर्धन्यायिक संस्था होगी कि न्यायिक निकाय होगा। अभी रूप चन्द पाल जी ने सवाल उठाया कि अभी अर्धन्यायिक होगा या न्यायिक होगा। इनका क्या हर्ज है, जज की बहाली करने में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सिटिंग जज की बहाली करने में, लेकिन ये जज होने लायक व्यक्ति को बहाल करेंगे, जज को बहाल नहीं करेंगे, ऐसा जान पड़ता है।

अभी इसमें बहुत संशोधन हैं, उसमें क्या सुधार करेंगे और सही में वह न्यायिक संस्थान होना चाहिए, न्यायिक निकाय होना चाहिए, जिससे लगे कि वह निष्पक्ष है। बहाल करने वाली कमेटी में माननीय मंत्री जी स्वंय रहेंगे तो कमेटी की क्या जरूरत है। जिस कमेटी में मंत्री रहेगा तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, खुद ही बहाल कर लें। दूसरे कमीशन की कार्रवाई को भी सरकार निरस्त कर सकती है। हमारे यहां भिखारी लोककवि थे, उनकी एक पंक्ति है कि हुकूमत के हाथ में दो दांत हैं-एक खाने के और दिखाने के दूसरे दांत होते हैं। इसी तरह से हुकूमत में दोहरा काम होता है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और।

इसीलिए इसमें बहुत आशंका है नहीं तो हमने डा. लोहिया जी की दाम नीति सीखी थी।

"अन्न दाम का घटना-बढ़ना अनासेर के अंदर हो,
भरकर खनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो।"

अपराह्न 4.15 बजे

[श्री पी.एच. पाडियन *पीठासीन हुए*]

यह दाम नीति हम लोगों को सिखाई गई थी कि खाने की जो चीजें हैं, उनकी लागत के डेढ़ गुना से अधिक मूल्य नहीं होना चाहिए।

लागत दस है और हरेक चीज दस गुना भाव में बिक रही है, चाहे वह सीमेंट हो या दवाई हो। लागत से पांच गुना, सात गुना दाम में चीज मिलती है। इस तरह से कंज्यूमर का प्रोटैक्शन कहां से दीजिएगा? कहते हैं कि प्रतियोगिता होगी, मुक्त बाजार होगा और उसमें प्रतियोगिता होगी तो प्रतियोगिता में मल्टी नेशनल कंपनीज में लोग कहते हैं कि भारत का जो बजट है, उससे कई गुना अधिक पूंजी वाली और टर्न-ओवर वाली एमएनसी कंपनिया हैं, उनसे ही अपने यहां के छोटे उद्योग की प्रतिस्पर्धा होगी। महोदय, प्रतियागिता हमेशा बराबरी में होती है चाहे वह योग्यता की हो या क्षमता की हो, वह समान पक्ष का कम्पीटीशन होता है। असमान पक्ष में क्या प्रतियोगिता होगी? इसीलिए यह बहुत संदेहास्पद है और यह अधूरा विधेयक है। जब तक सरकारी सैक्टर में आरक्षण है और लघु उद्योग का आरक्षण है तो मुक्त बाजार नहीं हुआ तो उसमें क्या कम्पीटीशन होगा? इसीलिए यह मामला उठता है और भारी आशंका में यह प्रतियोगिता वाला नया कानून कि हम प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, मुक्त बाजार होगा और कंज्यूमर का प्रोटैक्शन होगा। ये सब कम्पीटीटिव एक्टीविटीज को रोकने का काम होगा और जो सीसीआई आयोग बनेगा, फंड बनेगा, यह सब हमने देखा है, इसीलिए हमें बहुत भारी आशंका हो रही है और जो दावा किया है, उसकी आपूर्ति इससे नहीं होने वाली है कि कंज्यूमर का प्रौटेक्शन होगा। कंज्यूमर का शोषण तो होता है।

इसी तरह से बोली की क्या हालत है? टेंडर के लिए जो कोटेशन डाला जाता है, उसमें तीन-चार बड़े आदमी मिल जाते हैं और उन्नीस-बीस भाव करके डाल देते हैं। फेयर कम्पीटीशन नहीं होता है। इस बारे में सरकार और माननीय मंत्री जी क्या करेंगे जहां तीन-चार बड़े आदमी मिल जाते हैं? मान लीजिए कि उसका एस्टीमेट एक करोड़ है तो उसमें दो करोड़ डाल देंगे। इसी तरह से तीन-चार बड़े आदमी 19-20 करके कोटेशन डाल देते हैं, वे आपस में मेल कर लेंगे। इसी तरह से डिसइंवेस्टमेंट के नाम पर सामान की बिक्री हो रही है, उसमें कहते हैं कि बोली लगाई जाती है कि कम्पीटीशन में कौन कितना दाम देता है। उसमें भी पूंजीपति लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए देखने में तो ठीक लगता है कि प्रतियोगिता होगी लेकिन यह भारी आशंका है कि यह अधूरा विधेयक है। एमआरटीपी खत्म करके इसे ला रहे हैं और कहते हैं कि इससे कंज्यूमर का प्रोटैक्शन होगा। इसलिए इन सबमें बड़ी आशंका है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें क्योंकि हम खिलाफ हैं।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, मैं प्रतिस्पर्धा विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं लेकिन इसमें मेरी समझ से कुछ सुधार की भी गुंजाइश है। एमआरटीपी के स्थान पर इसे लाया गया है। एमआरटीपी कानून में जो एकाधिकार का अधिकार कंपनियों को देते थे,

उसे खत्म कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि प्रतिस्पार्धा विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वाणिज्य और उद्योग जगत की स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रकृति होती है कि वह प्रतिस्पर्धा करे और अपने उत्पाद को उपभोगताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करे। एक तरह से ऐसा ही लग रहा है, जैसे घोड़े को घास खाने का आदेश दे दिया जाए। अगर घास उपलब्ध होगी, तो आवश्यकता के अनुसार घोड़ा उसे खाएगा या नहीं खाएगा। नैसर्गिक न्याय के आधार पर सामाजिक विकास कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा को सामाजिक विकास में बाधक भी बताया गया है। डारविन का सिद्धान्त है - 'योग्यतम की उत्तरजीविता' जो कमजोर हैं, प्रतिस्पर्धी उन्हें दबाकर नष्ट कर दें, यह समाज की उन्नति के विपरीत है। सर्वाइवल का मतलब है दूसरे के जीवन को नष्ट करके अपने जीवन को बचाने की प्रतिस्पर्धा, ये जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये सदैव प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। इस बिल में उपभोक्ताओं को प्रोटैक्शन देने की बात कही गई है। उपभोक्ताओं को बढ़िया और सस्ता माल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। कोई भी व्यवसायी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है कि वह अपनी पुंजी की लागत को कम करे, बल्कि वह हमेशा यही चाहेगा कि श्रमिक समुदाय की मजदूरी को कम किया जाए। इसलिए श्रमिक समुदाय के हितों की उपेक्षा इस बिल में झलकती है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। कट्टर किस्म के व्यापारिक घराने जो कार्टेल बनाते हैं, उनको दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

इसी प्रकार सीसीआई बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसको भी पूरी पावर नहीं दी गई है, बल्कि भारत सरकार ने भी इसका एकाधिकार रखा हुआ है। जो वे निर्देश देंगे, वही कार्य सीसीआई करेगी। इसलिए उसका प्रशासनिक निर्णय नहीं है। पेटेंट एंड इन्टैलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स प्रतिस्पर्धा करने में बाधक होंगे। यह विरोधाभास है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की एक सीमा होनी चाहिए कि कहां तक प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोई नियमावलि, कोई सिद्धान्त होना चाहिए। कहा जा रहा है कि उपभोक्ता के हित में यह बिल लाया गया है, लेकिन उपभोक्तावाद सारे समाज की बुराई की जड़ है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, निरीह लोग है, निर्बल लोग हैं, उनके लिए उपभोक्तावाद से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उपभोक्तावाद के अंतर्गत जो भी कम्पनियां हैं, वे मूलभूत आवश्यकताओं का उत्पादन नहीं करती है। जूते की फैक्ट्री विभिन्न किस्म के जूते उत्पादन करती है। लेकिन आम जनता की पहुंच के बाहर हैं, उन्हें सस्ते जूते और चप्पलों का अभाव है। एक खास तबके के लोगों के लिए एक ही दिन में तीन किस्म के जूते पहनने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। सुबह एक तरह

[श्री बालकृष्ण चौहान]

के जूते पहनें और शाम को दूसरी तरह के जूते पहनें। इस तरह से वे कम्पीटिशन करते हैं। आम जनता के हित की अनदेखी करते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के युग में यह आवश्यक है कि हम इस कानून की ओर अग्रसर हों। इस कानून में कुछ खामियां होते हुए भी आगे सुधार की गुंजाइश देखते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी आने वाले दिनों में इसमें सुधार करके, जनहित के अनुकूल और श्रमिक समुदाय के अनुकूल इसे बनायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर वस्तुत: पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार की राय मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम इस विधेयक के प्रति उस हद तक वचनबद्ध हैं जब तक यह वास्तव में देश के कानून के भीतर के भीतर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। लेकिन हमारे उपनेता ने कुछ अन्य बातों पर भी प्रकाश डाला है।

सबसे पहले मैं संविधान से बात आरंभ करूंगा। हम इस देश में जो भी करते हैं अथवा संसद में जो भी कहते हैं, वह हम भारतीय संविधान के पवित्र नाम पर करते अथवा कहते हैं। इस अति मौलिक मुद्दे को मैं गत दो वर्षों से हमारी पार्टी और सरकार के सामने रखने के और निसन्देह संसद के सामने रखने की सोच रहा हूं। विश्व आर्थिक परिदृश्य बदलाव आ चुका है। विश्व व्यापार संगठन घोषणा पत्र जिसका आज जनतांत्रिक गणराज्य चीन भी एक सदस्य है के द्वारा सर्मचित विश्व आर्थिक परिदृश्य के कई आयाम है। इसीलिए आज मैं इस विषय के बारे में अपनी पार्टी के साथियों को बता रहा हूं और आज इस संसद के माध्यम से सरकार को बता रख रहा हूं कि क्या वर्तमान सरकार के लिए समय आ गया है कि (क) हमारे देश में विश्व व्यापार संगठन से पडने वालों प्रभावों पर (ख) संबंधित राष्ट्रों विशेषकर सबसे कम विकसित हुए और विकासशील राष्ट्रों को विश्व बैंक के निर्देशों का मूल्यांकन, (ग) जी-7 समूह के सात देशों के बीच उनका अपना संरक्षणवाद और उनके दस्तावेज (घ) जी-77 देशों की संख्या में और वृद्धि और उन्हें शामिल किया जाना और अंत में, (ङ) गुटनिरपेक्ष देश। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देश के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईमानदारी से बैठकर सबसे पहले एक व्यापक श्वेत पत्र अथवा दस्तावेज तैयार करने पर विचार करेगी जिसे संसद के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? यह समझने की बात है कि भारतीय संविधान की जो भी गारन्टी हैं वह यदि वर्तमान समय में अथवा भविष्य में अनुकूल सिद्ध नहीं हुई तो विवाद उत्पन्न हो सकता है।

मैं इस अति संवेदनशील विधेयक में कोई राजनैतिक लाभ लेने की बात नहीं कह रहा हूं। जो भी व्यक्ति भारतीय राजनीति में प्रवेश करता है, वह सर्वप्रथम भारतीय संविधान को पढ़ता है, जिसकी उद्देशिका में यह उल्लेख है।

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए"

दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

यह उद्देशिका है। इसके बाद, मैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व पर आता हूं। यहां, पर अनुच्छेद 39 पर दृष्टि जाती है। जिसमें कहा गया हैं।

"राज्य अपनी नीति का विशिष्ट तया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से -

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे अन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्रण न हो;

यह राज्य की नीति के निदेश तत्व में दिया गया है। मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है।

इसके पश्चात् मैं अनुच्छेद 301 से 307 पर आता हूं।

अनुच्छेद 307 संसद को अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार-

"संसद विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझा जाये।"

मेरे प्रिय मित्र श्री खारबेल स्वाइं जो तैयार होकर आते हैं। इस समय वह उपस्थित नहीं है। अनुच्छेद 302 के अनुसार :

"संसद विधि द्वारा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वंतत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोक हित में अपेक्षित हो।"

अनुच्छेद 303 के अनुसार :

"(1) अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी, सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, संसद को या राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है। अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) खंड (1) की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।"

अनुच्छेद 304 (क) के अनुसार :

"अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो।"

संविधान में ये सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं। एक ओर संविधान में दिये गये अधिकारों और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध और जो कुछ मैंने कहा उसको ध्यान में रखते हुए आपको भारत के इस यथार्थ को ध्यान में रखना होगा कि हम इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती के साथ कदम मिलाने के लिए कहां खड़े हुए हैं।

प्रतिस्पर्धा विधेयक हमारे सामने है। पहला प्रश्न यह है कि बीजिंग से वाशिंगटन, लंदन से नयी दिल्ली, मास्को से बॉन, और मिश्र से टुनिशिया तक उत्पन्न हुए नये सार्व भौमिक वातावरण और आर्थिक परिदृश्य हमारे बाजारों में भी वैसा ही हैं और क्या वे सभी यहां पर इस प्रकार की बुनियादी सहायता, निवेश वातावरण और श्रम नीतियों से लाभ प्राप्त कर रहें हैं जिन्हें वे अपने-अपने देशों में प्राप्त करते हैं। यदि आप अध्ययन करें, तो आप पायेंगे कि प्रतिस्पर्धा के नाम पर सबसे अधिक संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उद्योगों और व्यापार को प्रदान करता है। सबसे अधिक सुरक्षा सारे यूरोप में सुनिश्चित की जाती है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके दबाव को कम करने के लिए हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे। सच्चाई यही है।

हम इस विधेयक के पारित होने का विरोध नहीं कर रहें हैं लेकिन क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और प्रधानमंत्री को यह सूचित करेंगे कि क्या हमारे संविधान में प्रध्यापन एवं गारंटी, डब्ल्यूटीओ की बाध्यताओं, प्रतिस्पर्धा, चुनौतियों और अमरीका एवं यूरोप में सार्क देशों के मुकाबले उनके अपने व्यापार वाणिज्य को गुप्त संरक्षण प्रदान करने की बात को समझने का समय आ गया है? मैं पूरे एशिया की भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एशिया के 'एएसईएनएन' और सार्क क्षेत्र अलग अलग हैं। ये अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे हैं। यह केवल किसी कानून के पारित होने का प्रश्न नहीं है बल्कि हमें इसका अर्थ समझना है। मैं यहां राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं अनेक मंचो, स्वदेशी जागरण मंच या राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच द्वारा शुरू किए गए अभियान को महत्व देता हूं। प्रश्न है कि क्या हमने 1984 के बाद से जो किया है वह गलत है। क्या सरकारी क्षेत्र के नाम पर शुरू सरकार को एकाधिकार को रद्दी की टौकरी में फेंक दिया जाए?

मैं कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को देख आश्चर्य चकित हूं। मैंने देखा कि उस दस्तावेज में उन्होंने विधेयक की सम्पूर्ण अवधारणा का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इसको प्रतिस्पर्धा विधेयक कम्पनी कार्य विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तुति कहा जाता है। 'लाइसेंस कोटा परमिट से उदारीकरण' परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य शीर्षक के अंतर्गत वे हमें संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं।

यह अच्छी बात है। सरकारी क्षेत्र से निजीकरण का निर्णय लिया गया था। हमारी सरकार ने कब ऐसी नीति बनाई कि सरकार विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र का नीजीकरण किया जाना चाहिए? क्या यह सरकारी दस्तावेज है? यह कंपनी कार्य मंत्रालय का दस्तावेज है। वे इसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्र और संसद से प्रतिस्पर्धा विधेयक के उद्देश्यों को समझने को कह रहे हैं। उद्देश्य लाइसेंस कोटा परमिट के उदारीकरण का है। यह एकदम ठीक है। कोई कोटा, लाइसेंस, परमिट नहीं होगा और या तो आयोग या डेस्क के माध्यम से नौकरशाही को प्रकारान्तर से नियंत्रित किया जाएगा। अतः उन्होंने सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने का निश्चय किया है। आपने सरकारी क्षेत्र को नीजीकरण और बंद अर्थ व्यवस्था को वैश्वीकरण

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

में बदलने की नीति की शुरूवात करने का कब निश्चय किया? बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्या कंपनी कार्य मंत्रालय इसे स्पष्ट करेगा? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह स्पष्ट करें कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। भारत में बंद अर्थव्यवस्था कब शुरू हुई? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या तात्पर्य हैं? भारत में निवेश क्या है? हमें ब्रिटिश राज से क्या मिला है? हमारी अपनी शक्ति क्या थी? हमारी आन्तरिक शक्ति केवल हमारे प्राकृतिक संसाधन थे।

हमें कोई इतना बड़ा बुनियादी ढांचा नहीं मिला है कि हम दावा कर सके कि भारत समृद्ध बनेगा। बड़ी मेहनत से एक एक कर भारत का निर्माण किया गया है चाहे वह भाखड़ा नांगल हो, चाहे मैलाखी बांध हो, चाहे तुंगभद्रा हो, चाहे एनटीपीसी का जल विद्युत संयत्र हो, एक-एक कर कड़ी मेहनत से भारत का निर्माण किया गया। अब अचानक कम्पनी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को पता चला है कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद है इसलिए हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण बहुमूल्य (कॉइन) है। यह अंग्रेजी का शब्द है जिसमें पश्चिमी जगत के मनोकूल अर्थ निहित, कि यदि आप विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होते हैं तो वह वैश्वीकरण है और आप विश्व व्यापार संगठन पर सवाल उठाते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था कही जाती है। यह परिभाषा भारत की संसद द्वारा नहीं दी गई हैं। इसलिए मंत्री महोदय अपने 'डेस्क' को शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करने की सलाह दें।

अब मैं नियंत्रित मूल्य और मूल्य विनियंत्रण की बात करूंगा। यह सही है कि आज मूल्य विनियंत्रण प्रणाली प्रचलन में है। हम सहमत हैं। हम इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में गलाकाट प्रतिस्पर्धा एक जमीनी हकीकत है? यदि ऐसा है तो यह प्रतिस्पर्धा किसके साथ है?

कुछ दिन पहले मैंने सभा में उल्लेख किया था कि भारतीय प्रेशर कुकर उद्योग संकट में है, भारतीय बल्ब उद्योग संकट में है, मशीनी उपकरणों का निर्माण करने वाले भारत के मध्यम दर्जे के उद्योग संकट में है, भारतीय वस्त्र उद्योग संकट में है। ऐसा क्यों है? यह संकट अचानक कैसे आया? क्या ऐसा प्रतिस्पर्धा के कारण है? नहीं, प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं। कभी-कभी उत्पादक और व्यापारी एक ही होता है और कभी-कभी दोनों अलग अलग होते हैं। यदि विनिर्माण संबंधी पुर्जे और कच्चा माल कम मूल्य पर उपलब्ध होता है और श्रम लागत भी कम हो तो तैयार माल की कीमत भी कम होगी। लेकिन यदि श्रम मूल्य कुछ अधिक हो और कच्चा माल भी बहुत महंगा हो अन्तिम उत्पाद की कीमत बहुत कम नहीं होगी। यदि किसी राष्ट्र में कच्चे माल के उत्पादन की लागत इसके प्रतिकूल हो और वह कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हो और उस राष्ट्र में श्रम मूल्य सस्ता हो और उसे बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के आने दिया गया, शुल्क में वृद्धि न की गई तो वह प्रतिस्पर्धा न होकर अपने को नुकसान पहुंचाना है। भारत में यही हो रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि डा. चक्रवर्ती ने स्थायी समिति के समक्ष अभिसाक्ष्य में एक अत्यन्त अच्छी बात कही कि देश की निवेश नीति और देश की श्रम नीति पर भी विचार किया जाना चाहिए। कोई भी देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का निश्चय, उसकी योजना समग्रत: निवेश नीति, मानसून एवं जलवायु के आधार पर कृषि की संभावनाओं, औद्योगिक कच्चे माल की मांग एवं आपूर्ति और विद्युत उत्पादन के आधार पर करता है

वित्त मंत्री महोदय, क्या इस विषय पर आप हमें विश्वास में लेंगे। हम इसके बारे में आपसे सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का राजग का मामला नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का कोई लक्ष्य निर्धारित करने से पहले कुछ तत्वों पर विचार किया जाता है। यदि प्रकृति के विनियंत्रण के इन तत्वों में किसी बहुराष्ट्रीय तत्व के कारण हस्तक्षेप हो तो क्या उस निर्धारित वृद्धि को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सकेगा?

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आपने 15 मिनट का समय ले लिया। क्या आप और समय चाहते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरे विचार से यह ऐसा विधेयक है जिस पर विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : यह अपराह्न 5.30 बजे तक पूरा हो जाएगा। शायद संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहते हुए सभा को सम्बोधित कर दिया है इसे 5.30 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं महोदय, हमें संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी हो जानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ही हो। मुझे ऐसा बताया गया है। यह ऐसा विधेयक नहीं है कि जिसके बारे में हम कह देंगे कि ठीक है, चर्चा आगे बढ़ाइए इसे पारित कर दीजिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं।

सभापति महोदय : अपराह्न 5.30 बजे हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसी बात नहीं। इसे पुन: सायं 6.00 बजे शुरू किया जा सकता है। लेकिन महोदय, क्या आप चाहते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो कि एमआरटीपी अधिनियम का निरसन ही है, उस पर इस प्रकार से विचार किया जाए?

सभापति महोदय : स्थायी समिति ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं स्थायी समिति के बारे में भी बात करूंगा। आपने मुझे याद दिलाया इसलिए में स्थायी समिति से उद्धरण दूंगा।

स्थायी समिति का नाम इतना जोर जोर से लिया जा रहा है जिस पर सबको इतना अभिमान है। मुझे भी इस पर अभिमान है क्योंकि मेरे सहयोगी समिति में हैं। स्थायी समिति ने कुछ सिफारिशें की है। मैं एक प्रमुख सिफारिश पढ़ूंगा :

> "समिति में विधेयक के दर्शन के संबंध में कोटे तौर पर दो विचार उभरे। समिति में एक विचार यह था कि इस अवस्था में विधेयक के कानून बनने से विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में भारत की सौदेबाजी की शक्ति समाप्त हो जाएगी। उस संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि विधेयक को 1 जनवरी, 2005 तक कानून न बनाया जाए जब तक प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार और निवेश और संबंधित मामलों के मुद्दों पर निर्णय न लिया जाए। विधेयक के विरूद्ध दूसरा दृष्टिकोण था कि भारत के निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्र के उद्योगों को एक निश्चित अवधि तक कुछ सुरक्षोपायों एवं संरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान विधेयक में इस प्रकार के सारे सुरक्षोपायों और संरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय उद्योग और सेवा क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने की अनुमति मिल जाएगी। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि इस विधेयक को पारित करने की कोई जल्दी नहीं है और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए।"

स्थायी समिति ने यही कहा है। आपने उल्लेख किया इसलिए मैं उद्धृत कर रहा हूं। स्थायी समिति ने यही कहा है।

मेरी समझ के अनुसार सरकार स्थायी समिति की सिफारिशों से बाध्य नहीं है क्योंकि आज ऐसा नियम नहीं है। कुल सब मिलाकर सरकार ही सिफारिशों को स्वीकार करती है और उनकी अनदेखी करती है। इसलिए स्थायी समिति के निर्णय, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो और आप भी बहुत आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हो, इसमें जल्दी कर रहे हों और शीघ्रता से जांच कर रहे हों। नहीं तो सिफारिशें अलग प्रकार की हैं।

अब मैं इस विधेयक के बारे में बात करूंगा। धारा 9 को देखें। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस खण्ड को पारित करने को इतना उत्सुक क्यों है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इसे नोट कर लें और वाद विवाद के दौरान उत्तर दें। यह बात एस. राधवन समिति के बारे में है। मैं उन्हें जानता हूं। जब मैं वाणिज्य राज्य मंत्री था तो वह एमएमटीसी के चेयरमैन थे। दूसरे दिन जब मैं मलेशिया जा रहा था तो वह मेरे साथ चेन्नई तक गए। वह बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि उनकी अनेक सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और उन्हें स्थायी समिति द्वारा अपने विचार रखने के लिए भी नहीं बुलाया गया। बात इसकी नहीं है।

मैं वही बात बता रहा हूं। ऐसी समिति की क्या आवश्यकता थी जिसमें वित्त मंत्री, कम्पनी कार्य मामले विभाग के मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और कैबिनेट सचिव हों? इन सबके बजाए सीधे सीधे यह व्यवस्था कर दी जाती कि पूरे आयोग की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा की जाएगी। एक ही बात से सब सही हो जाए। हर बात को मंजूरी एसीसी ही देगी।

क्या यह सच है कि राघवन समिति ने सिफारिश की थी कि समिति के चेयरमैन की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है? वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के समकक्ष है और एक प्रकार से उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।

सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नौकरशाही में भ्रष्टाचार और अन्य विषयों में अपनी संस्तुति देने के लिए अति उच्चधिकार प्राप्त प्राधिकारी है। हम सतर्कता आयोग का चयन कैसे करते हैं? सतर्कता आयोग के चयन करने का मानदंड क्या है? इसका मानदंड यह है कि प्रधान मंत्री, सभा के नेता, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता इसका फैसला करते हैं। क्या यह सत्य है कि राघवन समिति ने इस प्रतिस्पर्धा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए इसी प्रकार के उपबंध करने की सिफारिश की थी। यदि यह सत्य नहीं है तो मैं यह प्रश्न नहीं पूछूंगा। यदि यह सत्य है तो सरकार ने उस दृष्टिकोण का समर्थन क्यों नहीं किया? वित्त मंत्री कंपनी कार्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सभी सरकार के हिस्से है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समक्ष सरकार के प्रतिनिधियों की इतनी बड़ी संख्या में क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्री महोदय, आप कभी भी यह मत भूलिए कि यह प्रतिस्पर्धा का मामला है। यह कंपनियों की प्रतिद्वंदिता का मामला है, यह कंपनियों के लाभ का मामला है,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

यह धोखा धड़ी का मामला है और यह किसी अन्य के प्यापार और व्यवहार को नष्ट करने का मामला है। ऐसी संवेदनशील समिति जिसे आप सभी प्रयोजनों के लिए एक न्यायिक समिति मानेंगे, उसमें आप इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों, राजनीतिक हस्तियों को क्यों घसीटते हैं? सरकार एक सतत प्रक्रिया है। मैं इन मंत्री महोदय की नेकनीयती पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। वह हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं। आप इस खंड 9 में संशोधन क्यों नहीं कर सकते? पूरा खंड इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने जाने की भावना को न्यायसंगत नहीं ठहराता है। इसलिए, हमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पक्ष की ओर से दो मंत्रियों को इसमें लाने के इस प्रकार के गठन पर कड़ी आपत्ति हे। कैबिनेट सचिव को लेना ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को लेना ठीक है। इस कदम का निश्चित ही स्वागत है। लेकिन दो मंत्रियों को इसमें लाने का कोई तुक नहीं है। यही मेरा दृष्टिकोण है। आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। यह आप पर छोड़ा जाता है, लेकिन यह इस मामले के संबंध में बहुत सही सोच नहीं है। स्थायी समिति ने भी आपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 9.5.1 में कहा है कि :

> ''समिति का मानना है कि मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री को प्रवरण समिति में रखना कार्यपालिका में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है।''

इसलिए, मैने स्थायी समिति की दो राय रखी हैं। महोदय, अब मैं दो या तीन छोटे मुद्दों पर आ रहा हूं। मैं आपको बार बार घंटी बजाने के लिए परेशान नहीं करूंगा क्यों कि मैं यहां पर माननीय मंत्री महोदय से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं।

जब 1969 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर विचार क़िया गया था तब 27 दिसंबर, 1969 को इसके अनुसार यह कहा गया कि :

> ''इस अधिनियम में यह प्रावधान किया जाएंगा कि आर्थिक तंत्र के प्रावधान से सामान्य हानि, एकाधिकार के नियंत्रण के लिए, एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों की मनाही तथा उससे जुड़े अथवा आनुषंगिक मामलों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित न हो।''

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की 'डोमिनेंस' शब्द के संबंध में मजबूत स्थिति थी। वे स्वयं प्रभुत्व (डोमिनेंस) का प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यह अधिनियम प्रभुत्व (डोमिनेंस) पर प्रश्न नहीं उठाता उन्होंने असम से प्रभुत्व (डोमिनेंस) के दुरूपयोग के नाम से इसे अस्पष्ट कर दिया है। प्रभुत्व (डोमिनेंस) का दुरूपयोग केवल जांच का मामला नहीं है बल्कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता वाला क्षेत्र भी है। आयोग के महानिदेशक को एक बार अपने दृष्टिकोण से पता लगाना होगा, उसके बाद सरकार के दृष्टिकोण से तथा उसके बाद उन कई लोगों के दृष्टिकोण से पता लगाना होगा जिनका उसमें हित निहित है। तभी, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रभुत्व (डोमिनेंस) का दुरूपयोग क्या है। क्या यह प्रभुत्व (डोमिनेंस) की संकीर्ण व्याख्या नहीं है।

मैं यह बात माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। क्या आपने श्रम आयोग की हाल की टिप्पणियों और राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के संबंध में श्रम मंत्रालय से परामर्श किया?

अपराह्न 4.50 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

क्या माननीय मंत्री महोदय ने निवेश नीति के संबंध में भारतीय उद्योग के प्रमुखों से निर्णायक रूप से सलाह की थी? आज सुबह ही 'शून्य काल' के दौरान, मैने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से खुदरा व्यापार को होने वाले खतरे के मुद्दे को उठाया था। क्या माननीय मंत्री महोदय ने विनिर्माणकारी इकाईयों से परामर्श किया था जो कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में प्रभुत्व वाले नहीं हैं परन्तु भविष्य में प्रभुत्व पाने के आकांक्षी हैं? क्या ऐसा है कि इस विधेयक के अंतर्गत सरकार लाभ कमाने वाली इकाईयों के विनिवेश हेतु कंपनी कार्य विभाग के निर्वचन के अनुसार आपका समर्थन देने की मंशा रखती है?

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने उपलब्ध कराए गए विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पण में 'कार्टेल' शब्द सम्मिलित किया है। परन्तु, क्या माननीय मंत्री महोदय मामलों की जांच एवं निष्पादन हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने हेतु कुछ सुधार करने की आवश्यकता महसूस करते है? प्रभुत्व धोखापूर्ण विलय एवं त्रुटिपूर्ण संतुलन पत्रों के उद्धरण के दुरूपयोग से सम्बंधित मामलों की जांच एवं निपटान हेतु कोई कोई असीमित समय नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका में एक कंपनी के कारोबार के मूल्यांकन हेतु त्रुटिपूर्ण संतुलन पत्र के उद्धरण दिए जाने के मामले का पता लगाया गया था। परिसंपत्तियों को 3000 करोड़ रुपए के बराबर दर्शाया गया था और कुल कारोबार के लगभग 300 करोड़ रुपए के लगभग दर्शाया गया था। अब, सरकार द्वारा जांच अधिकरण हेतु क्या सुरक्षोपाय करने का प्रस्ताव है जिससे कि वे मामलों को एक समयबद्ध तरीके से पता लगा सकें और उनका निपटान किया जा सके?

महोदय, इन शब्दों के साथ हम इस विधेयक को अपना समर्थन देते हैं। हमें आशा है कि आने वाले समय में - आज नहीं तो, बजट सत्र के बाद माननीय वित्त मंत्री माननीय प्रधानमंत्री एवं मंत्री मंडल से किसी नए प्रविर्तन की आवश्यकता के संबंध में हमारी संवैधानिक बाध्यताओं एवं घोषणाओं के मद्दे नजर एवं विश्व व्यापार संगठन के मद्देनजर, योजना दस्तावेज में परिकल्पित हमारे सकल घरेलू उत्पाद के मद्देनजर पुन: परामर्श करेंगे और यह देखेंगे कि समस्त प्रणाली में किसी विरोधाभास का क्षेत्र विद्यमान है। यदि हां, तो उन्हें कोई त्रुटिरहित प्रलेखन कैसे किया जाय, इसपर विचार करना चाहिए और न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना चाहिए बल्कि इस अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, जब यह एक अधिनियम बन जाता है और जब भी आवश्यक हो श्रम अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक अधिनियमों में भी आवश्यक संशोधन करना चाहिए। अन्यथा मुझे आशंका है कि उक्त खंडश: कानून को लाने से अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा भविष्य में ऐसे कानून में और संशोधन करना होगा जिसके परिणामस्वरूप न केवल संसद सदस्यों, बल्कि पूरे राष्ट्र में भ्रम फैलेगा।

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा इस चर्चा में उनके योगदान के लिए आभारी हूं। सरकार को इससे लाभ हुआ है।

महोदय, मुझे सभी प्रश्नों का माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए उतने प्रश्नों का जवाब देने का सारगर्मित प्रयास करने दें जितना मैं दे सकता हूं। मैं सबसे पहले इस चर्चा का आरंभ करने वाले श्री शिवराज वि. पाटील को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कई अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पूछा है और यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे अन्य वक्ताओं ने भी उठाया था - कि एम आर टी पी अधिनियम के आस्तित्व में होने के बावजूद इसकी क्या आवश्यकता है। एम आर टी पी अधिनियम और इस प्रतिस्पर्धा विधेयक के बीच क्या अंतर है?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं इस वादविवाद के आपके द्वारा जवाब देना आरंभ करने के कुछ मिनट के अन्दर हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। परन्तु क्या यह उचित निर्वचन होगा? एम आर टी पी में भी आप एकाधिकार को कम करना चाहते थे और यहां भी आप प्रभुत्व को रोकने की मंशा रखते हैं। वस्तुत: एक प्रकार से यह कुछ विभिन्नताओं के साथ वही चीज है। समय बदल गया है परन्तु मनुष्य नहीं बदला।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की बात करता हूं।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी अभियोजन में विलंब के बारे में प्रश्न उठाया गया था। उन्होंने कहा है कि अभियोजन में विलंब नहीं होना चाहिए। खण्ड 36 (1) में वस्तुत: यही बताया गया है कि आयोग सिविल प्रक्रिया संहित से आबद्ध नहीं होगा, यह कि आयोग अपनी प्रक्रिया का स्वयं विनियमन करेगा और सी सी आई के आदेश केवल उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य हैं। इसीलिए इस संबंध में कार्यवाही को विलंबित नहीं किया जा सकता है।

चयन समिति के बारे में खण्ड 9 में अन्य माननीय सदस्यों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था यह संसदीय स्थायी समिति ही थी जो चाहती थी कि मंत्री को चयन समिति से हटा दिया जाए। माननीय श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा था कि इसमें विधायिका का भी प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। हम इन पर निश्चित रूप से उस समय इस पर विस्तार से विचार करेंगे जब हम नियमों को बनाऐंगे ताकि हम इसे यथा संभव व्यापक आधार प्रदान कर सकें।

पुन: रोजगार प्रदान करने और जो पहले से ही एम. आर. टी. पी. आयोग के साथ हैं, उनकी रक्षा करने से संबंधित अन्य मुद्दे उठाए गए थे। संसदीय समिति की इच्छा के अनुसार प्रतिबंध की अवधि पहले ही एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। फिर भी, मैं, वस्तुत: जो माननीय श्री शिवराज पाटील ने कहा, उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रश्न पर पुन: विचार करना चाहिए क्योंकि एक वर्ष का प्रतिबंध अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे, यदि मैं नियमों के स्तर पर ऐसा कर सका या उसके बाद ऐसा कर सका तो हम इसकी जांच करेंगे, यह वैध प्रश्न है और हम निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेते हैं।

मैं अन्य मुद्दों का भी जवाब दे रहा हूं। उपभोक्ता और उद्योग के बारे में आशंका व्यक्त की गई है। वस्तुत:, जैसे-जैसे मैं दूसरों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देता जाऊंगा, आप पाएंगे कि यहां अधिकांश आशंकाओं का समाधान कर दिया गया है, यहां तक कि यहां काम करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों को इस विधि के द्वारा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और छोटी कंपनियों पर कब्जा जमाने से रोका जाएगा। इस नियम का विस्तार बहुराष्ट्रीय निगमों के मूल देश तक होगा, इसलिए, ऐसा नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां काम करेंगी और भारतीय उद्योगों को निगल जाएंगी। यह वास्तव में, इसमें विशेष रूप से प्रतिबंधित है।

वस्त्र आदि से संबंधित मूल्यों के अन्य विशेष मुद्दे भी हैं। ऐसा कहा गया है कि गुणवत्ता में आटोमोबाइल क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार

[श्री जसवंत सिंह]

हुआ है लेकिन मूल्य स्तर पर लाभ नहीं मिला है जो कि सही है, फिर भी, कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के कारण बिना प्रतिस्पर्धात्मक कानून के मूल्य में गिरावट आई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इस समय की दूर संचार सेवाएं सरकार की यह मंशा है कि जितना संभव हो सके, इसका विस्तार हो।

माननीय खारबेल स्वाइं ने उद्यम के विभाजन के बारे में बोला। विधेयक का खंड 28 उद्यमों के क्रमवार विभाजन का अधिकार प्रदान करता है।

श्री शिवराज पाटील ने कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में भी चर्चा की थी। मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एम.आर. टी.पी. आयोग के सभी कर्मचारियों की रक्षा की जाएगी उनका स्थानान्तरण केन्द्र सरकार में कर दिया जाएगा और उनमें से जो योग्य होंगे—मैं पूर्ण आश्वासन नहीं दे सकता - उनका निश्चित रूप से सी. सी. आई. में आमेलन कर लिया जाएगा बशर्ते वे नए नियमों एवं विनियमों से संतुष्ट हों। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनका सी.सी.आई. में आमेलन किया जाए क्योंकि उन्होंने एम. आर. टी. पी. सी. में काफी लंबे समय तक सेवा की है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री रूपचन्द पाल ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हमने वास्तव में यूरोपीय संघ या विश्व व्यापार संघ के दबाव में यह विधान लाया है। मुझे निराशा हुई कि वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि संसद और भारत सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करते। यह प्रभुता संपन्न कार्य है।

बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच आपसी सांठ-गांठ के बारे में भी कई सदस्यों ने प्रश्न उठाया था। वस्तुत: आपस में सांठ-गांठ करने को इस विशेष विधेयक के खंड 3 द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और उत्पादक-संघ (काटेल्स) प्रतिबंधित हैं इसलिए, बहुराष्ट्रीय निगम या देशी निगम आपस में सांठ-गांठ नहीं कर पाएंगें या उत्पादक संघ (कार्टेल्स) का गठन नहीं कर पाएंगे।

श्री रूपचन्द पाल ने भारतीय निगमों के आकार के बारे में भी कहा जो कि अपमानजनक है। लेकिन यह कानून उन्हें विश्व स्तरीय कंपनियां बनने से रोकता नहीं है। इस विधेयक के द्वारा निवेश, क्षमता विस्तार या क्षमता निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बल्कि इसमें विलय के लिए निर्धारित सीमा वास्तव में काफी अधिक रखी गई है। देश की 6,00,000 कंपनियों में से केवल 100 कंपनियों का ही कुल कारोबार इस निर्धारित सीमा से अधिक है। सी.सी.आई. को एक बात अवश्य मान लेनी चाहिए और वह है, आर्थिक विकास के लिए योगदान के मार्फत विलय का सापेक्ष लाभ। यह विधेयक किसी को बड़ा होने से नहीं रोकता। यह, वास्तव में, बड़ी कंपनियों के प्रतियोगिता बढ़ाने के प्रयासों को रोकने जैसी प्रतियोगिता रोधी गतिविधियों में कटौती करता है।

यह सी.सी.आई. किस तरह का निकाय है? एक माननीय सदस्य इसके बारे में जानना चाहते थे। यह टी.आर.ए.आई., आई.आर.डी.ए. आदि की तरह अर्द्ध न्यायिक शक्तियों वाला विनियामक निकाय हैं अधिकतम दंड 10 प्रतिशत है। यह कम भी हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय सी.सी.आई. करेगा।

एक अन्य माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या केन्द्र सरकार प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश जारी करेगी। धारा 53 के अंतर्गत, सरकार केवल नीति के प्रश्न पर ही निर्देश दे सकती है और धारा 54 का प्रावधान यह सुनिश्चित करना है कि आयोग, सौंपे गए कार्यों का निर्वाह करेगा। अधिनियम के अंतर्गत, सरकार को जनहित के लिए सुरक्षा की चिंता हो सकती है जिसपर कार्य करने के लिए सरकार प्रेरित हुई है। एक अन्य माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्ण माहौल बनाने के लिए समिति की सिफारिशों पर क्या किया गया है। इस तरह से प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बीच सद्भावपूर्ण माहौल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यू.टी.पी. के सभी मामले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिभाषा में आते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम के लागू होने पर शीघ्र ही उपभोक्ता फोरम में भेजा जा सकता है। एम.आर.टी.पी. के अंतर्गत यू.टी.पी. के कुछ ही मामले लंबित हैं और इस प्रावधान के लागू होने के बाद एम.आर.टी.पी. को कोई नया मामला स्वीकार नहीं करना चाहिए। एम.आर.टी.पी. को एक साल के भीतर यू.टी.पी. के मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, यह वह अवधि है जब तक इस अधिनियम के लागू होने के बाद तक एम.आर.टी.पी. कार्य करेगी।

अन्य प्रश्न विलय और नियंत्रण के बारे में थे। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि विलय और अधिग्रहण के प्रावधान भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय निगमों पर समान रूप से लागू होते है जिनके पास हमारी कुछ निगमों की तुलना में अधिक पैसा है। एक अन्य प्रश्न लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में था। इस विधान के खंड 52 सी.सी.आई. को नीतिगत निर्देश देकर उनकी रक्षा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाता है।

अन्य प्रश्न था कि यूनाईटेड किंगडम और अमरीका जैसे कुछ देशों के पास ऐसे प्रावधान नहीं हैं। वास्तव में इन दोनों के पास ऐसे प्रावधान हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 1998 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया और उसे 2000 में लागू किया। अमरीका में इससे भी पूराना अधिनियम है जो शेरमन अधिनियम 1890 और क्लेटन अधिनियम से शुरू होता है।

श्री रूपचन्द पाल : यहां एक भी व्यापक अधिनियम नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : किसी को पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या इससे विश्व व्यापार संगठन में हमारी मोल-भाव करने की स्थिति कमजोर तो नहीं होगी, इसके विपरीत हमारा मानना है कि इससे हमारी मोल-भाव करने की स्थिति मजबूत होगी।

[हिन्दी]

माननीय चौहान जी यहां नहीं हैं, उन्होंने जो पूछना चाहा था, वह क्लाज 27 में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य, श्री दासमुंशी ने संविधान और विश्व व्यापार संगठन के बारे में वास्तविक मूल चिंता संबंधी मुद्दे उठाए हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो चिंता उसने व्यक्त की है, इसके बारे में वाणिज्य मंत्री को सूचित कर दूंगा जो इस विशेष पक्ष को प्रभारी है और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा, सरकार उस पर विचार करेगी। मंत्री समुचित तरीके से इस पर अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वस्त करेंगे कि इस अधिनियम का खंड 52 लागू करते समय खादी, ग्रामीण कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग को बचाने के लिए विशेष महत्व दिया जाएगा और इन्हें तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी प्रायोजित किया जाता है।

श्री जसवंत सिंह : निश्चित रूप से महोदय, खादी, कुटीर और लघु उद्योगों का संरक्षण अन्य प्रावधानों द्वारा किया जाता है। हमारे पास इन तीनों के लिए दीर्घावधिक प्रतिबद्धता है। निश्चय ही इस कानून में निहित शक्तियों के अंतर्गत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

माननीय सदस्य बड़ी कंपनियों में से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानना चाहते थे। मैंने इस प्रश्न का पहले ही जवाब दे दिया है क्योंकि यह अधिनियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है। यह आरोप लगाया गया कि भारतीय उद्योगों के विकास में प्रतिस्पर्धा एम.आर.टी.पी. अधिनियम से ज्यादा रुकावट डालेगी। हम किसी भी एम.आर.टी.पी. को कम करके नहीं आंक रहे हैं। हम वास्तव में व्यापक प्रतिस्पर्धा प्रदान कर भारतीय उद्योग के आकार पर लगी रुकावट को हटा रहे हैं।

एक अन्य प्रश्न जो...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : दुर्व्यवहार की प्राधान्यता के मामले में जांच का क्या हुआ?

श्री जसवंत सिंह : प्राधान्यता के दुरुपयोग के मामले में संदेह होने पर भी, निश्चय ही, यह कार्यकरण का हिस्सा होगा या प्रतिस्पर्धा विधेयक की जिम्मेदारी होगी और यह उसका स्थान लेगी।

माननीय सदस्य राघवन समिति के बारे में भी जानना चाहते थे। समिति ने सुझाव दिया कि अन्य के अलावा मुख्य न्यायाधीश और दो मंत्रियों के नेतृत्व में एक चयन समिति गठित हो। कुछ कार्यकारियों को बनाये रखने के साथ-साथ विधेयक में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, जो मंत्री के रूप में है, आदि आप सही हैं, स्थायी समिति ने मंत्री पर आपत्ति जताई है। इसलिए, सरकार ने विधेयक में समिति के नाम का उल्लेख नहीं करने का निर्णय लिया है। विधेयक में अब केवल निर्धारित नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं जब हम नियम बनाते हैं, हम इस विशेष बात पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे और किसी भी तरह से सभी नियम संसद में लाए जाएंगे।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, आपने भी जज को लेकर यही आपत्ति की थी।

प्राय: सभी मुद्दों पर मैंने निश्चिन्त होकर जवाब देने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : राघवन समिति की क्या सिफारिशें थीं? वास्तव में उन्होंने क्या निर्धारित किया है?

श्री जसवंत सिंह : मेरे पास अभी जो भी सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार, राघवन समिति ने सुझाव दिया है कि चयन समिति

[श्री जसवंत सिंह]

का प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे जिसमें अन्य के अलावा दो मंत्री भी होंगे, विधेयक में परिवर्तन किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने स्थायी समिति के कुछ भाग का उल्लेख किया है।

मैं स्थायी समिति के कथन को पूर्णत: उद्धृत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि स्थायी समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत हैं।

उन्होंने कहा है कि समिति में व्यक्त एक दृष्टिकोण जिसमें स्थायी समिति द्वारा थोड़ा सा संशोधन किया गया है—वह है उपयुक्त तीनों उद्योगों को बनाए रखने के बारे में है। मुझे भारतीय प्रतिस्पर्दात्मक आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के बारे में संबंधित अधिकारी की ओर से एक पत्र मिला है। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने हेतु समूह में भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष लोक सभा, वित्त मंत्री, संबंधित मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शामिल होते हैं। हमारे अनुभव से इसमें संशोधन किया गया है क्योंकि माननीय सदस्य का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य समान है। इस प्रक्रिया को जहां तक संभव हो, पूर्वाग्रह से ऊपर रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं मुख्य विचार होने पर यह जरूरत को पूरा करता है।

मैं समझता हूं, उठाए गए सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। किन्तु यदि ऐसा कोई प्रश्न है जिसका मैं संभावतया अब भी उत्तर दे सकता हूं मैं निश्चित ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं खंड 12 से संबंधित एवं प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसमें कहा गया है:

> "अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिससे वह पद का त्याग करता उससे छह मास की अवधि तक किसी उद्यम के, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा है प्रबंध या प्रशासन से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नही करेगा।"

अब, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और इसका प्रारूप भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। इसमें केवल छह माह का प्रावधान नहीं किया गया है किन्तु एक ढंग से इस खंड में कहा गया है कि छह माह के बाद अथवा यदि आप एक वर्ष के समय का प्रावधान करें जो कदाचित आप करना चाहते हैं तो अध्यक्ष अथवा सदस्य उद्यम में रोजगार को अपना सकते हैं जिसका अधिनियम आयोग के समक्ष था। यह वास्तव में उचित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि नियम बनाते समय यदि आप इसमे परिवर्तन कर लें अथवा यदि यह न्याय के हित में पूर्ण रूप से आवश्यक हो जाता है तो काटन में ही परिवर्तन कर यह कार्य किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां खरबों डालर का कारोबार कर रही होंगी और नियुक्त किया गया व्यक्ति छह माह के बाद उस कंपनी के पास जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यह एक उचित बात है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैंने शुरू में ही इसे स्वीकार कर लिया था क्यों कि मैं इसके तर्काचार को देख रहा हूं। आप इसमें एक न्यायधीश नहीं रख सकते - न्यायाधीश से मेरा तात्पर्य न्यायालय के न्यायाधीश के अर्थ में नहीं है - जो किसी प्रश्न का अधिनिर्णय करे और जिसके विषय में आपने अधिनियम दिया है उसके नियोक्ता नहीं हो सकते। यह बात पूर्ण रूप से ठीक है। मैं पूर्ण रूप से इसे स्वीकार करता हूं। समिति ने कहा है कि इसकी अवधि एक वर्ष हो, इसीलिए हमें इसकी अवधि एक वर्ष करने जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। किन्तु मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं इसे ऐसे ढंग से करूंगा और यदि नियमों में ऐसा करने में असमर्थ रहता हूं तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि अधिनियम एक लाभदायक प्रावधान है। यही ठीक ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे ठीक किया जाने वाला लगना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, जब मैं बोल रहा था तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता था कि क्या यह निकाय एक अर्द्धन्यायिक निकाय है जैसा कि उद्देश्य में कहा गया है अथवा क्या इसे स्थायी समिति के समक्ष कंपनी मामले विभाग के निवेदन के अनुसार न्यायिक निकाय होना चाहिए अथवा क्या इसे निगमित निकाय होना चाहिए जैसाकि कुछ अन्य उपबंध में कहा गया है। इस सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है, कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में विरोध और भेद जिसमें भारतीय प्रतिस्पार्धात्मक आयोग को अर्द्धन्यायिक निकाय बताया गया है, विभाग को यह कहना है कि यह न्यायिक निकाय है। अब माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि यह टी आर ए आई के समान एक विनियामक निकाय है। यह कंपनी कार्य विभाग का निवेदन है कि इसे न्यायिक निकाय होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि समिति यह बताना चाहती है कि न्यायिक निकाय को किसी पर मुकदमा चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

यह अनुपालन के लिए आदेश जारी कर सकता है। मुकदमा चलाने का अर्थ है शिकायतें करने के लिए किसी अन्य न्यायिक निकाय के समक्ष विपक्षी पार्टी के विरूद्ध मुकदमें दर्ज कराना है। भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग, जो एक न्यायिक निकाय है, को किसी पर मुकदमा

चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काटन में ऐसा सम्भव नहीं है। यह एक विरोध है।

इन वर्षों में एम आर टी पी में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो नियमित रूप से नियुक्त किए जाते हैं या जो प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। कुछ प्रतिनियुक्त अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया से होकर आते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रमुखतय सभी कार्मिक वहां होंगे। जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में भी लागू होती है जिन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं और इस विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

डा. जसवंत सिंह : जी, हां, दूसरी बात के उत्तर में मैंने ऐसा कहा था इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। किसी को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हम सभी को सामेलित-चाहे वे प्रतिनियुक्त पर आए हों अथवा अन्य अधिकारी हों- एक मात्र मापदंड यह है कि वे आमेलन योग्य हों। यह कार्य अधिकाधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाएगा।

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि क्या यह न्यायिक निकाय हैं, इसे न्यायिक निकाय बनाने में हमें कुछ व्यावहारिक कठिनाई आई। इसके पास अर्द्धन्यायिक शक्तियां हैं। यह निकाय टी आर ए आई अथवा आई आर डी ए आदि के समान होगा। किन्तु यह निगमित निकाय है। हमें पता चला है कि जो मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाए जाने के लिए कार्यात्मक रूप से अधिक सक्षम और बेहतर होगा, क्या इस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : यदि यह एक अन्य विनियामक निकाय है, तो इससे किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण और अंतक्रमण है। यह दोहरा क्षेत्राधिकार होगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रूपचन्द पाल : एक भ्रांति है। यू. के. के मामले में यह निकाय एक सुपर विनियामक की भांति है। यदि अधिग्रहण पर विवाद हो तो क्या होगा। उनके पास अधिग्रहण की शक्ति है और सेबी भी ऐसा कर रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में ऐसा कर रहा है कि क्या इसमें मार्जिन हे या नहीं है और ऐसी ही बातें हैं। वित्तीय क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रों में इनकी भूमिकाओं के अनुलिपिकरण के मामले में इस विनियामक निकाय की स्थिति क्या होगी? क्या इसे समान समझा जाएगा? इस मामले में विनियामकों के बीच व्यापार को लेकर विवाद के मामले में व्याख्या किस प्रकार की जाएगी?

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : खंड 47 में हस निकाय को संदर्भ की शक्ति दी गई है। जिसका अर्थ है कि सरकार इस निकाय से राय मांगेगी। टिप्पण में यह भी कहा गया है कि यह राय केन्द्र सरकार पर बाध्य नहीं होगी। तब, इस निकाय को संदर्भशक्ति क्यों दी जानी चाहिए? इसकी क्या जरूरत है? क्या सरकार को ऐसे अर्थ न्यायिक निकाय से ऐसी राय लेने की जरूरत है? यह तो अन्य बातों के विनिमयन के बारे में कार्य कर रहा है। यह राय भी बाधाकारी क्यों नहीं है?

श्री जसवंत सिंह : यहां पर दो प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न यह है; क्या इसके कार्यों में अतिक्रमण हो, तब कौन निर्णय करेगा? यह कार्यपालिका का अधिकार होगा। एक प्रावधान के माध्यम से कार्यकारी निर्णय कर सकता है। अथवा यदि यह नीति मुद्दा बन जाता है तो यह निश्चित रूप से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। इस समय हम यह आशंका नही करते। यदि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होगा, तो हम निश्चित रूप से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए कार्यकारी प्राधिकार का इस्तेमाल करेंगे। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसे समझें, उदाहरणार्थ, इसके कार्यान्वयन में पहले वर्ष से यह शिक्षण प्रयोजनों से प्रतिस्पर्धा ही है; इससे सूचना मिलेगी और शिक्षा मिलेगी। एम आर टी पी दूसरे वर्ष में भी चल रहा है। तीसरे वर्ष से यह पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा। उदाहरणार्थ, अन्य विनियामक निकाय विवरण के मामले में भारतीय प्रतिस्पार्धात्मक आयोग को इसको नहीं भेजेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्दात्मक आयोग की राय विनियामक निकाय पर बाधाकारी नहीं है। इसलिए इसे अन्य विनियमकों के ऊपर विनियामक नहीं समझा जाता है।

आपने पूछा है कि क्या हम संदर्भ दे सकते हैं। जी हां, हम संदर्भ दे सकते हैं। किन्तु सरकार ने संदर्भ स्वीकार करने या स्वीकार न करने की शक्ति अपने पास रखना ठीक समझा है।

ऐसा इसलिए है क्यों कि पहले तीन वर्षों में हम वास्तव में एक संस्थान को व्यवस्थित करने और देश की कार्यकारी प्रणालियों में इसके आधार को निर्धारित करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे व्यवहारों का निवारण करने के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा के संवर्धन और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का, और

उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड-2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए -

(ख क) "व्यापार मंध" के अंतर्गत ऐसे उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का संगम है जो उनके बीच हुए करार के द्वारा, माल के उत्पादन-वितरण, विक्रय या उसकी कीमत या उसके व्यापार अथवा सेवा प्रदान करने को परिसीमित, नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है।" (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37 और पंक्ति 38,-

"या लगने की प्रस्थापना करता है" का लोप किया जाए। (5)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 10 और पंक्ति 11 का लोप किया जाए। (6)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित कि जाए,-

'(जक) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय, औद्योगिक या विनिधान निगम भी आता है।' 1956 का 1 (7)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,-

"लेखाकर्म" का लोप किया जाए। (8)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 प्रतिस्पर्धा रोधी कदार

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5,-

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"परंतु इस उपधारा की कोई बात संयुक्त उद्यमों के रूप में किए गए किसी करार को लागू नहीं होगी यदि ऐसे करार से किसी माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवा प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि होती है।"। (9)

पृष्ठ 5, पंक्ति 21,-

"(क)" का लोप किया जाए। (10)

पृष्ठ 5,-

पंक्ति 25 से पंक्ति 28 तक का लोप किया जाए। (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 1,-

"ऐसे करार से प्रतिस्पर्धा पर" के स्थान पर, "ऐसे करार से भारत में प्रतिस्पर्धा पर, प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 19 से पंक्ति 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(5)" इस धारा की कोई बात,-

(1) किसी व्यक्ति के किसी अतिलंघन जो हुए हैं या हो सकते हैं, को अवरुद्ध करने या ऐसी युक्तियुक्त शर्तें अधिरोपित करने के जो,-

(क) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957; 1957 का 14

(ख) पेटेन्ट अधिनियम, 1970; 1970 का 39

(ग) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958, या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999; 1958 का 43 / 1999 का 47

(घ) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999; 1999 का 48

(ङ) डिजाइन अधिनियम, 2000; 2000 का 16

(च) अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000; के अधीन प्रदत्त किसी अपने अधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक हों, अधिकार को; 2000 का 37

(ii) भारत से माल निर्यात करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को, उस सीमा तक, जहां तक करार ऐसे निर्यात के लिए माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्था करने से अनन्य रूप से संबंधित है,

निर्बंधित नहीं करेगी।"। (13)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (14)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-4 प्रधान स्थिति का दुरुपयोग

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (1) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय या सेवाओं में अनुचित या विभेदकारी शर्त और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय में अनुचित या विभेदकारी कीमत (मनमानी कीमत सहित) या सेवा के अंतर्गत ऐसी विभेदकारी शर्तें या कीमतें नहीं आएंगी, जो प्रस्पिर्धा का सामना करने के लिए अंगीकार की जाएं।"। (15)

पृष्ठ 7, पंक्ति 11,-

"किसी उद्यम द्वारा, सुसंगत बाजार में चाहे भारत में या भारत से बाहर" के स्थान पर "किसी उद्यम द्वारा, भारत में सुसंगत बाजार में" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खंड-5 समुच्चय

पृष्ठ 7,-

पंक्ति 29 से पंक्ति 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(ii) किसी ऐसे समूह की, जिसका वह उद्यम, जिसका नियंत्रण, शेयर, आस्तियां या मताधिकार अर्जित किए गए हैं या अर्जित किए जा रहे हैं, अर्जन के पश्चात् होगा, संयुक्त रूप से,-

(अ) या तो भारत में, चार हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आस्तियां या बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक के आवर्त हैं या होंगे; या

(आ) भारत में या भारत के बाहर, कुल योग में दो बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य की आस्तियां या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं या होंगे; या"। (17)

पृष्ठ 8,-

पंक्ति 9 से पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(ii) ऐसे समूह की, जिसका वह उद्यम, जिसका नियंत्रण, अर्जित किया गया है या अर्जित किया जा रहा है, होगा, अर्जन के पश्चात् संयुक्त रूप से,-

(अ) या तो भारत में, चार हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आस्तियां या बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक के आवर्त हैं या होंगे; या

(आ) भारत में या भारत के बाहर, कुल योग में दो बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य की आस्तियां या छह बिलियन अमेरिकी डालरं से अधिक के आवर्त हैं या होंगे; या"। (18)

पृष्ठ 8,-

पंक्ति 24 से पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(ii) उस समूह की, जिसका विलय के पश्चात् बचा उद्यम विलय या समामेलन के परिणामस्वरूप सृजित उद्यम, यथास्थिति, विलय या समामेलन के पश्चात होगा, संयुक्त रूप से,-

(अ) या तो भारत में, चार हजार करौड़ रुपए से अधिक मूल्य की आस्तियां या बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का आवर्त हैं या होंगे; या

(आ) भारत में या भारत के बाहर, दो बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य की आस्तियां या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं या होंगे; या"। (19)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (20)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (21)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (22)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-8 आयोग की संरचना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10,-

पंक्ति 16 से पंक्ति 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है या होने के लिए अर्हित है या जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या किसी अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो, कम से कम पन्द्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है।"। (23)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-9 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10,-

पंक्ति 22 से पंक्ति 37 और पृष्ठ 11, से पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन।	9. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, चयन किया जाएगा।"। (24)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-10 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 9-

"सत्तर वर्ष" के स्थान पर "सड़सठ वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-11 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र, हटायाजाना और निलम्बन।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 11,-

पंक्ति 30 से पंक्ति 36 तक का लोप किया जाए। (26)

पृष्ठ 12,-

पंक्ति 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा,"। (27)

पृष्ठ 12,-

पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के खंड (घ) या खंड (ङ) में"। (28)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 20 और पंक्ति 21,-

"छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए- (29)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 सदस्य प्रशासन की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12,

पंक्ति 27 और 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

13, केन्द्रीय सरकार सदस्य प्रशासन के रूप में किसी ऐसे सदस्य को पदाभिहित करेगी जो ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का

प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसमें निहित की जाएं:

"परन्तु यह कि सदस्य प्रशासन को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को आयोग की किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इस शर्त के अध्ययधीन प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय सदस्य प्रशासन के निदेशन, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करता रहेगा।"। (30)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 12,-

पंक्ति 29 से पंक्ति 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"14. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और यात्रा व्यय, मकान किराया भत्ता और वाहन सुविधा, सत्कार भत्ता तथा चिकित्सा सुविधा सहित वेतन के अन्य निबंधन और शर्तें वे होगी जो विहित की जाएं।"। (31)

पृष्ठ 12, पंक्ति 34,-

"(4)" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 महानिदेशक, इत्यादि की नियुक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 4,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" अंत:स्थापित किया जाए। (33)

पृष्ठ 13, पंक्ति 6,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" अंत:स्थापित किया जाए। (34)

पृष्ठ 13, पंक्ति 8,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" अंत:स्थापित किया जाए। (35)

पृष्ठ 13, पंक्ति 10,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" अंत:स्थापित किया जाए। (36)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 आयोग के रजिस्ट्रार और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13,-

पंक्ति 16 और पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(2) आयोग के रजिस्ट्रार और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या वे होंगी जो विहित की जाएं।"। (37)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 आयोग के कर्तव्य

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13,

पंक्ति 23 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,--

"परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन या अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या करार, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कर सकेगा।"। (38)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 कतिपय करारों और प्रधान स्थिति वाले उद्यमों की जांच

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 26,-

"प्राप्त किसी परिवार पर" **के स्थान पर** "प्राप्त किसी ऐसे परिवाद पर जिसके साथ ऐसी फीस संलग्न हो जो नियमों द्वारा अवधारित की जाए" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 14,-

पंक्ति 12 से पंक्ति 15 तक का **लोप** किया जाए। (40)

पृष्ठ 14, पंक्ति 16,-

"(छ)" के स्थान पर "(च)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (41)

पृष्ठ 14, पंक्ति 17,-

"(ज)" के स्थान पर "(छ)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (42)

पृष्ठ 14, पंक्ति 19,-

"(झ)" के स्थान पर "(ज)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (43)

पृष्ठ 14, पंक्ति 22,-

(ञ)" के स्थान पर "(झ)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (44)

पृष्ठ 14, पंक्ति 23,

"(ट)" के स्थान पर "(ञ)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (45)

पृष्ठ 14, पंक्ति 24,-

"(ठ)" के स्थान पर "(ट)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (46)

पृष्ठ 14,-

पृष्ठ 24 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए-

"(ठ) प्रधान स्थिति वाले उद्यम द्वारा जिसका प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है या ऐसा होने की संभावना है, आर्थिक विकास को अभिदाय के माध्यम से सापेक्ष फायदा;"। (47)

पृष्ठ 14, पंक्ति 27,-

"या" **के स्थान पर** "और" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (48)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 आयोग द्वारा समुच्चय की जांच

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16,-

पंक्ति 5 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,-

''(ड) समुच्चय द्वारा, जिसका प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है या ऐसा होने की संभावना है, आर्थिक विकास को अभिदाय के माध्यम से सापेक्ष फायदा;''। (49)

पृष्ठ 16, पंक्ति 6,-

''(ड)'' **के स्थान पर** ''(ढ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (50)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्देश

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16, पंक्ति 10,-

''निर्देश करेगा'' **के स्थान पर** ''निर्देश कर सकेगा'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (51)

पृष्ठ 16,-

पंक्ति 13 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,-

''परंतु आयोग इस धारा के अधीन अपनी राय ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर देगा''। (52)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खंड 23 आयोग और न्यायपीठों के बीच कारबार का वितरण

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16, पंक्ति 32,-

''केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से'' का लोप किया जाए। (53)

पृष्ठ 16,-

पंक्ति 35 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

''परंतु अध्यक्ष किसी एक नगर में स्थित एक न्यायपीठ से किसी सदस्य को किसी अन्य नगर में स्थित न्यायपीठ को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानान्तरित कर देगा।''। (54)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 27 करारों और प्रधान स्थिति के दुरूपयोग के संबंध में जांच के पश्चात् आयोग द्वारा आदेश

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 18, पंक्ति 6,-

''किसी करार अथवा किसी प्रधान उद्यम का कार्य'' **के स्थान** पर ''धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार अथवा किसी प्रधान उद्यम का कार्य'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (55)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

"परंतु किसी व्यापार संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग, उस व्यापार संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर, उक्त व्यापार संघ द्वारा ऐसे करार से प्राप्त लाभों की रकम के तीन गुने के बराबर या उक्त व्यापार संघ के पिछले तीन पूर्व वित्तीय वर्षों के आवर्त के औसत के दस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति अधिरोपित करेगा।"। (56)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 31 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 32 भारत से बाहर किए गए कृत्य और उनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 21,-

पंक्ति 4 का लोप किया जाए। (57)

पृष्ठ 21, पंक्ति 5,-

"(घ)" के स्थान पर "(ग)" प्रतिस्थापित किया जाए। (58)

पृष्ठ 21, पंक्ति 6,-

"(ङ)" के स्थान पर "(घ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (59)

पृष्ठ 21, पंक्ति 7,-

"(च)" के स्थान पर "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (60)

पृष्ठ 21, पंक्ति 8,-

"(छ)" के स्थान पर "(च)" प्रतिस्थापित किया जाए। (61)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 अंतरिम अनुतोष देने की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 21, पंक्ति 14,-

"धारा 5" के स्थान पर "धारा 6" प्रतिस्थापित किया जाए। (62)

पृष्ठ 21, पंक्ति 17,-

"मंजूर कर सकेगा" के स्थान पर "आदेश द्वारा मंजूर कर सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (63)

पृष्ठ 21,-

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

"(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा आयोग के समाधान के लिए यह साबित कर दिया जाता है कि किसी माल के आयात से धारा 3 की उपधारा (1) या धारा (4) की उपधारा (1) या धारा 6 का उल्लंघन होने की संभावना है, वहां यह किसी पक्षकार को ऐसा माल तब तक, जब तक कि ऐसी जांच समाप्त न हो जाए या कोई और आदेश पारित न किए जाएं, आदेश द्वारा आयात करने से रोकते हुए अस्थायी व्यादेश, विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना, प्रदान कर सकेगा और जहां ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो वहां ऐसे अंतरिम व्यादेश मंजूर करने वाले आदेश की प्रति संबंधित प्राधिकारी को भेजी जाएगी।"। (64)

पृष्ठ 21, पंक्ति 18,-

"(2)" के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाए। (65)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 38 आदेशों का परिशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23,

पंक्ति 23 **के पश्चात्** निम्नलिखत **अंत:स्थापित** किया जाए।

"**स्पष्टीकरण**–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को परिशोधित करते समय, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित अपने आदेश के किसी सारवान भाग का संशोधन नहीं करेगा।"(66)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 से 45 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खंड 45क कम शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25,-

पंक्ति 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

45क. आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण की बाबत पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्वपूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर इन अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति से कम शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण के लिए कार्यवाहियां संस्थित की जा चुकी हैं या ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन कोई अन्वेषण किए जाने का निदेश दिया जा चुका है :

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता की बात जो इस धारा के अधीन पूर्ण सत्य और महत्पूर्ण प्रकटन करता है, कम शास्ति अधिरोपित की जाएगी : (67)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 45 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड 45 ख शास्तियों के रूप में वसूल की गई धनराशि का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25,-

पंक्ति 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए-

45ख. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।"। (68)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 45ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 प्रतिस्पर्धा पक्ष समर्थन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 35,-

"प्रतिस्पर्धा पर कोई नीति" के स्थान पर "प्रतिस्पर्धा पर कोई नीति (प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधियों के पुनर्विलोकन सहित)" प्रतिस्थापित किया जाए। (69)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय :

"कि खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 से 51 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 52 छूट प्रदान करने की शक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27,-

पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"परंतु उस दशा में जिसमें कोई उद्यम सरकार के प्रभुतासंपन्न कृत्यों से संबंधित किसी कार्य-कलाप सहित किसी कार्य-कलाप में लगा हुआ है, केन्द्रीय सरकार केवल प्रभुतासंपन्न कृत्यों से ही संबंधित कृत्य की बाबत छूट प्रदान कर सकेगी।"। (70)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 52, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 53 से 60 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 61 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 29,-

पंक्ति 3 और पंक्ति 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(क) वह रीति, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों का धारा 9 के अधीन चयन किया जाएगा;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और प्रतिज्ञान किया जाएगा;

(ग) वे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जो धारा 13 के अधीन सदस्य प्रशासन में निहित हो सकेगी;"। (71)

पृष्ठ 29,-

पंक्ति 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(घ) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन वेतन और उनकी सेवा के अन्य"। (72)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (73)

पृष्ठ 29, पंक्ति 8,-

"(ग)" के स्थान पर "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (74)

पृष्ठ 29, पंक्ति 8,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकारों, परामर्शियों या अधिकारियों" अंत:स्थापित किया जाए। (75)

पृष्ठ 29, पंक्ति 10,-

^^(ञ)** के स्थान पर "(च)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (76)

पृष्ठ 29, पंक्ति 10 और पंक्ति 11,-

"सहायक महानिदेशक" के पश्चात् "या ऐसे अन्य सलाहकारों, परामर्शियों या अधिकारियों" अंतःस्थापित किया जाए। (77)

पृष्ठ 29, पंक्ति 12,-

"(ङ)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (78)

पृष्ठ 29,- पंक्ति 13,-

"और शर्तें" के स्थान पर, "और शर्तें तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या" प्रतिस्थापित किया जाए। (79)

पृष्ठ 29, पंक्ति 14,-

"(च)" के स्थान पर "(ज)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (80)

पृष्ठ 29, पंक्ति 17,-

"(छ)" के स्थान पर "(झ)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (81)

पृष्ठ 29, पंक्ति 19,-

"(ज)" के स्थान पर "(ञ)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (82)

पृष्ठ 29, पंक्ति 21,-

"(झ)" के स्थान पर "(ट)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (83)

पृष्ठ 29, पंक्ति 22,-

"(ञ)" के स्थान पर "(ठ)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (84)

पृष्ठ 29, पंक्ति 24,-

"(ट)" के स्थान पर "(ड)" प्रतिःस्थापित किया लाए। (85)

पृष्ठ 29, पंक्ति 25,-

"(ठ)" के स्थान पर "(ड)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (86)

पृष्ठ 29, पंक्ति 28,-

"(ड)" के स्थान पर "(ण)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (87)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 61, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 विनियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए :

"(घ) वह फीस जो धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित की जाए।"। (88)

पृष्ठ 30, पंक्ति 8,-

"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" प्रतिःस्थापित किया जाए। (89)

(श्री जसवंत सिंह

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64 निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 31,

पंक्ति 31, के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए-

"परंतु राष्ट्रीय आयोग, यदि वह उचित समझे, इस उपधारा के अधीन उसे अंतरित किसी मामले को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

1986 की धारा 9 के अधीन स्थापित संबद्ध राज्य आयोग को अंतरित कर सकेगा और वह राज्य आयोग, ऐसे मामले का निपटारा ऐसे करेगा मानो वह मामला उस अधिनियम के अधीन फाइल किया गया था।'' (90)

1986 का 68

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 64, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

''प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2001'' **के स्थान पर,** ''प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

''बावनवें वर्ष'' **के स्थान पर** ''तिरपनवें वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।'' (2)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

बृहत नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1,-

बृहत नाम के प्रारंभ में, ''देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए'' **अंत:स्थापित** किया जाए। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि बृहत नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बृहत नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.42 बजे

[हिन्दी]

आधे घंटे की चर्चा

पर्यटन विकास

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त

[श्री महेश्वर सिंह]

करना चाहूंगा कि उन्होंने दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 को इस माननीय सदन में श्री थॉवर चन्द गेहलोत द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 263 के ऊपर आधे घंटे की चर्चा उठाने की मुझे अनुमति प्रदान की। यह देश में पर्यटन के विकास संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। प्रश्न के 'क' भाग में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि गत चार वर्षों में विभिन्न प्रांतों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 324.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। लेकिन यह चिंता का विषय है कि इसमें से केवल 162.78 करोड़ रुपये ही आबंटित हो पाये हैं, जो लगभग 50 प्रतिशत बैठते हैं और 1308 स्वीकृत योजनाओं में केवल 399 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पर सदन के माननीय सदस्य श्री दिलीपकुमार मनसुख गांधी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने जो कहा है वह बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं उसे कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

> "मेरे पास जो आकड़े हैं उन्हें मैं आपको विश्वास में लेकर बताता हूं। मैं उसे उधृत कर रहा हूं। ये आकड़े इस देश में शासन पद्धति की ओर इशारा करते है। वर्ष 1987 से वर्ष 1992 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई 345 परियोजनाओं में से 70 परियोजनाऐं अभी तक पूरी नहीं हुई है। वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं का विषय कोई अलग नहीं था। स्वीकृत की गई 595 परियोजनाओं में से 538 परियोजनाऐं अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई हैं। वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक नौंवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य निष्पादन भी इतना ही खराब रहा है। स्वीकृत की गई 1365 परियोजनाओं में से 1160 परियोजनाओं का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। यह राज्य सरकारों में कार्यकारी एजेन्सियों का कार्य निष्पादन हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं यहां एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जहां तक मंत्री महोदय का अपना प्रशासन का अनुभव है और उनकी इस विषय में विशेष रुचि है, इसके फलस्वरूप मिनिस्ट्री की वर्किंग में तीव्रता तो आई है, लेकिन अगर सारा का सारा दोष प्रान्तीय सरकारों पर डाला जाए तो मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं होगा। क्योंकि मंत्री महोदय के उत्तर से एक बात स्पष्ट है कि चाहे यूनियन टैरिटरीज हों या राज्य हों, 35 ऐसी जगहें है जिनमें से एक भी स्वीकृत राशि पूरी प्राप्त नहीं कर सकी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कहीं न कहीं मंत्रालय में भी रेड टेपिज्म है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। समय पर यहां से स्वीकृति नहीं होती हैं।

महोदय, फलस्वरूप कभी-कभी तो स्वीकृति भी वर्षान्त में होती है। कुछ केसेस में तो 31 मार्च जो कि वित्त वर्ष का अन्तिम दिन होता है, उसकी अर्धरात्रि को स्वीकृति होती है और इस प्रकार से यह सभी पैसा ठीक प्रकार से स्वीकृत योजनाओं पर व्यय नहीं हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक बजट पारित करने की बात है, वह मार्च-अप्रैल में पारित हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि प्रान्तों को मई मास तक यह मालूम हो जाना चाहिए कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वे लाभान्वित हो सकते हैं और उन्हें केवल एक मास का समय देना चाहिए और जून मास की अन्तिम तिथि तक राज्यों से केन्द्र सरकार के पास योजनाएं आ जानी चाहिए ताकि जो योजनाएं स्वीकृत हों, वे 31 जुलाई तक स्वीकृत हो जाएं। ताकि उसी वर्ष उन योजनाओं का निर्माण काम्र प्रारंभ हो जाए और धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नहीं तो अन्तिम समय में स्वीकृति प्रदान की जाती है जिससे पैसे का मिस-यूटीलाइजेशन हो जाता है।

महोदय, मैं यह मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हो सकती हैं, जो इस दृष्टि से अपनी योजनाएं विलम्ब से केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करती होंगी, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अनेक राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास इस आशा और बड़ी उत्सुकता से आती हैं कि उनकी परियोजनाएं शीघ्र स्वीकृत कर दी जाएं और धन निर्गत कर दिया ताकि वे निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकें, लेकिन केन्द्र सरकार के अधिकारियों की लालफीताशाही के कारण उन्हें वर्षों तक स्वीकृति नहीं मिल पाती है।

महोदय, मंत्री जी की कृपा और उनके अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में भी एक बुद्धिस्ट सर्किट को स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं उनका इसके लिए आभारी हूं क्योंकि वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजातीय है और जहां बुद्धिस्ट काफी संख्या में रहते हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में इस बात की जानकारी दी थी। इसके लिए मैं और हिमाचल प्रदेश के लोग आपके आभारी हैं। इस बारे में कुछ उत्साह हम लोगों ने भी दिखाया और तभी से हिमाचल प्रदेश की सरकार इस योजना की अनुमति प्रदान करने और धन निर्गत करने हेतु बराबर प्रसत्नशील है और केन्द्र सरकार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का तत्काल उत्तर देती रही है, लेकिन अभी तक उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए सदन में बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त आयुक्त एवं सचिव स्तर का एक अधिकारी, पिछले चार-पांच महीनों से लगातार बार-बार पर्यटन और मंत्रालय आकर भारत सरकार पर्यटन विभाग के सचिव से मिलकर इसे स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह करता रहा है। वे हिमाचल प्रदेश के अनेक इंजीनियरों आदि सभी संबंधित अधिकारियों को भी अपने साथ लाए हैं ताकि जो भी आपत्तियां लगानी हों, एक साथ लगाकर, उन्हें यही हि.प्र.के अधिकारियों के माध्यम से दूर कर दिया जाए और स्वीकृति मिल जाए, लेकिन न स्वीकृति मिली और न पैसा ही मिला।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां जो कार्य होना है वह रोहतांग पास के दूसरी तरफ लाहौल-स्पीति जिले में होना है तथा उसके बाद फिर कुछ हिस्सा जम्मू-कश्मीर का है जहां काम होना है। मंत्री महोदय, जम्मू-कश्मीर के स्वयं राज्यपाल रह चुके हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर के चप्पे-चप्पे की जानकारी है। वे हिमाचल प्रदेश के भू-भाग से भी भलीभांति परिचित हैं। यह सारा का सारा ट्राइबल एरिया है। यह संपूर्ण क्षेत्र, दिसम्बर महीने में रोहतांग पास, कुंजम पास और बारालाचा पास पर किसी भी समय बर्फ गिरने से देश के शेष भागों से कट जाएगा और आगामी वर्ष के मई मास तक देश के बाकी भागों से कटा रहेगा। यदि अब भी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो निश्चित रूप से पैसा अगले वित्तीय वर्ष में व्यय होगा क्योंकि भारी बर्फबारी और हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाओं में स्थित इस बुद्धिस्ट सर्किट में अत्यधिक ठंड तथा देश के शेष भागों से कटे रहने के कारण कार्य कर पाना सम्भव नहीं है। यदि अब भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो कुल्लू, मनाली तथा मंडी आदि जो निचले क्षेत्र हैं, वहां जो कार्य करने हैं, वे कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि समय रहते इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि धन का सदुपयोग हो सके।

महोदय, जब से मंत्री महोदय ने पर्यटन मंत्रालय का भार संभाला है तब से कार्य-प्रणाली में थोड़ा बदलाव आया है और कार्यों की मानीटरिंग भी मंत्रालय कर रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस काम में और तीव्रता आएगी और मंत्रालय भविष्य में परियोजनाओं की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की दिशा में तेज कदम उठाएगा।

महोदय, कुल्लू और मनाली ऐसे रमणीय स्थल हैं, जहां न केवल देश से बल्कि विदेशों से पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। वे पैसा खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करते, लेकिन उन्हें सुख-सुविधाएं चाहिए जिन्हें हम मुहैया नहीं करा पाते। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिमाचल प्रदेश में कहने को तो तीन एयरपोर्ट हैं, लेकिन तीनों ही छोटे एयरपोर्ट हैं। एक जमाना था जब कुल्लू का एयरपोर्ट कच्चा हुआ करता था तब वहां उकोटा प्लेन उतरता था। उसके बाद थोड़ी उन्नति हुई, फिर फोकर-फ्रेंडशिप प्लेन चलने लगा। फिर थोड़ी उन्नति हुई, तो एवरो प्लेन मिला और मैं समझता था कि हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय क्योंकि इंडियन एयरलाइंस के पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, इसलिए बड़े प्लेन चलाने की बजाय, काटकर छोटा एयरक्राफ्ट डोर्नियर चलाया गया जो एक उड़नखटोले के समान लगता है और जिसकी यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। उससे जैसे-तैसे काम चल रहा था।

महोदय, मैंने इस वर्ष दशहरे के उत्सव पर माननीय नागर विमानन मंत्री जी को कुल्लू आमंत्रित किया और इसके पीछे भावना यह थी कि नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय जब कुल्लू पधारेंगे, तो नागर विमानन की दृष्टि से इस क्षेत्र में कुछ सुधार होगा।

उन्होंने घोषणा की कि आपको ए.टी.आर.-50 जल्दी ही मिल जायेगा। इस संबंध में मंत्री जी ने प्रयास किया और माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से कुल्लू एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपये मिले। लेकिन खेद का विषय है कि उन 30 करोड़ रुपये में से एक भी पैसा आज तक खर्च नहीं हो सका क्योंकि आपत्तियों पर आपत्ति लगती है। प्रांतीय सरकार ने जगह वगैरह सब कुछ उपलब्ध करा दी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं यह जानता हूं कि मंत्री महोदय का यह मंत्रालय नहीं है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम सिविल ऐवीएशन मिनिस्टर से बात करें।

अब कांगड़ा में कोई प्लेन नहीं जा रहा है क्योंकि पहले डोर्नियर ग्राउंड कर दिया गया और कहा कि इसमें कुछ खराबी है। इसकी कुछ मरम्मत हो जायेगी तो वह चल पड़ेगा। हमने सोचा कि आज आयेगा, कल आयेगा लेकिन हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हुआ। वहां इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइटें टोटली बंद कर दी गयीं। मेरी सूचनानुसार वे फ्लाइटें अब जबलपुर के लिए डायवर्ट कर दी गई हैं। हमारा कहना है कि जबलपुर के लिए इसे डायवर्ट करना और हिमाचल जैसे सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को वंचित कर देना कहां तक न्यायसंगत होगा? यह अच्छी बात नहीं है।...*(व्यवधान)* मुझे मालूम नहीं है लेकिन पहले जो हुआ था, वह सही था। अब यहां स्टेट मिनिस्टर भी बैठे हैं। वे भी इस बात से परिचित हैं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों के अथक प्रयासों से वहां हवाई पट्टी का विस्तार संभव होगा।

अंत में एक और बात मैं समाप्त करूंगा क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने हैं। मैं देख रहा हूं कि आप घंटी की

[श्री महेश्वर सिंह]

ओर नजर डाल रहे हैं। इससे पूर्व कि आप घंटी बजायें, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को यह कनवे किया गया कि आपको जो परियोजनायें मिलेंगी, वे लगभग 5.70 करोड़ रुपये की मिलेंगी। इसके मुताबिक वहां पर शिलान्यास हुआ और काम भी शुरू हो गया। लेकिन खेद का विषय है कि जो स्वीकृति मिली, आपके जवाब में भी लिखा है कि वह 157.64 लाख रुपये की मिली, उसमें से अभी तक केवल 78.80 लाख रुपये ही मिले हैं। इस संबंध में वहां के मुख्यमंत्री कई पत्र मंत्री जी को लिख चुके हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पहले जो वायदा किया गया था, उसके मुताबिक जितनी धनराशि मांगी गयी है, क्योंकि बहुत से प्रांत ऐसे हैं जो खर्च नहीं कर रहे जबकि हिमाचल प्रदेश खर्च करना चाहता हूं इसलिए जितनी उन्होंने मांग की है या जितना यहां से वचन दिया गया था, वह उनको मिलना चाहिए ताकि उस प्रांत में काम हो सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और सब सदस्यों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

सभापति महोदय : इस विषय पर एक ही मैम्बर का नाम स्वीकृत हुआ था। बाकी लोगों ने जो नाम दिये, वे समय के बाद दिये। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने विषय को गंभीरता को देखते हुए यह स्वीकृति दी कि विशेष परिस्थिति में माननीय सदस्यों को एक-आध प्रश्न पूछने दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान के लिए मैं माननीय सभापति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि सभा में जिस पर चर्चा की जा रही है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है?

माननीय मंत्री द्वारा जब से पर्यटन मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया गया है इसे नई ऊर्जा और गतिशीलता मिली है। वास्तव में पर्यटन हमारे लिए विदेशी मुद्रा अर्जित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है।

पेरिस और लंदन के मेरे व्यक्तिगत दौरे पर अमेरिका में 11 सितम्बर की घटना के बाद मैंने पाया कि यूरोपीय देशों में लोग भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश आना चाहते है। विशेषकर जब वे भारत आना चाहते है। उन की दो समस्याऐं हैं। एक उन्हें सदा युद्ध की आशंका नजर आती है। युद्ध की इस आशंका का यूरोप में बहुत प्रचार नहीं है। इसलिए लोग भारत आना चाहेगें।

दूसरा पहलू पेरिस से मदुरैइ के लिए उड़ान की सुविधा है। बहुत लोग आना चाहते है और वे इस क्षेत्र का पूरा दौरा करना चाहते हैं। तत्पश्चात वे उत्तर क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पेरिस से चेन्नई के लिए भी सीधी उड़ान नहीं है। इसलिए वे पेरिस से मदुरैइ अथवा लंदन से मदुरैई के लिए सीधी उड़ान चाहते है। यदि इस प्रकार की उड़ान सुविधा एयर इंडिया अथवा किसी निजी विमानन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तब पर्यटकों के आवागमन की भारी संभावना है। फिर भी बहुत लोग दक्षिण भारत से यूरोपीय देश जा रहे है।

अत: इस ओर से भी हम भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते है। विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शिवगंगा की ओर आकर्षित करना चाहत हूं जहां चेट्टीनंद की संस्कृति चल बढ़ रही है। यहां तक की पंचतारा अथवा सप्ततारा होटलों में भी चेट्टीनंद चिकन परोसी जा रही है। अब वे चिकन अवाराकई भी परोसना चाहते है। यद्यपि इस प्रकार की विपणन प्रक्रिया, चेट्टीनंद व्यंजन पूरे विश्व में फैल रहा है क्योंकि यह विशेष व्यवसायी समुदाय पूरे विश्व में रह रहे है। उनकी संस्कृति को स्वीकारा जा रहा है।

इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी बड़े घर हैं जैसे कि राजस्थान में महल। वह क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है परन्तु यह सूखा क्षेत्र है। इसकी बहुत सम्पन्न संस्कृति है जहां घर बहुत बड़े हैं जिनमें घर के भीतर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना कर रखा जाता है, वर्मा टीक प्रयोग की जाती है सुदंर मोजक फर्श वहां होता है और सुदंर सोफा सेट भी वहां होता है। हरेक चीज बहुत सुविधाजनक है और विदेशी इसे बहुत पंसद करेंगे। इस प्रकार हम यूरोपीय देशों में इस क्षेत्र के लिए बाजार हासिल कर सकते हैं। लोग उन क्षेत्रों में आते हैं और वे एक या दो दिन के लिए वहां ठहरते हैं। वे उस धरोहर का आनंद ले रहे हैं। वे बैलों की दौड़ भी देखते हैं जिसे हम मंजीविरट्टू कहते हैं। पोगंल के समय संक्राति अवधि में यह उस क्षेत्र के सभी गांवों सिरावयल, कांदीपट्टी, हरिपोट, मम्बाट्टी और सिगंमप्रेनारी में उपलब्ध रहती है। बहुत से क्षेत्र वहां हैं। यह वीरता पूर्ण कार्य भी विदेशी पर्यटकों को स्वीकार्य हो सकता है।

इसी प्रकार लोग तटवर्ती क्षेत्रों में भी आने और छुट्टियां मनाने के लिए तैयार हैं। विशेषरूप से हम ऐशियाई पर्यटकों को यहां ला सकते हैं। रूसी पर्यटक, यूरोपीय पर्यटक और अमरीकी पर्यटक भी वहां आने के लिए तैयार हैं। बात केवल यह है कि हमें उस उद्देश्य के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगीं।

इसी प्रकार, मैंने सुबह भी धरोहर गृह के संबंध में प्रश्न उठाया था। प्राचीन काल में रानी वलुनाचिर एक रानी थी। एक मरूधुपंडियर भी था। इन दोनों को युद्ध के लायक माना जाता था।

किले भी वहां हैं। तिरख्यायक में एक सुन्दर किला है जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था परन्तु इसमें सुधार नहीं हुआ। इन्ही शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया जाना चाहिए और माननीय मंत्री को उस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए समय प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में आने वाला हर पर्यटक राजस्थान अवश्य आना चाहता है। राजस्थान आने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए। वैसे आप काफी ध्यान दे रहे हैं लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां कुल 1308 परियोजनाएं थीं और केवल 399 परियोजनाएं ही पूरी हुई। आपने 324.50 करोड़ रुपये सैंक्शन किए परन्तु केवल 162.68 करोड़ रुपये रिलीज़ किए। कितना खर्च हुआ, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। पिछले दिनों जब पुश्कर का मेला लगा, अमरीका के अखबारों ने, इंग्लैंड ने एक समाचार छाप दिया कि वहां आतंकवादियों का हमला होने वाला है। सारे विदेशी जो वहां जाने को तैयार थे, उन सबको जाने से मना कर दिया। क्या उसके पीछे कोई षडयंत्र था? इस संबंध में भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया? मंत्री महोदय स्वयं कह चुके हैं कि पर्यटन से विदेशी मुद्रा की बहुत आय होती है। पुश्कर जैसे स्थानों को विकसित करने, घाटों का सर्वांगीण विकास करने का और अजमेर जहां हजारों, लाखों पर्यटक आते हैं, उसका विकास करने के लिए भारत सरकार स्वयं कोई ऐसी विशाल परियोजना बना कर, अपनी ओर से इनीशिएटिव लेकर करे, क्योंकि राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, संसाधन नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो ऐसे अकाल पीड़ित राज्य हैं, जिसके संसाधन भी बहुत कम हैं, क्या केन्द्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देगी। मेरे पास चार्ट है जिसके अनुसार राजस्थान को 2001-2002 में केवल 5 लाख रुपये मंजूर किए जाने थे, उसमें से दो लाख रुपए मंजूर किए हैं जबकि पहले 131 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, फिर 58 लाख रुपये किए, फिर 203 लाख रुपये किए, फिर 61 लाख रुपये किए और अबकी बार केवल 5 लाख रुपये-जिसमें से ढाई लाख रुपये ही मंजूर किए हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकें तो बड़ी कृपा होगी।

सायं 6.00 बजे

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, आज पर्यटन के विकास पर माननीय महेश्वर सिंह जी ने जो चर्चा अरम्भ की है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उसमें एकमात्र प्रोजैक्ट टाइगर, आपका जो बायोस्फियर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क रहा है। वह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इतना पोटैंशियल है कि तकरीबन पांच हजार से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर सालाना विजिट करते हैं, उनमें से 15 परसेंट के आसपास विदेशी हैं। मैं खास तरीके से आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वहां पर एक हवाई अड्डा बना हुआ है, जो राज्य सरकार का है। माननीय मंत्री जी के सहयोग से अगर भारत सरकार वहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी दे पाएगी तो जाहिर सी बात है कि दुधवा के लिए विदेशी पर्यटकों की आमद-रफ्त बढ़ेगी। मैं बीच में यूरोप गया था तो मैंने वहां पर देखा था कि दुधवा नेशनल पार्क में पिली अर्जुन सिंह ने जो एक्सपेरीमैंट किया था, जिसमें तारा नाम की एक शेरनी को जंगल में रैस्टोर किया था, उससे दुधवा नेशनल पार्क बहुत मशहूर हो गया है। बहुत से लोगों ने हमसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही थी।

मुझे आशा है कि अगर भारत सरकार फ्लाइट कनेक्टिविटी देने के लिए विशेष कदम उठाएगी, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पर्यटन एक ऐसा विषय है, जिसमें राज्य और केन्द्र के बीच बहुत ही अच्छा कोआर्डीनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जैसा अभी माननीय महेश्वर सिंह जी इंगित कर रहे थे कि यहां योजनाएं बनती हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न पूछ लीजिए, भाषण मत करिये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : जो योजनाएं बनती हैं, उनमें तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिससे योजनाओं में विलम्ब होता है। बेसीकली इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बधी सड़कों के मामले हैं, वहां पर एकोमोडेशन के मामले हैं, इन्फोर्मेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश करने के मामले हैं, इस पर भी अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, यहां तक कि अभी आई.टी.डी.सी. की वैबसाइट पर भी दुधवा को नहीं लिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से बेहतरीन तालमेल करके दुधवा में जो एक अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टीनेशन है, बायोस्फियर रिजर्व है, उसमें पर्यटन के विकास के लिए क्या सरकार योजना बनाएगी?

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : पर्यटन बहुत शांत परन्तु सफल उद्योग है। सौभाग्य से ईश्वर ने इस संबंध में हमारे देश को बहुत कुछ दिया है।

महोदय, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। इस स्थान की बहुत विशेषताएं हैं। यह भारत के दक्षिण में सबसे अंत में है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। किंतु सुदंर स्थान होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। इस स्थान पर बुनियादी ढांचे का विकास किए जाने की जरूरत है। जैसा आपको पता होगा कि वहां पर स्वामी विवेकानंद चट्टान है। वहां हमारे डा. कलानार द्वारा 01 जनवरी, 2000 को तमिल कवि तिरूवल्लूवर की प्रतिमा लगाकर इतिहास बनाया गया था। इसके अलावा यह केवल पर्यटन केन्द्र ही नहीं है बल्कि इसका तीर्थयात्रियों के लिए भी आकर्षण है। पूरे विश्व से लोग इस स्थान पर आते हैं। उत्तर भारत के लोग भी यहां आते है। किंतु इस स्थान पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी है। पर्यटन विभाग इस स्थान का विकास करने में बुरी तरह नाकामयाब रहा है।

इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तिरूवनंतपुर से कन्याकुमारी तक; कन्याकुमारी से तूतीकोरिन तक और तूतीकोरिन से रामेश्वरम तक एक फेरी सेवा शुरू की जानी चाहिए। इसकी पूरे विश्व के लोग प्रशंसा करेंगे।

दूसरे, हम उस स्थान का आकर्षण बढ़ाने के लिए एक जलजीवशाला और एक तारामंडल जैसी अन्य सुविधाएं वहां बना सकते हैं। हम इस स्थान को हर धर्म के लिए पूजा स्थल बनाकर महा कन्याकुमारी बना सकते हैं ताकि साम्प्रदायिक सदभाव की भावना कन्याकुमारी से प्रकाशित हो सके।

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़) : महोदय, मुझे अपने विचार माननीय मंत्री के सामने रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं महाबलेश्वर नामक क्षेत्र से हूं। यह देश में सबसे अच्छे पर्यटन केन्द्रों में से एक है किंतु यह ऐसे ऊंचाई पर स्थित है जो समुद्र तल से 5000 फीट से कम है। एक नियम है कि यदि कोई स्थान समुद्र तल से 7000 अथवा 8000 फीट से ऊपर स्थित है तो उस स्थान को कुछ रियायतें दी जाती हैं। परन्तु किसी स्थान की ऊंचाई बढ़ाना मानव के हाथों में नहीं है यद्यपि महावलेश्वर मुम्बई के समीप है और इस स्थान की यात्रा करने बहुत से लोग आते हैं फिर भी यहां के पर्यटकों को ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो समुद्र तल से 5000 अथवा 6000 फीट से अधीक की ऊचांई पर स्थित अन्य पर्यटन कॅंद्रों पर उपलब्ध हैं।

कोमना बांध की झील का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हैं। वसौटा किला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। विश्व के सबसे अच्छे ट्रेकिंग स्थानों में से एक यहां देखा जा सकता है। तथापि, वन विभाग ने इस क्षेत्र के विकास हेतु कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को वन विभाग के साथ उठायें। यदि कॅंप की सुविधाओं की यहां अनुमति दी जाती है तो लोग वन को हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह लगभग 30 कि. मी. लम्बा क्षेत्र है जिसका लम्बी चहलकदमी करने वाले लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थान को भारत का स्विटजरलैंड कहा जा सकता हैं। माननीय मंत्री आकर स्वयं स्थान को देख सकते हैं। इस स्थान पर कुछ सुविधाएं यथा एक हैलीपैड और एक नौसेनिक नौकायन सुविधा प्रदान की जा सकती है।

यदि विभाग से किसी को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा जाता है और सर्वेक्षण करने के पश्चात अन्य पर्यटन स्थलों की दी गई कतिपय सुविधाएं महाबलेश्वर तपोदा, बामनौली और कोमना बांध परिसर में प्रदान की जाती हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, हम लोग महाराष्ट्र वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मंत्री महोदय और उनके सारे स्टॉफ ने परिश्रम करके जो अजंता-अलौरा और बाकी फोर्ट्स के लिए जो महाराष्ट में केव्स आते हैं, उनके विकास के लिए जापान सरकार का सौहार्द लेने की कोशिश की। उसका पहला फेज हमारे समय में हुआ था। सैकेंड फेज का रिकमेंडेशन जो हम लोगों ने किया था, जब हम महाराष्ट्र की सरकार में थे तो वह अभी पास हो गया है। उसमें दो त्रुटियां हैं। हालांकि माननीय मंत्री जी के अथक परिश्रम के कारण सब कुछ हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि एक रास्ता चालीसगांव-नागद-बनौटी-सोइयागांव-फर्दापुर को उस प्रोजेक्ट में नहीं लिया है। अगर इसे भी उसमें ले लिया जाए तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से क्योंकि यह बहुत सुंदर है और यह अजंता के बाजू में है, अच्छा रहेगा। इस रास्ते को उसमें लेना बहुत जरूरी है। आप जब वहां आएंगे तो मैं बता दूंगा। पहले वह प्रोग्राम में था लेकिन मुझे सुनने में आया है, पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया है कि वह उसमें नहीं है जबकि इसे उसमें लेना चाहिए।

दूसरे, संत-एकनाथ महाराज हमारे पेठन में हैं। पेठन एक तीर्थस्थल है। वहां गोदावरी नदी बहती है लेकिन वहां गंगा का घाट होना जरूरी है। वहां गायकवाड़ जी का प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है लेकिन वहां नदी पर बना यह घाट उसी के आगे बनाया जाए, वह कई वर्षों से वहां की मांग है। उसे दक्षिण काशी कहते हैं, अगर उसे भी उसमें लिया तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। विदेशी पर्यटकों के लिए

इससे बहुत सुविधा हो जाएगी और उसका समय सन् 2007 या 2008 तक ही है, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है। उसका पीरिएड कम करके अपने ही कार्यकाल में अगर वह पूरा हो जाए तो पर्यटन के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। हमारे मंत्री जी, राज्य मंत्री महोदय और सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है और इसकी शुरूआत जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों से यदि हो गई तो यह दो साल में पूरा हो जाएगा।

जब हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उस समय के राज्यपाल जी को वहां सब याद करते हैं जो हमारे अभी के मंत्री जी हैं। वहां आपने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं। इसी तरह से अमरनाथ जी की यात्रा पर भी हर वर्ष हम लोग जाते हैं लेकिन वहां हम इतनी कठिनाई से जाते हैं और अभी तो वहां आतंकवादियों का भी खतरा है। उसी तरह से बालटाल या पहलगांव से लेकर अमरनाथ जी की यात्रा को भी यदि सहुलियत वाला कर दें तो सारे हिन्दू यात्री आपको धन्यवाद देंगे।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं प्रश्न के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खजुराहो, कालिंजर, चित्रकूट, ओरछा, भेड़ाघाट, कान्हा, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, ये सब बुंदेलखंड और महाकौशल के ट्रैक में हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इनका एक पैकेज दे दें। खजुराहो को पैसा दिया है लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। आज प्रश्न के जवाब में वह बता रहे थे कि हमने इतना-इतना पैसा दे दिया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना आप जा चुके हैं, वह बहुत ही सुन्दर स्थल है। उसका यदि दोहन किया जाए, सजाया और संवारा जाए, तो काफी पर्यटक वहां पर जाने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। बुन्देलखण्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों के लिए आप कोई पैकेज देंगे।

सभापति महोदय : वैशाली भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और भगवान महावीर की जन्म स्थली है। बौद्ध सर्किट में केसरिया जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप निकला है और बौद्ध सर्किट सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए वैशाली और केसरिया के बारे में भी बतायें कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है?

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया था कि छ सर्किटों को भारत में चिन्हित किया जाएगा और उन्हे भारत में ही विकसित किया जाएगा और उन्हे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। माननीय मंत्री ने उन छ सर्किटों को चिन्हित भी कर लिया था। किंतु उड़ीसा को उनमें शामिल नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि उड़ीसा को पर्यटक सर्किट में शामिल करने पर विचार करें क्योंकि हमारे यहां चिलका भीतरकनिका जैसे स्थान है जहां विश्व विख्यात आलिव रिडले कछुए तथा कच्छप हैं और सिमिलीपाल नामक स्थान भी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र के किनारे चांदीपुर है जहां दिन में दो बार समुद्र में तीन कि.मी. तक यह भव्य दृश्य देखा जा सकता है। मैं उनसे इस पर विचार करने की अपील करता हूं।

दूसरी बात यह है। वे उड़ीसा गए थे और उन्होंने देखा कि कोणार्क और लिंगराज मंदिर के भीतर बहुत सा अतिक्रमण था। उन्होंने उन सभी चीजों के बारे में बहुत बार उल्लेख भी किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह उन अतिक्रमणों को हटाने हेतु किसी तरह राज्य सरकार की मदद करेंगे? यदि यह राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता तो क्या केन्द्र सरकार इस में हस्तक्षेप करेगी?

अंत में कोणार्क मंदिर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मंदिर में प्रवेश के लिए शुल्क लगा दिया है। पहले यह निशुल्क था। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि सप्ताह में कम से कम एक बार स्थानीय लोगों को निशुल्क अंदर जाने और दर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। रीवा में बांधवगढ़ स्थान से सारी दुनिया में सफेद शेर पहुंचाए गए, जो दुनियाभर के चिड़िया घरों में रखे गए, लेकिन बांधवगढ़ आज भी एप्रोज की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मैं बहुत सीमित शब्दों में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विश्व विख्यात स्थान तक पहुंचने के आवागमन के सुलभ साधन उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, बहुत बड़ी संख्या में मुद्दे उठाये गए हैं।

सबसे पहले मैं महेश्वर सिंह का जवाब दूंगा। यह सही है मैं संसद में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि पहले कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथों में होता था। मैने बताया है कि जहां तक स्वीकृत किए गए मामलों का संबंध

[श्री जगमोहन]

है तो केन्द्र सरकार में विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। और राज्य अब उन्हे समय पर कार्यान्वित कर पाते हैं। मैंने उन आकंड़ों को उद्धृत किया है और इन्होने उन आंकड़ों को दोहराने की कृपा की है। इसलिए, राज्य सरकारों के कार्यान्वयन तत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर मैने जोर दिया है।

दूसरा मुद्दा है कि वे सभी आंकड़े और विज्ञाप्तियां जिन्हे उद्धृत किया गया है पूर्व की नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से संबंधित हैं। मेरे कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् हमने पूर्णतया कई पहल की है। इस पहल में हम प्रत्येक राज्य में संस्कृति, पर्यटन और नागरिक जीवन के कुछ केन्द्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से किसी एक स्थान को उसके सांस्कृतिक, वास्तुगत विरासत, विकास की संभावनाओं और अन्य संबंधताओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विकसित किया जा रहा है। इसमें कई अन्य मुद्दे भी समिलित हैं।

अत: हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम कार्य करने की नई शैली अपना रहे हैं, प्रशासन का नया तरीका अपना रहे हैं जिसमें मैं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य अनेक संस्थानों के बीच समन्वय बना रहा हूं और हम परिणामोन्मुखी प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जिन स्थानों का नाम लिया है मैंने स्वयं वहां का दौरा किया है और हमने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है विशेषकर इस वर्ष लालफीताशाही एकदम नहीं हैं। यदि लालफीता शाही होती तो गत आठ माह के दौरान हमने अजन्ता, कुरूक्षेत्र या लाल किले में जो काम किया वह नहीं कर पाते। अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार बहुत तेज रही हैं। मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यह एक सच है। आप आकर देख सकते हैं। मैं आपको एक फिल्म दिखा सकता हूं 18 तारीख को मैं इसे परामर्शदात्री समिति को दिखा रहा हूं। यदि कोई सदस्य जानना चाहता है कि क्या कार्य किया गया है तो वह आ सकता है।

सभापति महोदय, आपने स्वयं वैशाली और अन्य परियोजनाओं का उल्लेख किया है यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उनके सामने कोई समस्या होगी। जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है हमने ठोस पहल की है। जैसा कि मैंने कहा हैं कि नौ करोड़ रुपये वैशाली, पावापुरी और अन्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। जारी की गई पूरी धनराशि उस केन्द्रीय प्राधिकरण के पास है जो कि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि राजस्थान के लिए केवल कुछ लाख ही दिए गए हैं। यह ठीक नहीं है। शायद सदस्य महोदय, पुरानी अवधि के आंकड़े का उल्लेख कर रहे हैं। मैं आपको नवीनतम आंकड़े दूंगा। मैंने दिलवाड़ा रानकपुर और इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये दिये हैं। अत: 10 करोड़ रुपये मंजूर कर लिए गए हैं और इसे सीधे हम दे रहे हैं। हम इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इन स्थानों को जाकर देखा है। हमने राजस्थान की चितौड़गढ़ कुम्भलगढ़ और अन्य परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये दिये हैं और हम ये कार्य सीधे स्वयं कर रहे हैं। जैसलमेर के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। उस क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और हमने उनको क्रियान्वित भी कर दिया हैं। स्वाभाविक रूप से हमें राज्य सरकार की वरीयताओं और सुझावों के अतिरिक्त कई अनेक तत्वों पर निर्भर करना होगा। सदस्य महोदय ने उस क्षेत्र का उल्लेख किया है और मैं उस क्षेत्र की संभावनाओं को स्वीकार करता हूं। मैं उनके सुझाव मांगूंगा और निश्चय ही उन पर विचार करूंगा।

जहां तक विमान सेवा से जोड़े जाने का संबंध है, वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं नागरिक विमानन मंत्री से हमेशा अनुरोध करता रहा हूं कि अधिक से अधिक स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ा जाए। उसकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन हम निश्चय ही बेहतर प्रयास करते रहेंगे ये और लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यदि राज्य सरकार हमें लिखे और आप भी वही सुझाव दें और आप भी सीधे लिखे तो यथासंभव मैं आपकी बात मानने को कोशिश करूंगा।

डा. ए. डी. के. जयशीलन : कन्याकुमारी के बारे में क्या कहना है?

श्री जगमोहन : मैं स्वयं दो बार कन्याकुमारी गया हूं। मैंने इसके लिए पहले ही एक योजना बनाई है। हमने उद्यान के लिए कुछ धनराशि भी दी है लेकिन समुद्र तट के किनारे कुछ विकास भी हुआ है। मैं कन्याकुमारी का विकास करना चाहता हूं वास्तव में कन्याकुमारी का दौरा मैंने पर्यटन मंत्री की हैसियत से ही किया था। विवेकानन्द का अनुयायी एवं बड़ा प्रशंसक होने के नाते मैंने विवेकानन्द पर बहुत कुछ लिखा है और पर्यटन मंत्री की हैसियत से सर्वप्रथम मैंने कन्याकुमारी की यात्रा की। मैं उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी कठिनाइयां बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में आप मेरा सहयोग करें। गलत स्थान पर अनेक दुकानें होने के

कारण मुझे कन्याकुमारी को सुन्दर समुद्र तट प्रदान करने में बाधा आ रही है। मन्दिर को जाने वाला मार्ग पूरी तरह भरा पड़ा है।

उड़ीसा के मेरे एक परम मित्र ने कोणार्क का उल्लेख किया है। क्या किया जाए? मार्गों पर भी अतिक्रमण किया गया है। लिंगराज्य मन्दिर के अन्दर की दुकान खुली हैं। वे सब कुछ बेकार कर देते हैं। प्रवेशद्वार से प्रवेश करते ही गन्दगी एवं अस्वच्छता दिखाई देती है। इसलिए इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं निश्चय की जरूरत है। आपके सहयोग के बगैर हमारे प्रयास बेकार होंगे।

यदि आप कृपया सहयोग करें तो मैं कन्याकुमारी को एक अत्यन्त रमणीय स्थल बना दूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : भुवनेश्वर के बारे में क्या है?

श्री जगमोहन : आपकी शिकायत है कि आप जो भी प्रस्ताव भेजते हैं राज्य सरकार द्वारा होने वाले प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। आपको राज्य सरकार को राजी करना चाहिए।

यदि आप हमें सीधे लिखेंगे तो मैं उस पर सीधे विचार करूंगा। लेकिन यदि यह उनके माध्यम से आया तो यह हमारे लिए सहायक होगा।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोसार) : महोदय हमने एक वर्ष पहले नंदी पहाड़ियों के विषय में अनुरोध किया था जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां 14वीं और 15वीं शताब्दी के मंदिर हैं। हमने इस स्थान के लिए एक पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया था। हमने दूसरे जिस स्थान का उल्लेख किया था वह कोलार है। इसके विषय में कर्नाटक सरकार ने भी अनुरोध किया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री जगमोहन : महोदय हमारी प्राथमिकताएं हैं। उदाहरणार्थ, हमने कर्नाटक के हाम्पी के लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। अब सम्पूर्ण हाम्पी परियोजना को विश्वदाय परियोजना के रूप में दिखाया जा रहा है। हम अनेक सुधार कर रहे हैं क्योंकि हमारे विचार से यह अत्यन्त उपयुक्त केन्द्र है जो कि बहुत सारे पर्यटनों को आकर्षित कर सकता है। इससे भारत की संस्कृति एवं इतिहास के प्रति अच्छी छवि उभरेगी। अत: यही हमारी प्राथमिकता है। अन्य स्मारकों के मामलों में भी कर्नाटक के लिए हमने जैन मंदिर के लिए एक बड़ी दाथि की मंजूरी दी है। वास्तव में, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश को उन क्षेत्रों के विरासती महत्व को ध्यान में रखते हुए मंजूर की गई धनराशि का अधिकतम हिस्सा दिया गया है। आपका जो भी सुझाव हो कृपया मुझे लिखें। लेकिन कार्य के मामले में हमारी प्राथमिकताएं हैं। भारत में अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं और स्वाभाविक रूप से हमें कुछ चयन करना पड़ेगा और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होगा।

हमने महावीर भगवान विहार के लिए नौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अब यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसा राज्य सरकार सीधे कर रही है। इसलिए इस संबंध में चिन्ता की बात नहीं है।

जहां तक मुझे ज्ञात है, हमने महा बलेश्वर के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। ऐसा राज्य सरकार ने किया होगा। लेकिन यदि राज्य सरकार ने ऐसा किया है तो हम उससे बात करेंगे या यदि आप उनके माध्यम से लिखेंगे तो मैं निश्चय ही इस पर चर्चा करूंगा। शायद वे इसे पर्वतीय स्थल के रूप में विचार कर रहे होंगे जो लगभग 5000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। लेकिन मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा। इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

महोदय, हमने उड़ीसा में भी दो करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। जैन स्मारकों और गुफाओं के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक स्वीकृत किए गए हैं और यह आबंटित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि वे सभी गुफाएं मानचित्र पर होंगी। अनेक नए कार्य और कुछ उत्खनन भी किया गया है। मैंने इसके लिए तीन दिन उड़ीसा में बिताए। मैं आपको ब्यौरा दूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

जहां तक श्री महेश्वर सिंह की यह बात कि कुछ अधिकारी हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रस्तावों को दबा कर बैठे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें उचित सूचना नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश में उपची मनाली रोड से लेह तक के सर्किट तथा लेह के चारों ओर की परियोजनाओं को मैंने खुद देखा है। 29 मई को मैंने अधिकारियों को बुलाया था और उन्हे ये सारे कार्य दिए जिन पर उन्हे कार्य करना चाहिए। यह दोनों तरफ के पूरे मार्ग से संबंधित है। लगभग 8 करोड़ रुपये की योजनाओं को मजूरी दी गई थी। मैंने स्वयं निर्धारित किया है कि किन क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी सुविधाएं दी जानी है और किन क्षेत्रों में द्वितीय श्रेणी की सुविधाएं दी जाती है और किन क्षेत्रों में आप रात को ठहर सकते हैं और क्षेत्र किन क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी की सुविधाएं दी जानी है और इसी प्रकार की अन्य बातें। इस खूबसूरत क्षेत्र में प्रकृति ने खूबसूरत नदियां एवं बौद्ध विहार दिए हैं। पर्यटन करने वाले लोगों के लिए यहां अपार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसके पश्चात् अब राज्य सरकार से आकलन एवं योजनाओं को तैयार करने और सही ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। इन्हें जुलाई माह में दिया गया। आकलन अधूरे थे क्योंकि ब्लू-प्रिंट एवं आकलन

[श्री जगमोहन]

में तालमेल नहीं था। इसलिए इनको उन्हें लौटा दिया गया था। उनके विभाग के सचिव को बुलाया गया था। उन्होंने हमें इनको वापस देने का अनुरोध किया। उन्होने कहा कि वह इसकी स्वयं जांच करेंगे। उन्होंने इसकी जांच की एवं 29 नवंम्बर को परियोजना की रूपरेखा पुन: वापस भेजी गई। परन्तु हमने इसकी मंजूरी दे दी है। मैने उन्हें कहा है कि हमने 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और एक सप्ताह या दस दिन के अन्दर किसी भी समय इस रकम को राज्य सरकार को दे दिया जाएगा।

इसप्रकार, नौकरशाही का अपना तरीका हो सकता है परन्तु नौकरशाही राज्य एवं केन्द्र सरकार दोनों के लिए ही है। परन्तु इस मामले में, केन्द्र सरकार का तंत्र गलत नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कुल्लू, फष्कर मेले, आदि के लिए उड़ानों का उल्लेख किया है। उस समय सलाहकार हमारे पास आये थे। मैं इन सलाहकारों के भी विरूद्ध हूं। मेरे विचार से इन्हें बिना सोचे-विचारे लागू किया जा रहा है क्योंकि यदि आप भारत की यात्रा न करने की सलाह जारी करतें हैं तो आप वस्तुत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि तब आतंकवादी यह महसूस करेंगे कि एक या दो बम का विस्फोट करके या एक या दो व्यक्तियों को मारकर, वे उस स्थान की अर्थ-व्यवस्था को तबाह करेंगे। और यदि आप ऐसी सलाह जारी करते हैं, तो लोग भय से यात्रा नहीं करेंगे और इससे आतंकवादियों का उदेश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने सभी विदेशी सरकारों से ऐसा न करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि यदि वे आतंकवाद का सामना करने के लिए तत्पर हैं, तो उन्हें लोगों को यहां बड़ी संख्या में आने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इन बातों पर गौर न करें। वे हमें पर्यटन को बढ़ावा देने से नहीं रोक सकते हैं। अतएव, इस प्रकार की तैयारी के साथ यह प्रचार किया है।

आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि अक्तूबर माह में, घरेलू पर्यटकों के साथ-साथ देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा अर्जन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, नवम्बर माह में विदेशी मुद्रा में 17 प्रतिशत एवं तद्नुसार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, हम सफल रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में हुई है जहां आप पायेंगे कि वृद्धि महत्वपूर्ण रही है। 50 लाख से ज्यादा लोग एक माह में विभिन्न स्थानों पर गए, जोकि पहले से काफी अधिक है। घरेलू पर्यटकों की संख्या 23.40 करोड़ थी। घरेलू पर्यटक विदेशी पर्यटकों के समान ही अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। हम केवल थोड़ी ही ज्यादा विदेशी मुद्रा का व्यय करते हैं। इसलिए, घरेलू पर्यटक को भी बढ़ावा दिया जाना है और हम इसमें सफल रहें हैं।

आपने वैष्णोदेवी के बारे में उल्लेख किया है। एक उच्च प्रतिष्ठ माननीय सदस्य ने लिंगराज मंदिर एवं कोणार्क के बारे में उल्लेख किया है। मैने सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय का पत्र लिखा है कि मैंने यही किया था जब मैं जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल था। यही कानून मैंने बनाया हैं और इसे ऐसे ही किया गया था। मैंने उनसे उनके राज्यों में भी इसी प्रकार का कानून बनाने का सुझाव दिया था क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है जिसपर मैं कानून नहीं बना सकता। मैनें उन अधिनियमों की प्रतियां दी है। मैनें उन्हें दिखाया है कि ये लाभ प्राप्त होंगे। मैने इसे सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि यदि वे इस प्रकार का कानून बनाते हैं, तो हम मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थानों के आस-पास के स्थलों में सुधार करने हेतु अधिकतम सहायता प्रदान करेंगे, जहां लिंगराज मंदिर की तरह बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। यह सरकारी धन का अपव्यय है। हम इसे कुछ थोड़े से पंडाओं एवं कुछ अन्य लोगों को देने की इच्छा नहीं रखता हूं जो इसका दुरूपयोग कर सकते हैं और परपंराओं को अस्वस्थकर रखना नहीं चाहता जैसा कि वे विधमान है। इस प्रकार हमारे कार्य के अलावा भी एक प्रक्रिया है।

विभाग में सुधार एव पुनर्गठन करने और एक नवीन आयाम देना एवं समर्पण करने की नीति है। हम भारतीय पर्यटक को विश्व मानचित्र पर रखने में अपना पूरा समर्थन लगाना चाहते हैं। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमने चीन के साथ एक समझौता किया हैं। मैं स्वयं जापान भी गया हूं। हमने मथुरा कला प्रदर्शनी भी की। यह इतना अधिक सफल रहा था कि सम्राट एवं साम्रज्ञी ने भी आकर इसे देखा। एक मिलियन लोग प्रदर्शनी देख चुकें है। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से हमने उन्हें वह सब दिखाने के लिए सामग्री प्रदान की है जैसाकि अजंता एवं एलोरा में किया गया है जिसमें जापानी इच्छुक होंगे। नालंदा और राजगीह जैसे स्थान भी हैं। हम स्थायी रूप से यह कार्य कर रहे हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : खजुराहों के बारे में क्या है?

श्री जगमोहन : मैंने कई बार खजुराहों का उल्लेख किया है। हमने खजुराहों में ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। संग्रहालय के लिए दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य आरंभ होने वाला है। मंदिर के पश्चिमी छोर पर एक नए क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है। आपने कहा कि कुछ भी नहीं किया गया है। यह सही नहीं है। भूमि का अधिग्रहण किया गया है और भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार ने भूमि प्रदान की हैं। वे बड़े आधार पर कार्य कर रहें हैं। मैनें स्वयं आपके द्वारा उल्लिखित संरक्षित वनों का दौरा किया है। हम धन स्वीकृत कर रहें हैं। खजुराहो को सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। एकमात्र समस्या संपर्क - वायु संपर्क एवं रेल संपर्क की है-जिसका- उल्लेख इस सुबह हमने उल्लेख किया है। हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय यह सर्वज्ञात है कि तंजावूर सांस्कृतिक, स्मरणीय एवं विरासत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या केन्द्र सरकार के पास तंजावूर को शत प्रतिशत धन पोषण करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री जगमोहन : हम निश्चित ही इसके लिए कुछ करेंगे। परन्तु वर्तमान में हमने महाबलिपुरम हेतु हेतु एक विशेष केन्द्र एवं उस परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। हम इसे पांडीचेरी एवं अन्य सर्किटों से भी सम्बद्ध कर रहें। यह एक स्थान तक ही सीमित नहीं है। निश्चित रूप से तंजावूर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह मेरी कार्यसूची में है। मेरे विचार से यहां इस वर्ष या अगले वर्ष कुछ परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मेरा प्रश्न पारिस्थितिकीय-पर्यटन के बारे में है। मैं माननीय मंत्री ये यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु कोई सर्किट बनाया है।

श्री जगमोहन : जी हां।

श्री विक्रम केशरी देव : ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिस्थितिकीय पर्यटन के कारण कई देशों ने प्रगति की है और उनको पर्यटन उद्योग में भी काफी हद तक प्रगति हुई है। इसलिए, क्या पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु कोई पर्यटन मानचित्र है? सरकार ने इसके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं?

श्री जगमोहन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस अत्यधिक महत्वपूर्ण उपक्रम का मुझे स्मरण कराने के लिए कृतज्ञ हूं जिसे हमने पारिस्थितिकीय पर्यटन के क्षेत्र में किया है। महाराष्ट्र, गोवा से कर्नाटक तक के समस्त तटीय क्षेत्र के लिए भी परियोजना है। इसकी योजना बनाई जा रही है। मैं 10 जनवरी को इन स्थानों का दौरा करूंगा। हमने पारिस्थितिकीय हेतु एक बड़ी योजना बनाई है। यह बड़े स्तर की परियोजना है। मैंने स्वयं मालद्वीप की यात्रा की है, और पारिस्थितिकीय-पर्यटन का अर्थ वर्णित किया है। भारत एक ऐसा देश है जो पारिस्थितिकीय पर्यटन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है क्योंकि यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी विरासत है। हम प्रकृति, पर्वतों, घास के मैदानों एवं नदियों के महान प्रशंसक हैं। हम उन्हें पवित्र समझतें हैं।

दूसरा मुद्दा भी है। हमारे पास हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम एवं हेमकुंड के लिए परियोजना है। हेमकुंड फूलों की घाटी है। हमने इसपर कार्य किया है। हमने यू एन डी पी से उक्त परियोजना को प्रोयोजित करने का अनुरोध किया है। हमने इस पर कार्य किया है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय पर्यटन के संबंध में दो प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब लोक सभा, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2002/26 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.32 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2002/ 26 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।